SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का वर्ष 2023-24 के लिए राज्य वित्त पर प्रतिवेदन

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

वर्ष 2025 का प्रतिवेदन सं. 1

(राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

का

वर्ष 2023-24 के लिए राज्य वित्त

पर प्रतिवेदन

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

वर्ष 2025 का प्रतिवेदन सं. 1

विषय-सूची

क्र.सं.	विषय	पैराग्राफ	पृष्ठ सं.
1.	प्राक्कथन		vii
2.	कार्यकारी सारांश		ix
अध्याय-1: विहंगावलोकन			
3.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की रूपरेखा	1.1	1
4.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का सकल राज्य घरेलू उत्पाद	1.1.1	1
5.	राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के लिए आधार एवं दृष्टिकोण	1.2	5
6.	सरकारी लेखा संरचना और बजटीय प्रक्रियाओं का विहंगावलोकन	1.3	5
7.	वित्त का आशुचित्र	1.3.1	9
8.	सरकार की परिसंपत्तियों और देयताओं का आशुचित्र	1.3.2	10
9.	अधिशेष/घाटे की प्रवृत्तियां	1.4	11
अध्याय-2: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के वित्त			
10.	वित्त वर्ष 2022-23 की तुलना में वित्त वर्ष 2023-24 में प्रमुख राजकोषीय समुच्चयों में प्रमुख बदलाव	2.1	13
11.	निधियों के स्रोत और अनुप्रयोग	2.2	14
12.	रा.रा.क्षे.दि.स. के संसाधन	2.3	15
13.	रा.रा.क्षे.दि.स. की प्राप्तियां	2.3.1	15
14.	रा.रा.क्षे.दि.स. की राजस्व प्राप्तियां	2.3.2	16
15.	राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियां तथा वृद्धि	2.3.2.1	17
16.	रा.रा.क्षे.दि.स. के अपने संसाधन	2.3.2.2	19
17.	भारत सरकार से सहायता अनुदान	2.3.2.3	23
18.	केंद्र प्रायोजित योजनाएं	2.3.2.4	24
19.	एकल नोडल एजेंसी	2.3.2.5	27
20.	पूंजीगत प्राप्तियां	2.3.3	28

क्र.सं.	विषय	पैराग्राफ	पृष्ठ सं.
21.	संसाधनों का अनुप्रयोग	2.4	29
22.	व्यय की वृद्धि और संरचना	2.4.1	29
23.	राजस्व व्यय	2.4.2	31
24.	राजस्व व्यय में प्रमुख बदलाव	2.4.2.1	33
25.	प्रतिबद्ध व्यय	2.4.2.2	33
26.	सब्सिडी	2.4.2.3	35
27.	रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा स्थानीय निकायों और अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता	2.4.2.4	36
28.	पूंजीगत व्यय	2.4.3	38
29.	पूंजीगत व्यय में प्रमुख परिवर्तन	2.4.3.1	38
30.	निवेश और रिटर्न	2.4.3.2	39
31.	राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (एसपीएसई), रा.रा.क्षे.दि.स. की इक्विटी और बकाया ऋणों का वित्त लेखाओं के आंकड़ों के साथ मिलान	2.4.3.3	41
32.	सार्वजनिक व्यय की पर्याप्तता	2.4.4	41
33.	सार्वजनिक दायित्व प्रबंधन	2.5	43
34.	सरकारी खातों के बाहर निधि	2.5.1	43
35.	ऋण प्रोफाइल: घटक	2.5.2	45
36.	ऋण परिपक्वता और पुनर्भुगतान प्रोफाइल	2.5.3	45
37.	ऋण धारणीयता	2.6	46
38.	निष्कर्ष	2.7	51
अध्याय-3: बजटीय प्रबंधन			
39.	बजट प्रक्रिया	3.1	53
40.	वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान कुल प्रावधान, वास्तविक संवितरण और बचत का संक्षिप्त विवरण	3.1.1	54
41.	विनियोग लेखे	3.2	55
42.	बजट लक्ष्यप्राप्ति	3.2.1	56
43.	बजटीय एवं लेखांकन प्रक्रिया की प्रामाणिकता	3.3	57

क्र.सं.	विषय	पैराग्राफ	पृष्ठ सं.
44.	अनावश्यक या अधिक अनुपूरक अनुदान	3.3.1	58
45.	अनावश्यक या अधिक पुनर्विनियोग	3.3.2	58
46.	अव्ययित राशि और अभ्यर्पित विनियोग तथा/या बड़ी बचत/अभ्यर्पण	3.3.3	58
47.	बजटीय एवं लेखांकन प्रक्रिया की प्रभावशीलता पर टिप्पणियां	3.4	60
48.	बजट प्रक्षेपण और अपेक्षा एवं वास्तविक के बीच अंतर	3.4.1	60
49.	बजट में प्रमुख नीतिगत घोषणाएं और कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए उनका वास्तविक वित्तपोषण	3.4.2	61
50.	व्यय की अधिकता	3.4.3	62
51.	व्यय एवं प्राप्तियों की मासिक स्थिति	3.4.4	63
52.	चयनित अनुदान की समीक्षा ("अनुदान संख्या 08-समाज कल्याण")	3.5	64
53.	वाउचर लेखापरीक्षा अनियमितताएं	3.6	68
54.	राज्य बजट का केंद्रीय बजट के साथ विश्लेषण	3.7	69
55.	सिफारिशें	3.8	70
अध्याय 4: लेखाओं की गुणवत्ता और वित्तीय रिपोर्टिंग पद्धति			
56.	उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में विलंब	4.1	71
57.	संक्षिप्त आकस्मिक (ए.सी.) बिल	4.2	75
58.	व्यक्तिगत जमा खाते	4.3	79
59.	लघु शीर्ष 800 का अविवेकपूर्ण उपयोग	4.4	82
60.	स्वायत्त निकायों के लेखाओं/पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की प्रस्तुति	4.5	84
61.	वित्त लेखाओं के विवरणों में अन्य अशुद्धियां	4.6	85
62.	दिल्ली राज्य वित्त आयोग	4.7	88
63.	***परिशिष्टों की सूची***		***iv***
64.	***पारिभाषिक शब्दावली***		***145***

परिशिष्टों की सूची

परिशिष्ट 1.1	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की जनसंख्या-रूपरेखा	91
परिशिष्ट 1.2	रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के वित्त पर समय क्रमांक आंकड़े	92
परिशिष्ट 2.1	वर्ष 2023-24 के लिए रा.रा.क्षे.दि.स. के वास्तविक स्वयं कर राजस्व की तुलना में बी.ई./आर.ई.	95
परिशिष्ट 3.1	मूल और स्वीकृत बजट के संबंध में राजस्व आउटटर्न का विचलन	96
परिशिष्ट 3.2	मूल और स्वीकृत बजट के संबंध में पूंजीगत आउटटर्न का विचलन	97
परिशिष्ट 3.3	उन मामलों का विवरण जहां बचत के कारणों में भिन्नता देखी गई	98
परिशिष्ट 3.4	ऐसे मामलों का विवरण जहां अनुपूरक प्रावधान (₹ एक करोड़ या अधिक) अनावश्यक साबित हुए	100
परिशिष्ट 3.5	निधियों का आधिक्य/अनावश्यक पुनर्विनियोग, जहां अंतिम बचत ₹ 15 करोड़ से अधिक थी	101
परिशिष्ट 3.6	वर्ष 2023-24 के दौरान बड़ी बचत (₹ 500 करोड़ से अधिक की बचत) वाले अनुदानों का विवरण	107
परिशिष्ट 3.7	मार्च 2024 के अंत तक ₹ 10 करोड़ से अधिक की बचत जो व्यपगत हो गई, उसका विवरण	108
परिशिष्ट 3.8	पिछले 5 वर्षों के दौरान उन अनुदानों का विवरण जहां ₹ 10 करोड़ से अधिक की बचत लगातार व्यपगत हो गई	113
परिशिष्ट 3.9	ऐसी योजनाएं जिनके लिए प्रावधान किया गया (₹ एक करोड़ और अधिक) परंतु कोई व्यय नहीं हुआ	114
परिशिष्ट 3.10	वे योजनाएं जिनके लिए प्रावधान (₹ एक करोड़ और अधिक) किया गया था परंतु संशोधित परिव्यय में उन्हें वापस ले लिया गया	119
परिशिष्ट 3.11	केवल मार्च-2024 में 50 *प्रतिशत* से अधिक कुल व्यय वाले अनुदान	123
परिशिष्ट 3.12	निधियों का आधिक्य/अनावश्यक पुनर्विनियोग, जहां अंतिम बचत ₹ एक करोड़ से अधिक थी	125

परिशिष्ट 3.13	ऐसी योजनाएं जिनमें प्रावधान (₹ एक करोड़ या अधिक) किया गया परंतु कोई व्यय नहीं हुआ	129
परिशिष्ट 3.14	अनुदान संख्या 08-समाज कल्याण के अंतर्गत व्यय की अधिकता	133
परिशिष्ट 3.15	लेखापरीक्षा के लिए वाउचर प्रस्तुत न करना	134
परिशिष्ट 3.16	सेवा शुल्क पर जीएसटी का दोहरा भुगतान करने से ₹ लाख 2.29 का अधिक भुगतान हुआ	136
परिशिष्ट 3.17	सेवा शुल्क पर जीएसटी का दोहरा भुगतान करने से ₹ 1.28 लाख का अधिक भुगतान हुआ	137
परिशिष्ट 4.1	डी.सी. बिल जमा करने में देरी (दिल्ली अभिलेखागार)	139
परिशिष्ट 4.2	डी.सी. बिल प्रस्तुत करने में देरी (मंडल आयुक्त, राजस्व विभाग)	139
परिशिष्ट 4.3	डी.सी. बिल जमा करने में देरी (सचिव-सह-आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग)	140
परिशिष्ट 4.4	डी.सी. बिल जमा करने में देरी (गोबिंद बल्लभ अस्पताल)	141
परिशिष्ट 4.5	30 सितंबर 2024 तक बकाया खातों का ब्योरा	142
परिशिष्ट 4.6	ऋण एवं अग्रिम का बकाया	143
परिशिष्ट 4.7	वित्त लेखाओं के विभिन्न विवरणों में निवेश पर संचयी आंकड़ों में बेमेल	144

प्राक्कथन

प्राक्कथन

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 की धारा 48 के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है, ताकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा के समक्ष रखा जा सके।

अध्याय-1 प्रतिवेदन के लिए आधार और दृष्टिकोण का वर्णन करता है तथा अंतर्निहित आंकड़े सरकारी लेखाओं की संरचना, बजटीय प्रक्रियाओं, प्रमुख सूचकांकों के वृहत-राजकोषीय विश्लेषण तथा घाटे/अधिशेष सहित रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की राजकोषीय स्थिति का विहंगावलोकन प्रदान करते हैं।

अध्याय-2 रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के वित्त लेखाओं के आधार पर रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के वित्त का एक व्यापक परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है, पिछले वर्ष की तुलना में प्रमुख राजकोषीय समुच्चयों में महत्वपूर्ण परिवर्तनों, 2019-20 से 2023-24 की अवधि के दौरान समग्र प्रवृत्तियों तथा रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की ऋण प्रोफ़ाइल का विश्लेषण करता है।

अध्याय-3 रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के विनियोग लेखाओं पर आधारित है तथा रा.रा.क्षे.दि.स. के विनियोगों और आबंटन प्राथमिकताओं की समीक्षा करता है तथा बजटीय प्रबंधन से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों से विचलन पर रिपोर्ट करता है।

अध्याय-4 में रा.रा.क्षे.दि.स. के विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा प्रस्तुत लेखाओं की गुणवत्ता तथा रा.रा.क्षे.दि.स. के विभिन्न विभागीय अधिकारियों द्वारा निर्धारित वित्तीय नियमों एवं विनियमों के गैर-अनुपालन के मुद्दों पर टिप्पणी की गई है।

कार्यकारी सारांश

कार्यकारी सारांश

प्रतिवेदन के बारे में

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन वर्ष 2023-24 के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के वित्त के संबंध में है। यह वित्त, बजट प्रबंधन और लेखाओं की गुणवत्ता, वित्तीय रिपोर्टिंग प्रकियाओं और राज्य वित्त से संबंधित अन्य विषयों का विहंगावलोकन प्रदान करता है।

यह कार्यकारी सारांश इस प्रतिवेदन की विषय-सूची को उजागर करता है और प्रमुख आंकड़ों और पहलुओं के आशुचित्र के माध्यम से राजकोषीय स्थिरता, बजट लक्ष्य के प्रति निष्पादन, राजस्व और व्यय अनुमान, विचलनों के कारण और उनके प्रभाव के संबंध में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।

विहंगावलोकनः

- पिछले पांच वर्षों के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) (वर्तमान मूल्य पर) 8.79 *प्रतिशत* की औसत वृद्धि दर के साथ 2019-20 के ₹ 7.93 लाख करोड़ से 2023-24 में ₹ 11.08 लाख करोड़ तक बढ़ा। 2023-24 में स.रा.घ.उ. में पिछले वर्ष 2022-23 से 9.17 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई। राज्य का बजट परिव्यय 2019-20 के ₹ 64,180.68 करोड़ से 7.14 *प्रतिशत* की औसत वृद्धि दर से बढ़कर 2023-24 में ₹ 81,918.23 करोड़ हो गया।

- राजस्व प्राप्तियों में 9.42 *प्रतिशत* की कमी आई और इसलिए स.रा.घ.उ. पर राजस्व प्राप्तियों का *प्रतिशत* 2022-23 के 6.18 *प्रतिशत* से घटकर 2023-24 में 5.13 *प्रतिशत* हो गया।

- राज्य के अपने कर राजस्व में 13.34 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दि.स.) का कुल व्यय (राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय और ऋण एवं अग्रिम) 2022-23 के ₹ 59,395 करोड़ से 2.42 *प्रतिशत* बढ़कर 2023-24 में ₹ 60,830 करोड़ हो गया। इसमें, राजस्व व्यय में 2022-23 से 4.33 *प्रतिशत* की वृद्धि देखी गई।

- राजस्व अधिशेष 2022-23 की तुलना में 55.30 *प्रतिशत* की कमी दर्ज करते हुए ₹ 14,457 करोड़ से घटकर ₹ 6,462 करोड़ हो गया, जबकि 2022-23 में ₹ 4,566 करोड़ के राजकोषीय अधिशेष के प्रति 2023-24 में ₹ 3,934 करोड़ का राजकोषीय घाटा रहा। इस प्रकार 186.16 *प्रतिशत* की कमी दर्ज की गई।

प्राप्ति-व्यय बेमेल

- प्राप्ति और व्यय के बीच निरंतर बेमेल बढ़ते हुए राजकोषीय तनाव की ओर इंगित करता है। राज्य के पास प्राप्तियों के विभिन्न स्रोत हैं जैसे राज्य का अपना कर राजस्व, गैर-कर राजस्व, सहायता अनुदान और गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां। राज्य सरकार के व्यय में राजस्व लेखा व्यय के साथ-साथ पूंजीगत व्यय (परिसंपत्ति सृजन, ऋण एवं अग्रिम, निवेश आदि) सम्मिलित हैं।

  2019-20 से 2023-24 तक राजस्व प्राप्तियां ₹ 47,136 करोड़ से बढ़कर ₹ 56,798 करोड़ हो गईं, जबकि पूंजीगत प्राप्तियां ₹ 5,588 करोड़ से घटकर ₹ 98 करोड़ रह गईं। राजस्व प्राप्तियों में सहायता अनुदान का हिस्सा 2019-20 के 20.10 *प्रतिशत* से घटकर 2023-24 में 3.68 *प्रतिशत* हो गया। राज्य सरकार को इस वर्ष में केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के लिए केंद्र सरकार के हिस्से के रूप में ₹ 955.34 करोड़ प्राप्त हुए।

- सेवाओं के वर्तमान स्तर को बनाए रखने और पिछली बाध्यताओं के भुगतान के लिए राजस्व व्यय किया जाता है। इस प्रकार, इसके परिणामस्वरूप राज्य की अवसंरचना एवं सेवा नेटवर्क में कोई परिवर्धन नहीं होता है।

- 2019-20 और 2023-24 के बीच राजस्व व्यय ₹ 39,637 करोड़ (स.रा.घ.उ. का 5.00 *प्रतिशत)* से बढ़कर *₹* 50,336 करोड़ (स.रा.घ.उ. का 4.54 *प्रतिशत)* हो गया। इस अवधि के दौरान इसने लगातार 6.51 *प्रतिशत* की औसत वार्षिक दर से वृद्धि करते हुए कुल व्यय के 81 *प्रतिशत* (2021-22) से 83 *प्रतिशत* (2023-24) तक का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया।

साधन से अधिक व्यय का परिणाम

- राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय के बीच अंतर के परिणामस्वरूप राजस्व अधिशेष/घाटा होता है। रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार का राजस्व अधिशेष 2022-23 के ₹ 14,457 करोड़ से घटकर 2023-24 में ₹ 6,462 करोड़ हो गया, यानी पिछले वर्ष की तुलना में

55.30 *प्रतिशत* की कमी, जैसा कि इस प्रतिवेदन के पैराग्राफ 1.4 एवं अध्याय 2 में बताया गया है।

- केंद्र सरकार द्वारा ₹ 2,023 करोड़ की पेंशन संबंधी देयताओं और दिल्ली पुलिस पर ₹ 11,123 करोड़ के व्यय को वहन किए जाने के कारण, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार 2023-24 में ₹ 6,462 करोड़ का राजस्व अधिशेष दर्ज कर सकी, जो कि ₹ 6,684 करोड़ के राजस्व घाटे में बदल जाएगा, यदि उपर्युक्त दोनों देयताओं को राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता।

- 2019-20 से 2023-24 के दौरान, पूंजीगत व्यय लगातार पूंजीगत बजट से कम रहा है और यह हमेशा स.रा.घ.उ. के 1 *प्रतिशत* से कम रहा। चालू वर्ष के दौरान, पूंजीगत व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में कुल मिलाकर 15 *प्रतिशत* की कमी आई। महत्वपूर्ण शीर्षों के अंदर यह कमी तीव्र थी जैसे चिकित्सा और जन स्वास्थ्य में 49.87 *प्रतिशत,* शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति में 42.19 *प्रतिशत,* निर्माण कार्य में 39.70 *प्रतिशत* और शहरी विकास में 36.36 *प्रतिशत*।

- राज्य के कुल व्यय और कुल गैर-ऋण प्राप्तियों के बीच अंतर के परिणामस्वरूप राजकोषीय अधिशेष/घाटा होता है। राज्य का राजकोषीय घाटा 2019-20 के ₹ 416 करोड़ (स.रा.घ.उ. का (-) 0.05 *प्रतिशत*) से बढ़कर 2023-24 में ₹ 3,934 करोड़ (स.रा.घ.उ. का (-) 0.36 *प्रतिशत*) हो गया।

- राजस्व व्यय के अंतर्गत प्रतिबद्ध व्यय की मात्रा सबसे बड़ा हिस्सा है। प्रतिबद्ध व्यय का संसाधनों पर पहला भार होता है और इसमें ब्याज का भुगतान, वेतन और मज़दूरी तथा पेंशन पर होने वाला व्यय शामिल है। 2019-20 से 2023-24 के दौरान ब्याज का भुगतान, वेतन और पेंशन पर प्रतिबद्ध व्यय राजस्व व्यय का लगभग 36 *प्रतिशत* था। प्रतिबद्ध व्यय 6.57 *प्रतिशत* की औसत दर से, अर्थात 2019-20 के ₹ 13,825.47 करोड़ से बढ़कर 2023-24 में ₹ 18,116.50 करोड़ हो गया।

- 2019-20 (₹ 11,904.80 करोड़) से 2023-24 (₹ 13,997.20 करोड़) की अवधि के दौरान अपरिवर्तनीय व्यय की औसत वृद्धि 4.43 *प्रतिशत* थी। तथापि, अपरिवर्तनीय व्यय 2022-23 के ₹ 14,667.45 करोड़ से घटकर 2023-24 में ₹ 13,997.20 करोड़ हो गया, जो 4.57 *प्रतिशत* की कमी को दर्शाता है।

- कुल मिलाकर, 2023-24 में प्रतिबद्ध और अपरिवर्तनीय व्यय ₹ 32,113.70 करोड़ रहा जो राजस्व व्यय का 63.80 *प्रतिशत* था। प्रतिबद्ध और अपरिवर्तनीय व्यय की वृद्धि की प्रवृत्ति के कारण सरकार के पास प्राथमिकता वाले अन्य क्षेत्रों और पूंजी निर्माण के लिए कम लचीलापन रह जाता है।

सब्सिडी गैर-प्रतिबद्ध व्यय का बड़ा हिस्सा है

- गैर-प्रतिबद्ध व्यय के अंतर्गत सब्सिडी की बढ़ती प्रवृत्ति है, जो 2019-2020 के ₹ 3,593 करोड़ से बढ़कर 2023-24 में ₹ 4,840 करोड़ हो गई, अर्थात 2019-20 के कुल राजस्व व्यय के 9.06 *प्रतिशत* से बढ़कर 2023-24 में 9.62 *प्रतिशत* हो गई। इस अवधि के दौरान कुल सब्सिडी में बिजली सब्सिडी का हिस्सा महत्वपूर्ण रहा, जो 66.96 *प्रतिशत* (2019-20) से लेकर 70.39 *प्रतिशत* (2020-21) तक रहा।

राजकोषीय स्थिरता

- राजकोषीय स्थिरता की जांच घाटे, ऋण और देयताओं का स्तर, बजट इतर उधार के कारण प्रतिबद्धताओं, गारंटी, सब्सिडी आदि जैसे वृहद-राजकोषीय मापदंडों के संदर्भ में की जाती है। जहां तक राजस्व और व्यय के बेमेल का संबंध है, महत्वपूर्ण बाधाओं में से एक प्रतिबद्ध और अपरिवर्तनीय व्यय है, जिसमें वेतन और मजदूरी, पेंशन भुगतान, ब्याज आदि तथा अन्य अपरिवर्तनीय व्यय जैसे कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए प्रतिबद्धता, आरक्षित निधि में अंतरण, स्थानीय निकायों को अंतरण आदि सम्मिलित हैं।

राजकोषीय मापदंडों का अनुपालन

ऋण स्थिरीकरण विश्लेषण के अनुसार, 2019-20 से 2023-24 के बीच रा.रा.क्षे.दि.स. का बकाया सार्वजनिक ऋण प्रतिवर्ष औसतन 1.98 *प्रतिशत* की दर से बढ़ा है। रा.रा.क्षे.दि.स. का सार्वजनिक ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात 2019-20 के 4.38 *प्रतिशत* से घटकर 2023-24 में 3.19 *प्रतिशत* हो गया है, जो इंगित करता है कि ऋण स्थिरीकरण निकट भविष्य में संभव हो सकता है। वर्ष 2021-22, 2022-23 और 2023-24 के दौरान, यद्यपि डोमर गैप (जी -आर के रूप में अभिव्यक्त) धनात्मक था, परंतु 2022-23 को छोड़कर इस अवधि के दौरान प्राथमिक शेष घाटे में था। इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक ऋण प्राप्तियों का संपूर्ण अनुपात वर्ष 2022-23 में उधारों की चुकौती के लिए उपयोग किया गया, जबकि 2019-20 से 2021-22 के दौरान चुकौती 34 *प्रतिशत* से 84 *प्रतिशत* तक रही। शून्य ऋण प्राप्तियों के कारण 2023-24 के दौरान उक्त अनुपात अपरिभाषित है।

बजट निष्पादन

- वर्ष 2023-24 के लिए विनियोग लेखाओं की संवीक्षा से पता चला कि आठ मामलों में ₹ 1,625.43 करोड़ का अनुपूरक अनुदान, जैसा कि **परिशिष्ट 3.4** में वर्णित है, उच्च/अतिरिक्त व्यय की प्रत्याशा में प्राप्त की गई थी। तथापि, अंतिम व्यय मूल अनुदान से भी कम था, जिससे अनुपूरक अनुदान का इच्छित उद्देश्य विफल हो गया।

- वर्ष 2023-24 के लिए विनियोग लेखाओं की संवीक्षा से पता चला कि छह अनुदानों में फैले 23 उप-शीर्षों में ₹ 612.16 करोड़ का अनावश्यक पुनर्विनियोग किया गया था, क्योंकि विभाग अपने मौजूदा अनुदानों (मूल + अनुपूरक) का भी पूरी तरह से उपयोग नहीं कर पाए थे और ₹ 1,227.53 करोड़ की संचयी बचत (प्रत्येक मामले में ₹ 15 करोड़ से अधिक) हुई थी, जो अपर्याप्त बजट प्रक्रिया का संकेत था, जैसा कि **परिशिष्ट 3.5** में दिया गया है।

- लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि नौ अनुदानों में कुल ₹ 12,969.72 करोड़ की बचत हुई, जिसमें ₹ 6,763.76 करोड़ का अभ्यर्पण किया गया और कुल बचत में से ₹ 6,205.96 करोड़ (प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ से अधिक) मार्च 2024 के अंत में व्यपगत हो गया, जैसा कि **परिशिष्ट 3.7** में दिया गया है। कुछ विभागों में अत्यधिक बचत अन्य विभागों को उस निधि से वंचित करती है जिसका वे उपयोग कर सकते थे।

- पांच वर्ष की अवधि (2019-24) के दौरान, रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा प्रशासित 15 अनुदानों में से 10 के अंतर्गत संबंधित वित्त वर्ष के अंत में ₹ 10 करोड़ से अधिक की बचत व्यपगत हो गई। यह भी पाया गया कि इन 10 अनुदानों में से आठ में सभी पांच वर्षों में लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे थे **(परिशिष्ट 3.8)**। समूचे प्रावधान की बचत इस बात की सूचक थी कि परियोजनाओं/योजनाओं की पर्याप्त संवीक्षा के बाद अनुमान तैयार नहीं किए गए थे।

कुल व्यय आउटटर्न

- बजटीय लक्ष्य और बजट कार्यान्वयन के संदर्भ में बजट निष्पादन की जांच यह आकलन करने के लिए की जाती है कि कुल व्यय आउटटर्न किस सीमा तक आधिक्य और बचत दोनों के संदर्भ में मूल रूप से स्वीकृत राशि को दर्शाता है। राजस्व खंड में, मूल स्वीकृत बजट (बीई) की तुलना में आउटटर्न में विचलन (-) 10.54 *प्रतिशत* था। यह नौ अनुदानों

में 25 *प्रतिशत* तक, तीन अनुदानों में +25 *प्रतिशत* से 50 *प्रतिशत* तक; और एक अनुदान में +50 *प्रतिशत* से 100 *प्रतिशत* तक विचलन के कारण था।

- पूंजीगत खंड में, बीई की तुलना में आउटटर्न में विचलन (-) 28.97 *प्रतिशत* था। यह एक अनुदान में 25 *प्रतिशत* तक, तीन अनुदानों में +25 *प्रतिशत* से 50 *प्रतिशत* तक और नौ अनुदानों में +50 *प्रतिशत* से 100 *प्रतिशत* तक विचलन के कारण था। पूंजीगत खंड में दो अनुदानों के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया था।

व्यय संरचना आउटटर्न

- बजट निष्पादन इस बात पर भी विचार करता है कि कार्यान्वयन के दौरान मुख्य बजट श्रेणियों के बीच पुनराबंटन ने किस सीमा तक व्यय संरचना में भिन्नता में योगदान दिया है। यह आकलन स्वीकृत बजट और वास्तविक व्यय के बीच भिन्नता की सीमा को इंगित करता है। राजस्व खंड में, संस्वीकृत बजट (एसबी) की तुलना में आउटटर्न में विचलन (-) 13.04 *प्रतिशत* था। पूंजीगत खंड में, एसबी की तुलना में आउटटर्न में विचलन (-) 33.10 *प्रतिशत* था।

- *समग्र बजट विश्वसनीयता मूल्यांकन से इंगित करता है कि यद्यपि वास्तविक व्यय और संस्वीकृत बजट के बीच विचलन 18.71 प्रतिशत था, विभिन्न अनुदानों में 25 प्रतिशत तक और उससे भी अधिक विचलन थे। इसके अलावा, यह भी देखा गया कि कई मामलों में, ऐसे अनुपूरक अनुदान थे जहां व्यय मूल अनुदान के बराबर भी नहीं था। ऐसे विचलनों से निपटने और सीमित संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए एक विश्वसनीय बजट पद्धति प्रचलन में होनी चाहिए।*

लेखाओं और वित्तीय रिपोर्टिंग की गुणवत्ता

- लेखाओं और वित्तीय रिपोर्टिंग की गुणवत्ता में उन मदों, लेन-देन और घटनाओं को शामिल किया गया है जो अनुपालन में अंतराल, नियमितता की कमियों और उन लेखा अभिलेखों या समायोजन अभिलेखों की प्राप्ति में देरी से संबंधित मुद्दों से संबंधित हैं जो वास्तविक व्यय का साक्ष्य देते हैं। यह लेखाओं और वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित मुद्दों को भी उजागर करता है जैसे कि सरकारी खातों के बाहर धन की पार्किंग, देयताओं का गैर-या अल्प-भुगतान और लेनदेन का गलत वर्गीकरण और डेटा अंतराल।

पीडी खातों का संचालन

- 31 मार्च 2024 तक 11 व्यक्तिगत जमा खातों में ₹ 66.21 करोड़ का अंतिम शेष था।

एकल नोडल एजेंसी को निधि

- भारत सरकार और राज्य सरकार ने प्रत्येक केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) के कार्यान्वयन और धन उपलब्ध कराने के लिए एकल नोडल एजेंसी (एसएनए) की पद्धति शुरू की है। भारत सरकार और राज्य सरकार का हिस्सा सरकारी खाते के बाहर स्थित एसएनए के बैंक खाते में अंतरित किया जाता है।
- पीएफएमएस पोर्टल पर उपलब्ध सूचना के अनुसार, 2023-24 के दौरान ₹ 2,009.81 करोड़ (भारत सरकार का हिस्सा ₹ 947.20 करोड़ और राज्य सरकार का हिस्सा ₹ 1,062.61 करोड़) अंतरित किया गया। पीएफएमएस पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 31 मार्च 2024 तक एसएनए के बैंक खातों में ₹ 842.21 करोड़ बिना खर्च किए पड़े थे।

सशर्त अनुदान के प्रति उपयोगिता प्रमाणपत्र

- निर्धारित समयावधि के अंदर सशर्त अनुदानों के प्रति उपयोगिता प्रमाणपत्र (उ.प्र.) प्रस्तुत करने की आवश्यकता के बावजूद, 31 मार्च 2024 तक ₹ 3,760.84 करोड़ के 1,313 बकाया उ.प्र. लंबित थे।
- उ.प्र. प्रस्तुत न करने का अर्थ है कि यद्यपि खर्च तो हुआ है परंतु अनुदानग्राहियों ने यह नहीं बताया है कि निधि कैसे खर्च की गई। इस बात का भी कोई आश्वासन नहीं है कि इन निधियों को उपलब्ध कराने के इच्छित उद्देश्य पूरे हुए हैं।

ए.सी. बिल के प्रति डी.सी. बिल

- इसी प्रकार, संक्षिप्त आकस्मिक व्यय (ए.सी.) बिलों के माध्यम से निकाली गई अग्रिम राशि के प्रति विस्तृत आकस्मिक व्यय (डी.सी.) बिल प्रस्तुत करने की आवश्यकता के बावजूद, 31 मार्च 2024 तक ₹ 346.82 करोड़ के 4,466 ए.सी. बिलों के प्रति डी.सी. बिल प्रस्तुत करने के लिए लंबित थे, जिनमें से ₹ 266.43 करोड़ के 3,988 ए.सी. बिल 2022-23 तक की अवधि से संबंधित थे।
- निकाले गए अग्रिमों का लेखा-जोखा न होने से अपव्यय/दुर्विनियोग/दुराचार आदि की संभावना बढ़ जाती है। विभिन्न विभागों द्वारा ए.सी. बिलों के आहरण के पश्चात

निर्धारित समय के अंदर डी.सी. बिल प्रस्तुत न किए जाने के कारण लेखापरीक्षा में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि निधियों का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया गया है जिसके लिए उन्हें निकाला गया था। इसलिए, इस पर बारीकी से निगरानी रखने की आवश्यकता है।

प्रचलित नियमों और कोडल प्रावधानों का अनुपालन लेखांकन और वित्तीय रिपोर्टिंग में नियंत्रण और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। गैर-अनुपालन और विचलन लेखांकन और वित्तीय रिपोर्टिंग की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। सशर्त अनुदानों के प्रति उ.प्र. का समय पर प्रस्तुत न किए जाने, ए.सी. बिलों के प्रति डी.सी. बिलों को प्रस्तुत न किए जाने से लेखाओं की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

अध्याय-1
विहंगावलोकन

अध्याय-1

विहंगावलोकन

1.1 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की रूपरेखा

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (रा.रा.क्षे.) के रूप में घोषित किया गया था। दिल्ली में एक ऐसी प्रशासनिक संरचना है जिसमें दोहरा अधिकार क्षेत्र है, अर्थात् केंद्र सरकार और राज्य सरकार। दिल्ली में 11 जिले और 33 उप-मंडल हैं। रा.रा.क्षे. दिल्ली 1,483 वर्ग कि.मी. के क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें से 1,114 वर्ग कि.मी. शहरी और 369 वर्ग कि.मी. ग्रामीण क्षेत्र के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के जनसंख्या अनुमान के अनुसार, 2023-24 के दौरान राज्य की जनसंख्या 2.18 करोड़ थी, जो देश की जनसंख्या का 1.56 *प्रतिशत* है और जनसंख्या के मामले में राज्यों में 19वें स्थान पर है। रा.रा.क्षे.दि. का जनसंख्या घनत्व राज्यों में सबसे अधिक था जो 14,667.57 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। इसके अतिरिक्त, रा.रा.क्षे.दि. का घनत्व 426.09 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. के राष्ट्रीय औसत से 34 गुना अधिक था। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की साक्षरता दर 86.21 *प्रतिशत* है, जो भारत की औसत साक्षरता दर 72.98 *प्रतिशत* से अधिक है। दिल्ली में पुरुष साक्षरता दर 90.94 *प्रतिशत* और महिला साक्षरता दर 80.76 *प्रतिशत* है। रा.रा.क्षे. दिल्ली की भौगोलिक और सामाजिक-आर्थिक रूपरेखा **परिशिष्ट 1.1** में दी गई है।

1.1.1 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का सकल राज्य घरेलू उत्पाद

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) किसी निश्चित अवधि में राज्य के सीमाक्षेत्र के अंदर उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य है। स.रा.घ.उ. की वृद्धि राज्य की अर्थव्यवस्था की एक महत्वपूर्ण सूचक है, क्योंकि यह एक समयावधि के अंदर राज्य के आर्थिक विकास के स्तर में परिवर्तन की सीमा को दर्शाता है।

स.रा.घ.उ. के क्षेत्रीय योगदान में परिवर्तन अर्थव्यवस्था के बदलते स्वरूप को समझने के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। आर्थिक गतिविधि को आम तौर पर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र क्रमशः कृषि और उद्योग क्षेत्रों के अनुरूप होते हैं। तृतीयक क्षेत्र सेवा क्षेत्रों के अनुरूप होते हैं। रा.रा.क्षे. दिल्ली के स.रा.घ.उ.[1] की प्रवृत्तियों को **तालिका 1.1** में दर्शाया गया है; 2019-20 से 2023-24 की अवधि के दौरान स.रा.घ.उ. बनाम जीएसवीए की वृद्धि दर और स.रा.घ.उ. में क्षेत्रीय वृद्धि क्रमशः **चार्ट 1.1** और **चार्ट 1.2** में दी गई है।

तालिका 1.1: स.घ.उ. की तुलना में स.रा.घ.उ. में प्रवृत्तियां

(₹ लाख करोड़ में)

वर्ष[2]	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
भारत					
वर्तमान मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद (स.घ.उ.)[3] (2011-12 श्रृंखला)	201.04	198.54	235.97	269.50	295.36
सकल मूल्य वर्धित[4](जीवीए)	183.81	182.11	216.36	246.59	267.62
पिछले वर्ष की तुलना में स.घ.उ. की वृद्धि दर (*प्रतिशत में*)	6.37	(-)1.24	18.85	14.21	9.60
पिछले वर्ष की तुलना में जीवीए की वृद्धि दर (*प्रतिशत में*)	7.02	(-)0.93	18.81	13.97	8.53
प्रति व्यक्ति स.घ.उ. (₹ में)	1,49,915	1,46,480	1,72,422	1,94,879	2,11,725
राज्य/संघ शासित प्रदेश					
वर्तमान मूल्यों पर स.रा.घ.उ. (2011-12 श्रृंखला)	7.93	7.44	8.81	10.15	11.08
सकल राज्य मूल्य वर्धित (जीएसवीए)	7.04	6.67	7.78	8.90	9.74
पिछले वर्ष की तुलना में स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर (*प्रतिशत में*)	7.38	(-)6.13	18.42	15.13	9.17

1 वर्तमान मूल्यों पर

2 **स.रा.घ.उ.:** 2021-22 के लिए अनंतिम अनुमान (पीई), 2022-23 के लिए धूत अनुमान (क्यूई) और 2023-24 के लिए अग्रिम अनुमान (एई)। **स.घ.उ.:** 2022-23 के लिए प्रथम संशोधित अनुमान (एफआरई) और 2023-24 के लिए अनंतिम अनुमान (पीई)।

3 स.घ.उ. किसी देश की आर्थिक गतिविधि का एक माप है जिसकी गणना किसी देश में एक निश्चित समयावधि में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को जोड़कर की जाती है। जब इन अभिधानों का उपयोग किसी राज्य के संबंध में किया जाता है, तो इसे स.रा.घ.उ. या सकल राज्य घरेलू उत्पाद कहा जाता है। स.घ.उ. या स.रा.घ.उ. में सभी कर शामिल होते हैं।

4 जीवीए किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं या सेवाओं में जोड़े गए मूल्य को मापता है। जब इन अभिधानों का उपयोग किसी राज्य के संबंध में किया जाता है, तो इसे जीएसवीए या सकल राज्य मूल्य वर्धित कहा जाता है। जीवीए या जीएसवीए में कर शामिल नहीं होते हैं।

(₹ लाख करोड़ में)

वर्ष[2]	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
पिछले वर्ष की तुलना में जीएसवीए की वृद्धि दर (*प्रतिशत* में)	8.73	(-)5.32	16.71	14.38	9.45
प्रति व्यक्ति स.रा.घ.उ. (₹ में)	3,95,763	3,64,592	4,23,699	4,78,739	5,13,131

स्रोत: एनएसओ (एमओएसपीआई) एवं दिल्ली का राज्य घरेलु उत्पाद अनुमान 2023-24, अर्थशास्त्र तथा सांख्यिकी निदेशालय, रा.रा.क्षे.दि.स.।

2023-24 में वर्तमान मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) ₹ 11.08 लाख करोड़ था और 2023-24 में वर्तमान मूल्यों पर स.घ.उ. ₹ 295.36 लाख करोड़ था। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2023-24 के लिए राज्य का प्रति व्यक्ति स.रा.घ.उ. ₹ 5,13,131 था जो राष्ट्रीय औसत से 142.36 *प्रतिशत* अधिक था जबकि देश के संदर्भ में वह ₹ 2,11,725 था। तथापि, 2019-20 से 2023-24 की अवधि के दौरान राज्य के प्रति व्यक्ति स.रा.घ.उ. (29.66 *प्रतिशत*) में वृद्धि उसी अवधि के दौरान देश के प्रति व्यक्ति स.घ.उ. (41.23 *प्रतिशत*) में वृद्धि के साथ तालमेल नहीं रख सकी।

सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) का उपयोग भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा आर्थिक विश्लेषण के लिए किया जा रहा है, क्योंकि जीवीए को स.घ.उ. की तुलना में आर्थिक वृद्धि का बेहतर सूचक माना जाता है, क्योंकि यह करों और सब्सिडी के प्रभाव को अवगणित करता है। स.घ.उ. की गणना अर्थव्यवस्था में किए गए विभिन्न व्ययों के कुल योग के रूप में की जाती है जिसमें निजी उपभोग व्यय, सरकारी उपभोग व्यय और सकल स्थिर पूंजी निर्माण या निवेश व्यय शामिल है जो अर्थव्यवस्था में मांग की स्थितियों को दर्शाते हैं। दोनों आकलनों में शुद्ध करों के प्रतिपादन में अंतर हैं, स.घ.उ. की गणना करों सहित की जाती है जबकि जीवीए में उनका समावेश नहीं है। अंतः एक नीति-निर्माता के दृष्टिकोण से, बेहतर विश्लेषण और बेहतर नीति निर्माण/निर्णय के लिए जीवीए और जीएसवीए (सकल राज्य मूल्य वर्धित) आंकड़ों की तुलना करना महत्वपूर्ण है।

2019-20 से 2023-24 की अवधि के लिए स.रा.घ.उ. और जीएसवीए की प्रवृत्तियां नीचे **चार्ट 1.1** में दर्शाई गई हैं:

चार्ट 1.1: 2019-20 से 2023-24 की अवधि के दौरान स.रा.घ.उ. बनाम जीएसवीए की वृद्धि दर

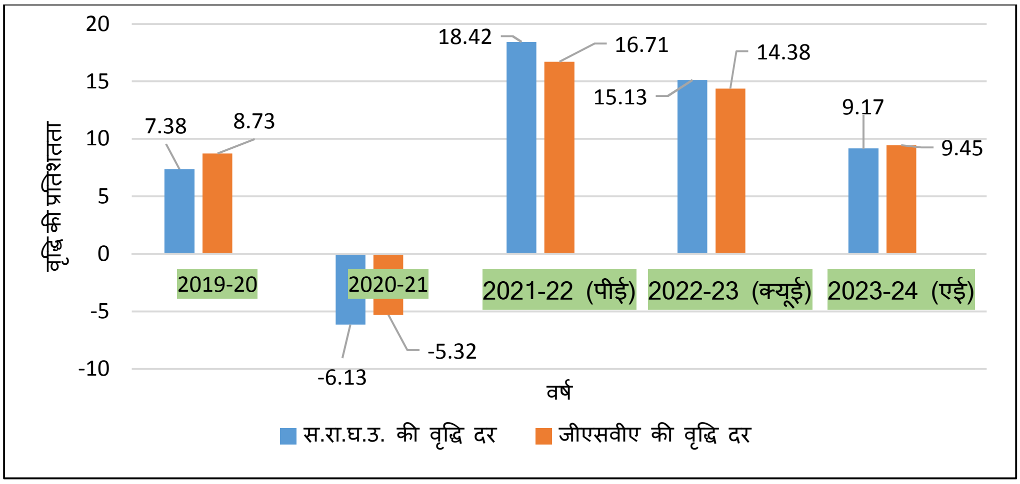

स्रोत: दिल्ली के राज्य घरेलू उत्पाद का अनुमान 2023-24, अर्थशास्त्र तथा सांख्यिकी निदेशालय, रा.रा.क्षे.दि.स.

स.रा.घ.उ. के क्षेत्रीय योगदान में परिवर्तन अर्थव्यवस्था के बदलते स्वरूप को समझने के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। स.रा.घ.उ. में कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों का क्षेत्रीय योगदान **चार्ट 1.2** में दिया गया है।

चार्ट 1.2: स.रा.घ.उ. में क्षेत्रीय वृद्धि

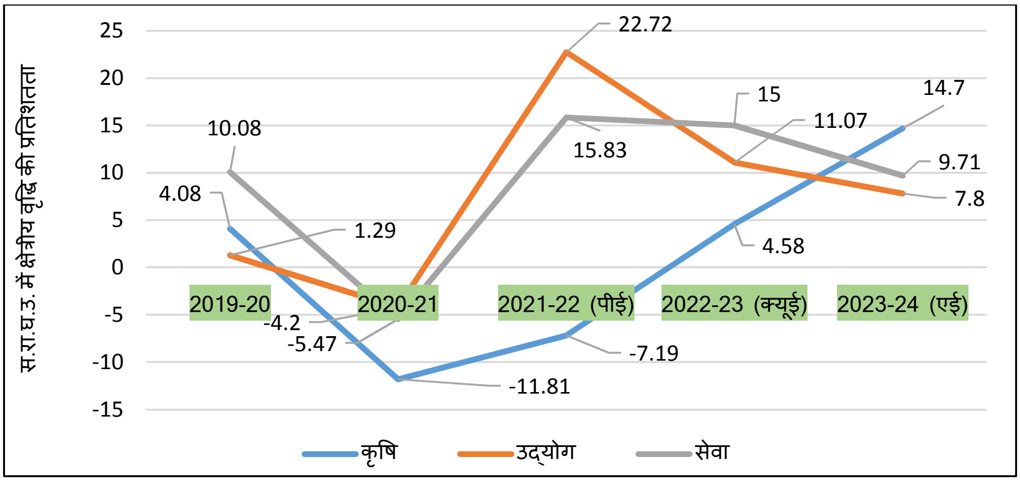

स्रोत: दिल्ली के राज्य घरेलू उत्पाद का अनुमान 2023-24, अर्थशास्त्र तथा सांख्यिकी निदेशालय, रा.रा.क्षे.दि.स.

चार्ट 1.2 से स्पष्ट है कि यद्यपि 2023-24 के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर में बढ़ोत्तरी हुई, परंतु उद्योग और सेवा क्षेत्रों में कमी हुई। रा.रा.क्षे.दि. सरकार का राजस्व अधिशेष 2022-23 के ₹ 14,457 करोड़ से घटकर 2023-24 में ₹ 6,462 करोड़ हो गया, यानी पिछले वर्ष की तुलना में 55.30 *प्रतिशत* की कमी, जैसा कि इस प्रतिवेदन के **पैराग्राफ 1.4** और **अध्याय 2** में विस्तृत रूप से बताया गया है।

1.2 राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के लिए आधार एवं दृष्टिकोण

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 की धारा 48 के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है, ताकि इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा के समक्ष रखा जा सके।

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे से इस प्रतिवेदन के मुख्य आंकडे तैयार होते हैं। लेखा नियंत्रक रा.रा.क्षे.दि.स. प्रतिवर्ष राज्य के वित्त और विनियोग लेखे तैयार करता है। अन्य स्रोतों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार का बजट: अनुमानों की तुलना में राजकोषीय मापदंडों और आबंटन प्राथमिकताओं का आकलन करने के साथ-साथ इसके कार्यान्वयन की प्रभावशीलता और संगत नियमों और निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुपालन का मूल्यांकन करने के लिए।
- स.रा.घ.उ. और राज्य से संबंधित अन्य सांख्यिकी, अर्थशास्त्र तथा सांख्यिकी निदेशालय, रा.रा.क्षे.दि.स.
- महालेखाकार (लेखापरीक्षा), दिल्ली के कार्यालय द्वारा की गई लेखापरीक्षा के परिणाम।
- भारत के नि.म.ले.प. के विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का भीं विश्लेषण/टिप्पणी के लिए उपयुक्तता के अनुरूप उपयोग किया गया है।

राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का मसौदा जनवरी 2025 में टिप्पणियों के लिए रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार को भेजा गया। प्रधान सचिव (वित्त), रा.रा.क्षे.दि.स. से निकास सम्मेलन आयोजित करने के लिए सुविधाजनक तिथि बताने का अनुरोध किया गया है। राज्य सरकार से प्राप्त उत्तरों को प्रतिवेदन में उपयुक्त रूप से शामिल कर लिया गया है।

1.3 सरकारी लेखा संरचना तथा बजटीय प्रक्रियाओं का विहंगावलोकन

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दि.स.) के लेखाओं को दो भागों में रखा जाता है:

1. **राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की समेकित निधि (रा.रा.क्षे.दि.स. अधिनियम, 1991 की धारा 46)**

इस निधि में रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, भारत सरकार से प्राप्त ऋण, प्राप्त सभी अनुदान और ऋणों के पुनर्भुगतान में रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा प्राप्त सभी धन शामिल हैं। विधि द्वारा और अधिनियम में दिए गए उद्देश्यों के लिए और तरीके के अतिरिक्त इस निधि से कोई भी धन विनियोजित नहीं किया जा सकता है।

2. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की आकस्मिकता निधि (रा.रा.क्षे.दि.स. अधिनियम, 1991 की धारा 47)

यह निधि अग्रदाय प्रकृति की है जिसे राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून द्वारा स्थापित किया जाता है तथा यह उपराज्यपाल के नियंत्रण में होता है जो उन अग्रिमों को स्वीकृत करने के लिए जो किसी ऐसे अप्रत्याशित व्यय जिनका राज्य विधानमंडल द्वारा उस व्यय को अधिकृत किया जाना लंबित हो, को पूरा करने के लिए सक्षम बनाती है।

इसके अतिरिक्त, सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त सभी अन्य सार्वजनिक धन, जहां सरकार बैंकर या ट्रस्टी के रूप में कार्य करती है, को लोक लेखा में जमा किया जाता है। चूंकि रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के लिए अलग से कोई लोक लेखा नहीं है, इसलिए लोक लेखा (जमा, अग्रिम, आरक्षित निधि, प्रेषण और उचंत) से संबंधित लेन-देन को केंद्र सरकार के लोक लेखा में विलय कर दिया जाता है। रा.रा.क्षे.दि.स. का अंतिम शेष केंद्र सरकार के सामान्य नकद शेष के साथ विलय कर दिया जाता है और उसका हिस्सा बन जाता है और इसे केंद्र सरकार के पास जमा के रूप में माना जाता है। रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की राजकोषीय देयताओं में बड़े पैमाने पर लघु बचत संग्रह का हिस्सा शामिल है।

दिल्ली, केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के अंतर्गत नहीं आती है तथा उसे केंद्रीय करों और शुल्कों में राज्य के हिस्से के बदले में सहायता अनुदान प्राप्त होते हैं।

बजट दस्तावेज़

राजस्व प्राप्तियों में रा.रा.क्षे.दि.स. के कर राजस्व, गैर-कर राजस्व एवं भारत सरकार (भा.स.) से प्राप्त सहायता अनुदान शामिल हैं।

राजस्व व्यय में सरकार के वे सभी व्यय शामिल होते हैं, जिनसे भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं होता है। यह सरकारी विभागों के सामान्य कामकाज और विभिन्न सेवाएं प्रदान करने, सरकार द्वारा लिए गए ऋण पर ब्याज भुगतान और विभिन्न संस्थाओं को दिए गए सहायता अनुदान (यद्यपि कुछ अनुदान परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए हों) के लिए किए गए व्यय से संबंधित है।

रा.रा.क्षे.दि.स. की **पूंजीगत प्राप्तियों** में ऋणों और अग्रिमों की वसूलियां, भारत सरकार से ऋण के माध्यम से प्राप्तियां और विविध पूंजीगत प्राप्तियां शामिल हैं। रा.रा.क्षे.दि.स. को खुले बाजार से ऋण जुटाने का अधिकार नहीं है। सभी आवश्यक ऋण भारत की समेकित निधि से दिए जाते हैं।

पूंजीगत व्यय को मोटे तौर पर भौतिक और स्थायी प्रकृति की ठोस संपत्तियों को बढ़ाने के उद्देश्य से किए गए व्यय के रूप में परिभाषित किया गया है। इसमें भूमि अधिग्रहण, भवन, मशीनरी, उपकरण, स.क्षे.उ. में निवेश पर व्यय शामिल हैं।

वर्तमान में सरकार के पास एक लेखांकन वर्गीकरण प्रणाली है जो कार्यात्मक और आर्थिक दोनों है।

	लेन-देन की विशिष्टता	वर्गीकरण
म.ले.नि. द्वारा मुख्य और लघु शीर्षों की सूची में मानकीकृत	कार्य-शिक्षा, स्वास्थ्य आदि/विभाग	मुख्य शीर्ष (4-अंकीय)
	उप-कार्य	उप-मुख्य शीर्ष (2-अंकीय)
	कार्यक्रम	लघु शीर्ष (3-अंकीय)
राज्यों के लिए छूट छोड़ दी गई है	योजना	उप-शीर्ष(2-अंकीय)
	उप-योजना	विस्तृत-शीर्ष(2-अंकीय)
	आर्थिक प्रकृति/गतिविधि	वस्तु-शीर्ष-वेतन, लघु निर्माण कार्य आदि (2-अंकीय)

कार्यात्मक वर्गीकरण से हमें विभाग, कार्य, योजना या कार्यक्रम और व्यय के उद्देश्य का पता चलता है। आर्थिक वर्गीकरण राजस्व, पूंजीगत, ऋण आदि के रूप में इन भुगतानों को व्यवस्थित करने में मदद करता है। आर्थिक वर्गीकरण 4-अंकीय मुख्य शीर्षों के पहले अंक में निहित संख्यांकन तर्क द्वारा प्राप्त किया जाता है। उदाहरण के लिए, 0 और 1 राजस्व प्राप्तियों के लिए हैं, 2 और 3 राजस्व व्यय आदि के लिए हैं। आर्थिक वर्गीकरण कुछ वस्तु शीर्षों की अंतर्निहित परिभाषा और वितरण द्वारा भी प्राप्त किया जाता है। उदाहरण के लिए, आम

तौर पर "वेतन" वस्तु शीर्ष राजस्व व्यय है, "निर्माण" वस्तु शीर्ष पूंजीगत व्यय है। बजट दस्तावेज़ों में वस्तु शीर्ष विनियोग की प्राथमिक इकाई है।

चार्ट 1.3: रा.रा.क्षे.दि.स. के सरकारी लेखाओं की संरचना

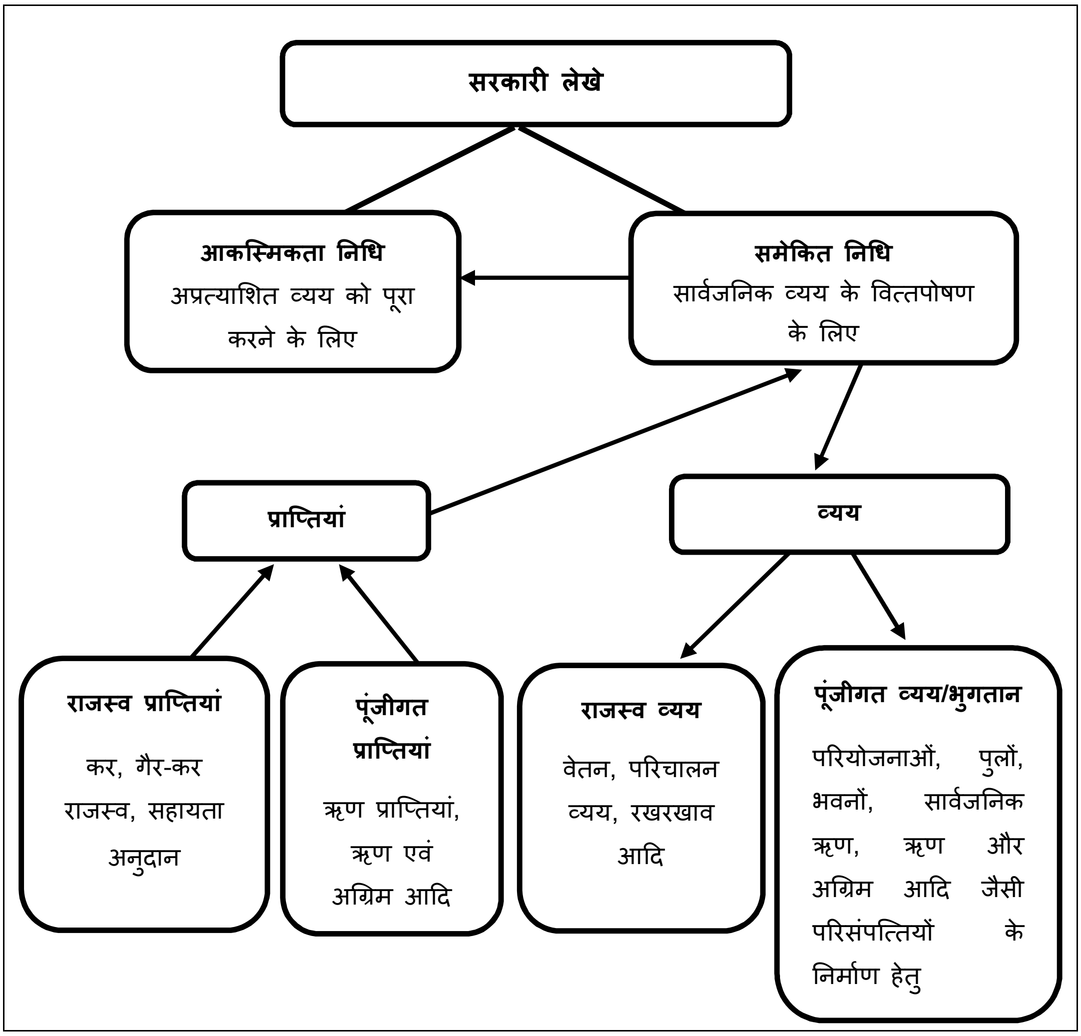

स्रोत: वित्त लेखे, रा.रा.क्षे.दि.स.

बजटीय प्रक्रियाएं

रा.रा.क्षे.दि.स. अधिनियम, 1991 की धारा 27 के अनुसार, रा.रा.क्षे.दि. के उपराज्यपाल, प्रत्येक वित्त वर्ष के संबंध में, विधान सभा के समक्ष उस वर्ष के लिए राजधानी की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में प्रस्तुत कराएगा।

उपर्युक्त अधिनियम की धारा 28 के अनुसार, यह विवरण अनुदानों/विनियोगों की मांगों के रूप में राज्य विधानमंडल को प्रस्तुत किया जाता है और इनके अनुमोदन के बाद, अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत समेकित निधि में से

अपेक्षित धनराशि के विनियोग हेतु राज्य विधानमंडल द्वारा विनियोग विधेयक पारित किया जाता है।

रा.रा.क्षे.दि.स. के बजट और अन्य बजटीय पहलों के कार्यान्वयन की लेखापरीक्षा संवीक्षा के परिणाम इस प्रतिवेदन के **अध्याय 3** में दिए गए हैं।

1.3.1 वित्त का आशुचित्र

तालिका 1.2 वर्ष 2023-24 के लिए बजट अनुमानों और वास्तविक तथा 2022-23 के वास्तविक की तुलना में वास्तविक वित्तीय परिणामों का विवरण प्रदान करती है।

पिछले पांच वर्षों के दौरान प्राप्तियों एवं संवितरणों के साथ-साथ समग्र राजकोषीय स्थिति का विवरण **परिशिष्ट 1.2** में दिया गया है।

तालिका 1.2: बजट अनुमानों की तुलना में वास्तविक वित्तीय परिणाम

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	संघटक	2022-23	2023-24			
		वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	ब.अ. की तुलना में वास्तविक की प्रतिशतता	स.रा.घ.उ. की तुलना में वास्तविक की प्रतिशतता
1.	कर राजस्व	47,363	53,565	53,681	100.22	4.85
2.	गैर-कर राजस्व	581	1,050	1,024	97.52	0.09
3.	सहायता अनुदान और अंशदान	14,759	8,137	2,093	25.72	0.19
4.	**राजस्व प्राप्तियां (1+2+3)**	**62,703**	**62,752**	**56,798**	90.51	5.13
5.	ऋण एवं अग्रिमों की वसूली	1,258	621	98	15.78	0.01
6.	उधार एवं अन्य देयताएं	(-)4,566	10,001	3,934	39.34	0.36
7.	**पूंजीगत प्राप्तियां (5+6)**	**(-)3,308**	**10,622**	**4,032**	37.96	0.36
8.	**कुल प्राप्तियां (4+7)**	**59,395**	**73,374**	**60,830**	82.90	5.49
9.	**राजस्व व्यय, *जिसमें से***	**48,246**	**56,983**	**50,336**	88.34	4.54
10.	ब्याज भुगतान	3,266	3,094	3,094	100.00	0.28
11.	**पूंजीगत व्यय**	**8,065**	**11,190**	**6,855**	61.26	0.62
12.	**ऋण एवं अग्रिम**	**3,084**	**5,587**	**3,639**	65.13	0.33
13.	**कुल व्यय (9+11+12)**	**59,395**	**73,760**	**60,830**	82.46	5.49
14.	**राजस्व अधिशेष/ (4-9)**	**14,457**	**5,769**	**6,462**	112.01	0.58
15.	**राजकोषीय घाटा (-)/अधिशेष(+) {(4+5)-13}**	**4,566**	**(-)10,387**	**(-) 3,934**	37.89	(-) 0.36
16.	**प्राथमिक घाटा (-)/अधिशेष (+) (15+10)**	**7,832**	**(-)7,293**	**(-) 840**	11.52	(-) 0.08

नोट: उधार और अन्य देयताएं: सार्वजनिक ऋण का निवल (प्राप्तियां - संवितरण) और प्रारंभिक और अंतिम शेष का निवल भारत सरकार के सामान्य नगद शेष के साथ विलय कर दिया गया। 2022-23 और 2023-24 के दौरान कोई बैक-टू-बैक ऋण प्राप्त नहीं हुआ था।

पिछले वर्ष की तुलना में सहायता अनुदान और अंशदान (जीआईए) में ₹ 12,666.16 करोड़ (85.82 *प्रतिशत)* की कमी आई, जो मुख्य रूप से जीएसटी (राज्यों को मुआवजा) अधिनियम, 2017 के अधीन 'जीएसटी के कार्यान्वयन से होने वाली राजस्व हानि के लिए मुआवज़ा' की प्राप्ति में ₹ 11,679.22 करोड़ (91.12 *प्रतिशत)* की कमी के कारण है। जीआईए में उक्त कमी अपेक्षित थी क्योंकि रा.रा.क्षे.दि.स. ने जीआईए के लिए ₹ 4,846 करोड़ का कम संशोधित अनुमान लगाया था, जो पिछले वर्ष के वास्तविक से 67 *प्रतिशत* कम था।

संघ सरकार द्वारा ₹ 2,023 करोड़ की पेंशन देयताओं और दिल्ली पुलिस पर ₹ 11,123 करोड़ के व्यय को वहन किए जाने के कारण, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार 2023-24 में ₹ 6,462 करोड़ का राजस्व अधिशेष दर्ज कर सकी, जो कि ₹ 6,684 करोड़ के राजस्व घाटे में बदल जाएगा, यदि उपर्युक्त दोनों देनदारियों को राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता।

1.3.2 सरकार की परिसंपत्तियों और देयताओं का आशुचित्र

मौजूदा सरकारी लेखा प्रणाली में, सरकार के स्वामित्व वाली भूमि और भवनों जैसी अचल परिसंपत्तियों का व्यापक लेखा-जोखा नहीं किया जाता है। तथापि, सरकारी लेखाओं में सरकार की वित्तीय देयताएं और किए गए व्यय से सृजित परिसंपत्तियां शामिल होती हैं। परिसंपत्तियों में मुख्य रूप से पूंजीगत व्यय, रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिम और नकद शेष शामिल हैं। देयताओं में केवल भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम शामिल हैं। परिसंपत्तियों और देयताओं की संक्षिप्त स्थिति **तालिका 1.3** में दी गई है:

तालिका 1.3: परिसंपत्तियों और देयताओं की संक्षिप्त स्थिति

(₹ करोड़ में)

देयताएं					परिसंपत्तियां				
		2022-23	2023-24	*प्रतिशत* वृद्धि			2022-23	2023-24	*प्रतिशत* वृद्धि
									समेकित निधि
क	केंद्र सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम	52,380	47,387	(-) 9.53	क	सकल पूंजीगत व्यय	91,359	98,215	7.50
ख	1994-95 के दौरान म.ले.नि. से लिए गए पूंजीगत परिव्यय का शेष	1,588	1,588	0	ख	ऋण एवं अग्रिम	74,280	77,821	4.77

देयताएं					परिसंपत्तियां				
		2022-23	2023-24	प्रतिशत वृद्धि			2022-23	2023-24	प्रतिशत वृद्धि
ग	1994-95 के दौरान म.ले.नि. से लिए गए ऋण एवं अग्रिम का शेष	3,356	3,356	0	ग	भारत सरकार के सामान्य नकदी शेष में अंतिम नकद शेष का विलय	14,451	5,523	(-) 61.78
घ	राजस्व लेखा में संचयी अधिशेष	1,22,766	1,29,228	5.26					
कुल		**1,80,090**	**1,81,559**		**कुल**		**1,80,090**	**181,559**	

नोट: 31 मार्च 2023 और 31 मार्च 2024 तक क्रमशः ₹ 91,359 करोड़ और ₹ 98,215 करोड़ की संपत्ति में 'सकल पूंजीगत परिव्यय' शीर्ष के अंतर्गत ₹ 1,588 करोड़ की राशि शामिल है, जिसे 1994-95 के दौरान महालेखा नियंत्रक कार्यालय से लिया गया था। इसी प्रकार, 31 मार्च 2023 और 31 मार्च 2024 तक क्रमशः इसमें ₹ 74,280 करोड़ और ₹ 77,821 करोड़ के संपत्ति पक्ष पर दर्शाए गए ऋण एवं अग्रिम में 1994-95 के दौरान महालेखा नियंत्रक कार्यालय से लिया गया ₹ 3,356 करोड़ शामिल हैं।

1.4 अधिशेष/घाटे की प्रवृत्तियां

चार्ट 1.4 और **1.5** 2019-20 से 2023-24 की अवधि के दौरान अधिशेष/घाटे के संकेतकों और स.रा.घ.उ. से संबंधित अधिशेष/घाटे की प्रवृत्तियों को दर्शाते हैं।

चार्ट 1.4: 2019-20 से 2023-24 की अवधि में अधिशेष/घाटे के संकेतकों की प्रवृत्तियां

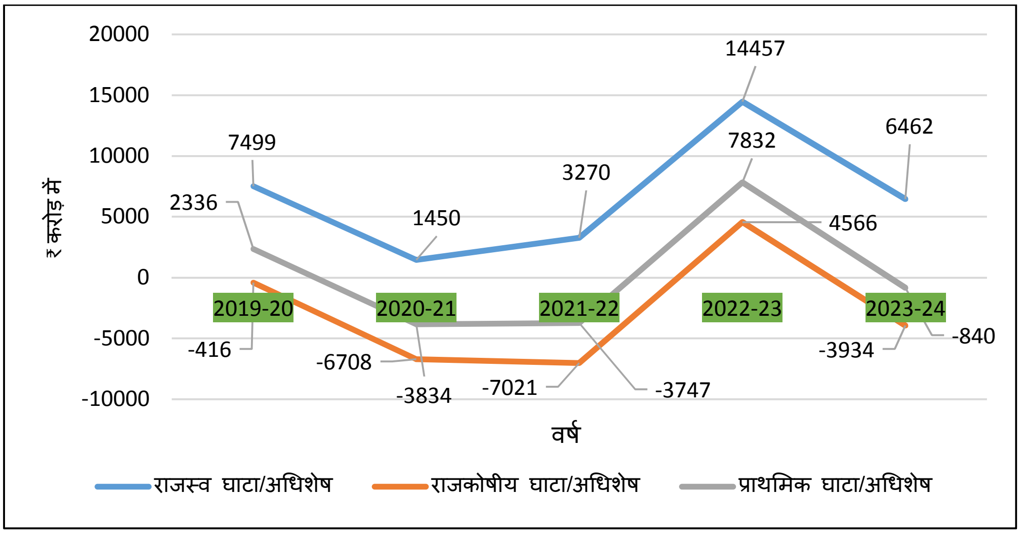

स्रोत: प्रधान लेखा कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स.

चार्ट 1.4 से देखा जा सकता है कि राजकोषीय घाटा 2022-23 को छोड़कर जिसमें ₹ 4,566 करोड़ का राजकोषीय अधिशेष दर्ज किया गया, 2019-20 से 2023-24 के दौरान राजकोषीय घाटा लगातार बढ़कर ₹ 416 करोड़ से 2023-24 के दौरान ₹ 3,934 करोड़ हो गया। पिछले वर्ष की तुलना में 2023-24 के दौरान राजकोषीय घाटे में अंतर मुख्य रूप से जीएसटी (राज्यों को मुआवजा) अधिनियम, 2017 के तहत 'जीएसटी के कार्यान्वयन से होने वाली राजस्व हानि के मुआवज़े'

के लिए जीआईए की प्राप्ति में ₹ 11,679.22 करोड़ (91.12 *प्रतिशत)* की कमी के कारण था, जो अनुमानित आधार पर थी क्योंकि रा.रा.क्षे.दि.स. ने जीआईए के लिए ₹ 4,846 करोड़ पर कम संशोधित अनुमान लगाए थे, जो पिछले वर्ष के वास्तविक आंकड़ों से 67 *प्रतिशत* कम था। इसके अतिरिक्त, **चार्ट 1.5** के अनुसार, 2023-24 में राजकोषीय घाटा स.रा.घ.उ. का (-) 0.36 *प्रतिशत* रहा, जबकि 2022-23 में राजकोषीय अधिशेष स.रा.घ.उ. का 0.45 *प्रतिशत* था।

चार्ट 1.5: 2019-20 से 2023-24 की अवधि में स.रा.घ.उ. से संबंधित घाटे के संकेतकों की प्रवृत्तियां

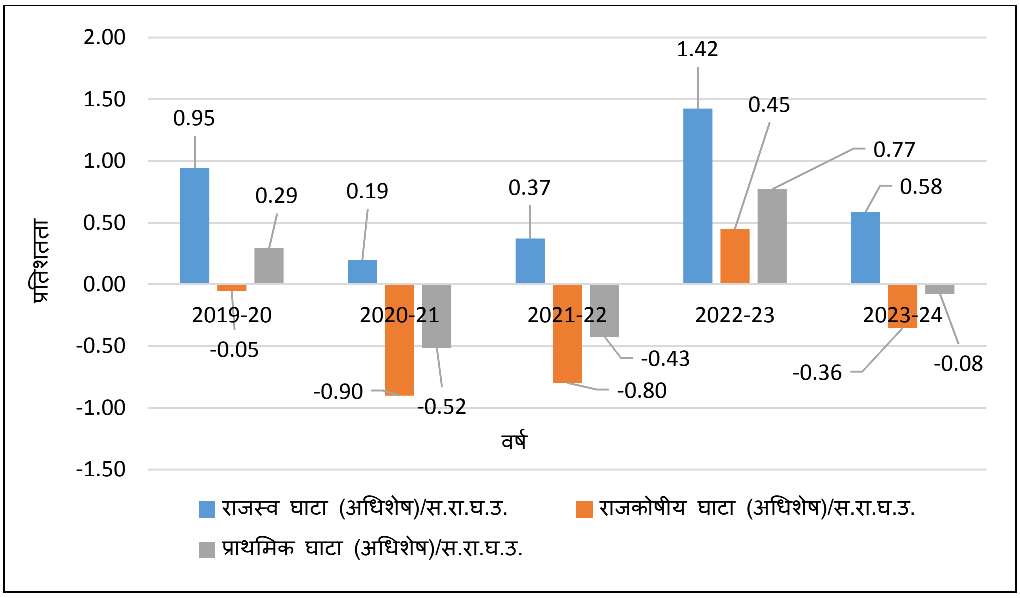

स्रोत: दिल्ली के राज्य घरेलू उत्पाद का अनुमान 2023-24, अर्थशास्त्र तथा सांख्यिकी निदेशालय, रा.रा.क्षे.दि.स.

अध्याय-2

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के वित्त

अध्याय-2

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के वित्त

यह अध्याय वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दि.स.) के वित्त का एक व्यापक परिदृश्य प्रदान करता है और पिछले पांच वर्षों के दौरान समग्र प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए पिछले वर्ष की तुलना में प्रमुख राजकोषीय समुच्चयों में होने वाले परिवर्तन का विश्लेषण करता है।

2.1 वित्त वर्ष 2022-23 की तुलना में वित्त वर्ष 2023-24 में प्रमुख राजकोषीय समुच्चयों में प्रमुख बदलाव

यह भाग पिछले वर्ष की तुलना में वित्त वर्ष के दौरान रा.रा.क्षे.दि.स. के प्रमुख राजकोषीय समुच्चयों में प्रमुख परिवर्तनों का एक विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है। इनमें से प्रत्येक संकेतक का विश्लेषण आगामी पैराग्राफों में किया गया है। वित्त वर्ष 2022-23 की तुलना में वित्त वर्ष 2023-24 में प्रमुख राजकोषीय समुच्चयों में हुए प्रमुख परिवर्तन **तालिका 2.1** में दिए गए हैं:

तालिका 2.1: वित्त वर्ष 2022-23 की तुलना में वित्त वर्ष 2023-24 में रा.रा.क्षे.दि.स. के प्रमुख राजकोषीय समुच्चयों में परिवर्तन

राजस्व प्राप्तियां	✓ राजस्व प्राप्तियों में 9.42 *प्रतिशत* की कमी। ✓ स्वयं कर प्राप्तियों में 13.34 *प्रतिशत* की वृद्धि। ✓ गैर-कर प्राप्तियों में 76.25 *प्रतिशत* की वृद्धि। ✓ भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान में 85.82 *प्रतिशत* की कमी।
राजस्व व्यय	✓ राजस्व व्यय में 4.33 *प्रतिशत* की वृद्धि। ✓ सामान्य सेवाओं पर राजस्व व्यय में 2.19 *प्रतिशत* कमी। ✓ सामाजिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में 3.70 *प्रतिशत* की वृद्धि। ✓ आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में 3.70 *प्रतिशत* की वृद्धि। ✓ स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थानों को क्षतिपूर्ति एवं आबंटन पर व्यय में 20.73 *प्रतिशत* की वृद्धि।
पूंजीगत प्राप्तियां	✓ ऋण पूंजीगत प्राप्तियों में 100 *प्रतिशत* की कमी। ✓ गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों में 92.21 *प्रतिशत* की कमी।
पूंजीगत व्यय	✓ पूंजीगत व्यय में 15 *प्रतिशत* की कमी। ✓ सामान्य सेवाओं पर पूंजीगत व्यय में 24.96 *प्रतिशत* की कमी। ✓ सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय में 41.35 *प्रतिशत* की कमी।

	✓ आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय में 29.03 *प्रतिशत* की वृद्धि।
ऋण और अग्रिम	✓ ऋणों और अग्रिमों के संवितरण में 18 *प्रतिशत* की वृद्धि। ✓ ऋणों और अग्रिमों की वसूली में 92.21 *प्रतिशत* की कमी।
सार्वजनिक ऋण	✓ सार्वजनिक ऋण प्राप्तियों में 100 *प्रतिशत* की कमी। ✓ सार्वजनिक ऋण की अदायगी में 5.92 *प्रतिशत* की वृद्धि।

2.2 निधियों के स्रोत और अनुप्रयोग

यह भाग पिछले वर्ष की तुलना में वित्त वर्ष के दौरान रा.रा.क्षे.दि.स. की निधियों के स्रोतों और अनुप्रयोग के घटकों की तुलना करता है। 2022-23 और 2023-24 के दौरान निधियों के स्रोतों और अनुप्रयोग का विवरण **तालिका 2.2, चार्ट 2.1** और **चार्ट 2.2** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.2: 2022-23 और 2023-24 के दौरान निधियों के स्रोतों और अनुप्रयोग का विवरण

(₹ करोड़ में)

	विवरण	2022-23	2023-24	वृद्धि/कमी (*प्रतिशत में*)
स्रोत	प्रारंभिक शेष	11,349	14,451	27.33
	राजस्व प्राप्तियां	62,703	56,798	(-) 9.42
	ऋण और अग्रिमों की वसूली	1,258	98	(-) 92.21
	लोक ऋण प्राप्तियां (शुद्ध)	(-) 1,464	(-)4,994[1]	(-) 241.12
	कुल	**73,846**	**66,353**	**(-) 10.14**
अनुप्रयोग	राजस्व व्यय	48,246	50,336	4.33
	पूंजीगत व्यय	8,065	6,855	(-) 15
	ऋण और अग्रिमों का संवितरण	3,084	3,639	18
	अंतिम शेष[2]	14,451	5,523	(-) 61.78
	कुल	**73,846**	**66,353**	**(-) 10.15**

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

2023-24 के दौरान राज्य की समेकित निधि में संसाधनों की संरचना और अनुप्रयोग **चार्ट 2.1** और **चार्ट 2.2** में दिया गया है।

[1] पिछले वर्ष की तुलना में लोक ऋण प्राप्तियों में ₹ 3,251.22 करोड़ (100 *प्रतिशत*) की कमी के कारण।

[2] राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का ₹ 5,523 करोड़ का अंतिम शेष मुख्य शीर्ष '8450: संघ शासित प्रदेशों का शेष खाता' के तहत दर्शाया गया है जो संघ नकदी शेष में विलीन हो जाता है।

चार्ट 2.1: संसाधनों की संरचना (2023-24) (प्रतिशत में)

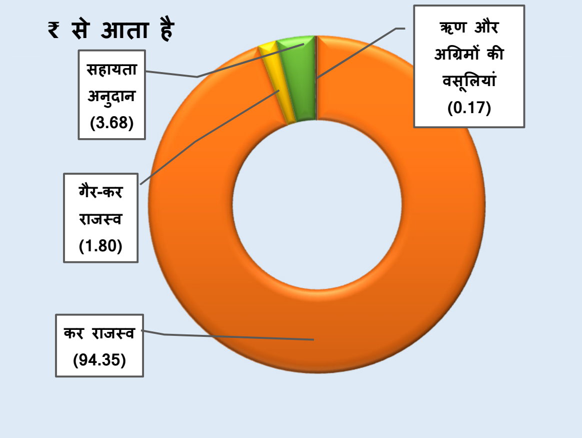

चार्ट 2.2: संसाधनों का अनुप्रयोग (2023-24) (प्रतिशत में)

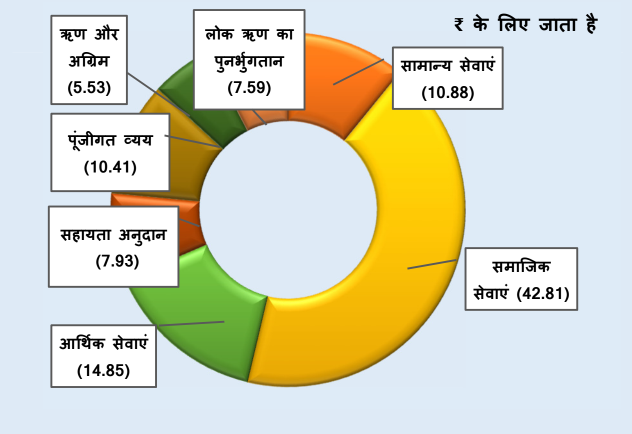

स्रोत: वित्त लेखे

जबकि रा.रा.क्षे.दि.स. के संसाधनों में कर राजस्व का सबसे बड़ा योगदान रहा, धन बड़े पैमाने पर सामाजिक सेवाओं के लिए उपयोग किया गया था।

2.3 रा.रा.क्षे.दि.स. के संसाधन

रा.रा.क्षे.दि.स. के संसाधनों का वर्णन नीचे किया गया है:

i. **राजस्व प्राप्तियों में** कर राजस्व, गैर-कर राजस्व और भारत सरकार (भा.स.) से प्राप्त सहायता अनुदान शामिल हैं।

ii. रा.रा.क्षे.दि.स. की **पूंजीगत प्राप्तियों** (ऋण और गैर-ऋण प्राप्तियां) में एसपीएसई आदि को संवितरित ऋणों और अग्रिमों की वसूली, भारत सरकार से ऋण के माध्यम से प्राप्तियां और विविध पूंजीगत प्राप्तियां शामिल हैं।

राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियां दोनों ही रा.रा.क्षे.दि.स. की समेकित निधि का हिस्सा होती हैं।

2.3.1 रा.रा.क्षे.दि.स. की प्राप्तियां

समग्र प्राप्तियों की संरचना **चार्ट 2.3 में** दी गई है।

चार्ट 2.3: 2023-24 के दौरान रा.रा.क्षे.दि.स. की प्राप्तियों की संरचना

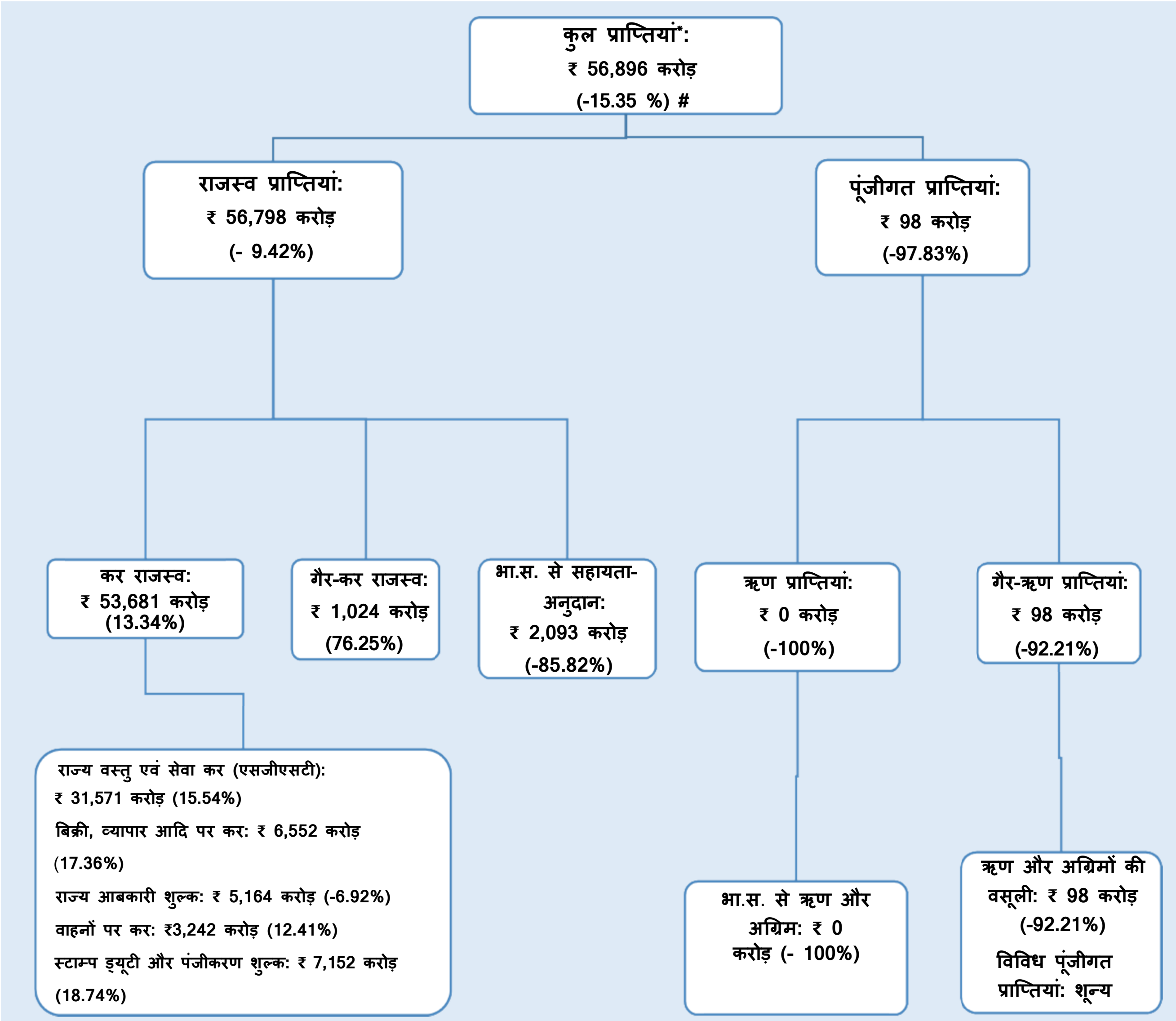

स्रोत: वित्त लेखे

* प्रारंभिक शेष और आकस्मिकता निधि को छोड़कर

\# कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि दर को दर्शाते हैं

इस प्रकार, राजस्व प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में 9.42 *प्रतिशत* की गिरावट देखी गई और पूंजीगत प्राप्तियों में 97.83 *प्रतिशत* की गिरावट आई। विस्तृत विश्लेषण नीचे पैरा में है।

2.3.2 रा.रा.क्षे.दि.स. की राजस्व प्राप्तियां

राजस्व प्राप्तियों में रा.रा.क्षे.दि.स. के कर और गैर-कर राजस्व तथा भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान शामिल हैं।

2.3.2.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियां तथा वृद्धि

राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि में प्रवृत्तियां, स.रा.घ.उ. की तुलना में राजस्व प्राप्तियां, उत्प्लावकता अनुपात और राजस्व प्राप्तियों की संरचना **तालिका 2.3** में दी गई हैं।

तालिका 2.3: राजस्व प्राप्तियों में प्रवृत्तियां

(₹ करोड़ में)

मापदंड	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
राजस्व प्राप्तियां (आरआर)	47,136	41,864	49,313[3]	62,703	56,798
आरआर की वृद्धि दर (*प्रतिशत)*	9.33	(-)11.18	17.79	27.15	(-) 9.42
स्वयं कर राजस्व (क)	36,566	29,425	40,019	47,363	53,681
स्वयं कर राजस्व की वृद्धि दर (*प्रतिशत)*	(-)1.06	(-)19.53	36.00	18.35	13.34
स्वयं गैर-कर राजस्व (ख)	1,097	980	827	581	1,024
स्वयं राजस्व (क + ख)	37,663	30,405	40,846	47,944	54,705
स्वयं राजस्व की वृद्धि दर (*प्रतिशत*)	1.06	(-)19.27	34.34	17.38	14.10
भा.स. से सहायता अनुदान	9,473	11,459	8,467	14,759	2,093
भा.स. से सहायता अनुदान की वृद्धि दर (*प्रतिशत)*	62.10	20.96	(-) 26.11	74.31	(-) 85.82
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) (2011-12 श्रेणी) *(₹ लाख करोड़ में)*	7.93	7.44	8.81	10.15	11.08
स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर (*प्रतिशत)*	7.38	(-) 6.13	18.42	15.13	9.17
आरआर/स.रा.घ.उ. (*प्रतिशत)*	5.94	5.62	5.60	6.18	5.13
उत्प्लावकता अनुपात[4]					
स.रा.घ.उ. के संबंध में रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की स्वयं का कर राजस्व उत्प्लावकता	(-)0.02	3.19	1.95	1.21	1.45

स्रोतः अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय, रा.रा.क्षे.दि.स.।

उपर्युक्त **तालिका 2.3** से निम्नलिखित बातें सामने आती हैं:

(क) उक्त अवधि में स्वयं कर राजस्व में ₹ 17,115 करोड़ (46.81 *प्रतिशत)* की वृद्धि के कारण राजस्व प्राप्तियां वर्ष 2019-20 के ₹ 47,136 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2023-24 में ₹ 56,798 करोड़ हो गई, जो 7 *प्रतिशत*

---

[3] जीएसटी क्षतिपूर्ति, जीएसटी (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 के अंतर्गत राज्य सरकार का राजस्व है। दिल्ली को रा.रा.क्षे.दि.स. की ऋण प्राप्तियों के अंतर्गत 2020-21 और 2021-22 के दौरान क्रमशः ₹ 5,865 करोड़ और ₹ 6,193 करोड़ का बैक टू बैक ऋण राज्य के लिए देयता के पुनर्भुगतान किए बिना मिला। इस व्यवस्था के कारण, राजस्व प्राप्ति को जीएसटी क्षतिपूर्ति के बदले ऋण प्राप्ति के साथ जोड़कर पढ़ा जा सकता है।

[4] उत्प्लावकता अनुपात मूल विभिन्नताओं में दिए गए बदलाव के संदर्भ में राजकोषीय विभिन्नताओं की जवाबदेही शिथिलता तथा मात्रा को दर्शाता है। उदाहरण के लिए स.रा.घ.उ. के संबंध में स्वयं कर राजस्व उत्प्लावकता 1.45 पर है जिसका तात्पर्य है कि यदि स.रा.घ.उ. में एक *प्रतिशत* की वृद्धि होती है, तो स्वयं कर राजस्व प्राप्तियां 1.45 *प्रतिशत* बिंदु बढ़ जाती है।

की वार्षिक औसत वृद्धि दर है। तथापि, वर्ष 2023-24 के दौरान राजस्व प्राप्तियों में कमी मुख्य रूप से भारत सरकार से सहायता अनुदान (स.अ.) में ₹ 12,666.16 करोड़ की कमी के कारण हुई। वास्तव में, रा.रा.क्षे.दि.स. को केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के बदले ₹ 325 करोड़ के विवेकाधीन अनुदान के लिए कोई विशेष सहायता नहीं मिली और जीएसटी क्षतिपूर्ति की प्राप्ति में भी ₹ 11,679.22 करोड़ (91.12 *प्रतिशत)* की भारी गिरावट आई, जो कि जीएसटी (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 के तहत 5 वर्ष के अंतिम खंड (22.6.2017 से 21.06.2022) के कारण था, जिसके अनुसार राज्यों को जीएसटी क्षतिपूर्ति केवल जून 2022 तक के राजस्व नुकसान के लिए देय थी।

(ख) 2019-20 के दौरान, राजस्व प्राप्तियों का लगभग 79.90 *प्रतिशत* रा.रा.क्षे.दि.स. के अपने संसाधनों से आया, जबकि सहायता अनुदान ने 20.10 *प्रतिशत* का योगदान दिया। वर्ष 2023-24 में, लगभग 96.32 *प्रतिशत* राजस्व प्राप्तियां रा.रा.क्षे.दि.स. के अपने संसाधनों से आया, जबकि सहायता अनुदान ने 3.68 *प्रतिशत* का योगदान दिया।

(ग) स्वयं कर राजस्व में 2019-20 से 2023-24 (2020-21 को छोड़कर) तक वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई। पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष 2023-24 में ₹ 6,318 करोड़ (13.34 *प्रतिशत*) की वृद्धि एसजीएसटी (₹ 4,247 करोड़) की प्राप्तियों में वृद्धि तथा स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क (₹ 1,129 करोड़) के अंतर्गत बढ़ी हुई प्राप्तियों के कारण हुई।

(घ) कुल राजस्व प्राप्तियों में रा.रा.क्षे.दि.स. के स्वयं कर राजस्व का हिस्सा 2019-20 के 77.58 *प्रतिशत* से बढ़कर 2023-24 में 94.51 *प्रतिशत* हो गया। इसका कारण उक्त अवधि के दौरान राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर (20.50 *प्रतिशत*) की तुलना में स्वयं कर राजस्व की वृद्धि दर (46.81 *प्रतिशत)* में वृद्धि होना है।

(ङ.) 2019-20 से 2023-24 तक की अवधि के पांच वर्षों में रा.रा.क्षे. दिल्ली के स.रा.घ.उ. में 39.71 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार से सहायता अनुदान की प्राप्ति में कमी के कारण चालू वर्ष में स.रा.घ.उ. के *प्रतिशत* के रूप में राजस्व प्राप्तियां पिछले वर्ष की तुलना

में कम हुई है। स.रा.घ.उ. के संबंध में राज्य की स्वयं कर राजस्व उत्प्लावकता 2019-20 के (-) 0.02 से बढ़कर 2023-24 में 1.45 हो गई।

2.3.2.2 रा.रा.क्षे.दि.स. के अपने संसाधन

संसाधनों के संग्रह में रा.रा.क्षे.दि.स. के निष्पादन का मूल्यांकन उनके अपने संसाधनों के संदर्भ में किया जाता है जिसमें इसके स्वयं कर और गैर-कर राजस्व शामिल होते हैं।

स्वयं कर राजस्व

रा.रा.क्षे.दि.स. के स्वयं कर राजस्व में राज्य जीएसटी, राज्य उत्पाद शुल्क, वाहनों पर कर, स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क, भूमि राजस्व आदि सम्मिलित होते हैं। 2019-20 से 2023-24 तक की अवधि के दौरान स्वयं कर राजस्व के संघटकों की प्रवृत्ति **तालिका 2.4** में दर्शाई गई है।

तालिका 2.4: रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के स्वयं कर राजस्व के संघटक

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**स्पार्क लाइन**
राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी)	19,465	15,676	22,263	27,324	31,571	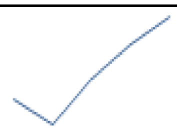
बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	5,475	4,411	5,099	5,582	6,552	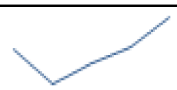
राज्य उत्पाद शुल्क	5,068	4,108	5,488	5,548	5,164	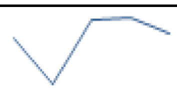
वाहनों पर कर	1,948	1,676	1,956	2,884	3,242	
स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण शुल्क	4,606	3,549	5,212	6,023	7,152	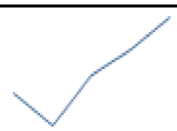
भू-राजस्व	3	4	0	0	0	
अन्य कर	1	1	1	2	0	
कुल	**36,566**	**29,425**	**40,019**	**47,363**	**53,681**	

पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में एसजीएसटी संग्रह में ₹ 4,247 करोड़ (15.54 *प्रतिशत)* की वृद्धि (उपर्युक्त **तालिका 2.4** के अनुसार) मुख्य रूप से एसजीएसटी और आईजीएसटी के इनपुट टैक्स क्रेडिट ₹ 822 करोड़ के क्रॉस

उपयोग में वृद्धि तथा पिछले वर्ष की तुलना में आईजीएसटी आबंटन में ₹ 2,332 करोड़ की वृद्धि के कारण थी।

अनुमानों की तुलना में वास्तविक कर राजस्व में भिन्नता

इसके अतिरिक्त, जैसा कि **परिशिष्ट 2.1** में विस्तृत रूप से दर्शाया गया है, (i) बजट अनुमान के संबंध में कर राजस्व के उपर्युक्त घटकों के वास्तविक आंकड़ों में भिन्नता (-) 100 से 19.26 *प्रतिशत* तक रही, जिसमें अधिकतम भूमि राजस्व {(-) 100 *प्रतिशत}* और राज्य उत्पाद शुल्क {(-) 29.88 *प्रतिशत}* के अंतर्गत दर्ज की गई और (ii) संशोधित अनुमान (-) 100 *प्रतिशत* से 0.73 *प्रतिशत* तक रही, जिसमें अधिकतम 'अन्य कर' {(-) 100 *प्रतिशत}* के अंतर्गत दर्ज की गई।

आरबीआई के लेखे के अनुसार एसजीएसटी की राशि ₹ 31,571 करोड़ थी जो रा.रा.क्षे.दि.स. के वित्त लेखे में दर्शाए गए विवरण से मेल खाती थी।

एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (आईजीएसटी)

रा.रा.क्षे.दि.स. से आईजीएसटी के इनपुट टैक्स क्रेडिट तथा एसजीएसटी/ यूटीजीएसटी के क्रॉस उपयोग के आधार पर केंद्र द्वारा संग्रहित आईजीएसटी के निपटान के प्रति निधियां प्राप्त करती हैं, जिसको एसजीएसटी के अंतर्गत लेखाबद्ध किया जाता है। 2021-2024 की अवधि के दौरान प्राप्त धन का विवरण **तालिका 2.5** में दिया गया है।

तालिका 2.5: 2021-22 से 2023-24 की अवधि के लिए आईजीएसटी प्रवृत्तियां

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	2021-22	2022-23	2023-24
इनपुट टैक्स क्रेडिट	3,761	6,389	7,210
आईजीएसटी का विभाजन (कर)	6,820	7,289	9,610
आईजीएसटी का विभाजन (ब्याज)	5	19	30
आईजीएसटी का अग्रिम विभाजन	1,413	968	(-) 332
कुल	**11,999**	**14,665**	**16,518**

राजस्व के बकाए

राजस्व के बकाए सरकार को देय/भुगतान योग्य राजस्व की देरी से प्राप्ति को दर्शाते हैं। व्यापार और कर विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा दी गई सूचना के

अनुसार, मुख्य शीर्ष '0040-बिक्री, व्यापार आदि पर कर' के तहत 31 मार्च 2024 तक राजस्व की बकाया राशि ₹ 68,940 करोड़ थी जिस में से ₹ 34,911 करोड़ की राशि पांच वर्षों से अधिक के लिए बकाया थी।

मूल्यांकन का बकाया

मूल्यांकन के बकाया संभावित राजस्व को दर्शाते हैं, जो विलंबित मूल्यांकन के कारण अवरुद्ध है। 2023-24 के दौरान, मूल्यांकन के लिए बकाया मामलों की संख्या 31,817 थी जिन्हें वित्त वर्ष के अंत तक पूरी तरह से निपटा दिया गया था।

विभाग द्वारा पता लगाए गए कर के अपवंचन, प्रतिदाय के मामले इत्यादि का विवरण

आबकारी और कर विभाग द्वारा पता लगाए गए कर अपवंचन के मामले, अंतिम रूप दिए गए मामले और उद्घृत किए गए अतिरिक्त कर हेतु मांग राज्य सरकार के राजस्व संग्रहण के प्रयत्नों के महत्वपूर्ण संकेतक हैं। प्रतिदाय के मामले के निपटान में तत्परता विभाग के निष्पादन का एक महत्वपूर्ण संकेतक है।

रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार, वर्ष 2023-24 के लिए पता लगाए गए कर के अपवंचन के मामले और प्रतिदाय मामलों का विवरण क्रमशः **तालिका 2.6** और **तालिका 2.7 में** दर्शाया गया है।

तालिका 2.6: पता लगाए गए कर के अपंवचन

राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2023 तक लंबित मामले	2023-24 के दौरान पता लगाए गए मामले	कुल	मामलों की संख्या जिनमें मूल्यांकन/जांच पूरी हो गई है और अतिरिक्त मांग के साथ उद्घृत किए गए जुर्माने इत्यादि		31 मार्च 2024 तक अपील के अधीन लंबित मामलों की संख्या
				मामलों की संख्या	मांग की राशि (₹ करोड़ में)	
जीएसटी	291	47	338	07	0.97	331

स्रोत: व्यापार और कर विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स.

तालिका 2.7: वर्ष 2023-24 के लिए प्रतिदाय मामलों का विवरण

क्र.सं.	विवरण	जीएसटी		बिक्री कर/वैट	
		मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1	वर्ष के आरंभ में बकाया दावे	4,631	1,493.17	4,688	854.56
2	वर्ष के दौरान प्राप्त दावे	7,771	1,441.11	228	20.33
3	वर्ष के दौरान किए गए प्रतिदाय*	5,137	366.13	1,741	88.93
4	वर्ष के दौरान अस्वीकृत/सेटऑफ/समायोजित प्रतिदाय		84.70	684#	11.13
5	वर्ष के अंत में बकाया शेष	7,265	2,483.45	3,175	774.83

*अनंतिम प्रतिदाय, समायोजित/अंतरित प्रतिदाय को छोड़कर

684 मामले प्रतिदाय (क्रम संख्या 3 में शामिल) और सेट-ऑफ (क्रम संख्या 4 में दिखाए गए) का प्रतिनिधित्व करते हैं।

गैर-कर राजस्व

गैर-कर राजस्व में ब्याज प्राप्तियां, लाभांश और लाभ, विभागीय प्राप्तियां आदि शामिल हैं। रा.रा.क्षे.दि.स. के गैर-कर राजस्व और प्रवृत्तियों के संघटक **तालिका 2.8** में दिए गए हैं।

तालिका 2.8 रा.रा.क्षे.दि.स. के गैर-कर राजस्व के संघटक

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
ब्याज प्राप्तियां	**404**	**468**	**356**	**58**	**376**
लाभांश और लाभ	**16**	**10**	**90**	**104**	**175**
अन्य गैर-कर राजस्व प्राप्तियां	**677**	**502**	**381**	**419**	**473**
क) लोक निर्माण	13	43	23	43	15
ख) शिक्षा	27	79	10	8	95
ग) चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	112	95	97	116	111
घ) पावर	87	33	52	61	59
ड.) अन्य आदि	438	252	199	191	193
कुल गैर-कर राजस्व	**1,097**	**980**	**827**	**581**	**1,024**

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

तालिका 2.8 के अनुसार, गैर-कर राजस्व में 2019-20 से 2022-23 के दौरान लगातार कमी दर्ज की गई। तथापि, चालू वर्ष के दौरान इसमें पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 443 करोड़ (76.25 *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई जिसका मुख्य कारण ब्याज प्राप्तियों में ₹ 318 करोड़ (548.28 *प्रतिशत*) की वृद्धि था।

इसके अतिरिक्त, 2019-20 से 2022-23 के दौरान अन्य गैर-कर राजस्व प्राप्तियों में ₹ 204 करोड़ (30.14 *प्रतिशत*) की कमी आई। तथापि वर्ष 2023-24 के दौरान इसमें ₹ 54 करोड़ की मामूली वृद्धि हुई, जो मुख्य रूप से 'माध्यमिक शिक्षा (₹ 56 करोड़) और खेल और युवा सेवाएं (₹ 36 करोड़)' से बढ़ी हुई प्राप्तियों के कारण थी।

वर्ष 2023-24 के लिए संशोधित अनुमान की तुलना में रा.रा.क्षे.दि.स. का वास्तविक स्वयं गैर-कर राजस्व नीचे **तालिका 2.9** में दर्शाया गया है:

तालिका 2.9: वर्ष 2023-24 के लिए सं.अ. की तुलना में रा.रा.क्षे.दि.स. का वास्तविक स्वयं गैर-कर राजस्व

(₹ करोड़ में)

गैर-कर राजस्व शीर्ष	सं.अ. (प्राप्तियों के बजट 2024-25 के अनुसार)	वास्तविक	सं.अ. और वास्तविक के बीच अंतर	सं.अ. में (+) अधिकता/(-) कमी का *प्रतिशत*
ब्याज प्राप्तियां	485	**376**	(-) 109	(-) 22.47
लाभांश और लाभ	90	**175**	(+) 85	(+) 94.44
अन्य गैर-कर राजस्व प्राप्तियां	786	**473**	(-) 313	(-) 39.82
कुल	**1,361**	**1,024**	**(-) 337**	**(-) 24.76**

अन्य गैर-कर राजस्व प्राप्तियों के कुछ शीर्षों में प्रवृत्तियां **चार्ट 2.4** में दर्शाई गई हैं।

चार्ट 2.4: 'अन्य गैर-कर राजस्व' के शीर्षों में प्रवृत्तियां

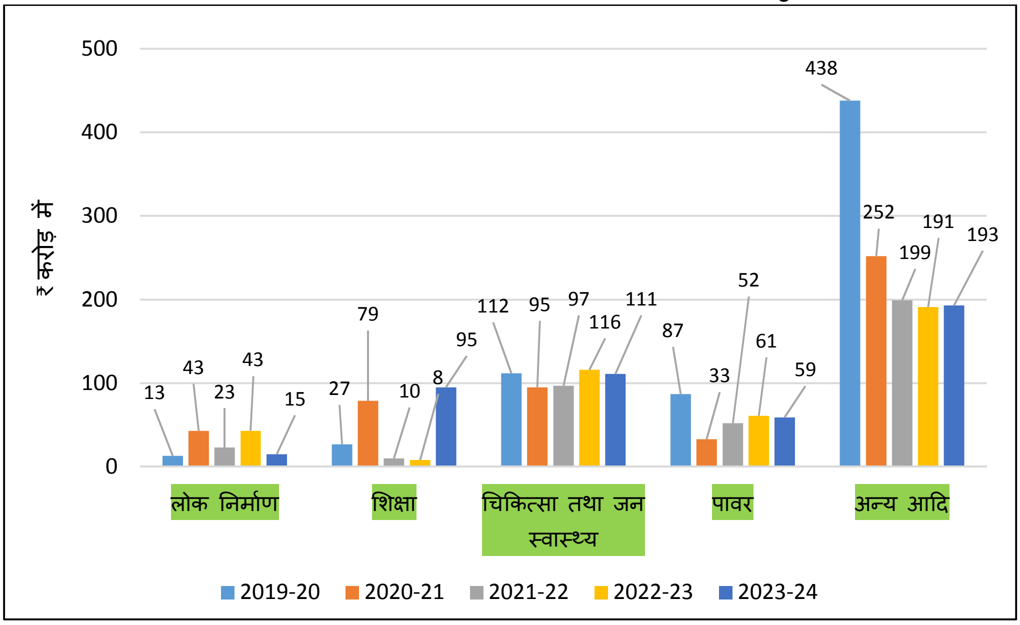

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

2.3.2.3 भारत सरकार से सहायता अनुदान

भारत सरकार ने 2018-19 के दौरान राज्यों को सहायता अनुदान (स.अ.) उपलब्ध कराए जाने के लिए योजना और गैर-योजना वर्गीकरण को बंद कर दिया। वर्ष 2023-24 के दौरान रा.रा.क्षे.दि.स. को भा.स. से ₹ 2,093 करोड़ का सहायता अनुदान (स.अ.) प्राप्त हुआ, जो ₹ 8,137 करोड़ के बजट अनुमान का 25.72 *प्रतिशत* है। भा.स. से प्राप्त स.अ. का विवरण **तालिका 2.10** में है:

तालिका 2.10: भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
केंद्र प्रायोजित योजनाएं (सीएसएस)	1,169.48	1,441.46	991.93	981.79	955.34
सामान्य केंद्रीय सहायता (ब्लॉक अनुदान)	472.00	626.00	626.00	626.00	शून्य
अन्य अनुदान	70.56	शून्य	3.43	9.49	शून्य
केंद्रीय करों में हिस्से के बदले अनुदान	325.00	325.00	325.00	325.00	शून्य
जीएसटी के कार्यान्वयन से उत्थित राजस्व की हानि की क्षतिपूर्ति	7,436.00	5,521.65	6,445.96	12,817.02	1,137.80
दिल्ली आपदा प्रतिक्रिया निधि में योगदान	शून्य	161.49	शून्य	शून्य	शून्य
राजस्व घाटे को पूरा करने के लिए अनुदान	शून्य	3,383.00	शून्य	शून्य	शून्य
प्राकृतिक आपदाओं के कारण सहायता के लिए अग्रिम सहायता के रूप में अनुदान	शून्य	शून्य	75.00	शून्य	0.00
कुल	**9,473.04**	**11,458.60**	**8,467.32**	**14,759.30**	**2,093.14**
राजस्व प्राप्तियों में स.अ. की प्रतिशतता	**20.10**	**27.37**	**17.17**	**23.54**	**3.68**

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

जीएसटी अधिनियम 2017 में सनसेट खंड के कारण, राजस्व हानि के लिए राज्य सरकारों को भुगतान किया जा रहा जीएसटी मुआवजा जून 2022 को बंद हो गया। इस प्रकार, भारत सरकार से प्राप्त मुआवजे (जीएसटी के कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले राजस्व नुकसान के लिए) में कमी आई और पिछले वर्ष के दौरान ₹ 12,817.02 करोड़ के स्थान पर 2023-24 के दौरान ₹ 1,137.80 करोड़ रह गया। परिणामस्वरूप, चालू वर्ष में भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान के कुल आंकड़ों में ₹ 12,666.16 करोड़ (85.82 *प्रतिशत)* कम हो गए।

दिल्ली केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के अंतर्गत नहीं आती है तथा केंद्रीय करों और शुल्कों में राज्य के हिस्से के बदले सहायता अनुदान (2001-02 से ₹ 325 करोड़) मिलता है। चालू वर्ष में, उक्त सहायता अनुदान प्राप्त नहीं हुआ।

2.3.2.4 केंद्र प्रायोजित योजनाएं

केंद्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत भा.स. से प्राप्त सहायता अनुदान के उपयोग को सत्यापित करने के लिए विस्तृत अध्ययन के लिए पांच योजनाओं का चयन किया गया था।

केंद्र प्रायोजित योजनाएं	31.3.2024 को अव्ययित शेष (उपलब्ध निधियों की प्रतिशतता)	एसएनए खाते में केंद्रीय/राज्य के हिस्से के अंतरण में विलंब (परिहार्य ब्याज दर @ 7 *प्रतिशत* प्रति वर्ष)	अर्जित ब्याज का प्रेषण नहीं किया गया/गलत तरीके से प्रेषण किया गया
		फरवरी 2023 के भारत सरकार के दिशानिर्देशों के तहत अनुपालन आवश्यक है	*जून 2021 के भारत सरकार के दिशानिर्देशों के तहत अनुपालन आवश्यक है*
(i) सक्षम आंगनवाड़ी और (ii) पोषण 2.0	₹ 11.06 करोड़ (66.48%)	15 दिन (₹ 4.78 लाख)	₹ 12.42 लाख
(iii) मिशन वात्सल्य	₹ 177.66 लाख (अतिरिक्त)	9 महीने (₹ 40.27 लाख)	₹ 24.15 लाख
(iv) शहरी परिवर्तन के कायाकल्प के लिए अटल मिशन *(अमृत 1.0 और 2.0)*	• ₹ 154.09 करोड़ (75 *प्रतिशत)* (अमृत 1.0) • ₹ 67.69 करोड़ (32 *प्रतिशत)* *(अमृत 2.0)*	47 दिन (₹ 1.40 करोड़) *(अमृत 1.0)*	-
(v) दिल्ली पुलिस द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए सुरक्षित शहर परियोजना	₹ 130.45 करोड़ (100%)	78 दिन (₹ 1.09 करोड़)	-

इस प्रकार, लेखापरीक्षा में जांच की गई नमूना योजनाओं के लिए विभागों द्वारा प्राप्त कुल धनराशि का 29 *प्रतिशत* खर्च नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, इन योजनाओं के लिए रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा केंद्र/राज्य के शेयरों के हस्तांतरण में देरी के कारण, योजनाओं के लिए प्रासंगिक नियमों के अनुसार, राज्य सरकारों को 7 *प्रतिशत* प्रति वर्ष की दर से ब्याज लागत वहन करनी पड़ी। इस प्रकार, रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा ₹ 2.94 करोड़ की परिहार्य ब्याज देनदारी सृजित की गई थी, जिसे अभी भारत सरकार के खाते में प्रेषित किया जाना है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार के दिशानिर्देश 2021 के अनुसार, सरकारी अंतरण पर अर्जित ब्याज को भारत की समेकित निधि (सीएफआई) में वापस भेजना था। तथापि, लेखापरीक्षा में जांच की गई पांच योजनाओं के लिए ₹ 36.57 लाख का अर्जित ब्याज सीएफआई में वापस नहीं भेजा गया था।

- ***सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0*** योजनाओं के संबंध में, महिला और बाल विकास विभाग (डीडब्ल्यूसीडी) ने उत्तर दिया (सितंबर 2024, अक्टूबर 2024) कि यह:

  (i) विलंब के मुद्दे का समाधान और योजना की प्रभावकारिता में सुधार करेगा।

(ii) भविष्य में देरी से बचने के लिए विभागों के बीच बातचीत और समन्वय को बढ़ाएगा।

(iii) भविष्य में देरी से बचने के लिए ब्याज गणना और प्रस्तुत करने के लिए उनकी आंतरिक प्रक्रियाओं की समीक्षा और परिशोधन करेगा।

- ***मिशन वात्सल्य*** योजना के संबंध में, डीडब्ल्यूसीडी ने उत्तर दिया (सितंबर 2024) कि सीएफआई को अर्जित ब्याज के केंद्रीय हिस्से की जमा प्रक्रिया चल रही थी और जनवरी 2024 में वित्त विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. की मंजूरी प्राप्त करने के बाद उक्त राशि एसएनए को हस्तांतरित कर दी गई थी। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि डीडब्ल्यूसीडी द्वारा निर्धारित समय-सीमा के अंदर राशि का अंतरंण करने के लिए हर प्रयास किया जाना चाहिए था।
- ***अमृत*** योजना के तहत अव्ययित शेष राशि के संबंध में, शहरी विकास विभाग ने उत्तर दिया (अगस्त 2024) कि शहरी स्थानीय निकायों (डीजेबी और एमसीडी) ने अमृत 1.0 के तहत परियोजनाओं को 31 मार्च 2025 तक पूरा करने का आश्वासन दिया था।

इसके अतिरिक्त, चयनित केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के अंतर्गत देखी गई अन्य टिप्पणियां निम्नानुसार हैं

क) सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0

i. भारत सरकार से सीएसएस पर प्राप्त धन पर अर्जित ब्याज ₹ 12.42 लाख को निर्दिष्ट लेखा शीर्ष यानी मुख्य शीर्ष 0049, उप-मुख्य शीर्ष-02, लघु शीर्ष 800 (यानी 0049-02-800) के बजाय गलत लेखा शीर्ष '0235608010170- सक्षम आंगनवाड़ी डब्ल्यूसीडी' में सीएफआई को हस्तांतरित कर दिया गया (अगस्त 2024)। यह भारत सरकार के दिशानिर्देशों (जून 2021) का उल्लंघन है।

डीडब्ल्यूसीडी का उत्तर (सितंबर 2024) कि पीएओ-डब्ल्यूसीडी द्वारा पीएफएमएस पोर्टल पर प्रदान की गई मैपिंग के अनुसार ब्याज बुक किया गया था, मान्य नहीं है क्योंकि ब्याज को उपर्युक्त दिशानिर्देशों की अपेक्षा के अनुसार जमा किया जाना है।

ख) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम)

(i) आईजीएनओएपी योजना (एनएसएपी का एक घटक होने के नाते) के तहत समाज कल्याण विभाग (डीएसडब्ल्यू) द्वारा प्राप्त केंद्रीय हिस्से के संबंध में 31 मार्च 2022 तक ₹ 13.21 करोड़ की राशि अव्ययित शेष राशि के रूप में पड़ी थी और भा.स. के दिशानिर्देशों (जुलाई 2022) के उल्लंघन में एसएनए को हस्तांतरित नहीं की गई थी। परिणामस्वरूप, उक्त धनराशि 02 फरवरी 2024 को भा.स. को वापस कर दी गई और 31 मार्च 2024 तक सीएसएस के लिए भा.स. से कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई।

(ii) भा.स. के दिनांक 23 मार्च 2021 के दिशा निर्देशों के बिंदु संख्या 11 के अनुसार, प्रत्येक केंद्र प्रायोजित योजना के लिए केंद्र और राज्य के हिस्से के लिए अनुदान की विस्तृत मांगों (डीडीजी) में अलग-अलग बजट लाइनें बनाई जानी थीं।

समाज कल्याण विभाग ने आईजीएनओएपीएस के अंतर्गत प्राप्त केंद्रीय सहायता के लिए टॉप-अप प्रदान किया और राज्य के लेखा शीर्ष के अंतर्गत संपूर्ण राशि (केंद्रीय सहायता और राज्य टॉप-अप) '2235.02.104.66.00.49-वरिष्ठ नागरिक पेंशन योजना-वृद्धावस्था सहायता का विस्तार' के अंतर्गत बुक किया, जो उपर्युक्त दिशा-निर्देशों का उल्लंघन था।

विभाग से अभ्युक्तियों के उत्तर प्रतीक्षित थे (जनवरी, 2025)।

2.3.2.5 एकल नोडल एजेंसी

वर्ष 2023-24 के लिए पीएफएमएस पोर्टल की रिपोर्ट की जांच के दौरान, लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित नोट किया:

i. पीएफएमएस पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, भारत सरकार द्वारा राज्य के खजाने में ₹ 951.87 करोड़ जारी किए गए थे, परंतु 2023-24 में रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा एसएनए खाते में केवल ₹ 947.20 करोड़ हस्तांतरित किए गए, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 4.67 करोड़ का कम हस्तांतरण हुआ। सात सीएसएस में, भारत सरकार ने रा.रा.क्षे.दि.स. को ₹ 284.22 करोड़ हस्तांतरित किए जिसके प्रति

राज्य सरकार ने राज्य कोषागार/पीएओ को केवल ₹ 85.01 करोड़ जारी किए, जिसके परिणामस्वरूप राज्य कोषागार में ₹ 199.21 करोड़ का अल्प अंतरण हुआ।

ii. पीएफएमएस एसएनए 01 रिपोर्ट के अनुसार, 2023-24 के दौरान एसएनए खातों में ₹ 842.21 करोड़ की अव्ययित शेष राशि थी।

iii. रा.रा.क्षे.दि.स. ने आनुपातिक राज्य के हिस्से के संबंध में चार सीएसएस में ₹ 18.31 करोड़ की निधियों का अल्प-अंतरण किया।

iv. एसएनए खातों में केंद्रीय शेयर स्थानांतरित करने में 31 से 365 दिनों तक की देरी हुई, जिसके परिणामस्वरूप वित्त वर्ष 2023-24 के अंत में दंडात्मक ब्याज के रूप में ₹ 5.44 करोड़ की परिहार्य और अभी तक न चुकाई गई देनदारी हुई।

2.3.3 पूंजीगत प्राप्तियां

पूंजीगत प्राप्तियों में रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा दिए गए ऋणों और अग्रिमों की वसूली (गैर-ऋण) तथा भारत सरकार से ऋण और अग्रिमों (ऋण) की प्राप्तियां शामिल हैं। पांच वर्षों (2019-20 से 2023-24) के दौरान पूंजीगत प्राप्तियों का विवरण **तालिका 2.11** में दिया गया है।

तालिका 2.11: पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि और संरचना में प्रवृत्तियां

(₹ करोड़ में)

रा.रा.क्षे.दि.स. की प्राप्तियों के स्रोत	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
पूंजीगत प्राप्तियां (ऋण और गैर-ऋण)	**5,588**	**15,996**	**11,816**	**4,509**	**98**
भारत सरकार से ऋण और अग्रिम (ऋण)#	**4,765**	**15,365**	**11,193**	**3,251**	**0**
ऋण और अग्रिमों की वसूली (गैर-ऋण)	**823**	**631**	**623**	**1,258**	**98**
आंतरिक ऋण[5]	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
वृद्धि दर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
ऋण पूंजीगत प्राप्तियां की वृद्धि दर##	65.45	99.37	(-) 47.37	(-) 34.98	(-) 100
गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर	(-)49.94	(-)23.33	(-)1.27	101.93	(-) 92.21
स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर	7.38	(-)6.13	18.42	15.13	9.17
पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर (*प्रतिशत*)	23.52	186.26	(-)26.13	(-)61.84	(-) 97.83

स्रोत: अर्थशास्त्र तथा सांख्यिकी निदेशालय और संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान, इसमें जीएसटी क्षतिपूर्ति की कमी के बदले भारत सरकार से बैक टू बैक ऋण के रूप में क्रमशः ₹ 5,865 करोड़ और ₹ 6,193 करोड़ शामिल हैं, जिन्हें राज्य द्वारा अपने स्रोतों से चुकाया नहीं जाना है। ## वर्ष 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के लिए ऋण पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर की गणना उपर्युक्त जीएसटी क्षतिपूर्ति को छोड़कर की गई है।

[5] रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार का कोई आंतरिक ऋण नहीं है।

गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में 92.21 *प्रतिशत* कमी हुई जिसका मुख्य कारण ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली में कमी थी।

2.4 संसाधनों का अनुप्रयोग

उप-पैराओं के साथ इस पैराग्राफ में राज्य में व्यय के आबंटन का विश्लेषण दिया गया है।

2.4.1 व्यय की वृद्धि और संरचना

पिछले पांच वर्षों (2019-20 से 2023-24) में कुल व्यय की प्रवृत्तियां और संरचना **तालिका 2.12** में दर्शाई गई है।

तालिका 2.12: कुल व्यय और इसकी संरचना

(₹ करोड़ में)

मापदंड	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
कुल व्यय (कु.व्य.)[6]	48,375	49,203	56,957	59,395	60,830
राजस्व व्यय (रा.व्य.)	39,637	40,414	46,043	48,246	50,336
पूंजीगत व्यय (पू.व्य.)	5,472	4,699	8,311	8,065	6,855
ऋण और अग्रिम (ऋ. एवं अ.)	3,266	4,090	2,603	3,084	3,639
स.रा.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में					
कु.व्य./स.रा.घ.उ.	6.10	6.61	6.46	5.85	5.49
रा.व्य./स.रा.घ.उ.	5.00	5.43	5.22	4.75	4.54
पू.व्य./स.रा.घ.उ.	0.69	0.63	0.94	0.79	0.62
ऋ. एवं अ./स.रा.घ.उ.	0.41	0.55	0.30	0.30	0.33

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

उपर्युक्त **तालिका 2.12** से देखा जा सकता है कि कुल व्यय 4.69 *प्रतिशत*[7] की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) पर ₹ 48,375 करोड़ (2019-20) से लगातार बढ़कर ₹ 60,830 करोड़ (2023-24) हो गया।

इसी प्रकार, राजस्व व्यय 4.90 *प्रतिशत*[8] के सीएजीआर पर ₹ 39,637 करोड़ (2019-20) से लगातार बढ़कर ₹ 50,336 करोड़ (2023-24) हो गया और स.रा.घ.उ. के *प्रतिशत* के रूप में यह पिछले दो वर्षों से गिर गया है। वर्ष 2023-24 के दौरान पूंजीगत व्यय पिछले वर्ष की तुलना में 15 *प्रतिशत* कम हो

6 लोक ऋण के पुनर्भुगतान को छोड़कर

7 (([(60,830/48,375)^(1/5)]-1)*100)

8 (([(50,336/39,637)^(1/5)]-1)*100)

गया, परंतु स.रा.घ.उ. के *प्रतिशत* के रूप में यह वर्ष 2021-22 में 0.94 *प्रतिशत* के उच्च स्तर से घटकर वर्ष 2023-24 में 0.62 *प्रतिशत* हो गया। इसके अतिरिक्त, सड़क परिवहन (₹ 694.50 करोड़) के लिए ऋणों के संवितरण में वृद्धि के कारण चालू वर्ष में ऋण और अग्रिमों के वितरण में पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 555 करोड़ (18 *प्रतिशत)* की वृद्धि हुई है।

व्यय के घटकों के हिस्सेदारी में प्रवृत्तियां

कुल व्यय के घटकों के हिस्सेदारी में प्रवृत्तियां (लोक ऋण पुनर्भुगतान को छोड़कर) **चार्ट 2.5** में दर्शाई गई हैं। राजस्व व्यय कुल व्यय का 82.75 *प्रतिशत* था जबकि वर्ष 2023-24 के लिए पूंजीगत व्यय और ऋण और अग्रिमों का संवितरण क्रमशः 11.27 *प्रतिशत* और 5.98 *प्रतिशत* था।

चार्ट 2.5: कुल व्यय: इसके घटकों की हिस्सेदारी में प्रवृत्तियां

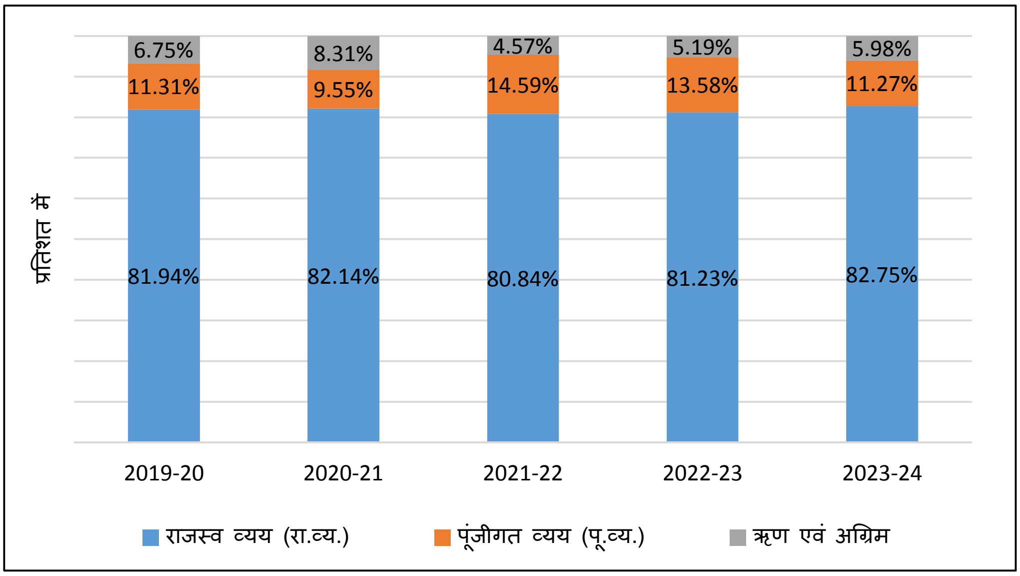

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

व्यय के विभिन्न क्षेत्रों का आनुपातिक हिस्सा

व्यय के विभिन्न क्षेत्रों का आनुपातिक हिस्सा **तालिका 2.13** में दर्शाया गया है। कुल व्यय (लोक ऋण को छोड़कर) में सामान्य सेवाओं का हिस्सा 2022-23 के 13.38 *प्रतिशत* से घटकर 2023-24 में 12.55 *प्रतिशत* हो गया।

तालिका 2.13: कुल व्यय में से विभिन्न क्षेत्रों का आनुपातिक हिस्सा (लोक ऋण पुनर्भुगतान को छोड़कर)

(₹ करोड़ में)

मापदंड	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
सामान्य सेवाएं[9]	7,472 (15.45)	6,541 (13.29)	7,327 (12.86)	7,947 (13.38)	7,631 (12.55)
सामाजिक सेवाएं[10]	25,717 (53.16)	25,362 (51.55)	31,356 (55.05)	31,743 (53.45)	30,860 (50.73)
आर्थिक सेवाएं[11]	8,041 (16.62)	10,298 (20.93)	12,203 (21.42)	12,297 (20.70)	13,481 (22.16)
अन्य (स्थानीय निकायों को सहायता अनुदान और अंशदान तथा रा.रा.क्षे.दि.स. की संस्थाओं, विभागों आदि को ऋण एवं अग्रिम)	7,145 (14.77)	7,002 (14.23)	6,071 (10.66)	7,408 (12.47)	8,858 (14.56)

नोटः कोष्ठक में दिए गए आंकड़े संबंधित वर्ष के लिए कुल व्यय में क्षेत्रीय घटक के प्रतिशत के हिस्से को दर्शाते हैं

2023-24 के दौरान, पिछले वर्ष की तुलना में सामाजिक सेवाओं की हिस्सेदारी में कमी आई है, जिसका मुख्य कारण तकनीकी शिक्षा और सामाज कल्याण एवं पोषण पर व्यय में ₹ 421.39 करोड़ (8.94 *प्रतिशत)* की कमी है। इसी प्रकार, सड़क परिवहन पर व्यय में क्रमशः ₹ 738.05 करोड़ (13.12 *प्रतिशत*) की वृद्धि और सड़क परिवहन के लिए ऋणों के संवितरण में ₹ 694.50 करोड़ (694.50 *प्रतिशत*) की वृद्धि के कारण आर्थिक सेवाओं और स्थानीय निकायों को ऋण और अग्रिम और अनुदान के वितरण में पिछले वर्ष (2022-23) की तुलना में वृद्धि हुई।

2.4.2 राजस्व व्यय

राजस्व व्यय सेवाओं के वर्तमान स्तर को बनाए रखने और पिछले दायित्वों के भुगतान के लिए किया जाता है। इस प्रकार, इससे राज्य के आधारभूत और सेवा नेटवर्क में कोई परिवर्धन नहीं होता है।

तालिका 2.14 के अनुसार, राजस्व व्यय पांच वर्षों (2019-20 से 2023-24) में 6.51 *प्रतिशत* की वार्षिक औसत वृद्धि दर से बढ़ा, जबकि स.रा.घ.उ. में इसकी

[9] इसमें प्रशासनिक और राजकोषीय सेवाएं जैसे भू-राजस्व, आबकारी शुल्क और जीएसटी, पुलिस, जेल, लोक निर्माण आदि शामिल हैं।

[10] इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास, शहरी विकास, श्रमिक कल्याण, सामाज कल्याण आदि शामिल हैं।

[11] इसमें कृषि और संबद्ध गतिविधियां, ग्रामीण विकास, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण आदि शामिल हैं।

हिस्सेदारी 5 *प्रतिशत* (2019-20) से घटकर 4.54 *प्रतिशत* (2023-24) हो गई। वर्ष 2023-24 के दौरान, राजस्व व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में 4.33 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई, जिसका मुख्य कारण सामान्य शिक्षा पर व्यय में ₹ 1,271.15 करोड़ (10.41 *प्रतिशत*) की वृद्धि है।

तालिका 2.14: राजस्व व्यय - मूल मापदंड

(₹ करोड़ में)

मापदंड	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
कुल व्यय (कु.व्य.)	48,375	49,203	56,957	59,395	60,830
राजस्व व्यय (रा.व्य.)	39,637	40,414	46,043	48,246	50,336
पिछले वर्ष की तुलना में रा.व्य. की वृद्धि दर (*प्रतिशत*)	7.56	1.96	13.93	4.78	4.33
कु.व्य. की प्रतिशतता के रूप में राजस्व व्यय	81.94	82.14	80.84	81.23	82.75
स.रा.घ.उ. (2011-12 श्रृंखला) *(₹ लाख करोड़ में)*	7.93	7.44	8.81	10.15	11.08
स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर (*प्रतिशत*)	7.38	(-)6.13	18.42	15.13	9.17
रा.व्य./स.रा.घ.उ. (*प्रतिशत*)	5.00	5.43	5.22	4.75	4.54
राजस्व प्राप्ति के *प्रतिशत* के रूप में रा.व्य.	84.09	96.54	93.37	76.94	88.62

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

2023-24 की अवधि के लिए राजस्व व्यय का क्षेत्रवार वितरण **चार्ट 2.6** में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.6: 2023-24 के लिए *राजस्व व्यय का क्षेत्रवार वितरण* (*प्रतिशत* में)

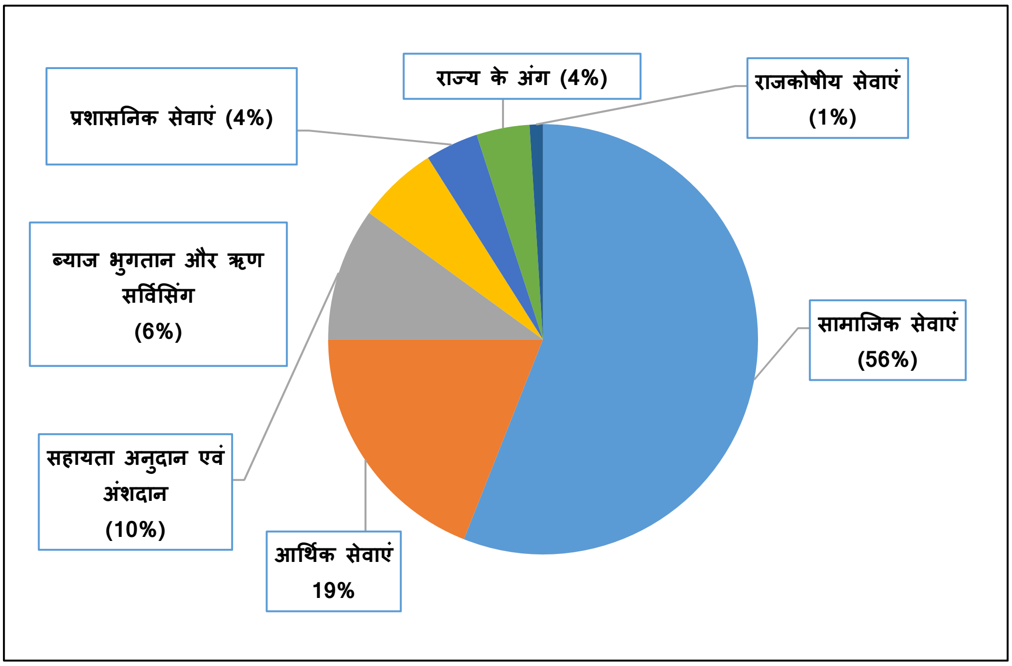

2.4.2.1 राजस्व व्यय में प्रमुख बदलाव

2022-23 की तुलना में 2023-24 के दौरान मुख्य लेखा शीर्षों के अंतर्गत राजस्व व्यय में भिन्नता **तालिका 2.15** में दर्शाई गई है:

तालिका 2.15: 2022-23 की तुलना में 2023-24 के दौरान मुख्य शीर्षों में राजस्व व्यय में परिवर्तन

(₹ करोड़ में)

मुख्य लेखा शीर्ष	2022-23	2023-24	भिन्नता	वृद्धि (+) / कमी (-) (*प्रतिशत में*)
2202-सामान्य शिक्षा	12,211	13,483	1,271	10.41
3055-सड़क परिवहन	4,601	4,917	316	6.86
2215-जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	1,747	1,828	81	4.64
2801-पावर	3,182	3,270	88	2.76
2210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	6,401	6,573	172	2.68

उपर्युक्त **तालिका 2.15** से यह देखा जा सकता है कि सामान्य शिक्षा, चिकित्सा और जन स्वास्थ्य, जल आपूर्ति और स्वच्छता, सड़क परिवहन और पावर में पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के व्यय में अंतर निम्नलिखित पर व्यय में वृद्धि के कारण 2.68 से 10.41 *प्रतिशत* के बीच था: (i) प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य योजनाओं के लिए स्थानीय निकायों को सहायता (ii) सीवरेज और स्वच्छता (iii) सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को बढ़ी हुई सहायता; और (iv) पावर का पारेषण और वितरण।

2.4.2.2 प्रतिबद्ध व्यय

राजस्व खाते में रा.रा.क्षे.दि.स. के प्रतिबद्ध व्यय में वेतन और मजदूरी, पेंशन और ब्याज भुगतान पर व्यय शामिल हैं। सरकारी संसाधनों पर यह पहला अधिकार है। प्रतिबद्ध व्यय में वृद्धि की प्रवृत्ति सरकार को विकास क्षेत्र के लिए कम लचीलेपन के साथ छोड़ देती है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, व्यय की कतिपय अपरिवर्तनीय मदें हैं जिन्हें सामान्यतः परिवर्तित नहीं किया जा सकता है अथवा जो सांविधिक रूप से वार्षिक आधार पर अपेक्षित है, न तो पूंजीगत व्यय आदि जैसे परिवर्तनीय लेन-देनों के लिए। उदाहरण के लिए, निम्नलिखित मदों को अपरिवर्तनीय व्यय माना जा सकता है:

(i) आकस्मिकता निधि की प्रतिपूर्ति

(ii) प्राप्त केंद्रीय निधि के प्रति सीएसएस के लिए राज्य के हिस्से का अंशदान

(iii) प्रभारित व्यय के रूप में सार्वजनिक ऋण पर ब्याज का भुगतान

(iv) आरक्षित निधि में सांविधिक अंशदान

(v) उपकर का आरक्षित निधि में अंतरण

(vi) स्थानीय निकायों को अंतरण- वेतन और भत्तों के लिए स्थानीय निकायों को सांविधिक अंतरण (पूंजीगत व्यय के लिए हस्तांतरण/अंतरण)

प्रतिबद्ध और अपरिवर्तनीय व्यय के घटक **तालिका 2.16** में दिए गए हैं:

तालिका 2.16: प्रतिबद्ध और अपरिवर्तनीय व्यय के घटक

(₹ करोड़ में)

प्रतिबद्ध व्यय के घटक	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**
वेतन और मजदूरी	11,070.04	11,810.19	12,878.34	14,214.93	15,017.82
पेंशन पर व्यय*	3.56	2.67	3.28	2.76	4.37
ब्याज भुगतान	2,751.87	2,873.83	3,274.24	3,266.36	3,094.31
कुल	**13,825.47**	**14,686.69**	**16,155.86**	**17,484.05**	**18,116.50**
अपरिवर्तनीय व्यय के घटक					
आकस्मिकता निधि की प्रतिपूर्ति	143.41	79.08	74.18	52.13	7.24
प्राप्त केंद्रीय निधि के प्रति सीएसएस के लिए राज्य के हिस्से का अंशदान	2,772.52	2,868.04	3,207.42	3,768.96	2,299.65
प्रभारित व्यय के रूप में सार्वजनिक ऋण पर ब्याज का भुगतान	2,751.87	2,873.83	3,274.24	3,266.36	3,094.31
स्थानीय निकायों को सांविधिक अंतरण	6,237.00	5,515.00	5,501.00	7,580.00	8,596.00
कुल	**11,904.80**	**11,335.95**	**12,056.84**	**14,667.45**	**13,997.20**
राजस्व प्राप्ति (आरआर) के *प्रतिशत* के रूप में					
प्रतिबद्ध व्यय					
वेतन और मजदूरी	23.49	28.21	26.12	22.67	26.44
पेंशन पर व्यय	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01
ब्याज भुगतान	5.84	6.86	6.64	5.21	5.45
कुल	**29.34**	**35.08**	**32.77**	**27.88**	**31.90**
राजस्व व्यय (रा.व्य.) के *प्रतिशत* के रूप में					
वेतन और मजदूरी	27.93	29.22	27.97	29.46	29.84
पेंशन पर व्यय	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
ब्याज भुगतान	6.94	7.11	7.11	6.77	6.15
कुल	**34.88**	**36.34**	**35.09**	**36.24**	**35.99**
राजस्व व्यय	39,637	40,414	46,043	48,246	**50,336**
राजस्व व्यय में अपरिवर्तनीय व्यय का प्रतिशत	***30.03***	***28.05***	***26.19***	***30.40***	***27.81***
गैर-प्रतिबद्ध रा.व्य. **	***25,811.53***	***25,727.31***	***29,887.14***	***30,761.95***	***32,219.50***
रा.व्य. का प्रतिशत	***65.12***	***63.66***	***64.91***	***63.76***	***64.00***
कु.व्य. का प्रतिशत ***	***53.36***	***52.29***	***52.47***	***51.79***	***52.97***
सब्सिडी	***3,592.94***	***4,176.87***	***4,690.20***	***4,632.92***	***4,839.63***
गैर-प्रतिबद्ध रा.व्य. के प्रतिशत के रूप में सब्सिडी	***13.92***	***16.24***	***15.69***	***15.06***	***15.02***

* दिल्ली में पूर्व विधायकों और स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन सहित

** गैर-प्रतिबद्ध रा.व्य. = राजस्व व्यय में से राजस्व प्रतिबद्ध व्यय घटाकर

*** सार्वजनिक ऋण को छोड़कर

वेतन और मजदूरी

वेतन और मजदूरी पर व्यय 2019-20 के ₹ 11,070.04 करोड़ से 35.66 *प्रतिशत* बढ़कर 2023-24 में ₹ 15,017.82 करोड़ हो गया।

पेंशन

रा.रा.क्षे.दि.स. की पेंशन देनदारियां (दिल्ली में पूर्व विधायकों और स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन देनदारियों को छोड़कर) भारत सरकार द्वारा वहन की जाती हैं, जो 2023-24 में ₹ 2,023 करोड़ थी। दिल्ली में पूर्व विधायकों और स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन के संदर्भ में रा.रा.क्षे.दि.स. की पेंशन देनदारियां 2023-24 में ₹ 4.37 करोड़ थीं।

2.4.2.3 सब्सिडी

रा.रा.क्षे.दि.स. महिला बस यात्रियों को (डीटीसी/क्लस्टर बसों के माध्यम से), दिल्ली जल बोर्ड और डिस्कॉम के उपभोक्ताओं को, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन आदि के लिए सब्सिडी प्रदान करती है। रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा सब्सिडियों पर किया गया व्यय **तालिका 2.17** में दर्शाया गया है। 2019-2024 की अवधि के दौरान सब्सिडी पर किए गए व्यय में 34.71 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई।

तालिका 2.17: 2019-20 से 2023-24 के दौरान सब्सिडी पर व्यय

(₹ करोड़ में)

मापदंड	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
सब्सिडी	3,593	4,177	4,690	4,633	4,840
राजस्व प्राप्तियां	47,136	41,864	49,313	62,703	56,798
राजस्व व्यय	39,637	40,414	46,043	48,246	50,336
राजस्व प्राप्तियों के *प्रतिशत* के रूप में सब्सिडी (*प्रतिशत में*)	7.62	9.98	9.51	7.39	8.52
राजस्व व्यय के *प्रतिशत* के रूप में सब्सिडी (*प्रतिशत* में)	9.06	10.34	10.19	9.60	9.62

इसके अतिरिक्त, 2019-20 से 2023-24 की अवधि के दौरान रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा डिस्कॉम (पावर सब्सिडी), दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) (जल सब्सिडी) और महिला बस यात्रियों (डीटीसी/क्लस्टर बसों के माध्यम से मुफ्त बस यात्रा) के माध्यम से उपभोक्ताओं को दी गई सब्सिडी नीचे **चार्ट 2.7** में दर्शाई गई है।

चार्ट 2.7: पावर, पानी और मुफ्त बस यात्रा के लिए रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा दी गई सब्सिडी की प्रवृत्ति

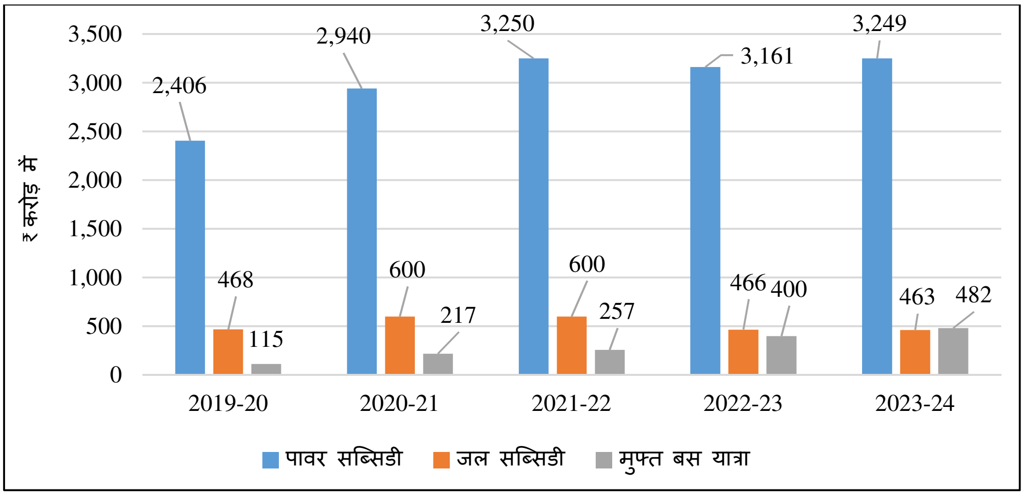

उपर्युक्त **चार्ट 2.7** से यह देखा जा सकता है कि डिस्कॉम उपभोक्ताओं को दी जाने वाली पावर सब्सिडी, डीजेबी को दी जाने वाली जल सब्सिडी और डीटीसी/क्लस्टर बसों में यात्रा करने वाली महिलाओं को मुफ्त यात्रा में पांच वर्ष की अवधि (2019-24) के दौरान क्रमशः 35.04 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई, 1.07 *प्रतिशत* की कमी हुई और 319.13 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई। प्रधान लेखा कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स. ने बताया (सितंबर 2024) कि संबंधित विभागों से इन वर्षों के दौरान भिन्नता के कारण प्रतीक्षित थे।

2.4.2.4 रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा स्थानीय निकायों और अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता

रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा स्थानीय निकायों और अन्य संस्थाओं को अनुदान, क्षतिपूर्ति और आबंटन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। विवरण नीचे **तालिका 2.18 (क)** में दर्शाया गया है:

तालिका 2.18 (क): स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता[12]

(₹ करोड़ में)

संस्थानों को वित्तीय सहायता	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
(क) स्थानीय निकाय					
1. एमसीडी	0	0	0	4,456	8,362
2. एनडीएमसी	-104	166	272	624	216
3. दिल्ली छावनी बोर्ड	15	15	11	16	18
4. ईडीएमसी, एसडीएमसी, नॉर्थ डीएमसी	6,326	5,334	5,218	2,484	-

[12] इसमें जीआईए और क्षतिपूर्ति और आबंटन शामिल हैं

(₹ करोड़ में)

संस्थानों को वित्तीय सहायता	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
कुल (क)	**6,237**	**5,515**	**5,501**	**7,580**	**8,596**
(ख) अन्य					
दिल्ली जल बोर्ड	2,855	4,319	2,462	4,106	4,110
दिल्ली परिवहन निगम	2,030	2,475	2,320	2,350	2,900
दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड	379	833	384	262	309
अन्य (दिल्ली मेट्रो रेल निगम, उच्च शिक्षा संस्थान, तकनीकी शिक्षा संस्थान, अस्पताल, सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ आदि सहित)	4,732	3,501	5,451	3,927	4,771
कुल (ख)	**9,996**	**11,128**	**10,617**	**10,645**	**12,090**
कुल (क+ख)	**16,233**	**16,643**	**16,118**	**18,225**	**20,686**

तालिका 2.18 (क) से यह देखा जा सकता है कि 2023-24 के दौरान स्थानीय निकायों और अन्य को वित्तीय सहायता में पिछले वर्ष की तुलना में क्रमशः 13.41 *प्रतिशत* और 13.57 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई। यह भी देखा गया कि वेतन घटक पर सहायता ने 2019-20 से 2023-24 की अवधि के दौरान 5.61 *प्रतिशत* की औसत वार्षिक वृद्धि दर पर लगातार बढ़ती प्रवृत्ति दिखाई है।

2019-2024 की अवधि के दौरान रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा वितरित सहायता अनुदान के घटक को **तालिका 2.18 (ख)** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.18 (ख): रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा वितरित सहायता अनुदान[13] के घटक

(₹ करोड़ में)

रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा वितरित जीआईए के घटक	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
वेतन पर जीआईए	4,467	4,598	4,628	5,298	5,579
पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए अनुदान	1,563	1,121	804	2,031	2,192
जीआईए- सामान्य	4,703	6,834	8,083	7,813	9,276
जीआईए वस्तु के रूप में दिया गया	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल जीआईए	10,733	12,553	13,515	15,142	17,047
रा.रा.क्षे.दि.स. राजस्व व्यय	39,637	40,414	46,043	48,246	50,336
रा.रा.क्षे.दि.स. राजस्व व्यय के *प्रतिशत* के रूप में वितरित किया गया जीआईए	27.07	31.06	29.35	31.38	33.87

स्रोत: प्रधान लेखा कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स. से प्राप्त सूचना

राजस्व घाटा अनुदान:

दो संस्थाएं अर्थात् दिल्ली जल बोर्ड और दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) राजस्व अनुदानों के माध्यम से अपनी व्यवहार्यता अंतर के वित्त-पोषण के लिए राष्ट्रीय

[13] जीआईए के अधिक ब्योरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के वित्त लेखाओं के विवरण 10 के परिशिष्ट में उपलब्ध हैं

राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार पर निर्भर थीं क्योंकि उनका राजस्व प्रचालनात्मक लागत को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं था। 2019-20 से 2023-24 की अवधि के दौरान, रा.रा.क्षे.दि.स. ने डीजेबी और डीटीसी को क्रमशः ₹ 360.36 करोड़[14] और ₹ 12,075 करोड़ वितरित किए थे।

2.4.3 पूंजीगत व्यय

पूंजीगत व्यय में स्थायी अवसंरचना परिसंपत्तियों जैसे सड़कों, भवनों आदि के निर्माण पर किया गया व्यय शामिल है। पूंजीगत व्यय की प्रवृत्तियां **चार्ट 2.8** में दर्शाई गई हैं।

चार्ट 2.8: रा.रा.क्षे.दि.स. में पूंजीगत व्यय

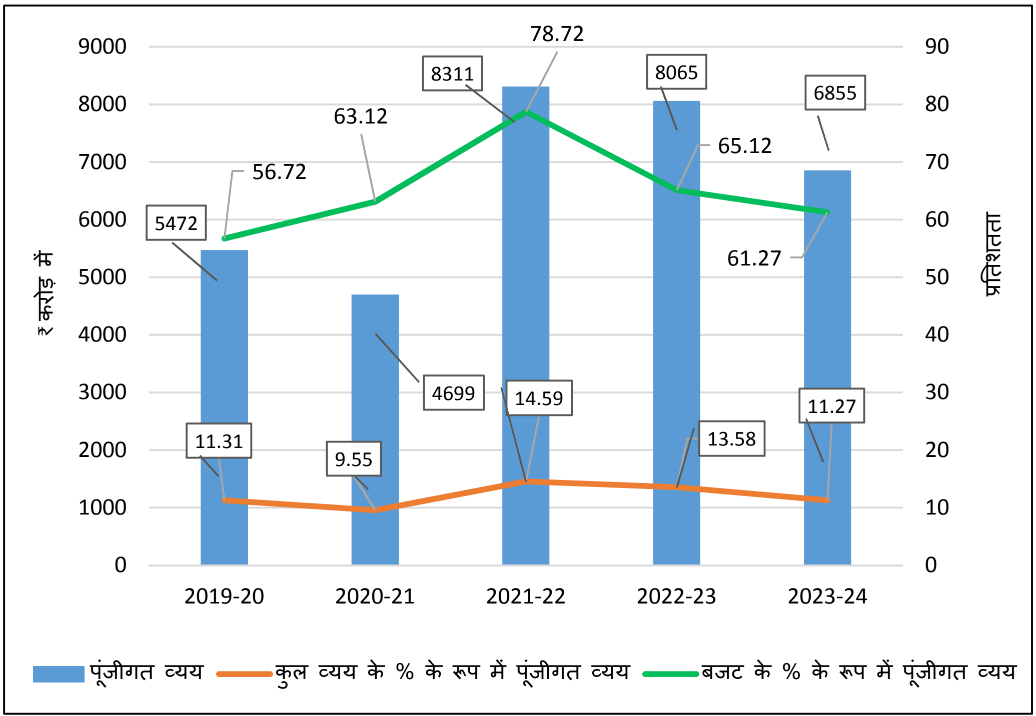

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

चार्ट 2.8 से यह देखा जा सकता है कि चालू वर्ष के दौरान पूंजीगत व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में 15 *प्रतिशत* की कमी आई है। इसके अतिरिक्त, 2019-20 से 2023-24 के दौरान, पूंजीगत व्यय लगातार पूंजीगत बजट से कम रहा है। उक्त अवधि के दौरान पूंजीगत व्यय स.रा.घ.उ. के 1 *प्रतिशत* से लगातार कम रहा।

2.4.3.1 पूंजीगत व्यय में प्रमुख परिवर्तन

पूंजीगत व्यय के मुख्य शीर्षों में परिवर्तन **तालिका 2.19** में दर्शाए गए हैं।

[14] 2021-22, 2022-23 और 2023-24 के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं

तालिका 2.19: 2022-23 की तुलना में 2023-24 के दौरान मुख्य लेखा शीर्षों के अंतर्गत पूंजीगत व्यय

(₹ करोड़ में)

मुख्य लेखा शीर्ष (एमएच)	2022-23	2023-24	वृद्धि (+)/ कमी (-) *प्रतिशत में*
4059 - लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय	331.67	199.99	(-) 39.70
4202- शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	1,249.51	722.35	(-) 42.19
4210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	1,745.71	875.05	(-) 49.87
4217 - शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	1,439.46	916.12	(-) 36.36
5054-सड़कों और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय	1,556.12	1,936.14	(+) 24.42
5055-सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय	1,026.07	1,448.47	(+) 41.17

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

उपर्युक्त **तालिका 2.19** से यह देखा जा सकता है कि चालू वर्ष के दौरान लोक निर्माण, शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति, चिकित्सा और जन स्वास्थ्य, शहरी विकास, सड़क और पुल और सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय में पिछले वर्ष की तुलना में (-) 49.87 *प्रतिशत* से 41.17 *प्रतिशत* की सीमा में परिवर्तन क्रमशः 'निर्माण' पर व्यय में कमी (47.67 *प्रतिशत),* 'माध्यमिक शिक्षा' पर व्यय में कमी (51.88 *प्रतिशत),* 'अस्पताल और औषधालयों' पर व्यय में कमी (49.68 *प्रतिशत*), 'भूमि' पर व्यय में कमी (44.04 *प्रतिशत*), 'सड़क कार्यों' पर व्यय में वृद्धि (83.85 *प्रतिशत*) और 'रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर' पर व्यय में वृद्धि (100 *प्रतिशत*) के कारण हुआ।

2.4.3.2 निवेश और रिटर्न

31 मार्च 2024 तक, सरकारी कंपनियों और सहकारी संस्थानों में सरकारी निवेश ₹ 21,437 करोड़ था। पिछले वर्ष की तुलना में 2023-24 में निवेश में ₹ 383 करोड़ की वृद्धि दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में किए गए निवेश के कारण हुई थी। 2023-24 में निवेश पर रिटर्न 0.82 *प्रतिशत* था जबकि सरकार ने 2023-24 के दौरान अपने उधार पर 8.18 *प्रतिशत* की औसत दर से ब्याज का भुगतान किया। विवरण नीचे **तालिका 2.20** में दिया गया है:

तालिका 2.20: निवेश पर रिटर्न

निवेश/रिटर्न/उधार की लागत	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
वर्ष के अंत में निवेश (₹ करोड़ में) *(क)*	19,411	19,911	20,711	21,054	21,437
रिटर्न (₹ करोड़ में)	15.84	9.80	89.58	103.79	175.05
रिटर्न (*प्रतिशत) (ख)*	0.08	0.05	0.43	0.49	0.82
सरकारी उधार पर औसत ब्याज दर (*प्रतिशत*) *(ग)*	8.14	7.59	7.91	7.96	8.18

निवेश/रिटर्न/उधार की लागत	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**
ब्याज दर और रिटर्न के बीच अंतर (*प्रतिशत*) *(ख- ग)*	(-)8.06	(-)7.54	(-)7.48	(-)7.47	(-)7.36
वर्ष के अंत में सरकारी उधार पर ब्याज और निवेश पर रिटर्न के बीच अंतर [(ख-ग)*क]	**(-)1,565**	**(-)1,501**	**(-)1,549**	**(-)1,573**	**(-)1,577**

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

उपर्युक्त **तालिका 2.20** से यह देखा जा सकता है कि पांच वर्ष की अवधि (2019-24) के दौरान रा.रा.क्षे.दि.स. के निवेश में 10.44 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने उक्त अवधि के दौरान उधारों पर 7.59 *प्रतिशत* से 8.18 *प्रतिशत* तक ब्याज का भुगतान किया जबकि उसी अवधि के दौरान निवेशों से रिटर्न का *प्रतिशत* 0.05 *प्रतिशत* से 0.82 *प्रतिशत* (ऐतिहासिक लागत पर) के बीच रहा। पांच वर्षों के दौरान संवितरित और वसूल किए गए ऋण **तालिका 2.21** में दिए गए हैं।

तालिका 2.21: पांच वर्षों के दौरान संवितरित और वसूल किए गए ऋणों की मात्रा

(₹ करोड़ में)

संवितरित और वसूल किए गए ऋणों की मात्रा	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**
बकाया ऋणों का प्रारंभिक शेष	64,570	67,014	70,473	72,454	74,280
वर्ष के दौरान अग्रिम राशि	3,266	4,090	2,604	3,084	3,639
वर्ष के दौरान वसूल की गई राशि	823	631	623	1,258	98
बकाया ऋणों का अंतिम शेष	67,014	70,473	72,454	74,280	77,821
निवल जोड़	2,444	3,459	1,981	1,826	3,541
प्राप्त ब्याज	404	468	336	46	339
बकाया ऋणों और अग्रिमों के *प्रतिशत* के रूप में ब्याज प्राप्तियां	0.61	0.66	0.46	0.06	0.45
सरकार के बकाया अधारों पर भुगतान की गई ब्याज की औसत दर (*प्रतिशत*)	8.14	7.59	7.91	7.96	8.18
भुगतान की गई ब्याज दर और प्राप्त ब्याज के बीच का अंतर (*प्रतिशत*)	7.53	6.93	7.45	7.90	7.73

तालिका 2.21 से यह देखा जा सकता है कि पांच वर्ष की अवधि (2019-2024) के दौरान, रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा अग्रिम ऋणों में 11.42 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई, परंतु उनकी वसूली में 88.09 *प्रतिशत* की कमी आई। इसके अतिरिक्त, इस अवधि के दौरान ब्याज प्राप्तियों में 16.09 *प्रतिशत* की कमी आई और यह 2023-24 के दौरान बकाया ऋणों और अग्रिमों का केवल 0.45 *प्रतिशत* था।

वर्ष के आरंभ में दिल्ली जल बोर्ड (₹ 34,539.69 करोड़), दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (₹ 1,048.56 करोड़) और दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम

लिमिटेड (₹ 4.36 करोड़) के प्रति ₹ 35,592.61 करोड़ के ऋण बकाया थे। दिल्ली जल बोर्ड और दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड को पूर्व के ऋणों की वसूली किए बिना ₹ 2,844.44 करोड़ के नए ऋण वितरित किए गए। इसके अतिरिक्त, दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम और दिल्ली अनुसूचित जाति वित्तीय निगम को दिए गए ₹ 17.93 करोड़ के ऋणों की आरंभिक अवधि क्रमशः 1998-99 और 1987-88 से संबंधित थी।

2.4.3.3 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (एसपीएसई), रा.रा.क्षे.दि.स. की इक्विटी और बकाया ऋणों का वित्त लेखाओं के आंकड़ों के साथ मिलान

राज्य पीएसई के अभिलेखों के अनुसार इक्विटी और बकाया ऋणों के संबंध में आंकड़े रा.रा.क्षे.दि.स. के वित्त लेखाओं में दर्शाए गए आंकड़ों से मेल खाने चाहिए। यदि आंकड़े मेल नहीं खाते हैं, तो संबंधित एसपीएसई और वित्त विभाग को अंतर का समाधान करना चाहिए। 31 मार्च 2024 तक इक्विटी और ऋण के आंकड़ों में अंतर नीचे **तालिका-2.22** में दिया गया है:

तालिका 2.22: राज्य पीएसई के अभिलेखों की तुलना में वित्त लेखाओं के अनुसार इक्विटी और बकाया ऋण

(₹ करोड़ में)

विवरण	इक्विटी और बकाया ऋण		अंतर
	वित्त लेखा के अनुसार	एसपीएसई के अभिलेखों के अनुसार	
कुल इक्विटी	9,297.91	9,202.49	95.42
कुल ऋण	*15,504.03*	*12,174.24*	*3,329.79*

स्रोत: एसपीएसई के अभिलेख और वित्त लेखे, रा.रा.क्षे.दि.स.

इक्विटी में आंकड़ों के बीच अंतर डीटीआईडीसी (₹ 95.42 करोड़) से संबंधित है और ऋणों में डीएसएफडीसी (₹ 1.58 करोड़), डीपीसीएल (₹ 3,326.39 करोड़), डीएससीएससी (₹ 2.22 करोड़), डीटीटीडीसी (₹ 3.15 करोड़) और पीपीसीएल ((-) ₹ 3.55 करोड़) से संबंधित है।

यह सिफारिश की जाती है कि राज्य सरकार और एसपीएसई समयबद्ध तरीके से इस अंतर को सुलझा लें।

2.4.4 सार्वजनिक व्यय की पर्याप्तता

चार्ट 2.9 वर्ष 2019-20 और 2023-24 के दौरान पूंजीगत व्यय, शिक्षा और स्वास्थ्य पर व्यय के संबंध में रा.रा.क्षे.दि.स. की राजकोषीय प्राथमिकता को दर्शाता है।

चार्ट 2.9: 2019-20 और 2023-24 के दौरान सार्वजनिक व्यय (*प्रतिशत* में) में प्राथमिकता

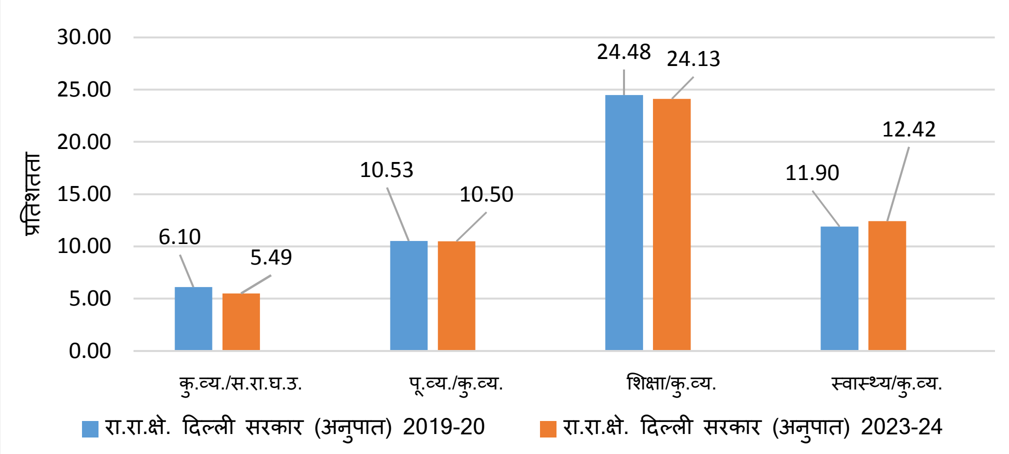

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

कु.व्य.=कुल व्यय = राजस्व व्यय + पूंजीगत व्यय + ऋण और अग्रिम; पूं.व्य. = पूंजीगत व्यय (सामाजिक और आर्थिक सेवाओं पर);

उपर्युक्त **चार्ट 2.9** से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2019-20 की तुलना में 2023-24 के दौरान (i) स.रा.घ.उ. में कु.व्य., (ii) कु.व्य. में पूं.व्य. और (iii) कु.व्य. में शिक्षा पर व्यय के अनुपात में कमी आई और 2019-20 की तुलना में चालू वर्ष में कु.व्य. की तुलना में स्वास्थ्य पर व्यय के अनुपात में मामूली वृद्धि हुई।

व्यय की गुणवत्ता

2019-20 से 2023-24 के बीच सब्सिडी और उ.प्र. नहीं देने वाले निकायों को सहायता अनुदान का व्यय ₹ 4,541 करोड़ (36.48 *प्रतिशत*) बढ़ गया है, जबकि पूंजी सृजन, जो भविष्य का राजस्व स्रोत है, लोक निर्माण, चिकित्सा और जन स्वास्थ्य और शिक्षा पर व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में क्रमशः 40 *प्रतिशत*, 50 *प्रतिशत* और 42 *प्रतिशत* से 2023-24 के दौरान कम हो गया।

यह इस संदर्भ में विशेष रूप से प्रासंगिक है कि जीएसटी क्षतिपूर्ति, जो राज्य राजस्व प्राप्तियों में एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता है, अपने समापन चरण में पहुंच गया है।

अगली अपेक्षा

इस प्रकार अनुत्पादक व्यय को राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित किए जाने की आवश्यकता है।

2.5 सार्वजनिक दायित्व प्रबंधन

जैसाकि इसके वित्त लेखाओं[15] में दर्शाया गया है, रा.रा.क्षे.दि.स. को खुले बाजार से ऋण जुटाने की शक्ति प्राप्त नहीं है। आवश्यक सभी ऋण भारत की संचित निधि से इसके लिए दिए जाते हैं। भारत सरकार से प्राप्त ऋणों और अग्रिमों में रा.रा.क्षे.दि.स. की ऋण प्राप्तियां शामिल हैं।

2.5.1 सरकारी खातों के बाहर निधि

क) भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर

बीओसीडब्ल्यू उपकर नियमावली, 1998 में यह प्रावधान है कि एकत्र किए गए उपकर को राज्य की लेखा प्रक्रियाओं के अंतर्गत बोर्ड के लेखा शीर्ष में दिल्ली भवन एवं अन्य श्रमिक कल्याण बोर्ड (बोर्ड) को अंतरित किया जाएगा।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि श्रम आयुक्त, रा.रा.क्षे.दि.स. के कार्यालय द्वारा एक आदेश पारित किया गया था (अगस्त, 2005) जिसमें सभी सरकारी विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों तथा अन्य सरकारी निकायों को श्रमिक कल्याण उपकर के रूप में अनुमोदित निर्माण लागत की 1 *प्रतिशत* राशि खाता आदाता चैक के माध्यम से बोर्ड को प्रेषित करने का निदेश दिया गया था। बाद में, बोर्ड ने आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से सीधे संबंधित जिले के बैंक खाते में एकत्रित उपकर को अंतरित करने के निर्देश जारी किए (नवंबर 2017)।

नीचे **तालिका 2.23** में दर्शाए गए विवरण के अनुसार ₹ 4,340.38 करोड़ 31 मार्च 2024 तक बोर्ड के खाते में जमा थे।

तालिका 2.23: 2023-24 तक उपकर की प्राप्तियों और उपयोग का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वास्तविक प्राप्तियां				वास्तविक व्यय			शुद्ध प्राप्तियां
	एकत्र किया गया उपकर	लाभार्थियों का योगदान	अर्जित ब्याज	कुल	योजना पर व्यय	प्रशासनिक-व्यय	कुल व्यय	
1	2	3	4	5 (2+3+4)	6	7	8 (6+7)	9 (5-8)
प्रारंभिक शेष								3,536.75
2023-24	521.38	0.70	298.44	820.52	8.92	5.50	14.42	806.10
घटा: मार्च 2024 तक काटौती/जमा किया गया आय कर								2.47
उपलब्ध निवल राशि								**4,340.38**

15 विवरण-3

लेखापरीक्षा का विचार है कि एकत्रित श्रम उपकर प्राप्तियां सरकारी प्राप्तियां थीं और मुख्य लेखा शीर्ष (श्रम और रोजगार - 0230) में जमा करके सरकारी खाते का हिस्सा होना चाहिए था और इसे मुख्य शीर्ष (श्रम और रोजगार-2230) को डेबिट करके बोर्ड को अंतरित किया जाना चाहिए था। इस प्रकार, उपकर को सरकारी खातों में लाए बिना सीधे बोर्ड को अंतरित करके उसके लेखांकन के लिए अपनाई गई प्रणाली बीओसीडब्ल्यू उपकर नियमावली के अनुरूप नहीं है।

इसके अतिरिक्त, पिछले पांच वर्षों में एकत्रित उपकर से औसत वार्षिक व्यय केवल ₹ 126.96 करोड़ रहा है जबकि औसत वार्षिक उपकर संग्रह ₹ 519 करोड़ रहा है। व्यय की प्रवृत्तियों को देखते हुए, सरकार को योजनाओं की समीक्षा करने और पंजीकृत श्रमिकों की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं पर व्यय में पर्याप्त वृद्धि करने की आवश्यकता है ताकि श्रम कल्याण उपकर के संग्रह के एकमात्र उद्देश्य को पूरा किया जा सके।

यह पैरा 2024 के प्रतिवेदन सं. 2 में भी शामिल है। बोर्ड और श्रम विभाग के उत्तर की प्रतीक्षा है (जनवरी, 2025)।

(ख) दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग निधि का गैर-संचालन

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 103 में प्रावधान है कि राज्य सरकार एक निधि का गठन करेगी जिसे राज्य विद्युत विनियामक आयोग निधि (एसईआरसीएफ) कहा जाएगा और उसमें राज्य सरकार द्वारा राज्य आयोग को दिए गए किसी भी अनुदान और ऋण, अधिनियम के तहत राज्य आयोग द्वारा प्राप्त सभी शुल्क और आयोग द्वारा ऐसे अन्य स्रोतों से प्राप्त सभी राशियां जो राज्य सरकार द्वारा तय की जाएंगी, जमा की जाएंगी। तदनुसार, दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (डीईआरसी) ने विद्युत अधिनियम, 2003 के अनुसार डीईआरसीएफ के सृजन के लिए रा.रा.क्षे.दि.स. से अनुरोध किया था (जुलाई 2003, मई 2024)।

लगभग दो दशक बीत जाने के बावजूद निधि का गठन नहीं होने पर लेखापरीक्षा आपत्ति जताती रही है। परिणामस्वरूप, लाइसेंस/प्रोसेसिंग शुल्क के रूप में डीईआरसी द्वारा प्राप्त ₹ 14.21 करोड़ (2023-24 के दौरान) की राशि अनिवार्य निधि के माध्यम से अग्रेषित नहीं की गई थी। जैसा कि 2024 के पिछले

प्रतिवेदन संख्या 2 में है; अपने उत्तर में, डीईआरसी ने कहा (सितंबर 2024) कि डीईआरसी निधि बनाने की प्रक्रिया चल रही थी।

2.5.2 ऋण प्रोफाइल: घटक

तालिका 2.24 पिछले पांच वर्षों के लिए रा.रा.क्षे.दि. सरकार के ऋण प्रोफाइल की एक समय श्रृंखला विश्लेषण देती है।

तालिका 2.24: भारत सरकार से ऋण और रा.रा.क्षे.दि.स. के ऋण की रूपरेखा

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष	ऋण प्राप्तियां	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अंतिम शेष	वृद्धि/कमी	पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि/कमी का *प्रतिशत*
2019-20	32,812.34	4,765.60	2,811.10	34,766.84	1,954.50	5.96
2020-21	34,766.84	15,365.00	3,265.17	46,866.67	12,099.83	34.80
2021-22	46,866.67	11,192.67	4,215.16	53,844.18	6,977.51	14.89
2022-23	53,844.18	3,251.22	4,715.16	52,380.24	(-)1,463.94	(-)2.72
2023-24	52,380.24	0	4,993.69	47,386.55	(-) 4,993.69	(-) 9.53

2.5.3 ऋण परिपक्वता और पुनर्भुगतान प्रोफाइल

ऋण परिपक्वता और पुनर्भुगतान प्रोफाइल सरकार की ओर से ऋण पुनर्भुगतान या ऋण सेवा के लिए प्रतिबद्धता को इंगित करता है। सार्वजनिक ऋण की परिपक्वता प्रोफाइल (₹ 47,386.55 करोड़) **तालिका 2.25** में दर्शाई गई है।

तालिका 2.25: राज्य ऋण के पुनर्भुगतान की ऋण परिपक्वता प्रोफ़ाइल

ऋण का पुनर्भुगतान				
पुनर्भुगतान की अवधि	भारत सरकार# से ऋण और अग्रिम (मूलधन) पुनर्भुगतान के लिए देय (₹ करोड़ में)	पुनर्भुगतान के लिए देय ब्याज (₹ करोड़ में)	कुल (₹ करोड़ में)	ऋण का *प्रतिशत* (मूलधन (ii) पर दर्शाया गया है)
(i)	(ii)	(iii)	(iv) [(ii) +(iii)]	(v) [(ii)*100/47386.55]
2024-25	4,914.32	2,666.08	7,580.40	10.37
2025-26	4,641.66	2,246.19	6,887.85	9.80
2026-27	4,253.71	1,853.16	6,106.87	8.98
2027-28	4,084.15	1,498.63	5,582.78	8.62
2028-29	3,893.52	1,159.01	5,052.53	8.22
2029-30	3,393.12	835.41	4,228.53	7.16
2030-31	2,752.44	555.71	3,308.15	5.81
2031-32	1,507.61	332.33	1,839.94	3.18
2032-33	807.51	207.26	1,014.77	1.70
2033-34	445.08	137.70	582.78	0.94
2034-35	423.65	95.41	519.06	0.89

ऋण का पुनर्भुगतान				
पुनर्भुगतान की अवधि	भारत सरकार# से ऋण और अग्रिम (मूलधन) पुनर्भुगतान के लिए देय (₹ करोड़ में)	पुनर्भुगतान के लिए देय ब्याज (₹ करोड़ में)	कुल (₹ करोड़ में)	ऋण का *प्रतिशत* (मूलधन (ii) पर दर्शाया गया है)
2035-36	335.20	55.17	390.37	0.71
2036-37	115.75	23.32	139.07	0.24
2037-38	87.95	12.33	100.28	0.19
2038-39	41.83	3.97	45.80	0.09
कुल	**31,697.50***	**11,681.68**	**43,379.18****	**66.89**
अन्य	**15,689.05*****			**33.11**
कुल योग	**47,386.55**			**100.00**

*नोट: * और ** यह केवल एनएसएसएफ ऋण के पुनर्भुगतान से संबंधित है। इसमें ₹ 0.03 करोड़ का अंतर है जिसका कारण आंकड़ों को पूर्णांकित करना है।*

****इसमें ₹ 12,058 करोड़ के जीएसटी मुआवजे के प्रति भारत सरकार से बैक-टू-बैक ऋण, 2013-14 के दौरान डीईएसयू के बकाये के निपटान के लिए भारत सरकार से प्राप्त ऋण, चंद्रावल (2018-19) में डब्ल्यूटीपी का पुनः स्थापन आदि शामिल हैं।*

 # सभी ऋण भारत की समेकित निधि से रा.रा.क्षे.दि.स. को दिए जाते हैं।

उपर्युक्त **तालिका 2.25** के अनुसार सार्वजनिक ऋण की परिपक्वता प्रोफाइल इंगित करती है कि 2024-25, 2025-27, 2027-29, 2029-31 की अवधि के दौरान ऋण (ब्याज को छोड़कर) चुकाने के लिए राज्य की देयता क्रमशः ₹ 4,914.32 करोड़ (10.37 *प्रतिशत*), ₹ 8,895.37 करोड़ (18.77 *प्रतिशत*), ₹ 7,977.67 करोड़ (16.84 *प्रतिशत*) और ₹ 6,145.56 करोड़ (12.97 *प्रतिशत*) होगी। इसके अतिरिक्त, कुल सार्वजनिक ऋण का ₹ 3,764.58 करोड़ (7.94 *प्रतिशत*) सात वर्षों के बाद चुकाने योग्य होगा।

2.6 ऋण धारणीयता

ऋण धारणीयता विश्लेषण राजकोषीय और ऋण मापदंडों और डोमर[16] दृष्टिकोण के आधार पर किया गया है। विश्लेषण के परिणाम निम्नलिखित पैराग्राफ में दिए गए हैं:

रा.रा.क्षे.दि.स. के ऋण की मात्रा के अतिरिक्त, ऋण धारणीयता निर्धारित करने वाले विभिन्न संकेतकों का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है। XI केंद्रीय वित्त आयोग की रिपोर्ट के अनुसार एफआरबीएम अधिनियम दिल्ली पर लागू नहीं होता है।

[16] डोमर गैप लक्षित आर्थिक विकास दर के लिए आवश्यक निवेश और उस निवेश के लिए उपलब्ध संसाधनों के बीच का अंतर है। इस गणना का विकासशील देशों में आर्थिक विकास का विश्लेषण करने के लिए हारोड-डोमर मॉडल में प्रयोग किया जाता है।

क. ऋण धारणीयता से तात्पर्य किसी राज्य की भविष्य में अपने ऋण के पुनर्भुगतान की क्षमता से है। इस भाग में रा.रा.क्षे.दि.स. के वृद्धि दर, बकाया ऋण, ब्याज भुगतान और राजस्व प्राप्तियों के अनुपात, ऋण पुनर्भुगतान और ऋण प्राप्तियों तथा रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के लिए उपलब्ध निवल ऋण के संदर्भ में रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के ऋण की धारणीयता का आकलन करता है। **तालिका 2.26** में 2019-20 से 2023-24 तक पांच वर्षों की अवधि के लिए इन संकेतकों के अनुसार रा.रा.क्षे.दि.स. की ऋण धारणीयता का विश्लेषण करती है।

तालिका 2.26: ऋण धारणीयता: संकेतक और प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	ऋण धारणीयता संकेतक	वर्ष 1 (2019-20)	वर्ष 2 (2020-21)	वर्ष 3 (2021-22)	वर्ष 4 (2022-23)	वर्ष 5 (2023-24)
1	समग्र देयता या समग्र ऋण, जिनमें से###	**34,766.84**	**41,001.67**	**41,786.18**	**40,322.24**	**35,328.55**
1क	ब्याज रहित ऋण (आरक्षित निधि और जमा)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1ख	समग्र देयता या समग्र ऋण ('ब्याज रहित ऋण' को छोड़कर)@	**34,766.84**	**41,001.67**	**41,786.18**	**40,322.24**	**35,328.55**
2	समग्र ऋण की वृद्धि दर (*प्रतिशत*)	5.96	17.93	1.91	-3.50	-12.38
3	स.रा.घ.उ. (नॉमिनल रूप में) (₹ लाख करोड़ में)	7.93	7.44	8.81	10.15	11.08
4	**नॉमिनल स.रा.घ.उ. वृद्धि (*प्रतिशत*)**	**7.38**	**-6.13**	**18.41**	**15.13**	**9.17**
5	**कुल ऋण/स.रा.घ.उ. (*प्रतिशत*)**	**4.38**	**5.51**	**4.74**	**3.97**	**3.19**
6	सभी प्रकार के ऋणों की परिपक्वता प्रोफ़ाइल (लोक लेखा के अंतर्गत देयताओं सहित, यदि कोई हो)					
6क	0-2 वर्ष	रा.रा.क्षे.दि.स. के वित्त लेखाओं में परिपक्वता प्रोफ़ाइल उपलब्ध नहीं है और वित्त विभाग द्वारा प्रस्तुत जानकारी के आधार पर 2022-23 और 2023-24 के लिए एसएफएआर में शामिल किया जा रहा है।			9,908	9,556
6ख	2-5 वर्ष				12,980	12,231
6ग	5-10 वर्ष				12,354	8,906
6घ	10 वर्षों से अधिक				1,449	1,004
7	सकल ऋण (क्रमांक सं. 1 पर समग्र ऋण के लिए जिम्मेदार मदों के अनुरूप)###	4,765.60	9,500.00	4,999.67	3,251.22	0.00
8	ऋणों का पुनर्भुगतान (मूलधन और ब्याज भुगतान सहित समग्र ऋण के लिए जिम्मेदार मदों के अनुरूप)	2,811.10	3,265.17	4,215.16	4,715.16	4,993.69
9	सकल ऋण का पुनर्भुगतान (*प्रतिशत*) (8/7*100)	59.0	34.4	84.3	145.0	अनिर्धारित क्योंकि वर्ष में उधार शून्य थे
10	निवल ऋण$ सकल ऋण के *प्रतिशत* के रूप में उपलब्ध है	41.0	65.6	15.70	-45.0	
11	समग्र ऋण पर ब्याज भुगतान	2,751.87	2,873.83	3,274.24	3,266.36	3,094.31
12	**समग्र ऋण पर प्रभावी ब्याज की दर (*प्रतिशत*)##**	**8.14**	**7.59**	**7.91**	**7.96**	**8.18**
13	राजस्व प्राप्तियां (आरआर)	47,136	41,864	49,313	62,703	56,798
14	राजस्व व्यय (रा.व्य.)	39,637	40,414	46,043	48,246	50,336
15	राजस्व प्राप्तियों के लिए ब्याज भुगतान (*प्रतिशत*)	5.8	6.9	6.6	5.2	5.4

क्रम. सं.	ऋण धारणीयता संकेतक	वर्ष 1 (2019-20)	वर्ष 2 (2020-21)	वर्ष 3 (2021-22)	वर्ष 4 (2022-23)	वर्ष 5 (2023-24)
16	**प्राथमिक राजस्व शेष (पीआरबी) (13-14+11)@@**	**10,251**	**4,324**	**6,544**	**17,723**	**9,556**
17	**राजकोषीय शेष**	**-416**	**-6,708**	**-7,021**	**4,566**	**-3,934**
18	**प्राथमिक शेष (पीबी) (17+11)#**	**2,336**	**-3,834**	**-3,747**	**7,832**	**-840**
19	**पीबी/स.रा.घ.उ. (*प्रतिशत*)**	**0.29**	**-0.52**	**-0.43**	**0.77**	**-0.08**
20	वितरित बकाया ऋण और अग्रिम	67,014	70,473	72,454	74,280	77,821
21	संवितरित बकाया ऋण और अग्रिमों पर ब्याज प्राप्तियां	404	468	336	46	339
22	निवेश पर प्रतिफल (आरओआई) $	0.61	0.68	0.47	0.06	0.45
23	समग्र देयता पर प्रभावी ब्याज की दर और आरओआई के बीच अंतर	-7.53	-6.91	-7.44	-7.89	-7.73
24.	चलनिधि प्रबंधन (आरबीआई के पास उपलब्ध वित्तीय साधनों का उपयोग) (अवसरों की संख्या में)					
25	**ब्याज़/दर स्प्रेड***	**-0.76**	**-13.72**	**10.51**	**7.17**	**0.99**
26	**क्वांटम स्प्रेड****	**-264**	**-5,625**	**4,390**	**2,893**	**350**
27	**ऋण स्थिरीकरण (क्वांटम स्प्रेड + प्राथमिक शेष)**	**2,072**	**-9,459**	**643**	**10,725**	**-490**
28	**डोमर मानदंड**					
क	स.रा.घ.उ. (स्थिर शर्तों में) (₹ लाख करोड़ में)	5.86	5.34	5.80	6.26	6.72
ख	**वास्तविक विकास (स्थिर शर्तों में)**	**3.69**	**-8.96**	**8.76**	**7.85**	**7.39**
ग	**सीपीआई पर आधारित मुद्रास्फीति (*प्रतिशत*)**	**3.74**	**3.03**	**5.97**	**4.00**	**2.55**
घ	**क्र.सं. 12 के अनुसार समग्र ऋण पर ब्याज की प्रभावी दर**	**8.14**	**7.59**	**7.91**	**7.96**	**8.18**
ड.	**वास्तविक प्रभावी ब्याज दर (प्रभावी ब्याज दर-मुद्रास्फीति) (28.घ -28.ग)**	**4.40**	**4.56**	**1.94**	**3.96**	**5.63**
च	**वृद्धि ब्याज अंतर (जीआईडी) (वास्तविक वृद्धि-वास्तविक प्रभावी ब्याज दर) (28.ख-28.ड.)**	**-0.72**	**-13.52**	**6.82**	**3.90**	**1.76**

@ समग्र देयताओं या समग्र ऋण में सार्वजनिक ऋण (अर्थोपाय और साधन अग्रिम सहित) और सार्वजनिक खाता देयता सहित अन्य देनदारियां (ब्याज और गैर-ब्याज वाले आरक्षित निधि और जमा सहित) शामिल हैं।

@@ पीआरबी: राजस्व प्राप्तियां - राजस्व व्यय (ब्याज भुगतान का निवल), जहां (-) पीबी का तात्पर्य प्राथमिक घाटा और इसके विपरीत है।

#पीबीः कुल प्राप्तियां (ऋणों का निवल)-कुल व्यय (ब्याज भुगतानों का निवल), जहां (-) पीबी का तात्पर्य प्राथमिक घाटा और इसके विपरीत है।

प्रभावी ब्याज दर: पिछले और चालू वित्त वर्ष के ब्याज भुगतान/औसत बकाया ऋण। इसकी गणना गैर-ब्याज वाले आरक्षित निधि और जमा राशियों को छोड़कर की जा सकती है।

जीएसटी मुआवजे के बदले 2020-21 और 2021-22 के दौरान भारत सरकार से प्राप्त ₹ 5,865 करोड़ और ₹ 6,193 करोड़ के बैक टू बैक ऋण शामिल नहीं हैं, जिसमें राज्य के लिए कोई पुनर्भुगतान दायित्व नहीं है।

* ब्याज/दर प्रसार: स.रा.घ.उ. नॉमिनल वृद्धि - समग्र ऋण पर ब्याज की प्रभावी दर।

** क्वांटम स्प्रेड: ब्याज स्प्रेड x ऋण

$निवल ऋण (एनएल): बकाया ऋण और अग्रिम वितरित (ऋण और अग्रिम संवितरित - निवल वसूली)।

$$ प्रभावी ब्याज प्राप्तियां (आरओआई): ब्याज प्राप्तियां/औसत बकाया ऋण और पिछले और चालू वित्त वर्ष के वितरित अग्रिम

उपर्युक्त **तालिका 2.26** से निम्नलिखित बातें सामने आती हैं:

(i) वर्ष 2022-23 में सार्वजनिक ऋण प्राप्तियों का पूरा अनुपात उधारों के पुनर्भुगतान के लिए उपयोग किया गया था, जबकि 2019-20 से 2021-22 के दौरान पुनर्भुगतान 34 *प्रतिशत* से 84 *प्रतिशत* तक था। शून्य ऋण प्राप्तियों के कारण 2023-24 के दौरान उक्त अनुपात अपरिभाषित है।

(ii) स.रा.घ.उ. के सापेक्ष समग्र देनदारियों[17] द्वारा मापा गया केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) दिल्ली का औसत ऋण भार 2019-2024 के दौरान लगभग 4.4 *प्रतिशत* रहा। पिछले वर्ष की तुलना में 2019-20 में मामूली गिरावट की तुलना में, इसमें 2020-21 में 1 *प्रतिशत* से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई, जो 2019-20 के 4.4 *प्रतिशत* से बढ़कर 2020-21 में 5.5 *प्रतिशत* हो गई। महामारी के प्रभाव को देखते हुए, राजकोषीय गिरावट ने उधार लेने की आवश्यकताओं को बढ़ा दिया, जैसा कि राजकोषीय घाटा अनुपात 2019-20 के 0.05 *प्रतिशत* से बढ़कर 2020-21 में 0.90 *प्रतिशत* हो गया, जिससे केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का ऋण 2020-21 में छह वर्ष के उच्च स्तर 5.5 *प्रतिशत* पर पहुंच गया। महामारी के प्रभाव से उबरने के साथ, बेहतर राजकोषीय स्थिति ने केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को उधार पर अपनी निर्भरता कम करने में सहायता की, जैसा कि राजकोषीय घाटा - स.रा.घ.उ. अनुपात में देखा गया, जो महामारी के बाद के वर्षों में लगातार कम हुआ (2022-23 में उत्पन्न सकारात्मक समग्र संतुलन सहित)। गिरावट के प्रक्षेपवक्र के बाद, स.रा.घ.उ. के सापेक्ष दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश का ऋण भार 2020-21 के 5.5 *प्रतिशत* से बढ़कर 2021-22 में 4.7 *प्रतिशत*, 2022-23 में 4.0 *प्रतिशत* और 2023-24 में 3.2 *प्रतिशत* हो गया।

(iii) 2019-2024 की अवधि के दौरान संचित ऋण भार में वृद्धि ब्याज अंतर (जीआईडी) और प्राथमिक शेष के योगदान का विघटन करने से पता चलता है कि प्रतिकूल जीआईडी की तुलना में सकारात्मक बने रहने वाले औसत प्राथमिक शेष ने ऋण-स.रा.घ.उ. को 2021-22 से लगातार गिरावट दर्ज करने में सहायता की। वर्ष-वार विश्लेषण से पता चलता है कि प्रतिकूल

[17] जैसा कि सार्वजनिक ऋण (केंद्र से ऋण और अग्रिम) द्वारा मापा जाता है, चूंकि संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली का अपना अलग सार्वजनिक खाता नहीं है, केवल केंद्र सरकार के सार्वजनिक खाते के साथ विलय कर दिया गया है।

विकास ब्याज अंतर (जीआईडी) के विपरीत, 2019-20 में प्राथमिक शेष रहा, जिससे ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात में गिरावट आई। बिगड़ती जीआईडी और प्राथमिक शेष जो ऋणात्मक हो गया, ने ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात को 2020-21 में 6 वर्ष के उच्च स्तर पर पहुंचने दिया। जबकि लगातार अनुकूल जीआईडी और प्राथमिक शेष जो धनात्मक हो गया, ने 2022-23 में ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात में गिरावट में योगदान दिया, जीआईडी जो ऋणात्मक प्राथमिक शेष के विपरीत अनुकूल रहा, वह 2021-22 और 2023-24 में ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात में गिरावट का कारण बना।

(iv) डोमर मापदंड से पता चलता है कि 2019-24 के दौरान जीआईडी ऋणात्मक रही क्योंकि औसत वास्तविक ब्याज दर (4.10 *प्रतिशत*) औसत वास्तविक वृद्धि (3.75 *प्रतिशत*) से आगे निकल गई, जिसका अर्थ है कि आर्थिक विकास उधार लेने की लागत को कवर करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं रहा। आधार प्रभाव के कारण 2021-22 में महत्वपूर्ण आर्थिक सुधार के बाद, आर्थिक विकास में लगातार मंदी के साथ-साथ उधार लेने की वास्तविक लागत में लगातार वृद्धि ने जीआईडी को उसके बाद गिरावट का रुख देखने के लिए विवश किया।

(v) जीआईडी (वास्तविक रूप में) जो 2021-22 में आधार प्रभाव के कारण महत्वपूर्ण आर्थिक सुधार को देखते हुए अनुकूल हो गई, आर्थिक विकास में देखी गई मंदी और उधार लेने की लागत में लगातार वृद्धि के बावजूद यह 2022-2024 के दौरान अनुकूल बनी रही। यह वास्तविक विकास का कारण हो सकती है जो उसी अवधि के दौरान वास्तविक ब्याज दर से अधिक थी। तथापि, शेष वर्षों की तुलना में 2019-20 और 2020-21 के दौरान ऋणात्मक क्षेत्र में जीआईडी के उच्च भार को देखते हुए, 2019-2024 के लिए औसत जीआईडी ऋणात्मक रही। औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति जो 3.86 *प्रतिशत* थी, आरबीआई द्वारा निर्धारित बैंडविड्थ (2-6 *प्रतिशत*) के भीतर रही।

(vi) 2019-2024 के लिए केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के औसत स्वयं कर स.रा.घ.उ. अनुपात (7.22 *प्रतिशत*) और स्वयं गैर-कर स.रा.घ.उ. अनुपात (4.70 *प्रतिशत*) की तुलना में, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का औसत कर-

स.रा.घ.उ. अनुपात (4.52 *प्रतिशत*) और औसत स्वयं गैर-कर-स.रा.घ.उ. अनुपात (0.10 *प्रतिशत*) काफी कम है और लगभग क्रमशः 5 *प्रतिशत* और 0.15 *प्रतिशत* से नीचे स्थिर रहा, जिसका अर्थ है कि पिछले 5 वर्षों के दौरान केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली द्वारा कोई प्रभावी अतिरिक्त संसाधन नहीं जुटाया गया है। इसलिए, भौतिक और मानव पूंजी निर्माण में निरंतर निवेश व्यय के लिए अधिक संसाधन उपलब्ध कराने और संभावित विकास को गति देने तथा प्राप्त करने के लिए, दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र को अतिरिक्त संसाधन जुटाने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। अतिरिक्त कर संसाधन मुख्य रूप से बेहतर कर संग्रह से आने चाहिए, साथ ही अनुपालन बढ़ाने के लिए प्रवर्तन को मजबूत करना चाहिए, साथ ही गैर-कर राजस्व बढ़ाने के लिए अन्य उपाय करने चाहिए। निरंतर और स्थिर विकास उपायों के साथ-साथ अतिरिक्त संसाधन जुटाने से स्वयं कर-स.रा.घ.उ. अनुपात और स्वयं-गैर-कर-स.रा.घ.उ. अनुपात में वृद्धि होती है। यह बदले में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को समग्र संतुलन में सुधार करने, ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात में गिरावट की प्रवृत्ति को बनाए रखने और मध्यम और दीर्घ अवधि में अपने ऋण पोर्टफोलियो को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने में सक्षम करेगा।

2.7 निष्कर्ष

तालिका 2.27 में कुछ धनात्मक सूचकों तथा कड़ी निगरानी की आवश्यकता वाले संकेतकों का आशुचित्र दिया गया है।

तालिका 2.27: मुख्य मापदंड

धनात्मक संकेतक	कड़ी निगरानी आवश्यक मापदंड
- गैर-कर प्राप्तियां 76.25 *प्रतिशत* बढ़ी। - स्वयं कर प्राप्तियां 13.34 *प्रतिशत* बढ़ी। - सार्वजनिक ऋण का पुनर्भुगतान 5.92 *प्रतिशत* बढ़ा।	• राजस्व प्राप्तियां 9.42 *प्रतिशत* घटी। • ऋणों और अग्रिमों का संवितरण 18 *प्रतिशत* बढ़ा। • ऋणों और अग्रिमों की वसूली 92.21 *प्रतिशत* घटी। • पूंजीगत व्यय 15 *प्रतिशत* घटा। • डोमर गैप का तेजी से संकुचन। • सब्सिडी पर गैर-उत्पादक व्यय में वृद्धि।

अध्याय-3

बजटीय प्रबंधन

अध्याय-3

बजटीय प्रबंधन

3.1 बजट प्रक्रिया

रा.रा.क्षे.दि.स. अधिनियम, 1991 की धारा 27 के अनुसार, उपराज्यपाल प्रत्येक वित्त वर्ष के संबंध में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दि.स.) की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण विधान सभा के समक्ष रखवाएंगे।

वर्ष 2023-24 के दौरान, रा.रा.क्षे.दि.स. ने 15 अनुदान/विनियोग प्रशासित किए। व्यय का अनुमान व्यय के 'प्रभारित' और 'दत्तमत' मदों को अलग-अलग दर्शाता है तथा राजस्व लेखे पर व्यय को अन्य व्यय से अलग करता है। रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा कोई भी व्यय करने से पहले विधायी प्राधिकार आवश्यक है।

बजट बनाने की वार्षिक प्रक्रिया सार्वजनिक संसाधनों के कुशल उपयोग के लिए रोडमैप का विवरण देने का एक साधन है। सामान्यतः प्रत्येक वर्ष अगस्त में बजट परिपत्र जारी करने के साथ बजट प्रक्रिया शुरू होती है, जो विभिन्न विभागों को अगले वित्त वर्ष के लिए अपने अनुमान तैयार करने में मार्गदर्शन प्रदान करता है। रा.रा.क्षे.दि.स. में बजट तैयार करने की सामान्य प्रक्रिया **चार्ट 3.1** में दी गई है:

चार्ट 3.1: बजट तैयार करने की प्रक्रिया का फ्लो चार्ट

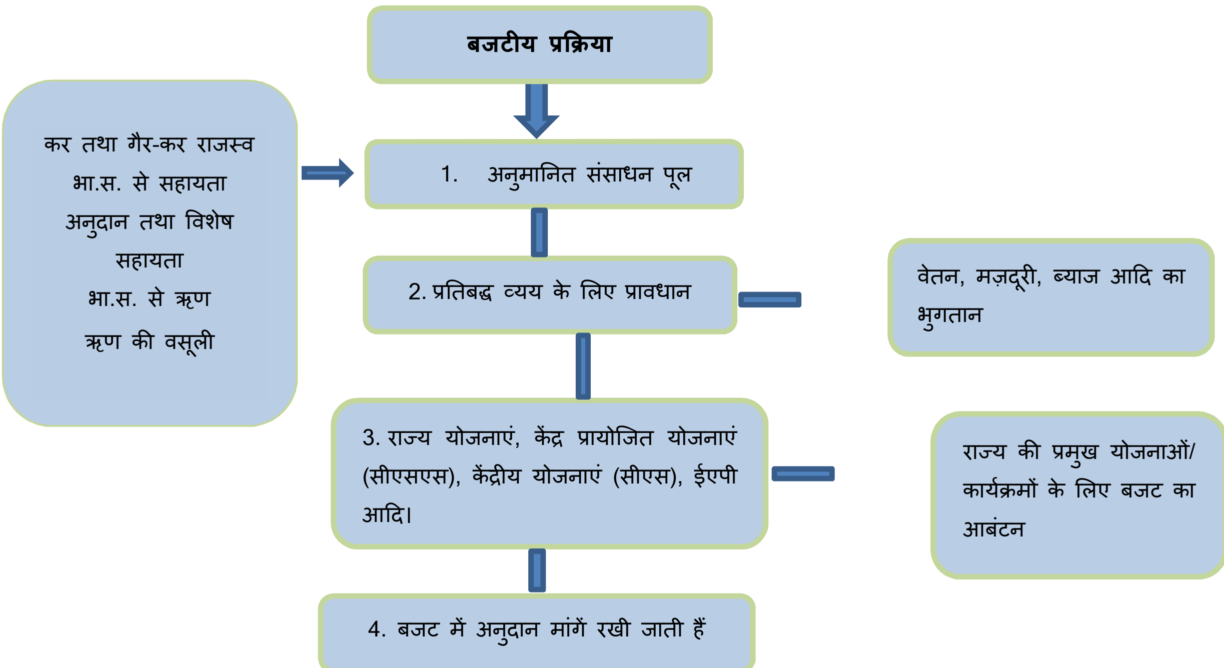

वित्त वर्ष 2023-24 के बजट के विभिन्न घटकों को **चार्ट 3.2** में दर्शाया गया है।

चार्ट 3.2: वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बजट कार्यान्वयन का फ्लो चार्ट

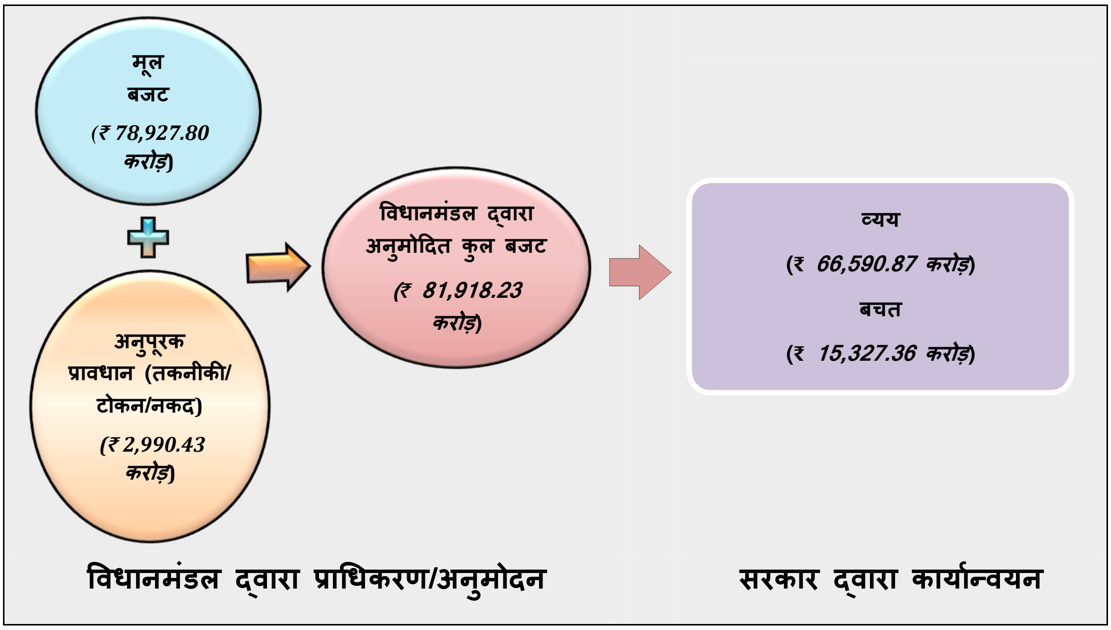

स्रोत: वर्ष 2023-24 के लिए विनियोग लेखे

इस प्रकार, विधानमंडल द्वारा अधिकृत बजट का 18.71 *प्रतिशत* रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा खर्च नहीं किया जा सका।

3.1.1 वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान कुल प्रावधान, वास्तविक संवितरण और बचत का संक्षिप्त विवरण

वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कुल बजट प्रावधान, संवितरण और बचत/आधिक्य की संक्षिप्त स्थिति **तालिका 3.1** में दी गई है:

तालिका 3.1: 2019-20 से 2023-24 के दौरान संवितरण और बचत/आधिक्य

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रावधान		संवितरण		बचत/आधिक्य	
	दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत *(प्रतिशत में)*	प्रभारित *(प्रतिशत में)*
2019-20	57,305.74	6,874.94	45,632.91	5,877.12	11,672.83 *(20.37)*	997.82 *(14.51)*
2020-21	58,932.64	6,959.23	46,442.27	6,453.49	12,490.37 *(21.19)*	505.74 *(7.27)*
2021-22	63,998.48	8,082.60	53,660.30	7,881.70	10,338.18 *(16.15)*	200.90 *(2.49)*
2022-23	70,566.96	8,561.32	56,519.08	8,493.49	14,047.88 *(19.91)*	67.83 *(0.79)*
2023-24	73,016.31	8,901.92	57,834.91	8,755.96	15,181.40 *(20.79)*	145.96 *(1.64)*

रा.रा.क्षे.दि.स. ने अपनी गतिविधियों/योजनाओं पर व्यय करने के लिए ₹ 81,918.23 करोड़ की परिकल्पना की थी, जिसके प्रति निवल संवितरण/व्यय ₹ 65,823.87 करोड़[1] था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 16,094.36 करोड़ की बचत हुई। इसके अतिरिक्त, संवितरण/व्यय ₹ 56,896.04 करोड़ की कुल प्राप्तियों के लगभग बराबर रहा, जो स्वीकृत बजट का लगभग 70 *प्रतिशत* था। वास्तविक आवश्यकता से अधिक व्यय का अनुमान लगाना अपर्याप्त बजटीय प्रक्रिया का सूचक था। पांच वर्ष की अवधि (2019-24) में कुल प्राप्तियों और कुल व्यय की तुलना में बजट के उपयोग की प्रवृत्ति निम्नानुसार है:

तालिका 3.2: कुल प्राप्तियों और कुल व्यय की तुलना में बजट उपयोग की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट	निवल व्यय	प्राप्ति	कुल बजट में निवल व्यय[2] की प्रतिशतता	कुल बजट में प्राप्ति की प्रतिशतता
2019-20	64,180.68	51,186.25	52,724.06	79.75	82.15
2020-21	65,891.87	52,468.04	57,860.08	79.63	87.81
2021-22	72,081.08	61,172.34	61,128.44	85.00	85.00
2022-23	79,128.28	64,110.34	67,211.72	81.02	84.94
2023-24	81,918.23	65,823.87	56,896.04	80.35	69.45

3.2 विनियोग लेखे

विनियोग लेखे भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 और 205 के अंतर्गत पारित विनियोग अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूचियों में निर्दिष्ट विभिन्न उद्देश्यों के लिए अनुदान (दत्तमत और प्रभारित) की राशियों की तुलना में प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए सरकार के व्यय के लेखे हैं। विनियोग लेखे ***सकल आधार*** पर होते हैं। ये लेखे मूल बजट प्रावधान, अनुपूरक अनुदान, अभ्यर्पित राशियों और पुनर्विनियोग को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं तथा बजट की प्रभारित और दत्तमत दोनों मदों के संबंध में विनियोग अधिनियम द्वारा अधिकृत सेवाओं की तुलना में विभिन्न निर्दिष्ट सेवाओं पर वास्तविक पूंजीगत और राजस्व व्यय को दर्शाते हैं। इस प्रकार, विनियोग लेखे निधियों के उपयोग, वित्त के प्रबंधन और बजटीय प्रावधानों की निगरानी को समझने में मदद करते हैं और इसलिए, वित्त लेखाओं के पूरक होते हैं।

1 ₹ 66,590.87 करोड़ - ₹ 767.00 करोड़ (वसूलियां)

2 सार्वजनिक ऋण की चुकौती शामिल हैं

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोग लेखाओं की लेखापरीक्षा यह पता लगाने का प्रयास करती है कि विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत वास्तव में किए गए व्यय विनियोग अधिनियम के अंतर्गत दिए गए प्राधिकार के अंतर्गत हैं या नहीं। यह, यह भी सुनिश्चित करती है कि किया गया व्यय कानून, संगत नियमों, विनियमों और निर्देशों के अनुरूप है या नहीं। इस अध्याय में वर्ष 2023-24 के लिए लेखा नियंत्रक, रा.रा.क्षे.दि.स. के द्वारा तैयार किए गए विनियोग लेखाओं के संबंध में लेखापरीक्षा टिप्पणियां शामिल हैं।

3.2.1 बजट लक्ष्यप्राप्ति

कुल बजट आउटटर्न

कुल बजट आउटटर्न उस सीमा को मापता है जिस सीमा तक कुल बजट व्यय आउटटर्न/वास्तविक व्यय अनुमोदित से कम और अनुमोदित से अधिक दोनों स्थितियों में मूल अनुमोदित राशि को दर्शाता है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	मूल स्वीकृत बजट (ब.अ.)	वास्तविक आउटटर्न	वास्तविक और ब.अ. के बीच अंतर
राजस्व	57,111.11	51,093.88	6,017.23
पूंजीगत	21,816.69	15,496.99	6,319.70
कुल	**78,927.80**	**66,590.87**	**12,336.93**

राजस्व खंड में, ब.अ. की तुलना में आउटटर्न में कुल विचलन (-) 10.54 *प्रतिशत* था। यह नौ अनुदानों में (-) 22.68 से 25 *प्रतिशत*, तीन अनुदानों में +25 *प्रतिशत* से 50 *प्रतिशत* और एक अनुदान में +50 से 100 *प्रतिशत* तक विचलन के कारण था। तथापि, दो अनुदानों के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया था **(परिशिष्ट 3.1)**।

पूंजीगत खंड में, ब.अ. की तुलना में वास्तविक व्यय में कुल विचलन (-) 28.97 *प्रतिशत* था। यह एक अनुदान में 0 से 25 *प्रतिशत*, तीन अनुदानों में +25 *प्रतिशत* से 50 *प्रतिशत*, नौ अनुदानों में +50 से 100 *प्रतिशत* तक विचलन के कारण था। तथापि, पूंजीगत खंड में दो अनुदानों के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया था **(परिशिष्ट 3.2)**।

व्यय संरचना आउटटर्न

व्यय संरचना आउटटर्न यह मापता है कि निष्पादन के दौरान मुख्य बजट श्रेणियों के बीच पुनःआबंटन ने व्यय संरचना में किस हद तक भिन्नता में योगदान दिया है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	मूल अनुमोदित बजट (ब.अ.)	स्वीकृत बजट (एसबी) (ओ+एस)	वास्तविक आउटटर्न	ब.अ. और एसबी के बीच अंतर	वास्तविक और एसबी* के बीच अंतर
राजस्व	57,111.11	58,755.52	51,093.88	1,644.41	(-)7,661.64
पूंजीगत	21,816.69	23,162.71	15,496.99	1,346.02	(-)7,665.72
कुल	**78,927.80**	**81,918.23**	**66,590.87**	**2,990.43**	**(-)15,327.36**

** संशोधित अनुमान के प्रति वास्तविक के आधिक्य को (+) अंक से दर्शाया गया है तथा मूल प्रावधान के प्रति वास्तविक की कमी को (-) अंक से दर्शाया गया है।*

राजस्व खंड में, स्वीकृत बजट की तुलना में आउटटर्न में कुल विचलन (-) 13.04 *प्रतिशत* था। यह नौ अनुदानों में (-) 22.68 से 25 *प्रतिशत* तक, दो अनुदानों में +25 *प्रतिशत* से 50 *प्रतिशत* तक और दो अनुदानों में +50 से 100 *प्रतिशत* तक विचलन के कारण था। तथापि, दो अनुदानों के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया था **(परिशिष्ट 3.1)**।

पूंजीगत खंड में, स्वीकृत बजट की तुलना में आउटटर्न में कुल विचलन (-) 33.10 *प्रतिशत* था। यह दो अनुदानों में 0 से 25 *प्रतिशत* तक, दो अनुदानों में +25 *प्रतिशत* से 50 *प्रतिशत* तक तथा नौ अनुदानों में +50 से 100 *प्रतिशत* तक के विचलन के कारण था। तथापि, पूंजीगत खंड में, दो अनुदानों के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया था **(परिशिष्ट 3.2)**।

3.3 बजटीय एवं लेखांकन प्रक्रिया की प्रामाणिकता

संक्षिप्त ब्योरा

सभी अनुदानों में ₹ 100 करोड़ से अधिक की बचत के कुल 25 मामलों में से, 20 मामलों की जांच विभागीय अभिलेखों के आधार पर की गई और इन में से 14 मामलों के संबंध में बचत के कारण एक जैसे पाए गए। शेष छः मामलों में, बचत के कारणों में भिन्नता पाई गई, जैसा कि **परिशिष्ट 3.3** में बताया गया है।

इसके अतिरिक्त, अनुदान संख्या 8-समाज कल्याण को पिछले तीन वर्षों की प्रवृत्ति की समीक्षा हेतु विस्तृत जांच के लिए चुना गया था। इस अनुदान के अंतर्गत, अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोग, लगातार बचत और व्यय की अधिकता के कारणों की भी विभागीय अभिलेखों के संदर्भ में जांच की गई और एक जैसे पाए गए।

3.3.1 अनावश्यक या अधिक अनुपूरक अनुदान

अनुपूरक मांग का सहारा केवल असाधारण और अत्यावश्यक मामलों में ही लिया जाना चाहिए। अनुपूरक अनुदान प्राप्त करते समय, विभाग को वर्ष के दौरान उपलब्ध या उपलब्ध होने की संभावना वाले संसाधनों को ध्यान में रखना होगा और धन की अतिरिक्त बजटीय आवश्यकता का पूर्वानुमान लगाते समय उचित सावधानी बरतनी होगी।

वर्ष 2023-24 के लिए विनियोग लेखाओं की संवीक्षा से पता चला कि आठ मामलों में ₹ 1,625.43 करोड़ के अनुपूरक अनुदान, जैसा कि **परिशिष्ट 3.4** में बताया गया है, उच्चतर/अतिरिक्त व्यय की प्रत्याशा में प्राप्त किए गए थे। तथापि, अंतिम व्यय मूल अनुदान से भी कम था, जिससे अनुपूरक अनुदान का इच्छित उद्देश्य विफल हो गया।

3.3.2 अनावश्यक या अधिक पुनर्विनियोग

पुनर्विनियोग, एक अनुदान के अंतर्गत विनियोग की एक इकाई से, जहां बचत का अनुमान है, दूसरी इकाई में, जहां अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता है, निधियों का अंतरण है।

वर्ष 2023-24 के लिए विनियोग लेखाओं की संवीक्षा से पता चला कि छः अनुदानों में फैले 23 उप-शीर्षों में ₹ 612.16 करोड़ के अनावश्यक पुनर्विनियोग किए गए थे, क्योंकि विभाग अपने मौजूदा अनुदानों (मूल + अनुपूरक) का भी पूरी तरह से उपयोग नहीं कर पाए थे और ₹ 1,227.53 करोड़ की संचयी बचत (प्रत्येक मामले में ₹ 15 करोड़ से अधिक) हुई थी, जो अपर्याप्त बजट प्रक्रिया का सूचक था, जैसा कि **परिशिष्ट 3.5** में बताया गया है।

3.3.3 अव्ययित राशि और अभ्यर्पित विनियोग तथा/या बड़ी बचत/अभ्यर्पण

सामान्य वित्तीय नियमावली, 2017 के नियम 62(2) के अनुसार, बचत के साथ-साथ ऐसे प्रावधान जिनका लाभप्रद रूप से उपयोग नहीं किया जा सकता है, उन्हें वर्ष के अंत तक प्रतीक्षा किए बिना, पूर्वानुमानित होने पर तुरंत अभ्यर्पित कर देना चाहिए। भविष्य में संभावित अतिरिक्त व्यय के लिए कोई बचत आरक्षित करके नहीं रखी जानी चाहिए।

छः अनुदानों **(परिशिष्ट 3.6)** में, ₹ 60,056.56 करोड़ के कुल प्रावधान के प्रति, वास्तविक व्यय ₹ 48,180.20 करोड़ था और बचत ₹ 11,876.36 करोड़ थी (प्रत्येक

मामले में ₹ 500 करोड़ से अधिक)। इसके अतिरिक्त, मूल बजट प्रावधान में से उल्लेखनीय बचत के बावजूद, अनुपूरक प्रावधान प्राप्त किए गए **(परिशिष्ट 3.6)**।

इसके अतिरिक्त, इन अनुदानों को बचत की प्रतिशतता के आधार पर **चार्ट 3.3** में समूहीकृत किया गया है, जिसमें छः अनुदानों (अनुदान संख्या 2, 4, 6, 7, 8 और 11) में ₹ 11,876.36 करोड़ की बचत हुई, जो कुल प्रावधान का 8 से 94 *प्रतिशत* था। तथापि, एक अनुदान (अनुदान संख्या 11) में ₹ 5,146.43 करोड़ (41 *प्रतिशत*) की बचत हुई।

चार्ट 3.3: प्रत्येक समूह में कुल बचत के साथ बचत की प्रतिशतता के आधार पर समूहीकृत अनुदानों/विनियोगों की संख्या

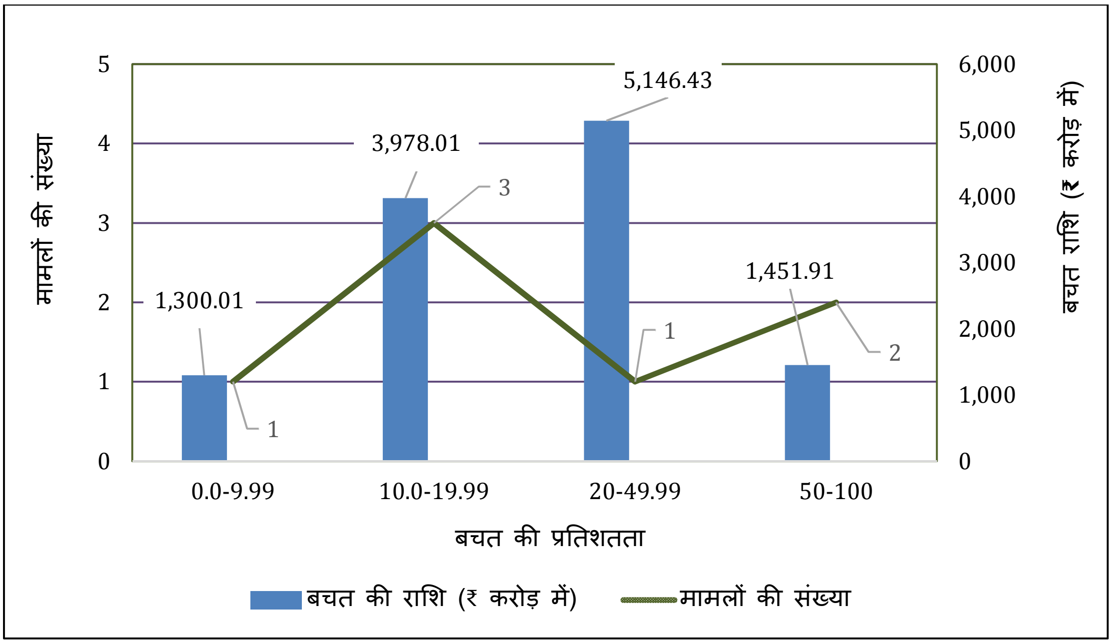

लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि नौ अनुदानों में कुल ₹ 12,969.72 करोड़ की बचत हुई, जिसमें ₹ 6,763.76 करोड़ की राशि अभ्यर्पित कर दी गई और ₹ 6,205.96 करोड़ (प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ से अधिक) की कुल बचत मार्च 2024 के अंत में व्यपगत हो गई, जैसा कि **परिशिष्ट 3.7** में बताया गया है।

पांच वर्ष की अवधि (2019-24) के दौरान, रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा प्रशासित 15 अनुदानों में से 10 के अंतर्गत संबंधित वित्त वर्ष के अंत में ₹ 10 करोड़ से अधिक की बचत व्यपगत हो गई। इसके अतिरिक्त देखा गया कि इन 10 अनुदानों में से आठ में सभी पांच वर्षों में लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे थे **(परिशिष्ट 3.8)**।

3.4 बजटीय एवं लेखांकन प्रक्रिया की प्रभावशीलता पर टिप्पणियां

3.4.1 बजट प्रक्षेपण और अपेक्षा एवं वास्तविक के बीच अंतर

कर प्रशासन/अन्य प्राप्तियों एवं सार्वजनिक व्यय का कुशल प्रबंधन विभिन्न राजकोषीय संकेतकों को प्राप्त करने के लिए संतुलन बनाए रखता है। अवास्तविक प्रस्तावों पर आधारित बजटीय आबंटन, खराब व्यय निगरानी तंत्र, कमज़ोर योजना कार्यान्वयन क्षमता एवं कमज़ोर आंतरिक नियंत्रण विभिन्न विकासात्मक आवश्यकताओं के बीच उप-इष्टतम आबंटन की ओर ले जाते हैं। कुछ विभागों में अत्यधिक बचत अन्य विभागों को उस निधि से वंचित करती है जिसका वे उपयोग कर सकते थे।

मूल/अनुपूरक प्रावधानों की तुलना में वास्तविक व्यय की संक्षिप्त स्थिति नीचे **तालिका 3.3** में दी गई है:

तालिका 3.3: मूल/अनुपूरक प्रावधानों की तुलना में वास्तविक व्यय की संक्षिप्त स्थिति

(₹ करोड़ में)

खंड	व्यय की प्रकृति	मूल अनुदान/ विनियोग	अनुपूरक अनुदान/ विनियोग	कुल	वास्तविक व्यय	बचत(-) आधिक्य (+)	बचत जो 31 मार्च 2024 को व्यपगत हो गई	
							राशि	कुल बचत का *प्रतिशत*
दत्तमत	I. राजस्व	53,431.99	1,623.28	55,055.27	47,479.63	(-)7,575.64	5,373.39	70.93
	II. पूंजीगत	11,636.67	632.10	12,268.77	6,716.00	(-)5,552.77	1,461.48	26.32
	III. ऋण एवं अग्रिम	5,086.92	605.35	5,692.27	3,639.28	(-)2,052.99	1,488.72	72.51
कुल दत्तमत		**70,155.58**	**2,860.73**	**73,016.31**	**57,834.91**	**(-)15,181.40**	**8,323.59**	**54.83**
प्रभारित	I. राजस्व	3,679.12	21.13	3,700.25	3,614.25	(-)86.00	40.20	46.74
	II. पूंजीगत	52.81	108.56	161.37	148.02	(-)13.35	12.60	94.45
	सार्वजनिक ऋण	5,040.29	0.01	5,040.30	4,993.69	(-)46.61	0.01	0.025
	III. ऋण एवं अग्रिम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल प्रभारित		**8,772.22**	**129.70**	**8,901.92**	**8,755.96**	**(-)145.96**	**52.81**	**36.18**
आकस्मिकता निधि का विनियोग (यदि कोई हो)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल योग		**78,927.80**	**2,990.43**	**81,918.23**	**66,590.87**	**15,327.36**	**8,376.40**	**54.65**

स्रोत: विनियोग लेखे

2019-20 से 2023-24 की अवधि के लिए मूल बजट, संशोधित बजट अनुमान तथा वास्तविक व्यय का विवरण **तालिका 3.4** में दिया गया है:

तालिका 3.4: 2019-20 से 2023-24 की अवधि के दौरान मूल बजट, संशोधित अनुमान एवं वास्तविक व्यय

(₹ करोड़ में)

	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
मूल बजट	60,000.00	65,000.00	69,000.00	75,829.94	78,927.80
अनुपूरक बजट	4,180.68	891.87	3,081.08	3,298.34	2,990.43
कुल बजट (टीबी)	64,180.68	65,891.87	72,081.08	79,128.28	81,918.23
संशोधित अनुमान (आरई)	54,800.00	59,000.00	67,000.00	72,500.00	74,900.00
वास्तविक व्यय (एई)	51,510.03	52,895.76	61,542.00	65,012.57	66,590.87
बचत/आधिक्य	12,670.65	12,996.11	10,539.08	14,115.71	15,327.36
मूल प्रावधान के अनुपूरक की प्रतिशतता	6.97	1.37	4.47	4.34	3.79
कुल प्रावधान के बचत/आधिक्य की प्रतिशतता	19.74	19.72	14.62	17.84	18.71
टीबी-आरई	9380.68	6,891.87	5081.08	6,628.28	7,018.23
आरई-एई	3289.97	6,104.24	5458.00	7,487.43	8,309.13
(टीबी-आरई) टीबी की प्रतिशतता के रूप में	14.62	10.46	7.05	8.38	8.58
(आरई-एई) टीबी की प्रतिशतता के रूप में	5.13	9.26	7.57	9.46	10.14

स्रोत: संबंधित वर्षों के बजट एक नज़र में और विनियोग लेखे

जैसा कि उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है, संशोधित अनुमानों की प्रतिशतता के रूप में बचत पिछले तीन वर्षों से लगातार बढ़ रही हैं और 2023-24 के दौरान 10.14 *प्रतिशत* पर अपने अधिकतम स्तर पर पहुंच गईं। इसके अतिरिक्त, कुल प्रावधान की प्रतिशतता के रूप में बचत 18.71 *प्रतिशत* रहीं।

3.4.2 बजट में प्रमुख नीतिगत घोषणाएं और कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए उनका वास्तविक वित्तपोषण

सरकार द्वारा शुरू की गई कई नीतिगत पहलों को योजना के दिशा-निर्देशों/तरीकों को मंजूरी न मिलने, प्रशासनिक स्वीकृति के अभाव में काम शुरू न होने, बजट जारी न होने आदि के कारण आंशिक रूप से या पूरी तरह से क्रियान्वित नहीं किया जा सका। इससे लाभार्थियों को अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाता। ऐसी योजनाओं में बचत से अन्य विभागों को वह धन नहीं मिल पाता जिसका वे उपयोग कर सकते थे।

यह देखा गया कि आठ अनुदानों के अंतर्गत 76 उप-शीर्षों में ₹ 1,270.46 करोड़ (प्रत्येक योजना में ₹ एक करोड़ या उससे अधिक) का संशोधित परिव्यय था, परंतु कोई व्यय नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप योजनाओं का कार्यान्वयन नहीं हो सका, जैसा कि **परिशिष्ट 3.9** में दर्शाया गया है।

संपूर्ण प्रावधान की बचत इस तथ्य की ओर इंगित करती है कि परियोजनाओं/योजनाओं की पर्याप्त संवीक्षा के बाद अनुमान तैयार नहीं किए गए थे। संपूर्ण संशोधित प्रावधान का उपयोग न किए जाने के कारण जो योजनाएं शुरू नहीं हो पाईं, वे थीं - (i) अमृत 2.0 (सीएसएस) के लिए एमसीडी/एनडीएमसी को सहायता अनुदान (₹ 438.24 करोड़) (ii)एमआरटीएस को अन्य अनुदान (₹ 200.00 करोड़) (iii) चंद्रावल डब्ल्यूटीपी जेआईसीए (केंद्रीय हिस्सा) के लिए दिल्ली जल बोर्ड को ऋण (₹ 200.00 करोड़) (iv) डीएमआरटीएस के लिए विदेशी सहायता (जेआईसीए ऋण) पर विदेशी मुद्रा भिन्नता को साझा करने के लिए डीएमआरसी को अनुदान (₹ 100.00 करोड़) (v) खाद्यान्नों की अंतर्राज्यीय आवाजाही के लिए राज्य एजेंसियों को सहायता और एनएफएसए (सीएसएस) के तहत एफपीएस डीलरों का मार्जिन (₹ 49.55 करोड़) (vi) शहरी परिवार कल्याण केंद्र (सीएसएस) (₹ 24.53 करोड़)।

इसके अतिरिक्त, यह पाया गया कि नौ अनुदानों के अंतर्गत 72 उप-शीर्षों में मूल बजट **(परिशिष्ट 3.10)** में ₹ 3,063.31 करोड़ (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ या उससे अधिक) का प्रावधान किया गया। परंतु वित्त वर्ष 2023-24 के लिए संशोधित परिव्यय में उक्त राशि पूरी तरह से वापस ले ली गई।

3.4.3 व्यय की अधिकता

जीएफआर, 2017 के नियम 62(3) में प्रावधान है कि विशेष रूप से वित्त वर्ष के अंतिम महीनों में व्यय की अधिकता को वित्तीय औचित्य का उल्लंघन माना जाता है और इससे बचना चाहिए। वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 24 जनवरी 2020 के दिशा-निर्देशों के अनुसार, वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही और अंतिम महीने यानी मार्च में व्यय को बजट के क्रमशः 25 *प्रतिशत* और 10 *प्रतिशत* तक सीमित किया जाना चाहिए।

यह देखा गया कि 2023-24 के दौरान ₹ 65,823.87 करोड़ के कुल निवल व्यय में से, ₹ 19,155.56 करोड़ (कुल बजट का 23.38 *प्रतिशत*) का व्यय अंतिम तिमाही में हुआ, जबकि ₹ 8,063.27 करोड़ (कुल बजट का 9.84 *प्रतिशत*) का व्यय मार्च, 2024 के महीने के दौरान हुआ।

अंतिम तिमाही के दौरान, विशेषकर मार्च माह के दौरान व्यय की अधिकता, व्यय की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के अलावा वित्तीय नियमों के पालन न होने का संकेत भी देती है।

i) उप-शीर्ष जहां संपूर्ण व्यय मार्च 2024 में किया गया

लेखापरीक्षा में पाया गया कि अनुदान सं. 8- समाज कल्याण के अंतर्गत दो उप-शीर्षों में मार्च 2024 में ₹ 294.50 करोड़ का संपूर्ण व्यय किया गया, जैसा कि **तालिका 3.5** में बताया गया है:

तालिका 3.5: शीर्ष जहां संपूर्ण व्यय मार्च 2024 में किया गया

क्रम. सं.	अनुदान सं. और नाम	लेखा शीर्ष (उप-शीर्ष तक)	मार्च के दौरान 100 *प्रतिशत* व्यय (₹ करोड़ में)
1	8-समाज कल्याण	3055.001.90.99.00.33-रियायती पास के लिए डीटीसी को सब्सिडी	50.00
2		7055.001.90.96.00.55 एमआरटीएस के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु अधीनस्थ ऋण	244.50
कुल			**294.50**

स्रोत: प्रधान लेखा कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स.

ii) केवल मार्च में 50 *प्रतिशत* से अधिक व्यय वाले अनुदान

लेखापरीक्षा में पाया गया कि सात अनुदानों के अंतर्गत 22 उप-शीर्षों में ₹ 1,286.17 करोड़ का व्यय मार्च, 2024 में हुआ, जो कुल व्यय का 50.66 से 97.70 *प्रतिशत* तक था जैसा कि **परिशिष्ट 3.11** में दर्शाया गया है।

3.4.4 व्यय एवं प्राप्तियों की मासिक स्थिति

नीचे दिए गए **चार्ट 3.4** से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2023-24 के दौरान रा.रा.क्षे.दि.स. की माहवार प्राप्तियां ₹ 56,896.04 करोड़ की कुल प्राप्तियों का 7.32 *प्रतिशत* (अगस्त 2023) से 9.61 *प्रतिशत* (सितंबर 2023) के बीच रहीं, जबकि रा.रा.क्षे.दि.स. का माहवार व्यय ₹ 65,823.87 करोड़ के निवल व्यय का 5.52 *प्रतिशत* (अप्रैल 2023) से 12.64 *प्रतिशत* (मई 2023) के बीच रहा।

चार्ट 3.4: वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान मासिक प्राप्तियां एवं व्यय

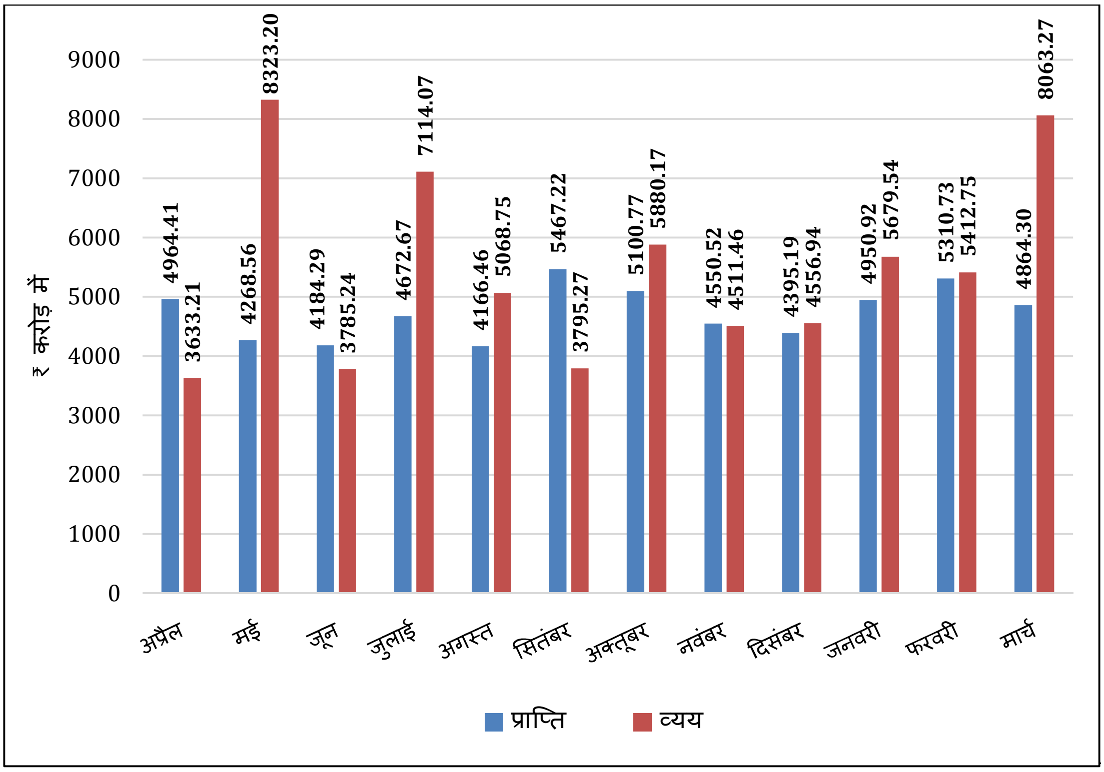

स्रोत: प्रधान लेखा कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स.

3.5 चयनित अनुदान की समीक्षा ("अनुदान संख्या 08-समाज कल्याण")

"अनुदान संख्या 08-समाज कल्याण" के संबंध में बजटीय प्रक्रिया एवं व्यय पर नियंत्रण की समीक्षा की गई, जिसमें मूल अनुदानों, अनुपूरक मांगों एवं वास्तविक व्यय में भिन्नताओं के परिमाण का विश्लेषण किया गया।

क) परिचय

वर्ष 2021-22 से 2023-24 के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दि.स.) के अनुदान संख्या 08-'समाज कल्याण' के संबंध में बजटीय प्रक्रिया और व्यय पर नियंत्रण की समीक्षा की गई ताकि बजट प्रक्रियाओं के अनुपालन, निधियों की निगरानी और अनुदान के भीतर नियंत्रण तंत्र का पता लगाया जा सके। अनुदान में निम्नलिखित लेखा शीर्ष शामिल हैं, अर्थात्, (i) 2225-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण, (ii) 2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण, (iii) 2041-वाहनों पर कर, (iv) 3055-सड़क परिवहन, (v) 3075-अन्य परिवहन सेवाएं, (vi) 3452-पर्यटन और (vii) 4235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय।

ख) बचत

अनुदान संख्या 08-'समाज कल्याण' के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों की बचत की समग्र स्थिति नीचे **चार्ट 3.5** में दी गई है:

चार्ट 3.5: पिछले तीन वर्षों के लिए बचत

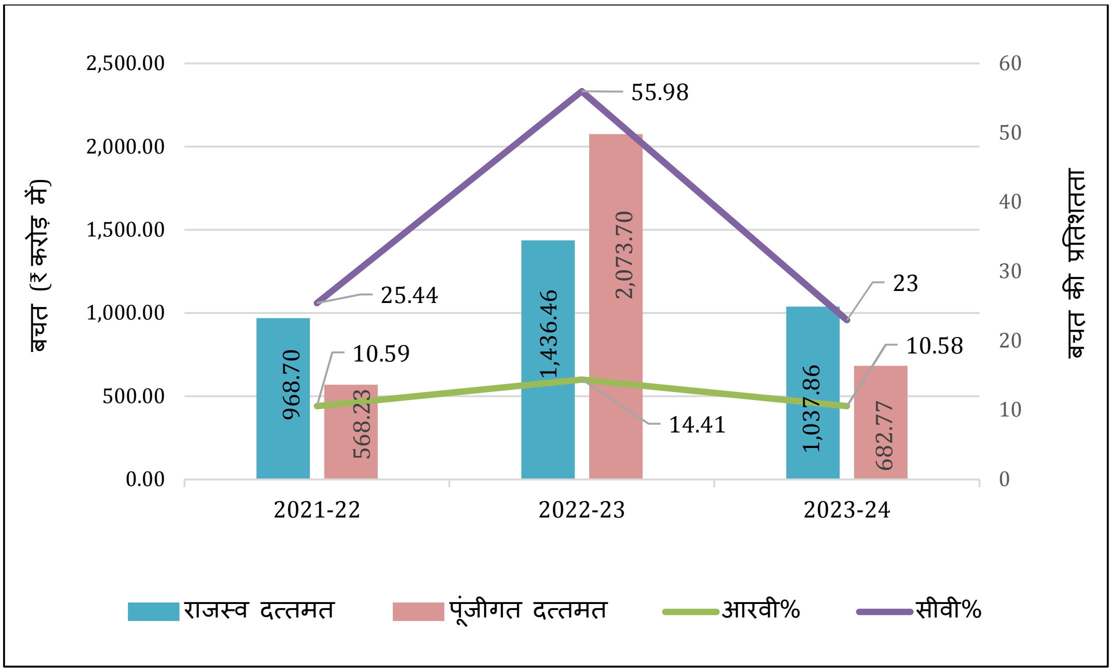

स्रोत: विनियोग लेखे

चार्ट 3.5 पूंजीगत (दत्तमत) के अंतर्गत अप्रयुक्त बजट प्रावधान को 23 *प्रतिशत* (2023-24) से लेकर 55.98 *प्रतिशत* (2022-23) तक दर्शाता है, जो कि रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा संसाधनों का महत्वपूर्ण रूप से कम उपयोग है और विभाग द्वारा निरंतर अपर्याप्त नियोजन का संकेत है। इन वर्षों के दौरान तीन वर्षों के लिए राजस्व (दत्तमत) बचत 10.58 *प्रतिशत* से 14.41 *प्रतिशत* के बीच रही।

ग) बचत का अभ्यर्पण न करना

सामान्य वित्तीय नियमावली 2017 के नियम 62 (2) के अनुसार, बचत के साथ-साथ प्रावधान जिनका लाभप्रद उपयोग नहीं किया जा सकता है, इसका पूर्वानुमान होते ही उन्हें वर्ष के अंत तक प्रतीक्षा किए बिना, तुरंत अभ्यर्पण किया जाना चाहिए। भविष्य में संभावित अतिरिक्त व्यय के लिए कोई बचत आरक्षित नहीं रखनी चाहिए। वर्ष 2021-22 से 2023-24 की अवधि के दौरान अनुदान -08- समाज कल्याण के अंतर्गत बचत और अभ्यर्पण की स्थिति इस प्रकार थी:

तालिका 3.6: अनुदान संख्या 08-समाज कल्याण के अंतर्गत बचत का अभ्यर्पण न करना

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बचत			अभ्यर्पित की गई राशि (प्रतिशतता में)		
	राजस्व (दत्तमत)	राजस्व (प्रभारित)	पूंजीगत (दत्तमत)	राजस्व (दत्तमत)	राजस्व (प्रभारित)	पूंजीगत (दत्तमत)
2021-22	968.70	0.04	568.23	137.63	0	438.75
				(14.20)	(0)	(77.21)
2022-23	1,436.46	0.03	2,073.70	749.71	0	102.96
				(52.19)	(0)	(4.96)
2023-24	1,037.86	3.27	682.77	0.18	0	0.03
				(0.01)	(0)	(0)

स्रोत: विनियोग लेखे

घ) निरंतर बचत

यह देखा गया कि 2021-22 से 2023-24 की अवधि के दौरान अनुदान संख्या 08- समाज कल्याण के अंतर्गत नौ उप-शीर्षों के अंतर्गत बजट आबंटन का एक बड़ा हिस्सा अप्रयुक्त रहा, जो संबंधित वर्षों में अनुमानित वित्तीय परिव्यय की गैर-प्राप्ति को दर्शाता है:

तालिका 3.7: अनुदान संख्या 08-समाज कल्याण के अंतर्गत निरंतर बचत

((₹ करोड़ में (प्रतिशत))

क्र.सं.	लेखा शीर्ष	2021-22	2022-23	2023-24
	राजस्व खंड			
1	22350310198 - इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आईजीएनओएपीएस) (एनएसएपी) (सीएसएस)	11.67	44.5	31.98
		(26.22)	**(100)**	**(70.75)**
शीर्ष-वार विनियोग लेखे के अनुसार कारण: भारत सरकार से सी.एस.एस. निधि की कमी/गैर-प्राप्ति				
2	2235021031298- समर्थ प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना (पीएमएमवीवाई) (राज्य का हिस्सा)	2.89	5.24	17.30
		(11.05)	**(20.29)**	**(96.11)**
शीर्ष-वार विनियोग लेखे के अनुसार कारण: भारत सरकार द्वारा केंद्र के हिस्से का कम आबंटन				
3	22350210466 वरिष्ठ नागरिक पेंशन योजना (वृद्धावस्था सहायता का विस्तार)	1.07	89.80	43.10
		(0.08)	**(6.91)**	**(3.59)**
शीर्ष-वार विनियोग लेखे के अनुसार कारण: मृत्यु और पीएफएमएस रिटर्न अर्थात बैंक द्वारा असंवितरित पेंशन रिटर्न और योजना के भीतर डुप्लिकेट मामलों को रोकना, आईजीएनओएपीएस के तहत रिक्तियों को नहीं खोलना, लाभार्थियों को टॉप-अप राशि का प्रेषण नहीं करना।				
4	2235021021796 पोषण मिशन	12.53	10.76	6.8
		(86.6)	**(60.8)**	**(28.85)**
शीर्ष-वार विनियोग लेखे के अनुसार कारण: भारत सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 की केवल तीन तिमाहियों के लिए धनराशि जारी की गई, इसलिए बचत हुई।				
5	22350210334 विधवाओं को पेंशन	18.08	24.85	11.07
		(2.01)	**(2.42)**	**(1.01)**
शीर्षवार विनियोग लेखे के अनुसार कारण: पी.एफ.एम.एस. पर वर्तमान लाभार्थियों को भुगतान हेतु कार्रवाई न करना, अपर्याप्त बजट, योजना के लिए कम संख्या में लाभार्थियों ने आवेदन किया तथा आधार डीसीडिंग के कारण कुछ सहायता राशि वापस लौट गई।				
6	22350278996 विधवाओं को पेंशन (एससीएसपी)	75.75	72.85	2.23
		(78.9)	**(72.85)**	**(6.56)**

((₹ करोड़ में (प्रतिशत))

क्र.सं.	लेखा शीर्ष	2021-22	2022-23	2023-24
शीर्ष-वार विनियोग लेखे के अनुसार कारण: योजना के लिए कम संख्या में लाभार्थियों ने आवेदन किया तथा आधार डीसीडिंग के कारण कुछ सहायता वापस लौट गई।				
7	22250178975 मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रतिभा योजना (एससीएसपी)	23.00	1.92	3.69
		(70.12)	**(24)**	**(73.80)**
शीर्ष-वार विनियोग लेखे के अनुसार कारण: आवेदनों की कम प्राप्ति, क्योंकि योजना पहली बार शुरू की गई थी, शिक्षा निदेशालय से प्राप्त सत्यापित आवेदनों की संख्या के आधार पर अतिरिक्त मांग उठाई गई।				
8	22250327775 अल्पसंख्यकों/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस के लिए जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना	37.79	4.86	3.81
		(89.98)	**(100)**	**(100)**
शीर्ष-वार विनियोग लेखे के अनुसार कारण: पीएफएमएस के माध्यम से भुगतान की प्रक्रिया प्रगति पर थी, कोविड-19 तथा दिल्ली में प्रदूषण के कारण भौतिक कोचिंग कक्षाओं के संचालन में विभिन्न रुकावटें आई।				
9	20410010100 संग्रहण शुल्क	14.45	4.24	13.98
		(20.57)	**(6.45)**	**(20.68)**
शीर्ष-वार विनियोग लेखे के अनुसार कारण: रिक्तियां, कम दावे/बिल, कम विदेशी दौरे और कम खरीद				

स्रोत: विनियोग लेखे

कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल बजट की प्रतिशतता दर्शाते हैं

ड.) निधियों का अनावश्यक या अत्यधिक पुनर्विनियोग

पुनर्विनियोग, एक अनुदान के अंतर्गत विनियोग की एक इकाई से, जहां बचत का अनुमान है, दूसरी इकाई में, जहां अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता है, निधियों का अंतरण है।

वर्ष 2021-22 से 2023-24 की अवधि के लिए अनुदान संख्या 8-समाज कल्याण के लिए विनियोग लेखाओं की विस्तृत समीक्षा से पता चला कि 36 उप-शीर्षो (**परिशिष्ट 3.12** में बताया गया है) के अंतर्गत पुनर्विनियोग अनावश्यक सिद्ध हुआ, क्योंकि विभाग अपने मूल अनुदानों का पूर्ण उपयोग नहीं कर सके थे।

राजस्व दत्तमत/पूंजीगत दत्तमत खंड के अंतर्गत उप-शीर्ष में अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोग के मामलों का विवरण नीचे दिया गया है:

- संवीक्षा से पता चला कि राजस्व दत्तमत खंड के 14 उप-शीर्षो के अंतर्गत ₹ 13.85 करोड़ (2021-22), 6 उप-शीर्षो के अंतर्गत ₹ 17.57 करोड़ (2022-23) और 15 उप-शीर्षो (2023-24) के अंतर्गत ₹ 263.92 करोड़ का पुनर्विनियोग अनावश्यक सिद्ध हुआ, क्योंकि विभाग अपने मूल अनुदानों का पूर्ण उपयोग नहीं कर सके थे।
- संवीक्षा से पता चला कि पूंजीगत दत्तमत खंड के एक उप-शीर्ष (2022-23) के अंतर्गत ₹ 0.2 करोड़ की राशि का पुनर्विनियोग अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि विभाग अपने मूल अनुदान का पूर्ण उपयोग नहीं कर सका था।

च) संपूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा

पिछले तीन वर्षों 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 के लिए अनुदान संख्या 8 की विस्तृत समीक्षा से पता चला कि विभिन्न उप-शीर्षों में प्रावधान किया गया था, परंतु उक्त अवधि के दौरान आबंटित बजट के प्रति इन उप-शीर्षों के अंतर्गत कोई व्यय नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप इन योजनाओं में किए गए प्रावधान की पूरी राशि की बचत हुई। इन योजनाओं का विवरण **परिशिष्ट 3.13** में दिया गया है। यह भी देखा गया कि ऐसी कई सामान्य योजनाएं थीं जिनमें वर्ष दर वर्ष प्रावधान किया गया था परंतु उक्त अवधि के दौरान कोई व्यय नहीं किया गया था।

छ) व्यय की अधिकता:

जीएफआर और वित्त मंत्रालय के दिशा-निर्देशों में प्रदत्त प्रावधानों के उल्लंघन में, वित्त वर्ष 2021-22 की अंतिम तिमाही में 11 उप-शीर्षों में कुल व्यय का 50 से 100 *प्रतिशत*, वित्त वर्ष 2022-23 की अंतिम तिमाही में तीन उप-शीर्षों में कुल व्यय का 71.34 से 100 *प्रतिशत* और वित्त वर्ष 2023-24 की अंतिम तिमाही में विभागों द्वारा पांच उप-शीर्षों में 51.46 से 100 *प्रतिशत* तक व्यय किया गया, जैसा कि **परिशिष्ट 3.14** में दर्शाया गया है।

2021-22 से 2023-24 की अवधि तक विशेष रूप से मार्च माह के दौरान व्यय की अधिकता उपर्युक्त सभी 19 उप-शीर्षों में 50 *प्रतिशत* से 100 *प्रतिशत* तक रही, जो अंतिम तिमाही के दौरान व्यय की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के अलावा वित्तीय नियमों का पालन न करने का संकेत देती है।

3.6 वाउचर लेखापरीक्षा अनियमितताएं

वाउचरों की लेखापरीक्षा के लिए, सात वेतन एवं लेखा कार्यालयों अर्थात् पीएओ-III, XI, XIV, XV, XX, XXIII, XXV (विस्तृत समीक्षा के लिए चुने गए अनुदान अर्थात अनुदान संख्या 8 समाज कल्याण का संचालन करने वाले) को मौद्रिक इकाई नमूनाकरण के माध्यम से वाउचरों की विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए चुना गया था। चार पीएओ में कोई ठोस अभ्युक्ति नहीं पाई गई और शेष तीन पीएओ में प्रमुख लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां निम्नानुसार हैं:

3.6.1 वेतन एवं लेखा कार्यालय-XI

लेखापरीक्षा के लिए वाउचर प्रस्तुत न करना

लेखापरीक्षा के लिए चयनित कुल 61 वाउचरों में से 23 वाउचर (38 *प्रतिशत*) लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत नहीं किए गए, जैसा कि **परिशिष्ट 3.15** में दर्शाया गया है।

3.6.2 वेतन एवं लेखा कार्यालय-XIV एवं XV

सेवा शुल्क पर जीएसटी का दोहरा भुगतान करने के कारण ₹ 3.57 लाख का अधिक भुगतान हुआ

घरों और संस्थाओं में सुरक्षा गार्ड, वार्ड मेड और सफाई कर्मचारियों जैसे जनशक्ति को काम पर रखने के लिए की गई संविदा (मेसर्स आरडी एक्सीलेंट, मेसर्स सुलभ सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स आर्मर सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड, स्वच्छता मिशन फाउंडेशन, मेसर्स ईगल आई और मेसर्स शिवानी एंटरप्राइज) में विनिर्दिष्ट है कि सेवा शुल्क में जीएसटी शामिल होगा। कर्मचारियों को काम पर रखने संबंधी विभिन्न वाउचर/बिलों की संवीक्षा से पता चला कि विभाग ने इन एजेंसियों को 9 *प्रतिशत* सीजीएसटी और 9 *प्रतिशत* एसजीएसटी सहित भुगतान किया।

इसके परिणामस्वरूप सरकारी खजाने से सेवा प्रदाताओं को सेवा शुल्क पर पीएओ-XIV के संबंध में ₹ 2.29 लाख **(परिशिष्ट 3.16)** और पीएओ-XV के संबंध में ₹ 1.28 लाख **(परिशिष्ट 3.17)** का सीजीएसटी और एसजीएसटी का अधिक भुगतान किया गया।

प्रधान लेखा कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स. ने बताया (फरवरी 2025) कि वेतन एवं लेखा कार्यालय-XIV और XV ने मामले को उठाया था और विक्रेताओं को अधिक राशि जमा करने को कहा था।

3.7 राज्य बजट का केंद्रीय बजट के साथ विश्लेषण

जेंडर बजट, चाइल्ड बजट, आउटकम बजट, मध्यम अवधि विवरण आदि से संबंधित केंद्रीय बजट और रा.रा.क्षे.दि.स. बजट में उनके अंगीकरण के विश्लेषण से निम्नलिखित बातें उजागर हुईं:

i. केंद्र सरकार के जेंडर बजट के विपरीत, रा.रा.क्षे.दि.स. के जेंडर बजट में ऐसी योजनाओं को शामिल नहीं किया गया है, जिसके तहत 30 *प्रतिशत* तक आबंटन महिलाओं को दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, केंद्र में जेंडर बजट को

मांग/अनुदान-वार आबंटित किया गया था, जबकि दिल्ली सरकार ने जेंडर बजट में विभागवार आबंटन किया था।

ii. केंद्रीय बजट के विपरीत, रा.रा.क्षे.दि.स. में कोई अलग चाइल्ड बजट नहीं है और यह महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत जेंडर बजट का एक हिस्सा है।

iii. रा.रा.क्षे.दि.स. के बजट में कोई मध्यम अवधि राजकोषीय नीति विवरण नहीं है, क्योंकि राज्य केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के अंतर्गत शामिल नहीं है।

3.8 सिफारिशें

(i) सरकार को अधिक बचत और अनुपूरक प्रावधानों से बचने के लिए संसाधनों की उपलब्धता और व्यय करने की क्षमता के सही आकलन के साथ यथार्थवादी बजट अनुमान तैयार करना चाहिए;

(ii) सरकार को अनुपूरक प्रावधानों की तैयारी में बजट मैनुअल के प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए और अनावश्यक अनुपूरक प्रावधानों से बचने के लिए अनुमान में पारदर्शिता सुनिश्चित करनी चाहिए;

(iii) सरकार बजटीय अनुमान तैयार करते समय राज्य में प्रमुख नीतिगत निर्णयों के वास्तविक क्रियान्वयन के लिए कार्यनीति तैयार करने पर विचार कर सकती है; तथा

(iv) सरकार को वर्ष के अंत में व्यय की अधिकता से बचने के लिए आवधिक निगरानी के माध्यम से व्यय के लिए निर्धारित तिमाही लक्ष्यों का पालन करना चाहिए और समय पर अभ्यर्पण के माध्यम से बचत का उचित उपयोग सुनिश्चित करना चाहिए।

अध्याय-4

लेखाओं की गुणवत्ता और वित्तीय रिपोर्टिंग पद्धति

अध्याय-4

लेखाओं की गुणवत्ता और वित्तीय रिपोर्टिंग पद्धति

संगत और विश्वसनीय सूचना के साथ एक मज़बूत आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली कुशल और प्रभावी शासन में महत्वपूर्ण योगदान देती है। वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं और निर्देशों के अनुपालन के साथ-साथ इस तरह के अनुपालन की स्थिति पर रिपोर्टिंग की समयबद्धता और गुणवत्ता सुशासन की विशेषताओं में से एक है। अनुपालन एवं नियंत्रणों पर प्रतिवेदन, यदि प्रभावी और परिचालन में हैं, तो सरकार को कार्यनीतिक योजना और निर्णय लेने के साथ-साथ अपने बुनियादी उत्तरदायित्वों को पूरा करने में सहायता करते हैं। इस अध्याय में विभागों द्वारा रा.रा.क्षे.दि.स. के विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं और निर्देशों के अनुपालन पर चर्चा की गई है।

पारदर्शिता से संबंधित मुद्दे

4.1 उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में विलंब

जीएफआर, 2017 के नियम 238 में प्रावधान है कि संबंधित संस्था या संगठन द्वारा वित्त वर्ष की समाप्ति के बारह महीनों के अंदर उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ऐसे प्रमाणपत्र की प्राप्ति की संबंधित मंत्रालय या विभाग द्वारा संवीक्षा की जाएगी। यदि अनुदानग्राही से निर्धारित समय के अंदर ऐसा प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं होता है, तो मंत्रालय या विभाग ऐसी संस्था या संगठन को सरकार से भविष्य में मिलने वाले किसी भी अनुदान, सब्सिडी या अन्य प्रकार की वित्तीय सहायता के लिए काली सूची में डालने के लिए स्वतंत्र होगा।

तथापि, 31 मार्च 2023 तक जारी किए गए अनुदानों के संबंध में अनुदानग्राहियों द्वारा ₹ 3,760.84 करोड़ की कुल राशि के 1,313 उ.प्र. 31 मार्च 2024 तक प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

उ.प्र. जमा न करने का अर्थ है कि यद्यपि व्यय तो हुआ है परंतु अनुदानग्राहियों द्वारा यह नहीं बताया गया है कि निधियां कैसे खर्च की गई थीं। इस बात का भी कोई आश्वासन नहीं है कि इन निधियों को उपलब्ध कराने के इच्छित उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया गया है। यह तब और भी महत्वपूर्ण हो जाता है जब ऐसे उ.प्र. पूंजीगत व्यय के लिए प्रदत्त सहायता अनुदान (स.अ.) के प्रति लंबित हों। चूंकि उ.प्र. जमा न करने से

दुर्विनियोग का जोखिम होता है, अतः यह आवश्यक है कि रा.रा.क्षे.दि.स. को इस पहलू पर बारीकी से निगरानी करनी चाहिए और संबंधित विभागों को समय पर उचित प्रकार से उ.प्र. जमा करने के लिए उत्तरदायी बनाना चाहिए। बकाया उ.प्र. का वर्ष-वार विवरण नीचे **तालिका 4.1** में दिया गया है।

तालिका 4.1: बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्रों का वर्ष-वार विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बकाया उ.प्र. की संख्या	राशि
1993-94 से 2012-13	1,150	409.83
2013-14	27	0.64
2014-15	26	0.32
2015-16	06	26.13
2016-17	06	592.01
2017-18	03	65.49
2018-19	05	443.85
2019-20	02	0.02
2020-21	07	42.84
2021-22	56	278.41
2022-23	25	1,901.30
कुल	**1,313**	**3,760.84**

यह देखा जा सकता है कि ₹ 409.83 करोड़ के 1,150 उ.प्र. (कुल बकाया का 87.60 *प्रतिशत*) 10 वर्षों से अधिक समय से बकाया थे जबकि ₹ 3,351.01 करोड़ के 163 उ.प्र. (12.40 *प्रतिशत*) 2013-14 से 2022-23 तक बकाया थे।

31 मार्च 2023 तक भुगतान किए गए अनुदानों के लिए 10 प्रमुख विभागों के संबंध में बकाया उ.प्र. का विवरण **चार्ट 4.1** में दिया गया है।

चार्ट 4.1: 2022-23 तक भुगतान किए गए अनुदानों के लिए 10 प्रमुख विभागों के बकाया उ.प्र. का विवरण

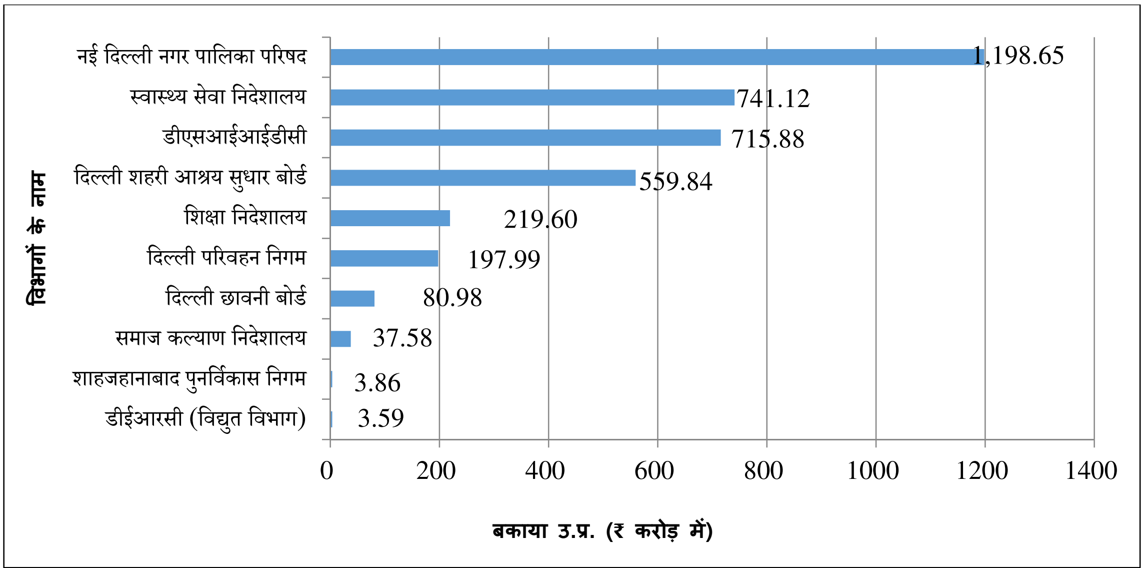

स्रोत: प्रधान लेखा कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स.

नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी), स्वास्थ्य सेवा निदेशालय और दिल्ली राज्य औद्योगिक अवसंरचना निगम (डीएसआईआईडीसी) ने बकाया राशि में क्रमशः ₹ 1,198.65 करोड़ (31.87 *प्रतिशत*), ₹ 741.12 करोड़ (19.71 *प्रतिशत*) और ₹ 715.88 करोड़ (19.04 *प्रतिशत*) का योगदान दिया।

उपर्युक्त **चार्ट 4.1** में दर्शाए गए निकायों को वर्ष 2023-24 के दौरान वितरित सहायता अनुदान निम्नानुसार है:

क्रम सं.	विभाग का नाम	राशि (₹ करोड़ में)
1	दिल्ली परिवहन निगम	2,900.00
2	शिक्षा निदेशालय	2,388.55
3	स्वास्थ्य सेवा निदेशालय	1,352.25
4	दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड	208.78
5	नई दिल्ली नगर पालिका परिषद	190.05
6	विद्युत विभाग (डीईआरसी)	20.82
7	शाहजहानाबाद पुनर्विकास निगम (एसआरडीसी)	11.50
8	दि.रा.औ.अ.वि.नि.	10.29
9	समाज कल्याण निदेशालय	1.40

नोट: 2023-24 के दौरान दिल्ली छावनी बोर्ड को कोई सहायता अनुदान नहीं दिया गया।
स्रोत: विनियोग लेखे

उ.प्र. का लंबे समय तक लंबित रहना प्रशासनिक विभागों में ढीले वित्तीय नियंत्रण का संकेत है। इसके अतिरिक्त, सरकार की ओर से पहले के अनुदानों का उचित उपयोग

सुनिश्चित किए बिना नए अनुदान वितरित करने की प्रवृत्ति इस ढिलाई को बढ़ावा देती है। उ.प्र. के अभाव में, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि प्राप्तकर्ताओं ने अनुदानों का उपयोग उस अभीष्ट उद्देश्य के लिए किया था जिसके लिए उन्हें स्वीकृत किया गया था।

प्रधान लेखा कार्यालय ने कहा (सितंबर 2024) कि इस मामले को संबंधित विभागों को इस अनुरोध के साथ भेज दिया गया है कि जल्द से जल्द जारी किए गए सहायता अनुदान के संबंध में बकाया उ.प्र. की नवीनतम स्थिति की जानकारी दें। संबंधित विभागों के उत्तर फरवरी 2024 तक प्रतीक्षित थे। इसने यह भी कहा कि उसके पास केंद्र प्रायोजित योजनाओं और राज्य योजनाओं के बीच विभाजित बकाया उ.प्र. की स्थिति की जानकारी नहीं है।

रा.रा.क्षे.दि.स. के वित्त लेखाओं में निहित बकाया उ.प्र. से संबंधित तथ्यों और आंकड़ों को सत्यापित करने के लिए, पांच विभागों/संस्थाओं अर्थात विद्युत विभाग, शिक्षा निदेशालय, दिल्ली राज्य औद्योगिक और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड, दिल्ली परिवहन निगम, शाहजहानाबाद पुनर्विकास निगम को विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए चुना गया था।

विभागवार प्रमुख अभियुक्तियां नीचे सारणीबद्ध हैं:

विभाग/संस्थाएं	**बकाया उ.प्र.**		**फॉर्म 12ए में उ.प्र. का प्रारूप (*जीएफआर, 2017 का नियम 238*)**	**ब्याज नहीं भेजा गया (*नियम 230 (8) जी.एफ.आर.*)**
	वित्त लेखे के अनुसार	**विभागीय अभिलेखों के अनुसार**		
डीईआरसी (विद्युत विभाग)	₹ 3.59 करोड़ - 2022-23[1]	• 2022-23 का अव्ययित शेष ₹ 3.59 करोड़ वर्ष 2023-24 के लिए प्राप्त अनुदान के साथ उपयोग किया गया था।	• निर्धारित प्रारूप में बनाए नहीं रखा गया।	₹ 12.29 करोड़
शिक्षा निदेशालय[2] (डीओई)	₹ 219.60 करोड़- 2021-22	• ₹89.98 करोड़[3]	• फॉर्म 12ए के बजाय फॉर्म 19ए में बनाए रखा गया	-
दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (डीएसआईआईडीसी)	• ₹ 344.82 करोड़-2016-17	• 2017-18 के लिए प्राप्त जीआईए के साथ ₹	• फॉर्म 12ए के बजाय फॉर्म 19ए	₹ 109.13 करोड़

[1] वह वर्ष जिससे स.अ. संबंधित है।

[2] **शिक्षा निदेशालय की कार्यान्वयन एजेंसियां** - समग्र शिक्षा, दिल्ली नगर निगम (दि.न.नि.), दिल्ली स्कूल शिक्षा बोर्ड (डीबीएसई), विशिष्ट उत्कृष्टता विद्यालय (वि.उ.वि.), दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग (दि.बा.अ.सं.आ.) और राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एस सी ई आर टी)।

[3] एमसीडी ने पहले ही ₹ 129.62 करोड़ के उ.प्र. प्रस्तुत कर दिए हैं।

विभाग/संस्थाएं	बकाया उ.प्र.		फॉर्म 12ए में उ.प्र. का प्रारूप *(जीएफआर, 2017 का नियम 238)*	ब्याज नहीं भेजा गया *(नियम 230 (8) जी.एफ.आर.)*
	वित्त लेखे के अनुसार	विभागीय अभिलेखों के अनुसार		
	• ₹ 371.06 करोड़-2018-19	344.82 करोड़ का उपयोग किया गया था • कोई परिवर्तन नहीं	में बनाए रखा गया	
दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी)	• ₹ 197.99 करोड़-2022-23	• ₹ 391.18 करोड़-(अनंतिम उ.प्र. के अनुसार)	• उचित प्रारूप में बनाए रखा गया	₹ 15.50 करोड़
शाहजहानाबाद पुनर्विकास निगम (एसआरडीसी)	• ₹ 3.86 करोड़-2022-23	• ₹ 2023-24 के लिए प्राप्त जीआईए के साथ ₹ 3.86 करोड़ का उपयोग किया गया था।	• उचित प्रारूप में बनाए रखा गया	₹ 0.46 करोड़[4]

जैसा कि उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है, नमूना के लिए चयनित पांच में से 3 एजेंसियां निर्धारित प्रारूप में उ.प्र. जमा नहीं कर रही थीं, जबकि लगभग सभी मामलों में वित्त लेखे और उ.प्र. की अपेक्षा रखने वाली बकाया राशि के संबंध में संबंधित विभागों के आंकड़े भिन्न थे और इस प्रकार लेखापरीक्षा को सूचित करते हुए समाधान की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, जीएफआर 2017 के नियम 230 (8) का उल्लंघन करते हुए, सभी एजेंसियां सरकारी अनुदानों पर अर्जित ब्याज को प्रतिधारित कर रही थीं और इसे राज्य की समेकित निधि में वापस नहीं भेज रही थीं।

डीटीसी ने उत्तर दिया (सितंबर 2024) कि ब्याज से प्राप्त आय का उपयोग निगम के व्यय को निपटाने के लिए किया जाता है। डीटीसी का उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि जीएफआर, 2017 के पूर्वोक्त प्रावधानों का पालन किया जाना चाहिए था। एसआरडीसी ने आगे कहा (सितंबर 2024) कि ब्याज और अन्य आय से संबंधित ₹ 0.47 करोड़ की राशि शहरी विकास विभाग (डी.यू.डी.) को नियत समय में वापस कर दी जाएगी।

डीईआरसी, डीओई और डीएसआईआईडीसी के उत्तर प्रतीक्षित हैं (फरवरी 2025)।

4.2 संक्षिप्त आकस्मिक (ए.सी.) बिल

संक्षिप्त आकस्मिक (ए.सी.) बिलों पर राज्य सरकार द्वारा व्यय की उन मदों पर आकस्मिक प्रभारों का आहरण किया जाता है, जिनके लिए आहरण के समय अंतिम वर्गीकरण एवं सहायक वाउचर उपलब्ध नहीं होते हैं। शुरू में अग्रिम के रूप में लिए जाते हैं, इसके बाद के समायोजन ए.सी. बिलों के आहरण की निर्धारित अवधि के अंदर

[4] ₹ 0.88 करोड़ में से ₹ 0.42 करोड़ यूडी को वापस कर दिया गया।

विस्तृत आकस्मिक (डी.सी.) बिल जमा कर के सुनिश्चित किए जाते हैं। डी.सी. बिलों में ए.सी. बिलों के माध्यम से आहरित राशि के लिए उप-वाउचर के साथ-साथ संक्षिप्त व्यय शामिल होता है। आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को इन सभी मामलों में नियंत्रण अधिकारी द्वारा विधिवत प्रतिहस्ताक्षरित डी.सी. बिल निर्धारित अवधि के अंदर प्रस्तुत करना आवश्यक होता है।

प्राप्ति एवं भुगतान नियमावली, 1983 के नियम 118 में प्रावधान है कि प्रत्येक ए.सी. बिल के साथ इस आशय का प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाना चाहिए कि भुगतान के लिए प्रस्तुत बिल के पहले के माह में अहारित किए गए ए.सी. बिलों के संदर्भ में डी.सी. बिल नियंत्रक अधिकारियों को प्रस्तुत किए गए हैं। इस प्रमाणपत्र के बिना किसी भी स्थिति में ए.सी. बिल को समायोजित नहीं किया जाना चाहिए।

ए.सी. बिलों के प्रति डी.सी. बिल प्रस्तुत करने में वर्ष-वार प्रगति का विवरण **तालिका 4.2** में दिया गया है:

तालिका 4.2: ए.सी. बिलों के प्रति डी.सी. बिल प्रस्तुत करने में वर्ष-वार प्रगति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष		वि.व. 2023-24 के दौरान समाशोधन		31 मार्च 2024 तक अंतिम शेष	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
2019-20 तक	**3,760**	**200.96**	**270**	**34.30**	**3,490**	**166.66**
2020-21	109	10.78	27	2.57	82	8.21
2021-22	199	71.89	69	34.62	130	37.26
2022-23	750	291.26	464	236.96	286	54.30
2022-23 तक	**4,818**	**574.89**	**830**	**308.46**	**3,988**	**266.43**
2023-24	2,223#	210.07	1,745	129.68	478	80.39
कुल	**7,041**	**784.96**	**2,575**	**438.14**	**4,466**	**346.82**

वर्ष 2023-24 के दौरान आहरित कुल नए बिलों को दर्शाता है।

स्रोत: प्रधान लेखा कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स.

तालिका 4.2 से देखा जा सकता है कि मार्च 2024 तक ₹ 346.82 करोड़ के कुल 4,466 ए.सी. बिल बकाया थे। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान यह देखा गया कि 75 सरकारी विभागों ने लेखाओं के बंद होने से पहले ₹ 80.39 करोड़ की राशि के 478 डी.सी. बिल जमा नहीं किए। इसके अतिरिक्त, 2023-24 के दौरान ₹ 210.07 करोड़ के ए.सी. बिलों में से ₹ 23.88 करोड़ (11.37 *प्रतिशत)* की राशि मार्च 2024 से संबंधित थी।

आहरित अग्रिमों को लेखाबद्ध नहीं किए जाने से अपव्यय/दुर्विनियोग/दुराचार आदि में वृद्धि की संभावना है। विभिन्न विभागों द्वारा ए.सी. बिलों के आहरण के पश्चात

निर्धारित समय के अंदर डी.सी. बिल प्रस्तुत न किए जाने के कारण, लेखापरीक्षा में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि निधियों का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया गया है जिसके लिए उन्हें आहरित किया गया था। इसलिए, इस पर बारीकी से निगरानी रखने की आवश्यकता है। यह सिफारिश की जाती है कि प्रधान लेखा कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स. वित्त विभाग के साथ मिलकर लेखापरीक्षा को सूचित करते हुए 2019-20 तक की अवधि के लिए बकाया ए.सी. बिलों के कारणों की जांच करें।

ए.सी. बिल के समाशोधन की प्रवृत्ति नीचे **चार्ट 4.2** में दी गई है:

चार्ट 4.2: ए.सी. बिलों के समाशोधन की प्रवृत्ति

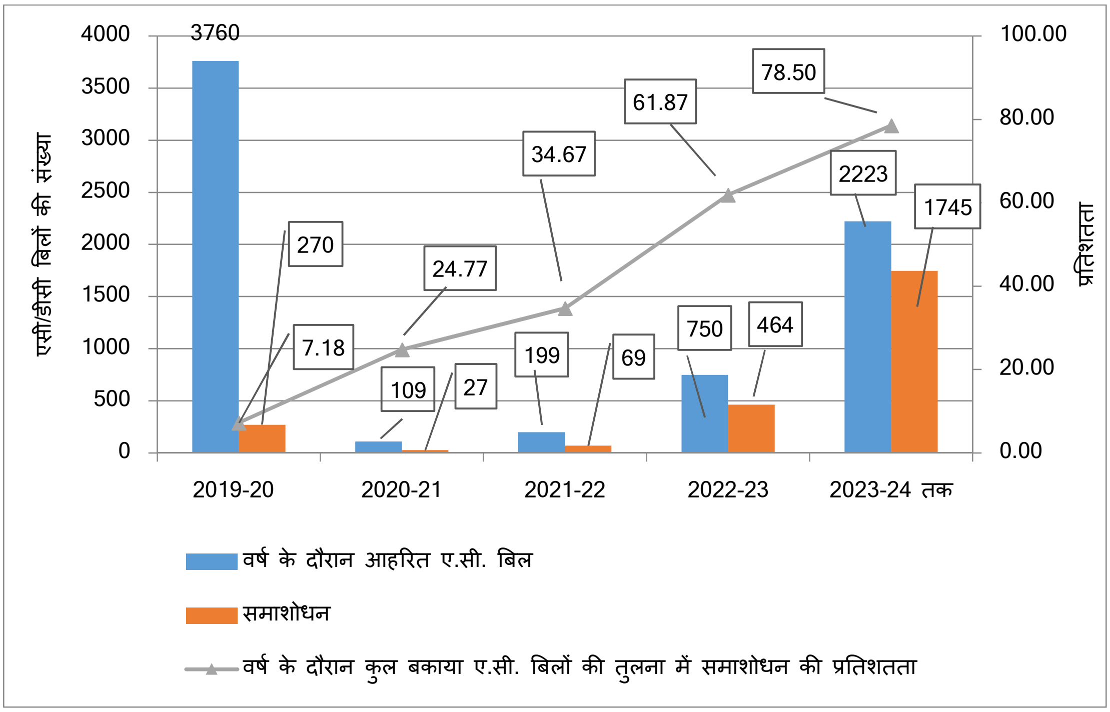

स्रोत: प्रधान लेखा कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स.

उपर्युक्त **चार्ट 4.2** से यह भी देखा जा सकता है कि वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक के लिए बकाया ए.सी. बिलों के समाशोधन में 7.18 *प्रतिशत* से 78.50 *प्रतिशत* तक की वृद्धि की प्रवृत्ति थी। तथापि, 2023-24 तक बकाया ए.सी. बिलों का कुल संचित समाशोधन कुल बिलों का केवल 36.57 *प्रतिशत* था।

10 प्रमुख विभागों के संबंध में लंबित डी.सी. बिलों का विवरण **चार्ट 4.3** में दिया गया है:

चार्ट 4.3: प्रमुख विभागों के संबंध में लंबित डी.सी. बिल

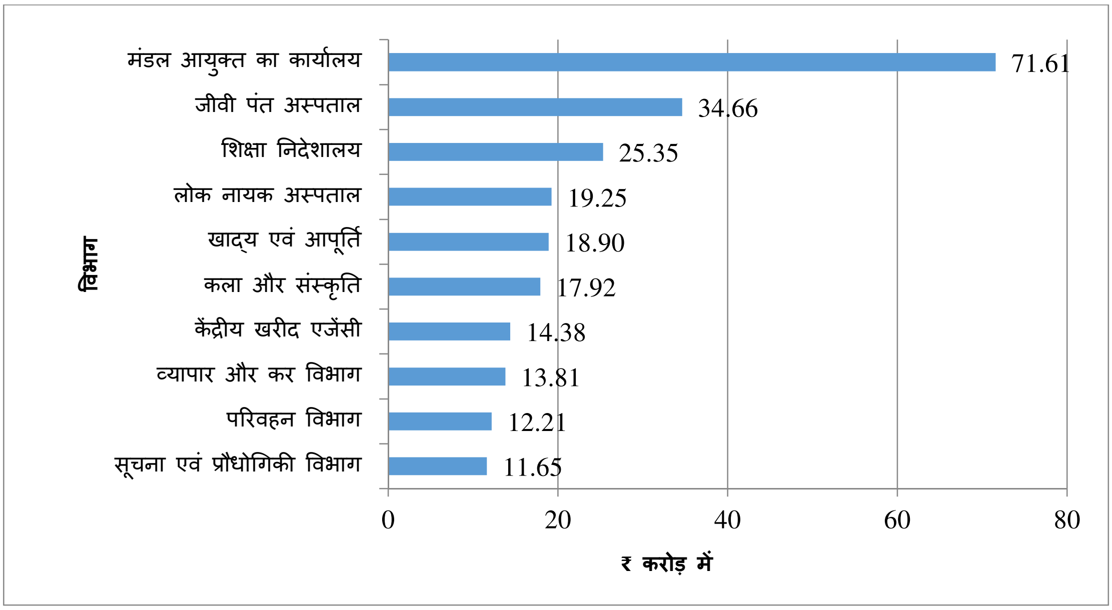

स्रोत: वित्त लेखे

पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए ए.सी. बिलों का आहरण

प्राप्ति एवं भुगतान नियमावली, 1983 के नियम 96 के अनुसार, 'आकस्मिक प्रभार' या 'आकस्मिक' व्यय से तात्पर्य है कि इसमें सभी आकस्मिक तथा अन्य व्यय (भंडार सहित) शामिल हैं, जो एक कार्यालय के रूप में कार्यालय के प्रबंधन के लिए या तकनीकी स्थापनाओं और उसके सदृश के कार्यचालन के लिए किए जाते हैं, जैसे प्रयोगशाला, कार्यशाला, औद्योगिक अधिष्ठापन, भंडार डिपो आदि परंतु उस व्यय को छोड़कर जिन्हें विशेष रूप से व्यय के कुछ अन्य शीर्ष जैसे 'निर्माण कार्य', 'उपकरण और संयंत्र' के अंतर्गत वर्गीकृत किए गए हैं।

वर्ष 2023-24 के दौरान सामान्य प्रशासन विभाग और बाट एवं माप विभाग के क्रमशः ₹ 0.15 करोड़ और ₹ 0.08 करोड़ की राशि के एक-एक ए.सी. बिल पूंजीगत परिसंपत्तियों[5] के सृजन के लिए आहरित किए गए, जो उपर्युक्त नियम का उल्लंघन था। उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2025)।

रा.रा.क्षे.दि.स. के वित्त लेखाओं में निहित बकाया ए.सी. बिलों से संबंधित तथ्यों और आंकड़ों के सत्यापन के लिए पांच विभागों/संस्थाओं अर्थात दिल्ली अभिलेखागार, मंडल-आयुक्त (राजस्व विभाग), सचिव सह आयुक्त (खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता

[5] कारों की खरीद

मामले विभाग), गोविंद बल्लभ पंत अस्पताल, केंद्रीय खरीद एजेंसी को विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए चुना गया था। विभाग-वार मुख्य अभ्युक्तियों की चर्चा अनुवर्ती पैराओं में की गई है।

लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां नीचे सारणीबद्ध हैं:

विभाग	**बकाया ए.सी. बिल (₹ करोड़ में)**	**डी.सी. बिल प्रस्तुत करने में विलंब की अवधि (दिनों में) संदर्भ: आर एंड पी नियमावली का नियम-118**	**प्राप्ति एवं भुगतान नियमावली के नियम 110 के अंतर्गत अपेक्षित आकस्मिक व्यय रजिस्टर का अनुरक्षण**
दिल्ली अभिलेखागार	7.00	177-194 दिन **(परिशिष्ट 4.1)**	अनुरक्षित नहीं
मंडल-आयुक्त, राजस्व विभाग	71.61	116-588 दिन **(परिशिष्ट 4.2)**	अनुरक्षित नहीं
सचिव सह आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग	18.90	438-1124 दिन **(परिशिष्ट 4.3)**	अनुरक्षित नहीं
गोविंद बल्लभ पंत अस्पताल	34.66	59-873 दिन **(परिशिष्ट 4.4)**	अनुरक्षित नहीं
केंद्रीय खरीद एजेंसी	14.38	-	अनुरक्षित नहीं

इस प्रकार, पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए ए.सी. बिलों के गलत तरीके से आहरण के अतिरिक्त, उनके प्रति डी.सी. बिलों को प्रस्तुत करने में अत्यधिक विलंब हुआ, साथ ही आहरित ए.सी. बिलों की अपर्याप्त निगरानी भी हुई, क्योंकि यह निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नहीं था।

उपर्युक्त विभागों के उत्तर प्रतीक्षित थे (जनवरी 2025)।

4.3 व्यक्तिगत जमा खाते

प्राप्ति एवं भुगतान नियमावली, 1983 के नियम 191 (3) के साथ पठित नियम 191 में प्रावधान है कि व्यक्तिगत जमा खातों (पी.डी.ए) को खोलने के लिए सामान्यतः निम्नलिखित प्रकार के मामलों में विशेष आदेश के अंतर्गत संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा महालेखा नियंत्रक (म.ले.नि.) के परामर्श से अधिकृत किया जाता है:

क) वार्ड और जब्त संपदाओं और सरकारी प्रबंधन के अधीन संपदाओं द्वारा या उनकी ओर से दिए गए धन की देखरेख के प्रयोजनार्थ नियुक्त प्रशासक के पक्ष में। नियम 192(1) के अनुसार ये पीडीए सरकार के पास नहीं जाएंगे, भले ही वे तीन पूर्ण वर्षों से अधिक समय से बकाया हों;

ख) सिविल और आपराधिक न्यायालयों के संबंध में जमा राशि, संबंधित मुख्य न्यायिक प्राधिकरण के पक्ष में और ये पीडीए नियम 192(2) के अनुसार व्यपगत नहीं होंगे;

ग) जहां सरकार की कुछ विनियामक गतिविधियों के अंतर्गत प्राप्तियां वसूल की जाती हैं एवं अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत किसी निधि या खाते में जमा की जाती हैं, जिसका उपयोग उसके अंतर्गत व्यय के लिए किया जाता है एवं इसमें समेकित निधि से कोई व्यय शामिल नहीं होता है। ये पीडीए तब तक सरकार के पास नहीं जाएंगे जब तक संबंधित अधिनियम के प्रावधान लागू रहेंगे।

प्रत्येक व्यक्तिगत जमा खाता जो खोले जाने के लिए प्राधिकृत है, सरकारी खाते का भाग होगा तथा उसके लोक लेखा भाग में स्थित होगा।

31 मार्च 2024 तक रा.रा.क्षे.दि.स. में पीडीए का विवरण **तालिका 4.3** में दिया गया है।

तालिका 4.3: 31 मार्च 2024 तक पीडीए का विवरण

01.04.2023 तक पीडीए		2023-24 के दौरान वृद्धि*		2023-24 के दौरान निकासी	31-03-2024 तक अंतिम शेष	
संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	राशि (₹ करोड़ में)	संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
11	28.80	शून्य	54.11	16.70	11	66.21

* इसमें मौजूदा पीडी खातों में प्राप्तियों और उनसे किए गए भुगतानों की राशि शामिल है।

रा.रा.क्षे.दि.स. के विभिन्न विभागों के प्रशासक 11 पीडीए संचालित कर रहे हैं। इन पीडीए को खोलने का उद्देश्य भूमि अधिग्रहण प्राधिकरणों (डीडीए आदि) से प्राप्त मुआवज़ा जमा करना, भूमि अधिग्रहण कलेक्टरों के माध्यम से भूमि अधिग्रहण के लिए भूस्वामियों को भुगतान करना, पेपर बुक-केस में जांच शुल्क, सुरक्षा शुल्क, चुनाव याचिकाओं की फीस, सिविल जमा, आपराधिक जमा और अदालत के आदेश के अनुसार वादियों का किराया आदि के भुगतान के लिए था। 31 मार्च 2024 तक इन 11 पीडीए में कुल ₹ 66.21 करोड़ जमा थे, जिसका व्यपगमन नहीं होगा और सरकारी खातों से बाहर पड़े हैं।

11 पीडीए में ₹ 66.21 करोड़ की बकाया राशि के कारण मांगे गए, जिसके प्रति विभाग (पीएओ VI) ने कहा (सितंबर 2024) कि व्यक्तिगत जमा से भुगतान अदालती मामलों के परिणाम और संबंधित किराया नियंत्रक द्वारा भुगतान जारी करने पर निर्भर करता है।

चयनित पीडी खातों का विश्लेषण

रा.रा.क्षे.दि.स. के वित्त लेखाओं में निहित पीडीए से संबंधित तथ्यों एवं आंकड़ों को सत्यापित करने के लिए, दो विभागों/संस्थाओं जैसे भूमि एवं भवन विभाग और प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (केंद्रीय),/तीस हजारी का चयन विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए किया गया।

विभाग-वार प्रमुख अभ्युक्तियों पर अनुवर्ती पैराओं में चर्चा की गई है।

4.3.1 तीस हजारी न्यायालय (केंद्रीय)

तीस हजारी न्यायालय के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (केंद्रीय) का कार्यालय भारतीय स्टेट बैंक में किराया नियंत्रक (केंद्रीय) के नाम से व्यक्तिगत जमा (पीडी) खाता बनाए हुए है, जिसका उद्देश्य न्यायालयीन मामलों में किराएदारों द्वारा किराया जमा करने और वितरित करने का है। पीडी खाते से संबंधित अभिलेखों/सूचनाओं की संवीक्षा से निम्नलिखित विसंगतियों का पता चला:

(क) जमा और संवितरण के लिए क्रमशः दो बैंक खाते संचालित किए जा रहे थे।

(ख) किराए से संबंधित जमाराशियों के अतिरिक्त अन्य जमाराशि निर्दिष्ट बैंक खाते में दिखाई दे रही थी।

(ग) मार्च 2024 के विभागीय मासिक समाधान विवरण के अनुसार ₹ 2.23 करोड़ का शेष वित्त लेखे 2023-24 में दर्शाए गए शेष से मेल नहीं खाता है, जो ₹ 3 करोड़ दर्शाया गया है और लेखापरीक्षा को सूचित करते हुए इसके समाधान की आवश्यकता है।

(घ) नवंबर 2023 के महीने के बैंक विवरण में दोनों खातों में अंतिम शेष 'शून्य' दिखाया गया है। इसके अतिरिक्त, 31 मार्च 2024 तक दोनों खातों में शेष राशि ₹ 4,26,476 (नामे) एवं ₹ 37,73,536 (जमा) थी, जो वित्त लेखे में दर्शाए गए आंकड़ों से मेल नहीं खाती। इसे लेखापरीक्षा को सूचित करते हुए समाधान करने की आवश्यकता हैं।

(ङ) इस पीडीए के लिए रोकड़ बही का रखरखाव नहीं किया गया था, जो कि प्राप्ति एवं भुगतान नियमावली के नियम 13 का उल्लंघन है।

विभाग ने कहा (अक्टूबर 2024) कि किराया नियंत्रक से (क), (ख), (ग) और (ड.) पर उल्लिखित टिप्पणियों के लिए संपर्क किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, बिंदु (घ) पर उल्लिखित टिप्पणी भी बैंक के साथ उठाई जा रही है।

4.3.2 भूमि एवं भवन विभाग

भूमि एवं भवन विभाग (एलबीडी) भारतीय रिज़र्व बैंक में व्यक्तिगत जमा खाता (पीडीए) रखता है। एलबीडी द्वारा भूमि की आवश्यकता वाली एजेंसी से अर्जित/ अर्जित की जाने वाली भूमि के मुआवज़े के लिए प्राप्त धन इस खाते में जमा किया जाता है। यह देखा गया कि 31 मार्च 2024 तक, ₹ 23.09 करोड़ छह वर्ष से अधिक समय से वितरण के लिए लंबित है।

₹ 0.74 करोड़ का अंतर, जारी किए गए परंतु प्रस्तुत न किए गए विभिन्न चेकों तथा आरबीआई के विवरण में ₹ 1,202.80 की भिन्नता के कारण है, जिसे सुधारने के लिए विभाग ने पहले ही आरबीआई से अनुरोध किया था।

विभाग ने कहा (सितंबर 2024) कि संबंधित एलएसी/एजेंसियों से अपेक्षित सूचना/स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए सच्चे प्रयास किए जा रहे हैं।

4.4 लघु शीर्ष 800 का अविवेकपूर्ण उपयोग

बजट और लेखांकन की पारदर्शी प्रणाली के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में, सरकार की प्राप्तियों और व्यय को विधानमंडल को रिपोर्ट करने वाले खातों के प्रारूपों की लगातार समीक्षा की जानी चाहिए और उसे अद्यतन किया जाना चाहिए ताकि वे सभी महत्वपूर्ण हितधारकों की आधारभूत सूचना आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पारदर्शी तरीके से सरकार की सभी प्रमुख गतिविधियों पर प्राप्तियों और व्यय को सही ढंग से प्रतिबिंबित करे। इस उद्देश्य के लिए, 'अन्य प्राप्तियों' और 'अन्य व्यय' से संबंधित लघु शीर्ष-'800' को केवल तभी संचालित करना अपेक्षित है जब खातों में उपयुक्त लघु शीर्ष का प्रावधान नहीं किया गया हो। बहुप्रयोजन लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत बड़ी राशियों का वर्गीकरण वित्तीय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता को प्रभावित करता है और आबंटित प्राथमिकताओं के उचित विश्लेषण और व्यय की गुणवत्ता को विकृत करता है।

i) 2023-24 के दौरान, ₹ 56,797.79 करोड़ की कुल राजस्व प्राप्तियों में से ₹ 647.25 करोड़ की प्राप्तियों को लघु शीर्ष '800-अन्य प्राप्तियां' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया, जो कुल राजस्व प्राप्तियों का 1.14 *प्रतिशत* था। 2023-24 के दौरान लघु

शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियों के अंतर्गत दर्ज की गई महत्वपूर्ण राजस्व प्राप्तियां नीचे **तालिका 4.4** में दी गई हैं:

तालिका 4.4: लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियों के अंतर्गत दर्ज महत्वपूर्ण राजस्व प्राप्तियां

(₹ करोड़ में)

क्रम.सं.	मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत बुकिंग	कुल प्राप्तियां	प्राप्ति की प्रतिशतता
1.	0210- चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	88.64	110.94	79.89
2.	0701 - मध्यम सिंचाई	30.96	30.96	100.00
3.	0801- पावर	59.24	59.24	100.00
	कुल	**178.84**	**201.14**	

ii) 2023-24 के दौरान, ₹ 60,830.18 करोड़ के कुल व्यय में से ₹ 6,630.70 करोड़ का व्यय लघु लेखा शीर्ष '800-अन्य व्यय' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया, जो कुल व्यय का 10.90 *प्रतिशत* था। 2023-24 के दौरान लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय के अंतर्गत दर्ज किए गए महत्वपूर्ण व्यय नीचे **तालिका 4.5** में दिए गए हैं:

तालिका 4.5: लघु शीर्ष - '800 अन्य व्यय' के अंतर्गत दर्ज महत्वपूर्ण व्यय

(₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष 800 'अन्य व्यय' के अंतर्गत दर्ज व्यय	मुख्य शीर्ष के अंतर्गत कुल व्यय	कुल व्यय की तुलना में लघु शीर्ष-800 में व्यय की प्रतिशतता
1.	2211-परिवार कल्याण	97.09	107.17	90.59
2.	2215-जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	467.26	1,828.47	25.55
3.	2801-पावर	3,270.21	3,270.21	100.00
4.	4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	79.57	80.38	98.99
कुल		**3,914.13**	**5,286.23**	

वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के महालेखा नियंत्रक कार्यालय ने मई 2016 में दिशा-निर्देश जारी किए थे, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्धारित किया गया था कि लघु शीर्ष '800-अन्य व्यय' का उपयोग जहां भी तत्काल आवश्यक हो और तुलनात्मक रूप से कम राशि के लिए हो (उदाहरणार्थ मुख्य शीर्ष प्रावधान का 5-10 *प्रतिशत)* अस्थायी होना चाहिए।

तथापि, उपर्युक्त **तालिका 4.5** से यह देखा जा सकता है कि चार मामलों में, संबंधित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत कुल व्यय का 50 *प्रतिशत* या उससे अधिक व्यय, सीजीए के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुए लघु शीर्ष '800-अन्य व्यय' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था।

इसके अतिरिक्त, नीचे **चार्ट 4.4** से यह देखा जा सकता है कि 2019-20 से 2023-24 की अवधि के दौरान लघु शीर्ष '800-अन्य व्यय' के अंतर्गत दर्ज व्यय की प्रतिशतता 10.09 *प्रतिशत* (2021-22) से 12.61 *प्रतिशत* (2020-21) तक थी।

चार्ट 4.4: 2019-2024 के दौरान लघु शीर्ष '800-अन्य व्यय' का संचालन

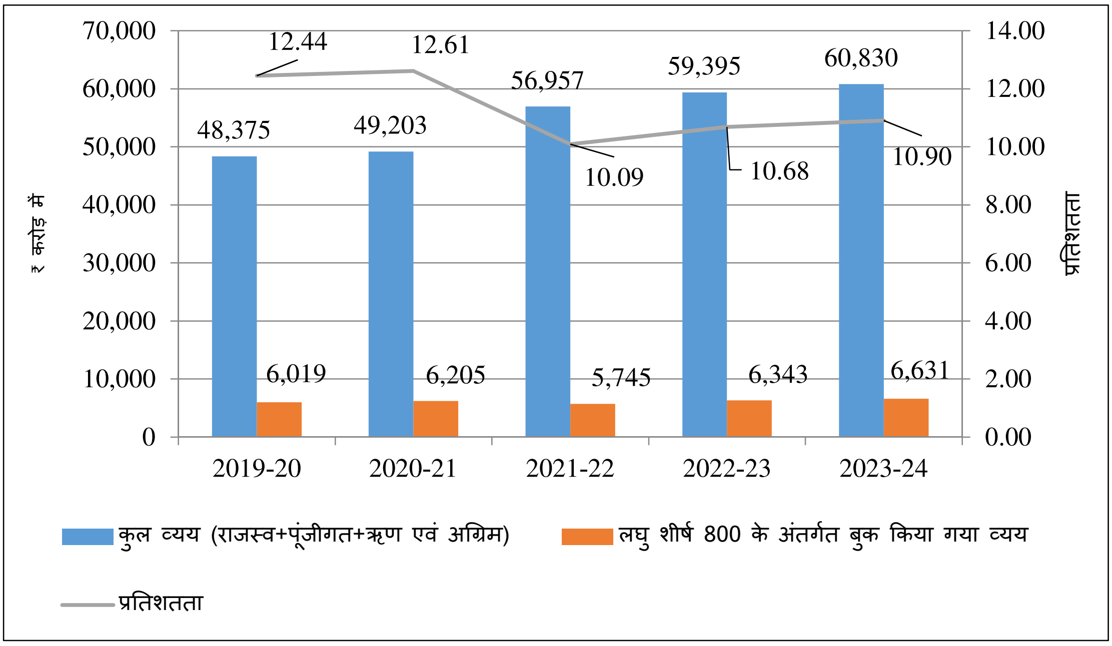

स्रोत: प्रधान लेखा कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स.

इस प्रकार, जबकि लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत बुकिंग 2021-22 के दौरान कम हो गई थी, उसके बाद लगातार वृद्धि की प्रवृत्ति रही है।

4.5 स्वायत्त निकायों के लेखाओं/पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

नि.म.ले.प. (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 और 20 के अंतर्गत 16 निकायों/प्राधिकरणों की लेखापरीक्षा नि.म.ले.प. को सौंपी गई है।

महालेखाकार (लेखापरीक्षा), दिल्ली के कार्यालय में 2023-24 तक देय 15 निकायों/प्राधिकरणों के वार्षिक लेखे सितंबर 2024 तक प्राप्त नहीं हुए थे। **परिशिष्ट 4.5** से देखा जा सकता है कि 15 निकायों/प्राधिकरणों के वर्ष 2023-24 तक के 32 वार्षिक लेखे 30 सितंबर 2024 तक लंबित थे।

वार्षिक लेखाओं को समय से अंतिम रूप न दिए जाने के कारण सरकार का निवेश लेखापरीक्षा/राज्य विधानमंडल की संवीक्षा से बाहर रहता है। इसके परिणामस्वरूप, जवाबदेही सुनिश्चित करने और दक्षता में सुधार लाने के लिए, यदि आवश्यक हो तो, सुधारात्मक उपाय समय पर नहीं किए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त, लेखाओं को अंतिम रूप देने में विलंब होने से धोखाधड़ी और लोक धन के रिसाव का जोखिम बढ़ जाता है।

सरकार निकायों/प्राधिकरणों द्वारा वार्षिक लेखाओं के संकलन और प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया में तेज़ी लाने के लिए एक प्रणाली पर विचार कर सकती है।

4.6 वित्त लेखाओं के विवरणों में अन्य अशुद्धियां

i) ऋणों एवं अग्रिमों का ऋणात्मक/प्रतिकूल शेष

वर्ष 2023-24 के लिए रा.रा.क्षे.दि.स. के वित्त लेखाओं की संवीक्षा से पता चला कि विवरण संख्या 16 (रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा दिए गए ऋणों एवं अग्रिमों का विस्तृत विवरण-2023-24 के वित्त लेखे) में ऋणों एवं अग्रिमों के ऋणात्मक/ प्रतिकूल शेष थे। ऋणात्मक/प्रतिकूल शेषों का विवरण नीचे **तालिका 4.6** में दिया गया है।

तालिका 4.6: ऋणात्मक/प्रतिकूल शेष

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	मुख्य शीर्ष	विवरण	लघु शीर्ष	31.03.2023 तक शेष
1	6401	फसल कृषि के लिए ऋण	105-खाद एवं उर्वरक	(-)0.90
2	7610	सरकारी कर्मचारियों को ऋण	201-गृह निर्माण अग्रिम	(-)5.68
3	7610	सरकारी कर्मचारियों को ऋण	202-मोटर वाहनों की खरीद के लिए अग्रिम	(-)2.53
4	7610	सरकारी कर्मचारियों को ऋण	203-अन्य वाहनों की खरीद के लिए अग्रिम	(-)0.29
5	7610	सरकारी कर्मचारियों को ऋण	204-कंप्यूटर खरीद हेतु अग्रिम	(-)1.35

मुख्य शीर्ष '6401-फसल कृषि के लिए ऋण' के संबंध में, प्रधान लेखा कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स. ने पिछले वर्ष के उत्तर को दोहराया (सितंबर 2024) कि वित्त लेखाओं में दर्शाई गई ऋणात्मक राशि पुरानी अवधि से संबंधित थी और इसमें शामिल संबंधित पी.ए.ओ. को गलत वर्गीकरण का पता लगाने और उसे उचित लेखा शीर्ष में दर्ज करने की सलाह दी जा रही थी।

मुख्य शीर्ष '7610-ऋण एवं अग्रिम' के संबंध में, प्रधान लेखा कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स. ने पिछले वर्ष के उत्तर को दोहराया (सितंबर 2024) कि प्रतिकूल शेष मूल राशि में ब्याज राशि की गलत बुकिंग के कारण थे और अगले वित्त वर्ष में इसमें उचित सुधार के लिए पीएओ के साथ इसकी समीक्षा की जाएगी।

उपर्युक्त उत्तर स्थिति में कोई सुधार नहीं होने का संकेत देते हैं तथा स्थिति को स्पष्ट करने एवं सुधारने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रयासों की कमी को भी उजागर करते हैं।

ii) बकाया ऋण एवं अग्रिम

संवीक्षा से पता चला कि 31 मार्च 2024 तक 18 संस्थाओं से ₹ 1,76,995.40 करोड़ के ऋण बकाया थे, जिनके बकाया रहने की अवधि 5 वर्ष से 73 वर्ष तक थी, जैसा कि **परिशिष्ट 4.6** में वर्णित है।

परिशिष्ट 4.6 की क्रम सं. 6 में दर्शाई गई स्थिति के संबंध में, डीएससीएससीएल ने सूचित किया (अक्टूबर 2024) कि ऋण और अर्जित ब्याज की माफी के लिए वित्त विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. को सिफारिश भेज दी गई थी।

इसके अतिरिक्त, **परिशिष्ट 4.6** की क्रम सं. 18 में दर्शाई गई स्थिति के संबंध में, आईआईआईटी ने कहा (अक्टूबर 2024) कि ऋण के पुनर्भुगतान का कार्यक्रम पहले ही दिसंबर 2023 में प्रशिक्षण और तकनीकी शिक्षा निदेशालय (डीटीटीई), रा.रा.क्षे.दि.स. को भेज दिया गया था, जो विचाराधीन था।

शेष विभागों से उत्तर प्रतीक्षित थे (फरवरी, 2025)।

यही मुद्दा पहले के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में भी उठाया गया है, तथापि अभी तक कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है तथा सरकार के उत्तर भी औपचारिक हैं।

iii) विवरण संख्या 11 में दर्शाई गई निवेश की संचयी राशि विवरण संख्या 12 में दर्शाए गए कुल निवेश से मेल नहीं खाती है

रा.रा.क्षे.दि.स. के वित्त लेखे के विवरण सं. 11 और विवरण सं. 12 से पता चला कि विवरण सं 11 और 12 में दिखाए गए निवेशों में ₹ 289.24 करोड़ का अंतर है, जैसा कि **परिशिष्ट 4.7** में वर्णित है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, प्रधान लेखा कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स. ने तथ्यों को स्वीकार किया (सितंबर 2024) और अंतर के विभिन्न कारणों से अवगत कराया। तथापि, सुधारात्मक कार्रवाई के लिए कदम नहीं बताए गए।

चूंकि पिछले वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में इस ओर ध्यान दिलाया गया था, इसलिए अनुरोध है कि लेखापरीक्षा को सूचित करते हुए ठोस सुधारात्मक कार्रवाई की जाए।

iv) वर्ष 2023-24 के लिए रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के वित्त लेखाओं के विवरण में अन्य विसंगतियां/अशुद्धियां

वर्ष 2023-24 के लिए रा.रा.क्षे.दि.स. के वित्त लेखाओं के विभिन्न विवरणों में निम्नलिखित विसंगतियां/अशुद्धियां देखी गईं-

क) **वित्त लेखे के विवरण 11 एवं 12 में दर्ज निवेश आंकड़ों में विसंगति** -

विवरण सं. 12 के अनुसार, वर्ष 2023-24 के दौरान सरकार द्वारा ₹ 38,33,100 हज़ार का निवेश किया गया है, जबकि विवरण संख्या 11 में दर्ज निवेश ₹ 38,33,525 हज़ार है, जो कि '5055.00.190' शीर्ष के अंतर्गत है। इसके अतिरिक्त, वर्गीकृत सार की संवीक्षा से पता चला कि डीटीसी और क्लस्टर बसों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए ₹ 425 हज़ार की राशि खर्च की गई थी, जिसे पूंजीगत व्यय के रूप में दर्ज किया जाना था। इसके विपरीत, इसे गलत तरीके से '5055.00.190.78.00.54' शीर्ष के अंतर्गत निवेश के रूप में दर्ज किया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, प्रधान लेखा कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स. ने कहा (सितंबर 2024) कि मामला संबंधित विभाग को भेज दिया गया है, अगला उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी, 2025)।

ख) 1998-99 से बकाया ऋण होने के बावजूद संस्थाओं को नए ऋण का वितरण

वर्ष 2023-24 के लिए रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के वित्त लेखाओं (विवरण सं. 16 की धारा 3 और वर्ष के दौरान दिए गए नए ऋणों और अग्रिमों के लिए अतिरिक्त प्रकटीकरण) की संवीक्षा से पता चला कि दिल्ली जल बोर्ड और डीयूएसआईबी द्वारा पहले के ऋणों की चुकौती न करने के बावजूद, रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा इन संस्थाओं को ₹ 2,844.44 करोड़ के नए ऋण वितरित किए गए, जैसा कि **तालिका 4.7** में वर्णित है।

तालिका 4.7: चूककर्ता ऋणी संस्थाओं को नए ऋणों का वितरण

ऋणी संस्था	मार्च 2024 तक बकाया राशि (₹ करोड़ में)		वह प्रारंभिक अवधि जिससे बकाया संबंधित है	2023-24 के दौरान दिया गया नया ऋण (₹ करोड़ में)	31 मार्च 2024 तक कुल बकाया ऋण (ब्याज को छोड़कर) (₹ करोड़ में)
	मूलधन	ब्याज			
दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी)	37,366.59	39,889.17	1998-99	2,744.44	**40,111.03**
दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डीयूएसआईबी)	1,155.21	770.37	2011-12	100.00	**1,255.21**
	38,521.80	**40,659.54**		**2,844.44**	**41,366.24**

अगला उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी, 2025)।

4.7 दिल्ली राज्य वित्त आयोग

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दि.स.) के लिए पांचवें वित्त आयोग (एफएफसी) का गठन अप्रैल 2016 में किया गया था और इसका अधिदेश 2016-2021 की अवधि के लिए था। शहरी विकास विभाग के दिनांक 26.4.2016 के आदेश के अनुसार, एफएफसी का अधिदेश नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना और निम्नलिखित के संबंध में सिफारिशें करना था:

(क) सिद्धांत जो नियंत्रित करें

(i) रा.रा.क्षे.दि.स. और नगर पालिकाओं के बीच कर, शुल्क, पथकर और उद्ग्राह्य शुल्कों की निवल आय का वितरण;

(ii) नगर पालिकाओं को सौंपे जाने वाले शुल्कों, पथकर और फीसों का निर्धारण;

(iii) रा.रा.क्षे.दि.स. की समेकित निधि से नगर पालिकाओं को सहायता अनुदान; तथा

(ख) नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए आवश्यक उपाय।

चूंकि एफएफसी के अधिदेश की समाप्ति के तीन वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी छठे वित्त आयोग (एसएफसी) का गठन नहीं किया गया था, इसलिए अभी भी एफएफसी की सिफारिशों के अनुसार निधियों का अंतरण किया जा रहा है। तथापि, रा.रा.क्षे.दि.स. के तीन मुख्य नगर निकायों[6] को एक एमसीडी में विलय कर दिया गया

[6] पूर्व डीएमसी, दक्षिण डीएमसी और उत्तर डीएमसी

(अप्रैल 2022), जिससे एफएफसी की सिफारिशें असंगत हो गईं। इसलिए एमसीडी वित्त पर नए सिरे से विचार करना आवश्यक है।

लेखापरीक्षा द्वारा मामला उजागर किए जाने पर शहरी विकास विभाग ने उत्तर दिया (सितंबर 2024) कि छठे वित्त आयोग के गठन का मामला वर्तमान में उच्च अधिकारियों के विचाराधीन है।

नई दिल्ली **(रोली शुक्ला माल्गे)**
दिनांक: 13 मई 2025 **महालेखाकार (लेखापरीक्षा), दिल्ली**

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली **(के. संजय मूर्ति)**
दिनांक: 15 मई 2025 **भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक**

परिशिष्ट

परिशिष्ट 1.1

(पैराग्राफ 1.1 में संदर्भित)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की जनसंख्या-रूपरेखा

क्र.सं.	विवरण		आंकड़े
1.	क्षेत्र		1,483 वर्ग किमी
2.	जनसंख्या		
	जनसंख्या 2014		1.79 करोड़
	जनसंख्या 2024		2.18 करोड़
3.	जनसंख्या घनत्व (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 01.03.2022 तक अनुमानित जनसंख्या) (अखिल भारतीय घनत्व = 426.09 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी)		14667.57 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.
4.	गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या (बीपीएल) (अखिल भारतीय औसत = 21.92 *प्रतिशत*)		9.91 *प्रतिशत*
5.	साक्षरता दर (अखिल भारतीय औसत = 72.98 *प्रतिशत*)		86.21 *प्रतिशत*
6.	शिशु मृत्यु दर (2020) (प्रति 1000 जीवित जन्म) (अखिल भारतीय औसत = 28 प्रति 1000 जीवित जन्म)		12
7.	जन्म के समय जीवन प्रत्याशा (2016-20) (अखिल भारतीय औसत = 70 वर्ष)		75.8 वर्ष
8.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) 2023-24 वर्तमान मूल्यों पर		₹ 11,07,746 करोड़
9.	प्रति व्यक्ति स.रा.घ.उ./स.घ.उ. सीएजीआर (2014-15 से 2023-24)	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	7.27 *प्रतिशत*
		अखिल भारतीय	8.89 *प्रतिशत*
10.	स.रा.घ.उ./स.घ.उ. सीएजीआर (2014-15 से 2023-24)	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	9.37 *प्रतिशत*
		अखिल भारतीय	10.06 *प्रतिशत*
11.	जनसंख्या वृद्धि (2014 से 2024)	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	21.38 *प्रतिशत*
		अखिल भारतीय	11.26 *प्रतिशत*

स्रोत:

- क्षेत्र - वन सर्वेक्षण रिपोर्ट (2021)
- जनसं. - भारत और राज्यों के लिए जनसं. अनुमान 2011-2036 (जन सं. अनुमानों पर तकनीकी समूह की रिपोर्ट, जुलाई, 2020) राष्ट्रीय जनसं. आयोग, एम ओ एच एफ डब्ल्यू द्वारा
- साक्षरता दर - जनगणना 2011
- आईएमआर - एसआरएस बुलेटिन (2020)
- गरीबी बीपीएल - एम ओ एस पी आई
- जीवन प्रत्याशा - एसआरएस आधारित संक्षिप्त जीवन सारणी (2016-20)

परिशिष्ट 1.2

(पैराग्राफ 1.3.1 में संदर्भित)

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के वित्त पर समय क्रमांक आंकड़े

(₹ करोड़ में)

	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
भाग (क) प्राप्तियां					
1. राजस्व प्राप्तियां	47,136	41,864	49,313	62,703	56,798
(i) राजस्व कर	36,566	29,425	40,019	47,363	53,681
राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी)	19,465	15,676	22,263	27,324	31,571
कृषि आय पर कर	0	0	0	0	0
विक्रय, व्यापार आदि पर कर.	5,475	4,411	5,099	5,582	6,552
राज्य उत्पाद शुल्क	5,068	4,108	5,488	5,548	5,164
वाहनों पर कर	1,948	1,676	1,956	2,884	3,242
स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क	4,606	3,549	5,212	6,023	7,152
भू-राजस्व	3	4	0	0	0
अन्य कर	1	1	1	2	0
(ii) गैर-कर राजस्व	1,097	980	827	581	1,024
(iii) संघीय करों और शुल्कों में राज्य का हिस्सा	0	0	0	0	0
(iv) भारत सरकार से सहायता अनुदान	9,473	11,459	8,467	14,759	2,093
2. विविध पूंजी प्राप्तियां	0	0	0	0	0
3. ऋण और अग्रिम राशि की वसूली	823	631	623	1,258	98
4. कुल राजस्व (1+2+3)	47,959	42,495	49,936	63,961	56,896
5. लोक ऋण प्राप्तियां	4,765	15,365	11,193	3,251	0
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट को छोड़कर)	0	0	0	0	0
अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत शुद्ध लेनदेन	0	0	0	0	0
भारत सरकार से ऋण और अग्रिम	4,765	15,365	11,193	3,251	0
6. समेकित निधि में कुल प्राप्तियां (4+5)	52,724	57,860	61,129	67,212	56,896
7. आकस्मिक निधि प्राप्तियां	143	79	74	52	7
8. लोक लेखा प्राप्तियां	0	0	0	0	0
9. राज्य की कुल प्राप्तियां (6+7+8)	52,867	57,939	61,203	67,264	56,903
भाग (ख) व्यय/संवितरण					
10. राजस्व व्यय	39,637	40,414	46,043	48,246	50,336
सामान्य सेवाएं (ब्याज भुगतान सहित)	7,083	6,295	6,953	7,322	7,162
सामाजिक सेवाएं	22,145	22,693	26,294	27,177	28,182
आर्थिक सेवाएं	6,530	8,514	9,328	9,423	9,773
सहायता अनुदान और अंशदान	3,879	2,912	3,468	4,324	5,219
11. पूंजीगत व्यय	5,472	4,699	8,311	8,065	6,855
सामान्य सेवाएं	389	246	374	625	469
सामाजिक सेवाएं	3,572	2,669	5,062	4,566	2,678
आर्थिक सेवाएँ	1,511	1,784	2,875	2,874	3,708

(₹ करोड़ में)

	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
12. ऋण और अग्रिम का संवितरण	3,266	4,090	2,603	3,084	3,639
13. कुल व्यय (10+11+12)	48,375	49,203	56,957	59,395	60,830
14. लोक ऋण का पुर्नभुगतान	2,811	3,265	4,215	4,715	4,994
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट को छोड़कर)	0	0	0	0	0
अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत निवल लेनदेन	0	0	0	0	0
भारत सरकार से ऋण और अग्रिम राशि का पुनर्भुगतान	2,811	3,265	4,215	4,715	4,994
15. आकस्मिकता निधि के लिए विनियोजन	0	0	0	0	0
16. समेकित निधि से कुल संवितरण (13+14+15)	51,186	52,468	61,172	64,110	65,824
17. आकस्मिकता निधि संवितरण	143	79	74	52	7
18. लोक लेखा संवितरण	0	0	0	0	0
19. राज्य द्वारा कुल संवितरण (16+17+18)	51,329	52,547	61,246	64,162	65,831
भाग (ग) घाटा					
20. राजस्व घाटा(-)/राजस्व अधिशेष (+)(1-10)	7,499	1,450	3,270	14,457	6,462
21. राजकोषीय घाटा(-)/राजकोषीय अधिशेष(+) (4-13)	-416	-6,708	-7,021	4,566	-3,934
22. प्राथमिक घाटा(-)/प्राथमिक अधिशेष(+) (21+23)	2,336	-3,834	-3,747	7,832	-840
भाग (घ) अन्य आंकड़े					
23. ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय में सम्मिलित)	2,752	2,874	3,274	3,266	3,094
24. स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता	16,233	16,643	16,118	18,225	20,686
25. अर्थोपाय/अग्रिम ओवरड्राफ्ट का लाभ उठाया (दिवस)	0	0	0	0	0
अर्थोपाय अग्रिम का लाभ उठाया (दिवस)	0	0	0	0	0
ओवरड्राफ्ट का लाभ (दिवस)	0	0	0	0	0
26. अर्थोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट पर ब्याज	0	0	0	0	0
27. सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.)	7,92,911	7,44,277	8,81,336	10,14,688	11,07,746
28. बकाया राजकोषीय देनदारियां	34,767	46,867*	53,844*	52,380	47,387
29. बकाया गारंटी (वर्ष के अंत में) (ब्याज सहित)	0	0	0	0	0
30. अधिकतम गारंटीकृत राशि (वर्ष के अंत में)	0	0	0	0	0
भाग ङ: राजकोषीय स्वास्थ्य संकेतक					
I संसाधन संग्रहण					
स्वयं कर राजस्व/स.रा.घ.उ. (*प्रतिशत में*)	4.61	3.95	4.54	4.67	4.85

(₹ करोड़ में)

	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
स्वयं का गैर-कर राजस्व/स.रा.घ.उ. (*प्रतिशत* में)	0.14	0.13	0.09	0.06	0.09
II व्यय प्रबंधन					
कुल व्यय/स.रा.घ.उ.	6.10	6.61	6.46	5.85	5.49
कुल व्यय/राजस्व प्राप्तियां	102.63	117.53	115.50	94.72	107.10
राजस्व व्यय/कुल व्यय	81.94	82.14	80.84	81.23	82.75
सामाजिक सेवाओं पर व्यय/ कुल व्यय	53.16	51.55	55.05	53.44	50.73
आर्थिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	16.62	20.93	21.42	20.70	22.16
पूंजीगत व्यय/कुल व्यय	11.31	9.55	14.59	13.58	11.27
सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय/ कुल व्यय	10.51	9.05	13.94	12.53	10.50
III राजकोषीय असंतुलन का प्रबंधन					
राजस्व घाटा (अधिशेष)/स.रा.घ.उ.	0.95	0.19	0.37	1.42	0.58
राजकोषीय घाटा (अधिशेष)/स.रा.घ.उ.	-0.05	-0.90	-0.80	0.45	-0.36
प्राथमिक घाटा (अधिशेष)/स.रा.घ.उ.	0.29	-0.52	-0.43	0.77	-0.08
IV राजकोषीय देनदारियों का प्रबंधन					
राजकोषीय देयताएं/स.रा.घ.उ.	4.38	5.51**	4.74**	3.97**	3.19**
राजकोषीय देयताएं/रा.प्रा.	73.76	97.94**	84.74**	64.31**	62.20**
प्राथमिक घाटा की तुलना में क्वांटम स्प्रेड	-883.35	62.09	-58.41	166.48	-59.64
ऋण मुक्ति (मूलधन + ब्याज)/कुल ऋण प्राप्तियां	116.72	39.95	66.92	245.52	परिभाषित नहीं
V अन्य राजकोषीय स्वास्थ्य संकेतक					
निवेश पर प्रतिफल	0.08	0.05	0.43	0.49	0.82

नोट- आंकड़ों को निकटतम पूर्णांक में लिया गया हैं।

*वर्ष 2020-21, 2021-22, 2022-23 और 2023-24 के लिए प्रभावी बकाया राजकोषीय देयताएं क्रमशः ₹ 41,002 करोड़, ₹ 41,786 करोड़, ₹ 40,322 करोड़ और ₹ 35,329 करोड़ होंगी, क्योंकि ऋण प्राप्तियों के तहत राज्य बैक-टू-बैक ऋण के रूप में दिए गए ₹ 5,865 करोड़ (2020-21) और ₹ 6,193 करोड़ (2021-22) के जीएसटी मुआवजे को वित्त आयोग द्वारा निर्धारित किसी भी मानदंड के लिए राज्य के ऋण नहीं माना जाएगा।

** कुल बकाया देयताओं से ऋण प्राप्तियों के तहत बैक-टू-बैक ऋण के रूप में प्राप्त ₹ 5,865 करोड़ (2020-21) एवं ₹ 6,193 करोड़ (2021-22) के जीएसटी मुआवजे के बहिष्करण के बाद आया।

परिशिष्ट 2.1
(पैराग्राफ 2.3.2.2 में संदर्भित)
वर्ष 2023-24 के लिए रा.रा.क्षे.दि.स. के वास्तविक स्वयं कर राजस्व की तुलना में बी.ई./आर.ई.

राजस्व शीर्ष	बीई (प्राप्ति बजट 2023-24 के अनुसार) (₹ करोड़ में)	आरई (प्राप्ति बजट 2024-25 के अनुसार) (₹ करोड़ में)	वास्तविक आंकड़े (₹ करोड़ में)	बी.ई. और वास्तविक आंकड़े के बीच अंतर (₹ करोड़ में)	आरई और वास्तविक आंकड़े के बीच अंतर (₹ करोड़ में)	प्रतिशतता की तुलना में बीई (+) आधिक्य (-) कमी	प्रतिशतता की तुलना में आई (+) आधिक्य (-) कमी
राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी)	31,500	32,200	31,571	71	(-)629	0.23	(-) 1.95
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	5,700	6,600	6,552	852	(-) 48	14.93	(-) 0.74
राज्य उत्पाद शुल्क	7,365	6,000	5,164	(-) 2,201	(-) 836	(-) 29.88	(-) 13.93
वाहनों पर कर	3,000	3,300	3,242	242	(-) 58	8.07	(-) 1.76
स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क	5,997	7,100	7,152	1,155	52	19.26	0.73
भू-राजस्व	3	0	0	(-) 3	0	(-) 100	0
अन्य कर	0	1	0	0	(-) 1	0	(-) 100
कुल	**53,565**	**55,201**	**53,681**	**116**	**(-) 1,520**	**(-) 0.22**	**(-) 2.75**

परिशिष्ट 3.1
(पैराग्राफ 3.2.1 में संदर्भित)
मूल और स्वीकृत बजट के संबंध में राजस्व आउटटर्न का विचलन

(₹ करोड़ में)

अनुदान सं. एवं नाम	मूल अनुदान (बीई)	अनुपूरक अनुदान	कुल स्वीकृत बजट	कुल व्यय	आउटटर्न और बीई में विचलन	प्रतिशतता	स्वीकृत बजट और आउटटर्न में विचलन	प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) [2-5]	(7) [(6)/(2)*100]	(8) [4-5]	(9) [(8)/(4)*100]
1- विधान सभा	61.76	0.05	61.81	31.48	30.27	49.02	30.33	49.06
2- सामान्य प्रशासन	1,181.25	0.2	1,181.45	260.6	920.64	77.94	920.85	77.94
3- न्याय प्रशासन	2,415.41	143.09	2,558.5	2,115.5	299.9	12.42	443	17.31
4- वित्त	384.63	0.29	384.92	248	136.63	35.52	136.92	35.57
5- गृह	1,075.2	23.54	1,098.74	936.21	138.99	12.93	162.53	14.79
6- शिक्षा	15,400.7	5.66	15,406.36	14,102.03	1298.67	8.43	1,304.33	8.47
7- चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	7,553.33	3.81	7,557.14	6,566.88	986.45	13.06	990.26	13.1
8- समाज कल्याण	9,257.2	556.53	9,813.73	8,772.59	484.61	5.23	1,041.14	10.61
9- उद्योग	505.37	6.12	511.49	255.51	249.87	49.44	255.98	50.05
10- विकास	3,848.61	212.5	4,061.11	3,643.29	205.33	5.34	417.82	10.29
11- शहरी विकास और लोक निर्माण कार्य	12,330.33	692.62	13,022.95	11,063.8	1266.54	10.27	1,959.15	15.04
12- ऋण	0	0	0	0	0	-	0	-
13- पेंशन रा.रा.क्षे.दि.स.	3	0	3	3.68	-0.68	-22.68	-0.68	-22.68
14- आकस्मिकता निधि हेतु विनियोजन	0	0	0	0	0	-	0	-
15- लोक ऋण	3,094.32	0	3,094.32	3,094.31	0.01	0	0.01	0
कुल	**57,111.11**	**1,644.41**	**58,755.52**	**51,093.88**	**6,017.23**	**10.54**	**7,661.64**	**13.04**

परिशिष्ट 3.2

(पैराग्राफ 3.2.1 में संदर्भित)

मूल और स्वीकृत बजट के संबंध में पूंजीगत आउटटर्न का विचलन

(₹ करोड़ में)

अनुदान सं. एवं नाम	मूल अनुदान (बीई)	अनुपूरक अनुदान	कुल स्वीकृत बजट	कुल व्यय	आउटटर्न और बीई में विचलन	प्रतिशतता	स्वीकृत बजट और आउटटर्न में विचलन	प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) [2-5]	(7) [(6)/(2)*100]	(8) [4-5]	(9) [(8)/(4)*100]
1- विधान सभा	27.56	0.01	27.57	0.29	27.26	98.94	27.28	98.94
2- सामान्य प्रशासन	17.08	0.13	17.21	5.47	11.61	67.99	11.74	68.23
3- न्याय प्रशासन	165.79	33.65	199.44	27.96	137.83	83.14	171.48	85.98
4- वित्त	573.92	0.15	574.07	34.8	539.13	93.94	539.27	93.94
5- गृह	272.96	0.09	273.05	108.01	164.96	60.43	165.04	60.44
6- शिक्षा	521.76	0.06	521.82	82.77	438.98	84.13	439.05	84.14
7- चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	235.21	0.2	235.41	109.16	126.06	53.59	126.25	53.63
8- समाज कल्याण	1,761.75	1,204.41	2,966.16	2,283.38	-521.63	-29.61	682.78	23.02
9- उद्योग	8.49	31.24	39.73	0.97	7.52	88.56	38.76	97.56
10- विकास	588.9	0.54	589.44	319.4	269.49	45.76	270.04	45.81
11- शहरी विकास और लोक निर्माण	12,601.68	75.53	12,677.21	7,530.75	5,070.93	40.24	5,146.46	40.6
12- ऋण	1.3	0	1.3	0.34	0.96	73.85	0.96	73.85
13- पेंशन रा.रा.क्षे.दि.स.	0	0	0	0	0	-	0	-
14- आकस्मिकता निधि हेतु विनियोजन	0	0	0	0	0	-	0	-
15- लोक ऋण	5,040.29	0.01	5,040.3	4,993.69	46.6	0.92	46.61	0.92
कुल	**21,816.69**	**1,346.02**	**23,162.71**	**15,496.99**	**6,319.7**	**28.97**	**7,665.72**	**33.10**

परिशिष्ट 3.3
(पैराग्राफ 3.3 में संदर्भित)
उन मामलों का विवरण जहां बचत के कारणों में भिन्नता देखी गई

क्रम सं.	अनुदान सं.	शीर्ष	₹ 100 करोड़ से अधिक की बचत (₹ करोड़ में)	विनियोग खातों के अनुसार कारण	विभाग द्वारा दिए गए उत्तर (क्षेत्रीय दौरे के दौरान)
1	**11- शहरी विकास**	2215.01.191.98	154.75	**कॉलम 1** अतिरिक्त राशि मुख्य रूप से अधिक सहायता अनुदान जारी करने के कारण थी। **कॉलम 4 की** बचत मुख्य रूप से दिल्ली जल बोर्ड से प्राप्त अनुचित प्रस्ताव के कारण हुई।	रखरखाव कार्य, अकुशल श्रमिकों की नियुक्ति, उपभोग्य वस्तुओं की खरीद जो पूंजीगत व्यय का हिस्सा नहीं होंगे, सहित कई घटकों के कारण विभिन्न परियोजनाओं में परियोजना प्रदान करते समय लागत से अधिक मांग उत्पन्न हुई है।
2		2215.01.800.93	136.86	**कॉलम 4** बचत मुख्य रूप से दिल्ली जल बोर्ड से प्राप्त अनुचित प्रस्ताव के कारण हुई।	डीजेबी द्वारा दी जाने वाली मासिक औसत सब्सिडी के आधार पर धनराशि उपलब्ध कराई जाती है । इसलिए डीजेबी को औसत आधार पर सब्सिडी प्रदान की गई है, जिसके आउटटर्न स्वरूप 136.85 करोड़ रुपये की बचत हुई है।
3		2215.02.191.88	298.75	**कॉलम 1** बचत मुख्य रूप से कम सहायता अनुदान जारी होने के कारण हुई। **कॉलम 4** बचत मुख्य रूप से दिल्ली जल बोर्ड से प्राप्त अनुचित प्रस्ताव के कारण हुई।	रखरखाव कार्य, अकुशल श्रमिकों की नियुक्ति, उपभोग्य वस्तुओं की खरीद जो पूंजीगत व्यय का हिस्सा नहीं होंगे, सहित कई घटकों के कारण विभिन्न परियोजनाओं में परियोजना प्रदान करते समय लागत से अधिक मांग उत्पन्न हुई है।
4		6215.02.191.85	125.00	**कॉलम 1** अधिकता मुख्य रूप से अधिक ऋण एवं अग्रिम जारी	रखरखाव कार्य, अकुशल श्रमिकों की नियुक्ति, उपभोग्य वस्तुओं की

क्रम सं.	अनुदान सं.	शीर्ष	₹ 100 करोड़ से अधिक की बचत (₹ करोड़ में)	विनियोग खातों के अनुसार कारण	विभाग द्वारा दिए गए उत्तर (क्षेत्रीय दौरे के दौरान)
				करने के लिए किए गए प्रावधान के कारण थी। **कॉलम 4** बचत मुख्य रूप से दिल्ली जल बोर्ड से प्राप्त अनुचित प्रस्ताव के कारण हुई।	खरीद जो पूंजीगत व्यय का हिस्सा नहीं होंगे, सहित कई घटकों के कारण विभिन्न परियोजनाओं में परियोजना प्रदान करते समय लागत से अधिक मांग उत्पन्न हुई है।
5		6215.02.191.83	122.49	**कॉलम 1** अधिकता मुख्य रूप से अधिक ऋण एवं अग्रिम जारी करने के लिए किए गए प्रावधान के कारण थी। **कॉलम 4** बचत मुख्य रूप से दिल्ली जल बोर्ड से प्राप्त अनुचित प्रस्ताव के कारण हुई।	रखरखाव कार्य, अकुशल श्रमिकों की नियुक्ति, उपभोग्य वस्तुओं की खरीद जो पूंजीगत व्यय का हिस्सा नहीं होंगे, सहित कई घटकों के कारण विभिन्न परियोजनाओं में परियोजना प्रदान करते समय लागत से अधिक मांग उत्पन्न हुई है।
6		6215.02.191.82	214.63	**कॉलम 1** बचत मुख्य रूप से कम ऋण और अग्रिम जारी करने के कारण थी। **कॉलम 4** बचत मुख्य रूप से दिल्ली जल बोर्ड से प्राप्त अनुचित प्रस्ताव के कारण हुई।	रखरखाव कार्य अकुशल श्रमिकों की नियुक्ति, उपभोग्य वस्तुओं की खरीद जो पूंजीगत व्यय का हिस्सा नहीं होंगे, सहित कई घटकों के कारण विभिन्न परियोजनाओं में परियोजना प्रदान करते समय लागत से अधिक मांग उत्पन्न हुई है।

परिशिष्ट 3.4
(पैराग्राफ 3.3.1 में संदर्भित)
ऐसे मामलों का विवरण जहां अनुपूरक प्रावधान (₹ एक करोड़ या अधिक) अनावश्यक साबित हुए

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अनुदान सं. एवं नाम	मूल अनुदान/ विनियोजन	अनुपूरक अनुदान	कुल अनुदान	व्यय	कुल अनुदान में से बचत
राजस्व (दत्तमत)						
1.	अनुदान सं. 3- न्याय प्रशासन	1,870.90	142.92	2,013.82	1,629.37	384.45
2.	अनुदान सं. 5- गृह	1,074.55	22.19	1,096.74	935.46	161.28
3.	अनुदान सं. 6- शिक्षा	15,400.18	1.03	15,401.21	14,101.20	1,300.01
4.	अनुदान सं. 7- चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	7,545.56	1.20	7,546.76	6,565.71	981.05
5.	अनुदान सं. 8- समाज कल्याण	9,257.14	550.37	9,807.51	8,769.65	1,037.86
6.	अनुदान सं. 10- विकास	3,848.40	212.50	4,060.90	3,643.28	417.62
7.	अनुदान सं. 11- यूडी और पीडब्ल्यूडी	12,330.29	692.61	13,022.90	11,063.79	1,959.11
	कुल	**51,327.02**	**1,622.82**	**52,949.84**	**46,708.46**	**6,241.38**
राजस्व (प्रभारित)						
8.	अनुदान सं. 7- चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	7.77	2.61	10.38	1.17	9.21
	कुल	**7.77**	**2.61**	**10.38**	**1.17**	**9.21**
	कुल योग	**51,334.79**	**1,625.43**	**52,960.22**	**46,709.63**	**6,250.59**

परिशिष्ट 3.5
(पैराग्राफ 3.3.2 में संदर्भित)
निधियों का आधिक्य/अनावश्यक पुनर्विनियोग, जहां अंतिम बचत ₹ 15 करोड़ से अधिक थी

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान सं. एवं नाम	लेखा शीर्ष (उप-शीर्षक-वार)	प्रावधान				वास्तविक व्यय	अंतिम बचत	रा.रा.क्षे.दि.स. के शीर्ष-वार विनियोग लेखे के अनुसार कारण
			मूल	अनुपूरक	पुनर्विनियोग	कुल			
1	**अनुदान सं. 03- न्याय प्रशासन**	20140010591 प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश - पश्चिम जिला।	97.95	6.22	27.41	131.58	95.45	36.13	सक्षम प्राधिकारी से वित्तीय अनुमोदन की कम प्राप्ति, द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग के भत्तों की बकाया राशि जारी न करना तथा दावों/बिलों की कम प्राप्ति।
2		20140010589 - प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश - दक्षिण जिला।	86.81	54.82	7.44	149.07	106.75	42.32	द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग को बकाया राशि के सांवितरण के संबंध में प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त न होना , रिक्त पद तथा दावों/बिलों की कम प्राप्ति
3		20140010588 - प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश - दक्षिण पूर्व जिला।	77.21	9.12	15.89	102.22	82.04	20.18	द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग को बकाया राशि के सांवितरण के संबंध में प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त न होना, 7 विधि शोधकर्ताओं की नियुक्ति न होना, प्रशिक्षण न होना तथा संविदा

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान सं. एवं नाम	लेखा शीर्ष (उप-शीर्षक-वार)	प्रावधान				वास्तविक व्यय	अंतिम बचत	रा.रा.क्षे.दि.स. के शीर्ष-वार विनियोग लेखे के अनुसार कारण
			मूल	अनुपूरक	पुनर्विनियोग	कुल			
									कर्मचारियों के अनुबंध का नवीनीकरण न होना,
4		20140010584 - प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश - उत्तर पश्चिम जिला	90.15	0.82	16.18	107.15	87.59	19.56	द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग के बकाया भुगतान के संबंध में प्रशासनिक अनुमोदन न मिलना, विधि अनुसंधानकर्ताओं एवं संविदा कर्मियों की नियुक्ति न होना।
5		20140010583 - प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश - दक्षिण पश्चिम जिला	129.95	9.04	4.72	143.71	118.19	25.52	कुछ न्यायिक अधिकारियों को द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग के बकाया का सांवितरण न किया जाना, द्वारका स्थित वाणिज्यिक न्यायालय के विधि शोधकर्ताओं को भुगतान करने हेतु मंजूरी प्राप्त न होना।
6		22350180092 0 अपराध पीड़ितों के लिए मुआवज़ा	104.65	0.01	0.43	105.09	80.06	25.03	वित्तीय वर्ष के अंत में जीआईए की चौथी किस्त ₹15.44 करोड़ प्राप्त हुई तथा पीड़ित मुआवजा बैंक द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया।

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान सं. एवं नाम	लेखा शीर्ष (उप-शीर्षक-वार)	प्रावधान				वास्तविक व्यय	अंतिम बचत	रा.रा.क्षे.दि.स. के शीर्ष-वार विनियोग लेखे के अनुसार कारण
			मूल	अनुपूरक	पुनर्विनियोग	कुल			
7	**अनुदान सं. 6 - शिक्षा**	22020210994 - +2 स्तर पर कंप्यूटर विज्ञान का प्रारंभ	108	0.01	1.11	109.12	69.3	39.82	शिक्षा निदेशालय के शिक्षकों द्वारा खरीदे गए टैबलेट की प्रतिपूर्ति की अनुमति आज तक प्राप्त नहीं हुई है।
8	**अनुदान सं. 7- चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य**	22100111090 - सरकारी औषधालय	239.15	0.02	11.96	251.13	220.42	30.72	रिक्त पद, बकाया बिलों का अंतिम रूप न दिया जाना तथा कम बिलों/दावों की प्राप्ति।
9		22100111014 - जनकपुरी सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल सोसाइटी को सहायता अनुदान	50	0.02	7.98	58	36.48	21.52	वित्त विभाग द्वारा ₹ 21.52 करोड़ पिछले वर्ष के प्रति समायोजन कर दिए जाने के कारण इसे जारी नहीं किया जा सका।
10		22100180039 - स्वास्थ्य उद्देश्यों के लिए दिल्ली नगर निगम को सहायता अनुदान	185.06	0.03	14.38	199.47	181.5	17.97	पूंजीगत परियोजना के लिए बजट आबंटन पूरी तरह से खर्च नहीं किया गया क्योंकि कुछ परियोजनाएं अभी भी पूरी होने के चरण में हैं तथा कुछ बिल देरी से प्राप्त हुए थे।
11		22100111067 - डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर अस्पताल	256.89	0.04	3.59	260.52	242.22	18.30	रिक्त पद तथा कर्मचारियों एवं विक्रेताओं द्वारा बिल प्रस्तुत न करना।

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान सं. एवं नाम	लेखा शीर्ष (उप-शीर्षक-वार)	प्रावधान				वास्तविक व्यय	अंतिम बचत	रा.रा.क्षे.दि.स. के शीर्ष-वार विनियोग लेखे के अनुसार कारण
			मूल	अनुपूरक	पुनर्विनियोग	कुल			
12	**अनुदान सं. 8- समाज कल्याण**	2235021021798 - आंगनवाड़ी आंगनवाड़ी सेवा योजना- आंगनवाड़ी सेवा सामान्य (केंद्र प्रायोजित)	89.50	0.01	1.49	91	53.5	37.50	भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान इस योजना के अंतर्गत कम धनराशि जारी की।
13		2235021021598 - आंगनवाड़ी सेवा योजना- आंगनवाड़ी सेवा सामान्य (राज्य का हिस्सा)	211.17	0.01	9.82	221	200	21.00	यह व्यय पिछले वित्त वर्ष 2022-23 की अव्ययित शेष राशि से किया गया था।
14		30550019096 - क्लस्टर बसों के घाटे की पूर्ति हेतु मुआवजा	1250.00	156.09	11.91	1418	1250.00	168.00	डीआईएमटीएस द्वारा बिल देर से जमा करना।
15		30550019089 - एमआरटीएस को अन्य अनुदान	1.00	0.01	198.99	200	0	200.00	फाइल रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के वित्त विभाग के पास प्रस्तुत थी।
16		30756080078 - बाहरी सहायता पर विदेशी मुद्रा भिन्नता को साझा करने के लिए डीएमआरसी को अनुदान	0.00	0.01	99.99	100	0	100.00	प्रस्ताव दिल्ली सरकार के वित्त विभाग के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।
17	**अनुदान सं. 10- विकास**	24060410399- राज्य प्रतिपूरक वनरोपण निधि (एससीएएफ) से वित्तपोषित प्रतिपूरक वनरोपण	25.67	0.01	15.41	41.09	7.78	33.31	वार्षिक परिचालन योजना की स्वीकृति में देरी के कारण पौधारोपण नहीं किया जा सका, भूमि का दाखिल खारिज न होने के कारण तथा

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान सं. एवं नाम	लेखा शीर्ष (उप-शीर्षक-वार)	प्रावधान				वास्तविक व्यय	अंतिम बचत	रा.रा.क्षे.दि.स. के शीर्ष-वार विनियोग लेखे के अनुसार कारण
			मूल	अनुपूरक	पुनर्विनियोग	कुल			
									पूर्ण किए गए कार्य से संबंधित भुगतान जारी न किए जाने के कारण निविदाएं संसाधित नहीं की गईं।
18	**अनुदान सं. 11-शहरी विकास और पीडब्ल्यूडी**	22150119198 - अनाधिकृत कॉलोनियों में जलापूर्ति उपलब्ध कराने के लिए दिल्ली जल बोर्ड को सहायता अनुदान	240.00	0.02	66.52	306.54	151.79	154.75	दिल्ली जल बोर्ड से अनुपयुक्त प्रस्ताव प्राप्त हुआ।
		कुल	**3,243.16**	**236.31**	**515.22**	**3,994.69**	**2,983.07**	**1,011.62**	
		पूंजिगत (दत्तमत)							
19	**अनुदान सं. 11-शहरी विकास और पीडब्ल्यूडी**	62150119178 - मौजूदा जल कार्यों के सुधार के लिए दिल्ली जल बोर्ड को ऋण	250.00	0.01	6.99	257.00	185.62	71.38	जियो-टैगिंग के अभाव में शेष राशि का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ।
20		62150119176 - दिल्ली जल बोर्ड को मीटरिंग और रिसाव प्रबंधन के लिए ऋण	30.00	0.01	30.99	61.00	24.62	36.38	जियो-टैगिंग के अभाव में शेष राशि का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ।
21		62150119175 - शहरी क्षेत्रों में बरसाती कुआं और ट्यूबवेल के लिए दिल्ली जल बोर्ड को ऋण	100.00	0.01	26.99	127.00	61.94	65.06	जियो-टैगिंग के अभाव में शेष राशि का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ।
22		62150119174 - स्टाफ क्वार्टर और कार्यालय	20.00	0.02	9.98	30.00	12.99	17.01	जियो-टैगिंग के अभाव में शेष राशि

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान सं. एवं नाम	लेखा शीर्ष (उप-शीर्षक-वार)	प्रावधान				वास्तविक व्यय	अंतिम बचत	रा.रा.क्षे.दि.स. के शीर्ष-वार विनियोग लेखे के अनुसार कारण
			मूल	अनुपूरक	पुनर्विनियोग	कुल			
		आवास के लिए दिल्ली जल बोर्ड को ऋण							का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ।
23		50540410192 - एलिवेटेड कॉरिडोर बारापुल्ला नाला फेज-III का निर्माण	100.00	0.01	21.99	122.00	95.92	26.08	पेड़ काटने की अनुमति न मिलने तथा भूमि अधिग्रहण की धीमी गति के कारण कार्य की प्रगति में विलम्ब हुआ।
कुल			**500.00**	**0.06**	**96.94**	**597.00**	**381.09**	**215.91**	
कुल योग			**3,743.16**	**236.37**	**612.16**	**4,591.69**	**3,364.16**	**1,227.53**	

परिशिष्ट 3.6
(पैराग्राफ 3.3.3 में संदर्भित)
वर्ष 2023-24 के दौरान बड़ी बचत (₹ 500 करोड़ से अधिक की बचत) वाले अनुदानों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	अनुदान सं. एवं नाम	मूल अनुदान/ विनियोग	अनुपूरक अनुदान	कुल अनुदान	व्यय	कुल अनुदान में से बचत	अभ्यर्पण	अभ्यर्पण के पश्चात् बचत
राजस्व (दत्तमत)								
1	अनुदान सं. 2- सामान्य प्रशासन	1,151.79	0.11	1,151.90	239.27	912.63 (79.23%)	879.75	32.88
2	अनुदान सं. 6 शिक्षा	15,400.18	1.03	15,401.21	14,101.20	1,300.01 (8.44%)	343.67	956.34
3	अनुदान सं. 7- चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	7,545.55	1.20	7,546.75	6,565.70	981.05 (13%)	136.46	844.59
4	अनुदान सं. 8- समाज कल्याण	9,257.14	550.37	9,807.51	8,769.65	1,037.86 (10.58%)	0.18	1,037.68
5	अनुदान सं. 11- यूडी और पीडब्ल्यूडी	12,330.29	692.61	13,022.90	11,063.80	1,959.10 (15.04%)	453.62	1,505.48
	कुल	**45,684.95**	**1,245.32**	**46,930.27**	**40,739.62**	**6,190.65**	**1,813.68**	**4,376.97**
पूंजीगत (दत्तमत)								
6	अनुदान सं. 4- वित्त	573.93	0.15	574.08	34.80	539.28 (93.94%)	528.57	10.71
7	अनुदान सं. 11- यूडी और पीडब्ल्यूडी	12,551.68	0.53	12,552.21	7,405.78	5,146.43 (41%)	3,187.42	1,959.01
	कुल	**13,125.61**	**0.68**	**13,126.29**	**7,440.58**	**5,685.71**	**3,715.99**	**1,969.72**
कुल योग		**58,810.56**	**1,246.00**	**60,056.56**	**48,180.20**	**11,876.36**	**5,529.67**	**6,346.69**

स्रोत: प्रधान लेखा कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स.

परिशिष्ट 3.7

(पैराग्राफ 3.3.3 में संदर्भित)

मार्च 2024 के अंत तक ₹ 10 करोड़ से अधिक की बचत जो व्यपगत हो गई, उसका विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	अनुदान सं. एवं नाम	मूल अनुदान/ विनियोग	अनुपूरक सं. अनुदान/ विनियोग	कुल अनुदान/ विनियोग	व्यय	बचत	वर्ष के दौरान अभ्यर्पण	व्यपगत
राजस्व (दत्तमत)								
1	अनुदान सं. 2- सामान्य प्रशासन	1,151.80	0.11	1,151.91	239.27	912.64	879.76	32.88
बचत के कारण : अन्य बातों के साथ-साथ बिलों/दावों की कम प्राप्ति, कोई विदेशी यात्रा/दौरे नहीं होना, सामग्री और आपूर्ति की कम खरीद, सरकार/मनोनीत परिषदों से कम कानूनी बिलों की प्राप्ति, विक्रेताओं द्वारा बिल जमा नहीं कराना, रिक्त पद, कर्मचारियों का स्थानांतरण, व्यक्तिगत दावों की प्राप्ति नहीं होना, अनुमोदन न मिलने के कारण वरिष्ठ अधिवक्ताओं के व्यावसायिक बिलों का भुगतान संसाधित नहीं होना, किराए, दरों और दौरा बिलों के संबंध में बकाया राशि का निपटान न होना, कार्य पूरा न होना, कम परीक्षा आयोजित होना, सीवीडी की सेवाएं बंद करना, एनआईसीएसआई द्वारा बिल प्रस्तुत न करना आदि के कारण बचत हुई। ***बचत के अभ्यर्पण के लिए*** अन्य बातों के साथ-साथ कम दावों, बिलों की प्राप्त न होना, रिक्त पद, देयताओं की कमी, कम प्रशिक्षण और परीक्षा, भारत सरकार से धनराशि की प्राप्ति न होना (₹ 284.44 करोड़) आदि को जिम्मेदार ठहराया गया।								
2	अनुदान सं. 4 - वित्त	384.63	0.18	384.81	248.00	136.81	94.80	42.01
बचत के कारण : अन्य बातों के साथ-साथ रिक्त पदों, कम बिलों/दावों की प्राप्ति, कम प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने, ई-आबकारी के प्रस्तावों का परिपक्व न होना, सरकारी वकीलों के दावों को अंतिम रूप न दिए जाने, खरीद के संबंध में एएएंडईएस प्राप्त न किए जाने आदि के कारण बचत हुई। ***बचत अभ्यर्पण के*** कारणों में अन्य बातों के साथ-साथ कम दावे, बिलों की प्राप्ति न होना, रिक्त पद, कम मुद्रण एवं प्रकाशन, सरकारी वकीलों द्वारा कोई बिल प्रस्तुत न करना, योजनाओं को अंतिम रूप न देना आदि शामिल हैं।								
3	अनुदान सं. 5 - गृह	1,074.55	22.19	1,096.74	935.46	161.28	51.61	109.67
बचत के कारण : अन्य बातों के साथ-साथ कार्य मुआवजा (₹ 53.32 करोड़) प्रदान करने की स्वीकृति न मिलने, वित्त विभाग की सहमति न मिलने और वित्त विभाग से तकनीकी मंजूरी न मिलने, सिविल डिफेंस वालंटियर्स को हटाने, दिल्ली अग्निशमन सेवा प्रभाग द्वारा वेतन और भत्ते के बिल प्रस्तुत न करने, जेलों में तैनात फार्मासिस्टों/फार्मेसी अधिकारियों का सामूहिक स्थानांतरण/तैनाती, प्रस्ताव/निविदाओं का क्रियान्वयन न होने आदि के कारण बचत हुई। ***बचत के अभ्यर्पण के लिए*** अन्य बातों के साथ-साथ रिक्त पदों, कम बिलों/दावों की प्राप्ति, कम प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा निविदा को अंतिम रूप न दिए जाने आदि को जिम्मेदार ठहराया गया।								
4	अनुदान सं. 6 - शिक्षा	15,400.18	1.03	15,401.21	14,101.20	1,300.01	343.68	956.33

(₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	अनुदान सं. एवं नाम	मूल अनुदान/ विनियोग	अनुपूरक सं. अनुदान/ विनियोग	कुल अनुदान/ विनियोग	व्यय	बचत	वर्ष के दौरान अभ्यर्पण	व्यपगत
बचत के कारण : अन्य बातों के साथ-साथ वित्त विभाग द्वारा अव्ययित शेष राशि का पुनर्सत्यापन न करने, बिलों में पाई गई कमी के कारण भुगतान न करने, आम चुनाव (लोकसभा) 2024, योजना बंद होने, लाभार्थियों की कम सं., डीबीटी बिलों से संबंधित भुगतान को अंतिम रूप न देने, योजना का कार्यान्वयन न होने, दौरों के दौरान छात्रों की कम उपस्थिति, शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों के एमएसीपी/स्टेपिंग अप मामलों को अंतिम रूप न देने, रिक्त पद, शिक्षा निदेशालय के शिक्षकों द्वारा खरीदे गए टैबलेट की प्रतिपूर्ति की अनुमति न मिलने, पिछले वर्ष की अव्ययित शेष राशि और एससीईआरटी की आय को इस वित्तीय वर्ष में वित्त विभाग द्वारा समायोजित करने, केंद्र के हिस्से और संबंधित राज्य के अनिवार्य हिस्से का कम जारी किया जाना, भारत सरकार से सहायता अनुदान की दूसरी और बाद की किस्तों की प्राप्ति न होने, जीईएम पोर्टल का सक्रिय न होना, विश्वविद्यालय में पूंजीगत परियोजना/कार्य विचाराधीन होने आदि के कारण बचत हुई। ***बचत अभ्यर्पण के कारणों*** में अन्य बातों के साथ-साथ रिक्त पद, कम प्रशिक्षण कार्यक्रम , कम मुद्रण एवं प्रकाशन कार्य, कम सहायता अनुदान, भारत सरकार से अनुदान जारी न होना, केन्द्रीय अंशदान के संदर्भ में आनुपातिक राज्य हिस्सा रखा जाना, प्रस्तावों का प्रक्रियाधीन होना, कम खरीद, अकादमी का संचालन न होना, डीटीसी बसों की किराये की राशि का भुगतान न होना, 'दिल्ली खेल विश्वविद्यालय' शुरू न होना, कम खरीद, कर्मचारियों द्वारा एलटीसी का लाभ न लिया जाना आदि शामिल हैं।								
5	अनुदान सं. 7 - चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	7,545.56	1.20	7,546.76	6,565.71	981.05	136.47	844.58
बचत के कारण : अन्य बातों के साथ-साथ, राशि जारी नहीं किए जाने क्योंकि उसे वित्त विभाग द्वारा पिछले वर्ष की अव्ययित शेष राशि के साथ समायोजित किया गया था, रिक्त पद, बकाया बिलों को अंतिम रूप न देना और कम बिलों और दावों की प्राप्ति, अपूर्ण कोडल औपचारिकताएं/बोली परामर्श, परियोजना के लिए आवंटित बजट पूरी तरह खर्च नहीं किया गया था और कुछ बिल देरी से प्राप्त हुए थे, सक्षम प्राधिकारी द्वारा बकाया भुगतान की स्वीकृति न मिलना, विभिन्न प्रशासनिक कारणों से बिलों को संसाधित नहीं किया जाना/स्वीकृति के लिए प्रस्तुत नहीं किया जाना, दिल्ली राज्य स्वास्थ्य मिशन ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (सीएसएस अनुदान) की दूसरी किस्त का दावा नहीं किया, डीआईपी से बिल प्राप्त नहीं हुए, रेजिडेंट डॉक्टरों/संविदा कर्मचारियों का मूल्यांकन प्राप्त न होना, बकाया दावों की प्राप्ति न होना, विक्रेता द्वारा समय पर बिल जमा न करना, रिक्त पद, कुछ फर्मों को ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया था जिसके कारण व्यय रुका रहा, एमसीडी को विभिन्न केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के तहत सहायता अनुदान जारी न करना, विक्रेताओं द्वारा बिल जमा करने में देरी, आईपीडी/ओपीडी सेवाओं की दो वर्षों के बकाया भुगतान के लिए वित्त विभाग की स्वीकृति न मिलना। आदि। के कारण बचत हुई। ***बचत*** अभ्यर्पण ***के*** कारणों में लोक नायक एवं राजीव गांधी अस्पताल में हीमोडायलिसिस सेवाओं का निलम्बन, निविदा प्रक्रियाधीन होना, निधियों की आवश्यकता न होना, रिक्त पद, कम बिलों/दावों की प्राप्ति और कम खरीद, कम सहायता अनुदान जारी होना, रिक्त पद, कम बिलों/दावों की प्राप्ति, आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए वस्तु शीर्ष में परिवर्तन, कम मरम्मत एवं रखरखाव कार्य आदि शामिल हैं।								
6	अनुदान सं. 9 - उद्योग	505.34	0.13	505.47	249.69	255.78	140.62	115.16

(₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	अनुदान सं. एवं नाम	मूल अनुदान/ विनियोग	अनुपूरक सं. अनुदान/ विनियोग	कुल अनुदान/ विनियोग	व्यय	बचत	वर्ष के दौरान अभ्यर्पण	व्यपगत
बचत और अभ्यर्पण के कारण : अन्य बातों के साथ-साथ रिक्त पदों की सं., एमटीएस कर्मचारियों के लिए जीईएम निविदा को अंतिम रूप न दिए जाने, एलटीसी/मेडिकल के लिए कम दावे प्राप्त होना, वित्त विभाग द्वारा प्रशासनिक अनुमोदन और अनुमान मंजूरी नहीं देना, प्रशासनिक कारणों से मेलों/ रोजगार मेले का आयोजन न करना, एमएसीपी बकाया और संशोधित वेतन निर्धारण न होना, मुख्यमंत्री घर - घर राशन योजना का क्रियान्वयन न होना, दावे की प्राप्ति न होना, मार्च 2024 के महीने के लिए मार्जिन मनी का भुगतान अगले वित्तीय में किया जाना आदि के कारण बचत हुई। बचत अभ्यर्पण के कारणों में अन्य बातों के साथ-साथ सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए योजना को प्रस्तुत करना, भारत सरकार से कम धनराशि की प्राप्ति, केंद्रीय हिस्से के संदर्भ में आनुपातिक राज्य का हिस्सा रखा जाना, ऑक्सीजन नीति का विस्तार नहीं करना, योजना का क्रियान्वयन नहीं करना, योजना का प्रक्रियाधीन होना, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत होना, रिक्त पद, कम बिलों/दावों की प्राप्ति, भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट खाद्य वस्तु की मुफ्त आपूर्ति आदि के कारण बचत अभ्यर्पण हुआ।								
7	अनुदान सं. 10 - विकास	3,848.40	212.50	4,060.90	3,643.28	417.62	73.51	344.11
बचत के कारण : अन्य बातों के साथ-साथ रिक्त पदों, 66 रिक्त पदों के प्रति रखी गई धनराशि, कर्मचारियों का स्थानांतरण, अगले वित्तीय वर्ष में आयोजित होने वाले लोकसभा-2024 के आम चुनाव, वेब कास्टिंग सेवा और वीडियोग्राफी/सीसीटीवी का भुगतान नहीं किया गया, सक्षम प्राधिकारी से मंजूरी नहीं मिली, वास्तविक व्यय लोकसभा चुनाव के प्रारंभिक अनुमान से कम था, नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों को हटाया गया, छोटे सिविल और बिजली के कार्यों को मंजूरी नहीं मिली, लोकसभा चुनाव 2024 के लिए धन की मांग की गई थी लेकिन आम चुनाव 25.05.2024 को हुए, पौधारोपण नहीं किया गया, भूमि का उत्परिवर्तन न होना, कोविड-19 अवधि के भुगतान का निपटान नहीं किया गया, सरकार द्वारा यात्रा कार्यक्रम को अंतिम रूप न देना, केबल चोरी के कारण बिजली पर खर्च में कमी, चुनाव की आदर्श आचार संहिता के कारण आईटी से संबंधित प्रस्तावों को मंजूरी नहीं दी गई, दिल्ली पशु सलाहकार बोर्ड (डीएएबी) के बजत शीर्ष में परिवर्तन के प्रस्ताव को अंतिम रूप नहीं दिया गया, वर्ष के अंत में संशोधित अनुमानों में निधि की प्राप्ति आदि के कारण बचत हुई। ***बचत अभ्यर्पण के कारणों*** में रिक्त पद, कम दावे प्राप्त होना, लोकसभा चुनाव के लिए प्रावधान किए जाना, मुद्रण व्यय का लोकसभा बजट से होना, नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों की सेवा समाप्त होना, मुआवजा वृद्धि का मामला न्यायालय में विचाराधीन होना, मामले का मंत्रिसमूह (जीओएम) के पास निर्णय हेतु लंबित होना, भारत सरकार से धनराशि प्राप्त न होना, कम सहायता अनुदान जारी होना, कम खरीद, कम मुद्रण एवं प्रकाशन, कम मरम्मत एवं रखरखाव कार्य, कम प्रशिक्षण व्यय, स्टाम्प शुल्क जुटाने के लिए कम कमीशन, धार्मिक क्रियाकलापों पर कम व्यय होना आदि शामिल हैं।								
8	अनुदान सं. 11 - यूडी और पीडब्ल्यूडी	12,330.29	692.61	13,022.90	11,063.79	1,959.11	453.63	1,505.48
बचत के कारण : अन्य बातों के साथ-साथ, रिक्त पदों को नहीं भरा जाना और चिकित्सा व्यय का अनुमान नहीं लगाया जाना, एजेंसी द्वारा दावे प्रस्तुत नहीं किए जाना, दिल्ली जल बोर्ड से अनुचित प्रस्ताव प्राप्त होना, जियो टैगिंग के अभाव में शेष राशि का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं होना, नई परियोजनाओं की डीपीआर प्राप्त नहीं होना, **अमृत सरोवर** के साथ-साथ **स्वैप-II** (₹ 438.24 करोड़) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा कोई निधि जारी नहीं किया जाना, मंत्रालय से कोई निधि प्राप्त नहीं होना, भारत सरकार से प्राप्त निधि के प्रति आनुपातिक राज्य हिस्सेदारी का उपयोग नहीं किया जाना, रिक्त पदों की सं., डब्ल्यूसी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति, मार्च माह में अनुमानित बिलों की प्राप्ति न होना, कर्मचारियों का स्थानांतरण, वेतन शीर्ष के								

(₹ करोड़ में)

<table>
<tr><th>क्रम. सं.</th><th>अनुदान सं. एवं नाम</th><th>मूल अनुदान/ विनियोग</th><th>अनुपूरक सं. अनुदान/ विनियोग</th><th>कुल अनुदान/ विनियोग</th><th>व्यय</th><th>बचत</th><th>वर्ष के दौरान अभ्यर्पण</th><th>व्यपगत</th></tr>
<tr><td colspan="9">संबंध में सेवा विभाग से अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त न होना, समय पर बिलों की प्राप्ति न होना और मुद्रण एवं प्रकाशन से संबंधित कार्य विभाग द्वारा नहीं किया जाना, लोकसभा के आम चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता का कार्यान्वयन, शेष सब्सिडी जारी नहीं किया जाना, मार्च 2024 के पहले सप्ताह में जीआईए की तीसरी किस्त प्राप्त होने के आउटटर्न स्वरूप भुगतान की प्रक्रिया में देरी, ऊर्जा दक्षता/संरक्षण गतिविधियों पर कम व्यय, जीबीआई को कम धनराशि जारी किया जाना आदि के कारण बचत हुई।
बचत अभ्यर्पण के कारणों में अन्य बातों के साथ-साथ रिक्त पद, बिलों की प्राप्ति न होना, कम खरीद, कम प्रशिक्षण व्यय और कोई विदेशी दौरा न होना, कम लाभार्थी, कम सहायता अनुदान जारी होना, योजना का क्रियान्वयन न होना, भारत सरकार से अनुदान प्राप्त न होना (₹ 738.76 करोड़), भारत सरकार से कम अनुदान जारी होना, अनुचित प्रस्ताव प्राप्त होना, कम मंज़ूरी प्राप्त होना, कम अध्ययन आयोजित किए जाना आदि शामिल हैं।</td></tr>
<tr><td></td><td>कुल</td><td>42,240.75</td><td>929.95</td><td>43,170.70</td><td>37,046.40</td><td>6,124.30</td><td>2,174.08</td><td>3,950.22</td></tr>
<tr><td colspan="8">पूंजीगत (दत्तमत)</td><td></td></tr>
<tr><td>9</td><td>अनुदान सं. 3 - न्याय प्रशासन</td><td>165.79</td><td>0.30</td><td>166.09</td><td>6.66</td><td>159.43</td><td>120.51</td><td>38.92</td></tr>
<tr><td colspan="9">बचत और अभ्यर्पण के कारण : अन्य बातों के साथ-साथ 6 इलेक्ट्रिक वाहनों का भुगतान न किए जाने और 31 वाहनों के संबंध में दिल्ली सरकार से कोई मंज़ूरी प्राप्त नहीं होने, वर्ष के अंत में राउज एवेन्यू न्यायालयों के कंप्यूटरीकरण के लिए मदों के संबंध में मंज़ूरी प्राप्त नहीं होने और कंप्यूटर हार्डवेयर (₹ 30.57 करोड़) की खरीद के संबंध में दिल्ली सरकार से प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय मंज़ूरी प्राप्त नहीं होने, मशीनरी और उपकरणों की खरीद न करने, कड़कड़डूमा , राउज एवेन्यू न्यायालय, शास्त्री पार्क, न्यू उस्मानपुर पुलिस स्टेशन में अतिरिक्त न्यायालय के निर्माण के लिए कार्य आदेश न दिए जाने और डीटीटीडी से अंतिम बिल प्राप्त न होने के कारण बचत हुई।</td></tr>
<tr><td>10</td><td>अनुदान सं. 4 - वित्त</td><td>573.93</td><td>0.15</td><td>574.08</td><td>34.80</td><td>539.28</td><td>528.57</td><td>10.71</td></tr>
<tr><td colspan="9">बचत और अभ्यर्पण के कारण . अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न विविध वस्तुओं की खरीद के संबंध में प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय मंज़ूरी प्राप्त न होने के कारण बचत हुई।
अभ्यर्पण के कारण . अन्य बातों के साथ-साथ ऋण एवं अग्रिम (₹ 500.00 करोड़) जारी न करने, पिछले वर्ष के अंतिम भुगतानों के लिए प्रावधान न रखने, प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय स्वीकृति न प्राप्त करने आदि के कारण बचत हुई।</td></tr>
<tr><td>11</td><td>अनुदान सं. 5 - गृह</td><td>272.96</td><td>0.09</td><td>273.05</td><td>108.01</td><td>165.04</td><td>128.99</td><td>36.05</td></tr>
<tr><td colspan="9">बचत और अभ्यर्पण के कारण . अन्य बातों के साथ-साथ सक्षम प्राधिकारी से समय पर सहमति न मिलने, कम खरीद, आईटी उपकरण और फर्नीचर एवं फिक्सचर की खरीद के लिए कुछ निविदा प्रस्तावों को मूल रूप न देने के कारण बचत हुई।
बचत और अभ्यर्पण के कारण अन्य बातों के साथ-साथ निविदाओं/प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने, कम बिलों की प्राप्ति तथा निविदाओं के प्रक्रियाधीन होने (₹ 109.31 करोड़) आदि के कारण बचत हुई।</td></tr>
<tr><td>12</td><td>अनुदान सं. 6 - शिक्षा</td><td>521.76</td><td>0.06</td><td>521.82</td><td>82.78</td><td>439.04</td><td>348.06</td><td>90.98</td></tr>
</table>

(₹ करोड़ में)

<table>
<tr><th>क्रम. सं.</th><th>अनुदान सं. एवं नाम</th><th>मूल अनुदान/ विनियोग</th><th>अनुपूरक सं. अनुदान/ विनियोग</th><th>कुल अनुदान/ विनियोग</th><th>व्यय</th><th>बचत</th><th>वर्ष के दौरान अभ्यर्पण</th><th>व्यपगत</th></tr>
<tr><td colspan="9">बचत के कारण : अन्य बातों के साथ-साथ योजना के तौर-तरीकों को अंतिम रूप न दिए जाने, कम्प्यूटरों की खरीद न होने (₹ 41.00 करोड़), कार्य की धीमी गति और आदर्श आचार संहिता के प्रतिबंध (₹ 118.62 करोड़) आदि के कारण बचत हुई।
अभ्यर्पण के कारण : अन्य बातों के साथ-साथ कंप्यूटरों की खरीद न होने, कार्य की धीमी गति, कार्य का प्रक्रियाधीन होना (₹ 121.86 करोड़), मशीनरी एवं उपकरण और आईसीटी की खरीद न होने, वेब किट की खरीद को अंतिम रूप न दिए जाने, भवन एवं संरचना कार्य को अंतिम रूप न दिए जाने आदि के कारण बचत हुई।</td></tr>
<tr><td>13</td><td>अनुदान सं. 7 - चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य</td><td>235.22</td><td>0.20</td><td>235.42</td><td>109.16</td><td>126.26</td><td>93.45</td><td>32.81</td></tr>
<tr><td colspan="9">बचत के कारण . अन्य बातों के अलावा, प्रक्रियाधीन प्रस्तावों, केंद्रीय खरीद एजेंसी में अन्य विभागों से मांग प्राप्त न होने योजना के क्रियान्वयन में देरी हुई आदि के कारण बचत हुई। बचत अभ्यर्पण के लिए अन्य बातों के साथ-साथ योजना के कार्यान्वयन में देरी, संसदीय चुनाव के लिए लागू आदर्श आचार संहिता, कम बिलों की प्राप्ति और कम खरीद आदि को जिम्मेदार ठहराया गया।</td></tr>
<tr><td>14</td><td>अनुदान सं. 10 - विकास</td><td>588.85</td><td>0.35</td><td>589.20</td><td>319.26</td><td>269.94</td><td>182.68</td><td>87.26</td></tr>
<tr><td colspan="9">बचत और अभ्यर्पण के कारण : अन्य बातों के साथ-साथ पीडब्ल्यूडी द्वारा जारी निविदा को अंतिम रूप न दिए जाने, आईएंडएफसी/एमसीडी द्वारा व्यय न किए जाने, ठेकेदारों द्वारा बिल प्रस्तुत न किए जाने, समय पर प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय स्वीकृति प्राप्त न होने, कार्य प्रगति न होने, नोडल शाखा से कोई दावा प्राप्त न होने के कारण बचत हुई। बचत अभ्यर्पण के कारणों में अन्य बातों के साथ-साथ निविदा को अंतिम रूप न दिए जाने, कार्य की प्रगति के अनुसार प्रावधान रखे जाने, कुछ कार्य शुरू न किए जाने (₹ 129.70 करोड़), पिछले वर्ष की प्रतिबद्ध देनदारियां अभी भी लंबित होना, खेल गतिविधियों का संचालन न किया जाना, पूंजीगत कार्य शुरू न किया जाना आदि शामिल हैं।</td></tr>
<tr><td>15</td><td>अनुदान सं. 11 - यूडी और पीडब्ल्यूडी</td><td>12,551.68</td><td>0.53</td><td>12,552.21</td><td>7,405.78</td><td>5,146.43</td><td>3,187.42</td><td>1,959.01</td></tr>
<tr><td colspan="9">बचत के कारण : अन्य बातों के साथ-साथ प्रस्तावों की कमी के कारण पावर के स्वीकृत नहीं होने (₹ 208.23 करोड़), एमएलएएलएडी के प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने, जियो टैगिंग के अभाव में शेष राशि के प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने, भारत सरकार से केंद्रीय हिस्सा प्राप्त नहीं होने (₹ 200.00 करोड़), दिल्ली जल बोर्ड से अनुचित प्रस्ताव प्राप्त होने, अनुमानित बिलों की प्राप्ति नहीं होने, प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय स्वीकृति प्राप्त नहीं होने, पेड़ काटने की अनुमति नहीं मिलने और भूमि अधिग्रहण की धीमी गति, काम में बाधा आदि के कारण बचत हुई।
बचत अभ्यर्पण के कारणों में अन्य बातों के साथ-साथ कार्य की धीमी गति, अधिक ऋण एवं अग्रिम जारी करने का प्रावधान किया जाना, कम ऋण एवं अग्रिम (₹ 850.00 करोड़) जारी किया जाना, कार्य का अंतिम रूप न दिया जाना, वाईफाई सेवा बंद होना, परियोजना का अभी तक स्वीकृत न होना, नीति का वापस लिया जाना आदि शामिल हैं।</td></tr>
<tr><td></td><td>कुल</td><td>14,910.19</td><td>1.68</td><td>14,911.87</td><td>8066.45</td><td>6,845.42</td><td>4,589.68</td><td>2,255.74</td></tr>
<tr><td colspan="2">कुल योग</td><td>57,150.94</td><td>931.63</td><td>58,082.57</td><td>45,112.85</td><td>12,969.72</td><td>6,763.76</td><td>6,205.96</td></tr>
</table>

स्रोत: प्रधान लेखा कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स.

परिशिष्ट 3.8
(पैराग्राफ 3.3.3 में संदर्भित)
पिछले 5 वर्षों के दौरान उन अनुदानों का विवरण जहां ₹ 10 करोड़ से अधिक की बचत लगातार व्यपगत हो गई

क्र.सं.	अनुदान सं. और नाम	वह अवधि (वर्ष) जिसके दौरान ₹ 10 करोड़ से अधिक की बचत व्यपगत हो गई
1.	1- विधान सभा	-
2.	2- सामान्य प्रशासन	2019-2024 (5)
3.	3- न्याय प्रशासन	2019-20, 2021-2024 (4)
4.	4- वित्त	2019-2024 (5)
5.	5- गृह	2019-2024 (5)
6.	6- शिक्षा	2019-2024 (5)
7.	7- चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	2019-2024 (5)
8.	8- समाज कल्याण	2019-2023 (4)
9.	9- उद्योग	2019-2024 (5)
10.	10- विकास	2019-2024 (5)
11.	11- शहरी विकास और जन कार्य	2019-2024 (5)
12.	12- ऋण	-
13.	13- पेंशन	-
14.	14- आकस्मिकता निधि हेतु विनियोजन	-
15.	15- लोक ऋण	-

परिशिष्ट 3.9
(पैराग्राफ 3.4.2 में संदर्भित)
ऐसी योजनाएं जिनके लिए प्रावधान किया गया (₹ एक करोड़ और अधिक) परंतु कोई व्यय नहीं हुआ

(₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	अनुदान सं.	शीर्ष/योजना का नाम	स्वीकृत परिव्यय	संशोधित परिव्यय	वास्तविक व्यय
राजस्व दत्तमत					
1.	अनुदान सं. 03	2014.00.103.98- सांसदों और विधायकों से संबंधित आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतों की स्थापना	2.60	2.60	शून्य
2.		4059.60.051.72 - राउज एवेन्यू कोर्ट कॉम्प्लेक्स के समीप जिला न्यायालय ब्लॉक (I) के लिए नए न्यायालय भवन का निर्माण	0.01	1.00	शून्य
3.		4059.60.051.73 -उस्मानपुर थाने के पास शास्त्री पार्क में जिला न्यायालय परिसर का निर्माण	0.01	1.00	शून्य
4.		4059.60.051.74- मौजूदा कड़कड़ूमा कोर्ट परिसर के सामने कड़कड़ूमा में नए प्लॉट पर अतिरिक्त न्यायालयों का निर्माण	0.01	1.00	शून्य
5.	अनुदान सं. 05	2056.00.101.97- जेलों में बॉडी वॉर्न कैमरा के पायलट प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन (सीएसएस)	1.00	1.00	शून्य
6.		2056.00.101.98 - ई-जेल परियोजना (सीएसएस) का कार्यान्वयन	1.00	1.00	शून्य
7.	अनुदान सं. 06	2202.02.109.49- बिजनेस ब्लास्टर टीमों के इनक्यूबेशन के लिए डीएसईयू को सहायता अनुदान	5.00	5.00	शून्य
8.		2202.02.109.47 - देश के मेंटोर के लिए डीसीपीसीआर को सहायता अनुदान	5.00	5.00	शून्य
9.		2202.03.001.97- अभिभावक कार्यशालाओं के आयोजन के लिए डीसीपीसीआर को सहायता अनुदान	5.00	5.00	शून्य
10.		2203.00.112.44- विश्वविद्यालय/कॉलेजों में इन्क्यूबेशन सेंटर की स्थापना	4.03	4.03	शून्य
11.		2203.00.112.34- इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, विकास, डिजिटल स्वास्थ्य, क्वांटम कंप्यूटिंग आदि में अनुसंधान के लिए इंद्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी) को सहायता अनुदान	0.01	2.00	शून्य
12.		2230.03.101.88- कौशल अर्जन ज्ञान जागरूकता आजीविका संवर्धन (संकल्प) (सीएसएस)	0.01	4.14	शून्य
13.		2205.00.102.36- भारत का महोत्सव	5.00	1.00	शून्य
14.		2205.00.104.94- अभिलेखों का डिजिटलीकरण एवं माइक्रो फिल्मांकन तथा अभिलेखीय अभिलेखों का संरक्षण	5.00	2.50	शून्य
15.		2202.03.001.96 - दिल्ली उच्चतर एवं तकनीकी शिक्षा आश्वासन योजना को सहायता अनुदान (दिल्ली उच्चतर शिक्षा सहायता ट्रस्ट के अंतर्गत)	50.00	10.00	शून्य

(₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	अनुदान सं.	शीर्ष/योजना का नाम	स्वीकृत परिव्यय	संशोधित परिव्यय	वास्तविक व्यय
16.		2202.03.102.83 - स्पोकन इंग्लिश प्रोग्राम के लिए डी.एस.ई.यू. को सहायता अनुदान	10.00	2.00	शून्य
17.		2202.03.102.84 - खेल विश्वविद्यालय को सहायता अनुदान	100.00	2.00	शून्य
18.	अनुदान सं. 07	2210.06.113.97 - वेक्टर जनित रोगों और अन्य स्वास्थ्य मुद्दों के बारे में जागरूकता अभियान	10.24	4.98	शून्य
19.		2210.06.800.67 - रोगी कल्याण समिति को सहायता अनुदान	5.00	1.00	शून्य
20.		2211.00.101.78 -ग्रामीण परिवार कल्याण सेवा उपकेन्द्र (सीएसएस)	2.00	2.39	शून्य
21.		2211.00.102.80- शहरी परिवार कल्याण केंद्र (सीएसएस)	20.00	24.53	शून्य
22.		2211.00.102.78- शहरी परिवार कल्याण केंद्रों का पुनरुद्धार (सीएसएस)	5.00	12.05	शून्य
23.		2211.00.102.75 - अस्पताल में प्रसवोत्तर इकाइयों पर व्यय के लिए अनुदान	5.00	2.14	शून्य
24.	अनुदान सं. 08	2235.02.001.92 - सुरक्षा आंतरिक और बाह्य स्वच्छता संवर्धन (एसडब्ल्यूडी) (राजस्व प्रभारित)	2.50	2.50	शून्य
25.		2235.02.102.22 - माता-पिता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी समितियों का प्रशिक्षण (प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा)	2.00	2.00	शून्य
26.		2235.02.102.17.90 -आधार नामांकन किट की खरीद के लिए आंगनवाड़ी सेवा योजना	2.56	2.56	शून्य
27.		2235.02.102.14.97- गैर संस्थागत देखभाल प्रायोजन/पालक देखभाल/बाद की देखभाल	0.02	2.04	शून्य
28.		2235.02.102.13.87- गैर संस्थागत देखभाल प्रायोजन पालन-पोषण देखभाल के बाद देखभाल	0.02	1.30	शून्य
29.		2235.02.103.22 -इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (आईजीएनडब्ल्यूपीएस) एनएसएपी (सीएसएस)	13.50	13.75	शून्य
30.		2235.02.103.13.97 -पीएमवीएमवीवाई - फ्लेक्सी फंड	1.82	1.82	शून्य
31.		2235.02.103.12.97 -पीएमएमवीवाई- फ्लेक्सी फंड	1.13	1.13	शून्य
32.		2235.02.107.93- स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान (डीडब्ल्यूसीडी)	2.10	1.25	शून्य
33.		2236.02.101.71 -पूरक पोषण कार्यक्रम के अंतर्गत अतिरिक्त आहार	10.00	4.94	शून्य
34.		2225.01.190.97 - एससी/एसटी के लिए डीएससीएफडीसी को वित्तीय सहायता	2.00	10.00	शून्य
35.		2225.01.789.74 -प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय (पीएम-एजेएवाई) (सीएसएस)	1.50	1.50	शून्य
36.		2225.03.277.75 - अल्पसंख्यक/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस के लिए जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना	30.00	3.81	शून्य
37.		2225.03.277.74 -ओबीसी छात्रों को प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति (राज्य अंशदान)	1.60	1.60	शून्य

(₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	अनुदान सं.	शीर्ष/योजना का नाम	स्वीकृत परिव्यय	संशोधित परिव्यय	वास्तविक व्यय
38.		2225.03.277.72 - ओबीसी छात्रों को प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति (सीएसएस)	2.40	2.40	शून्य
39.		2225.80.789.97-किस सोसाइटी (एससीएसपी) के सहयोग से गांव ईशापुर दिल्ली में अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग /न्यूनतम वर्ग और अनाथ बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय की स्थापना	2.40	2.40	शून्य
40.		2235.02.200.78- प्रख्यात व्यक्तियों की जयंती एवं पुण्यतिथि हेतु योजना	2.00	2.00	शून्य
41.		2041.00.800.72 - सब्सिडी (ऑटो रिक्शा में जीपीएस ट्रैकिंग शुल्क और सिम कार्ड की लागत)	12.00	12.00	शून्य
42.		3055.00.001.84 - क्लस्टर बसों में राष्ट्रीय कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) (उपशीर्षक)	0.01	2.64	शून्य
43.		3055.00.190.89 -एमआरटीएस को अन्य अनुदान	1.01	200.00	शून्य
44.		3075.60.800.78-डीएमआरटीएस के लिए बाह्य सहायता (जेआईसीए ऋण) पर विदेशी मुद्रा भिन्नता को साझा करने के लिए डीएमआरसी को अनुदान	0.01	100.00	शून्य
45.		3452.01.190.69 - दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल के लिए डीटीटीडीसी को सहायता अनुदान	100.00	2.60	शून्य
46.		3452.01.190.66 - दिल्ली फिल्म फंड के लिए डीटीटीडीसी को सहायता अनुदान	5.00	1.00	शून्य
47.		3452.80.001.84- मंत्रिपरिषद के लिए जन सहभागिता	6.00	1.00	शून्य
48.		3452.80.104.61-भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्ष गांठ समारोह के लिए डीटीटीडीसी को सहायता अनुदान	0.01	6.72	शून्य
49.	अनुदान सं. 09	2230.02.101.69 - रोजगार बाजार 2.0 के लिए डी.एस.ई.यू. को सहायता अनुदान	12.00	3.00	शून्य
50.		3456.00.001.94 - राशन की डोर स्टेप डिलीवरी के लिए अभियान	10.00	5.00	शून्य
51.		3456.00.102.86 - खाद्यान्नों की अंतर-राज्यीय आवाजाही के लिए राज्य एजेंसियों को सहायता और एनएफएसए (सीएसएस) के तहत एफपीएस डीलरों का मार्जिन	39.01	49.55	शून्य
52.		3456.00.103.93 - आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमत की जांच के लिए बाजार हस्तक्षेप का प्रावधान	5.00	5.00	शून्य
53.		3475.00.106.90 - विधिक माप विज्ञान विंग (सीएसएस) का सुदृढ़ीकरण	1.20	1.20	शून्य
54.	अनुदान सं. 10	2403.00.800.60 - दिल्ली के पशु कल्याण सलाहकार बोर्ड को सहायता अनुदान	1.50	1.50	शून्य
55.		2515.00.800.77 -आईडीआरयूवी कार्य जिसमें डीवीडीबी के माध्यम से जल निकाय शामिल हैं, जिसमें आईडीयूवी कार्यों (सामान्य) की मरम्मत के लिए 5% परिव्यय शामिल है	1.40	1.40	शून्य
56.		2015.00.106.95.98 - चुनाव पर व्यय	0.01	2.10	शून्य

(₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	अनुदान सं.	शीर्ष/योजना का नाम	स्वीकृत परिव्यय	संशोधित परिव्यय	वास्तविक व्यय
57.		3435.04.103.85 - दिल्ली में उन्नत वायु प्रदूषण प्रबंधन के लिए वास्तविक समय स्रोत आवंटन और पूर्वानुमान के लिए डीपीसीसी को अनुदान	0.41	3.82	शून्य
58.		3435.04.103.81- मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीन (एमआरएस) स्प्रिंकर मशीन (डब्ल्यूएस) और एंटी-स्मॉग गन (एएसजी) को लगाने के लिए एमसीडी को सहायता अनुदान	0.01	9.42	शून्य
59.	अनुदान सं. 11	2217.05.001.99 - दिल्ली फूड हब का पुनर्विकास	5.00	1.00	शून्य
60.		2217.05.001.98 - खुदरा बाजारों का नवीनीकरण और संवर्धन	50.00	5.00	शून्य
61.		2217.05.191.94 - अमृत 2.0 (सीएसएस) के लिए एमसीडी/एनडीएमसी को सहायता अनुदान	1177.00	438.24	शून्य
62.		2217.80.191.04.95- शहरी विकास विभाग क्षमता निर्माण और ए एण्ड ओई (सीएसएस)	5.00	2.50	शून्य
63.		2217.80.191.04.91 - जन जागरूकता और आईईसी गतिविधियों के लिए शहरी विकास विभाग (सीएसएस)	5.00	2.50	शून्य
64.		3475.00.108.94 -दीन दयाल अंत्योदय योजना/राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (सीएसएस)	5.37	8.06	शून्य
	कुल		**1757.79**	**1019.61**	
पूंजीगत दत्तमत					
65.	अनुदान सं. 06	4202.01.202.86 - 2+ स्तर पर कंप्यूटर विज्ञान का परिचय	42.00	1.00	शून्य
66.	अनुदान सं. 09	5475.00.102.88 - जिला फोरम और राज्य आयोग को आवास उपलब्ध कराना	0.40	5.00	शून्य
67.	अनुदान सं. 10	4403.00.101.92- पशु चिकित्सा महाविद्यालय का निर्माण	0.96	1.85	शून्य
68.		4059.01.051.81 -उप आयुक्त कार्यालय	15.00	5.00	शून्य
69.	अनुदान सं. 11	6215.01.191.69 चंद्रावल डब्ल्यूटीपी के लिए दिल्ली जल बोर्ड को ऋण (राज्य का हिस्सा)	30.00	20.00	शून्य
70.		6215.01.191.70 चंद्रावल डब्ल्यूटीपी के लिए दिल्ली जल बोर्ड को ऋण -जेआईसीए (केंद्रीय शेयर)	200.00	200.00	शून्य
71.		4059.80.051.76-राष्ट्रीय ध्वज के लिए पोल की स्थापना	1.00	4.00	शून्य
72.		4235.02.103.99 -मजनू के टीले पर महिला एवं बाल विकास मुख्यालय भवन का निर्माण	9.71	1.00	शून्य
73.		5054.04.101.70 - खेड़ा कलां से खेड़ा खुर्द रोड पर रेलवे क्रॉसिंग सं. एलसी-12 पर आरओबी/आरयूबी का निर्माण	10.00	1.00	शून्य
74.		5054.04.101.69 - मोदी मिल फ्लाईओवर का (एलिवेटेड कॉरिडोर के रूप में) कालकाजी मंदिर के मौजूदा आधे फ्लाईओवर तक विस्तार,	0.01	1.00	शून्य

(₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	अनुदान सं.	शीर्ष/योजना का नाम	स्वीकृत परिव्यय	संशोधित परिव्यय	वास्तविक व्यय
		साथ ही कालकाजी में नए अतिरिक्त आधे फ्लाईओवर का निर्माण (उपशीर्ष)			
75.		5054.04.337.75 -वाई-फाई दिल्ली	50.00	1.00	शून्य
76.		4810.00.101.99 - नवीकरणीय ऊर्जा	10.00	10.00	शून्य
	कुल		**369.08**	**250.85**	**शून्य**
कुल योग			**2,126.87**	**1,270.46**	**शून्य**

परिशिष्ट 3.10
(पैराग्राफ 3.4.2 में संदर्भित)
वे योजनाएं जिनके लिए प्रावधान (₹ एक करोड़ और अधिक) किया गया था परंतु संशोधित परिव्यय में उन्हें वापस ले लिया गया

(₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	अनुदान सं.	शीर्ष/योजना का नाम	स्वीकृत परिव्यय	संशोधित परिव्यय
1.	अनुदान सं. 2	2055.00.119.97 दिल्ली पुलिस द्वारा महिलाओं की सुरक्षा हेतु सुरक्षित शहर परियोजना के कार्यान्वयन हेतु दिल्ली पुलिस सेवा सोसायटी को सहायता अनुदान (निर्भया फंड) (केंद्र प्रायोजित योजना)	284.44	0.00
2.		2220.60.101.96 -मीडिया नेटवर्क के साथ सहयोग	55.00	0.00
3.		2220.60.101.95- प्रत्येक विभाग के लिए संचार टीमें	22.00	0.00
4.		2220.60.101.94- आउटरीच कार्यक्रम के लिए शासन का दिल्ली मॉडल	45.00	0.00
5.		2220.60.101.91 -महिला सुरक्षा पर मीडिया अभियान	22.00	0.00
6.	अनुदान सं. 3	4070.00.001.87 -उच्च न्यायालय (उपशीर्ष)	23.41	0.00
7.		4059.01.051.71- न्यायपालिका के लिए बुनियादी ढांचा सुविधाएं (केंद्र प्रायोजित योजना)	30.00	0.00
8.	अनुदान सं. 4	3451.00.102.93 - आर्थिक, योजना और निगरानी फेलोशिप	2.10	0.00
9.		2043.00.101.92- बिल बनवाओ इनाम पाओ	1.00	0.00
10.		7615.00.200.76- स्वायत्त/स्थानीय निकायों को अर्थोपाय ऋण	500.00	0.00
11.	अनुदान सं. 6	2202.02.004.97- पुस्तकों, पत्रिकाओं आदि की खरीद के लिए शिक्षाविदों/शैक्षणिक प्रशासकों को अनुदान।	1.00	0.00
12.		2202.02.101.97- दिल्ली माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को सहायता अनुदान	30.00	0.00
13.		2202.02.104.98- शिक्षकों की नवाचार गतिविधियों को बढ़ावा देना	5.00	0.00
14.		2202.02.109.95- ग्रामीण क्षेत्रों की छात्राओं को निःशुल्क परिवहन सुविधा	4.00	0.00
15.		2202.02.109.72- स्कूल स्वास्थ्य योजना और बहुउद्देश्यीय छात्र आई-कार्ड जारी करना	5.00	0.00
16.		2202.02.109.68- ऑनलाइन व्याख्यानों के प्रसारण के लिए स्टूडियो की स्थापना	1.00	0.00
17.		2202.02.113.96- समग्र शिक्षा - शिक्षक शिक्षा (केंद्र प्रायोजित योजना)	8.00	0.00
18.		2202.02.113.95 - समग्र शिक्षा- शिक्षक शिक्षा (राज्य शेयर)	5.00	0.00
19.		2202.02.113.94- समग्र शिक्षा माध्यमिक शिक्षा (टॉप अप)	13.00	0.00

(₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	अनुदान सं.	शीर्ष/योजना का नाम	स्वीकृत परिव्यय	संशोधित परिव्यय
20.		2202.80.001.83- अंग्रेजी बोलने के कौशल और संचार क्षमता के विकास के लिए विशेष कक्षाओं का संचालन	6.00	0.00
21.		2204.00.104.53- खेल संघों को सहायता अनुदान	1.00	0.00
22.		2230.03.101.89- मॉडल आईटीआई (उपशीर्ष)	1.50	0.00
23.		2205.00.102.50- कन्नड़ अकादमी को सहायता अनुदान	1.00	0.00
24.		2205.00.102.49- कश्मीरी अकादमी को सहायता अनुदान	1.00	0.00
25.		2205.00.102.47- मलयालम अकादमी को सहायता अनुदान	1.00	0.00
26.		2205.00.102.46- मराठी अकादमी को सहायता अनुदान	1.00	0.00
27.		2205.00.102.45- मारवाड़ी अकादमी को सहायता अनुदान	1.00	0.00
28.		2205.00.102.44- ओडिया अकादमी को सहायता अनुदान	1.00	0.00
29.		2205.00.102.43- पाली एवं प्राकृत अकादमी को सहायता अनुदान	1.00	0.00
30.		2205.00.102.42- तमिल अकादमी को सहायता अनुदान	1.00	0.00
31.		2205.00.102.41- -तेलुगु अकादमी को सहायता अनुदान	1.00	0.00
32.		2205.00.102.40- अंतर्राष्ट्रीय अकादमी को सहायता अनुदान	1.00	0.00
33.		2205.00.102.39- कोंकणी अकादमी को सहायता अनुदान	1.00	0.00
34.	अनुदान सं. 7	2210.01.200.69- आपातकालीन कोविड-19 प्रतिक्रिया पैकेज 3.0 का कार्यान्वयन	50.00	0.00
35.		2211.00.001.90- परिवार कल्याण निदेशालय (केन्द्र प्रायोजित योजना)	7.5	0.00
36.		4210.04.101.88- प्रादेशिक कैंसर केयर सेंटर (केंद्र प्रायोजित योजना)	1.00	0.00
37.	अनुदान सं. 8	2235.02.101.47- सुगम्य सहायक - विकलांग छात्रों की गतिशीलता को सुविधाजनक बनाने के लिए	1.00	0.00
38.		2235.02.101.46- शिक्षा प्राप्ति के प्रत्येक स्तर पर विकलांग छात्रों के लिए सावधि जमा	1.00	0.00
39.		2235.02.101.45- विकलांग माता-पिता की बेटियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता	1.00	0.00
40.		2235.02.104.65- वरिष्ठ नागरिकों के लिए आवासीय मनोरंजन केंद्र	2.00	0.00
41.		2235.02.104.61- विकलांग व्यक्तियों के लिए पुनर्वास और संबद्ध सेवाओं के लिए संस्थान	1.00	0.00
42.		2235.02.104.59- भिखारियों, विकलांग व्यक्तियों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का कौशल विकास और पुनर्वास	1.00	0.00
43.		2235.02.200.73- वार्षिक लाभार्थी सत्यापन योजना	15.00	0.00
44.		2235.02.789.99- वरिष्ठ नागरिक पेंशन योजना (वृद्धावस्था सहायता का विस्तार) (एससीएसपी)	155.50	0.00

(₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	अनुदान सं.	शीर्ष/योजना का नाम	स्वीकृत परिव्यय	संशोधित परिव्यय
45.		2235.02.789.98- विकलांग व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ता (एससीएसपी)	55.68	0.00
46.		2225.01.277.42- मिडिल कक्षाओं तक के विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री जूनियर छात्रवृत्ति योजना	10.15	0.00
47.		3055.00.001.87- फीडर बस सेवा/इलेक्ट्रिक वाहन	1.00	0.00
48.	अनुदान सं. 9	2852.80.104.97- दिल्ली बाज़ार प्लेटफॉर्म के शुभारंभ के लिए डीएसआईआईडीसी को सहायता अनुदान	2.00	0.00
49.		2852.80.104.95- दिल्ली के गांधी नगर गारमेंट हब के लिए डीएसआईआईडीसी को सहायता अनुदान	15.00	0.00
50.		2401.00.130.99- किसान मित्र योजना	49.61	0.00
51.		4851.00.102.69- गांधीनगर मार्केट का पुनर्विकास परियोजना (उपशीर्ष)	25.00	0.00
52.	अनुदान सं. 10	2053.00.093.80- दिल्ली दर्शन योजना	1.00	0.00
53.		2225.04.102.97- अल्पसंख्यक बहुल जिलों के लिए बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (केंद्र प्रायोजित योजना)	9.00	0.00
54.		2245.05.101.99- राहत कोष और जमा खातों में स्थानांतरण - राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (केंद्र का हिस्सा)	15.00	0.00
55.		2245.05.101.98- राहत कोष और जमा खातों में स्थानांतरण - राज्य आपदा प्रतिक्रिया (राज्य का हिस्सा)	3.75	0.00
56.		2406.04.103.98- राज्य प्रतिपूरक वनरोपण निधि (एससीएएफ) से वित्तपोषित जलग्रहण क्षेत्र उपचार संयंत्र	2.22	0.00
57.		3435.60.789.98- दिल्ली पार्क और उद्यान सोसायटी (एससीएसपी)	4.30	0.00
58.		4202.03.102.99- जिला स्तर पर खेल सुविधाओं का विकास	55.00	0.00
59.		4702.00.102.97- जिला स्तर पर जल निकायों का विकास	55.00	0.00
60.	अनुदान सं. 11	2215.01.101.99- नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के माध्यम से उपभोक्ताओं को सब्सिडी	2.50	0.00
61.		2217.05.800.85- बाजार विकास निधि	2.00	0.00
62.		4217.60.051.95- मुख्यमंत्री स्थानीय क्षेत्र विकास	300.00	0.00
63.		7615.00.200.73- स्थानीय निकायों को अर्थोपाय सहायता के लिए ऋण	850.00	0.00
64.		4059.01.051.69- अतिरिक्त कार्यालय स्थान और डीडीसीडी भवन का निर्माण	1.00	0.00
65.		420201.202.89- डिजिटल कक्षाओं का निर्माण	20.00	0.00
66.		4202.01.203.88- अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली (एयूडी) परिसर का निर्माण - रोहिणी	50.00	0.00

(₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	अनुदान सं.	शीर्ष/योजना का नाम	स्वीकृत परिव्यय	संशोधित परिव्यय
67.		5054.04.101.95- मजनू का टीला एयूडी पर फ्लाईओवर और आउटर रिंग रोड पर मेटकाफ हाउस	1.50	0.00
68.		5054.04.337.84- रोहतक रोड एवं एच-10 (ज्वाला हेरी मार्केट रेड लाइट से ज्वालापुरी रेड लाइट) के कॉरिडोर के लिए एकीकृत ट्रांजिट कॉरिडोर विकास और स्ट्रीट नेटवर्क/कनेक्टिविटी	5.00	0.00
69.		5054.04.337.80- महरौली-बदरपुर कॉरिडोर (डीएमआरसी को भुगतान)	150.00	0.00
70.		4801.05.800.91- भूमि की खरीद	30.00	0.00
71.		4801.05.800.86- जगमगाती दिल्ली कार्यक्रम के तहत 11केवी नेटवर्क को अनावृत कंडक्टर से इंसुलेटेड कंडक्टर में परिवर्तित करना	10.00	0.00
72.		4070.00.101.99- राज्य चुनाव आयोग	25.15	0.00
कुल			**3,063.31**	

परिशिष्ट 3.11

(पैराग्राफ 3.4.3 (ii) में संदर्भित)

केवल मार्च-2024 में 50 *प्रतिशत* से अधिक कुल व्यय वाले अनुदान

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	लेखा शीर्ष	कुल व्यय	मार्च 2024 में किया गया व्यय (पूरक सहित)	24 मार्च के दौरान कुल व्यय का %
03- न्याय प्रशासन				
1	2015.00.105.90.00.13	48.99	33.41	68.2
कुल		**48.99**	**33.41**	
05- गृह				
2	4070.00.001.76.00.52	77.05	49.71	64.52
कुल		**77.05**	**49.71**	
06- शिक्षा				
3	2202.01.113.98.00.31	147.46	74.71	50.66
4	2202.01.113.98.00.35	13.69	10.24	74.8
5	2202.01.789.79.00.31	20	16.19	80.95
6	2202.02.109.86.00.49	24.81	12.57	50.67
7	2202.02.113.98.00.31	23	15.82	68.78
8	2202.02.113.98.00.35	24	17.94	74.75
9	2203.00.102.96.00.31	17.57	12.57	71.54
10	2203.00.102.96.00.36	47.75	35.25	73.82
11	2203.00.112.49.00.36	15.00	11.25	75
12	2204.00.103.78.00.40	13.91	13.59	97.7
कुल		**347.19**	**220.13**	
07- चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य				
13	4210.01.110.96.00.52	29.56	24.09	81.5
कुल		**29.56**	**24.09**	
08- समाज कल्याण				
14	2235.02.102.17.97.49	90	47.05	52.28
15	3055.00.190.94.00.33	260	133.81	51.47
16	5055.00.190.80.00.54	383.31	218.31	56.95
कुल		**733.31**	**399.17**	
10-विकास				
17	4711.01.800.93.00.73	15.37	10.4	67.66
कुल		**15.37**	**10.4**	
11- शहरी विकास तथा लोक निर्माण विभाग				
18	3054.04.105.97.96.27	371.48	227.91	61.35

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	लेखा शीर्ष	कुल व्यय	मार्च 2024 में किया गया व्यय (पूरक सहित)	24 मार्च के दौरान कुल व्यय का %
19	4059.01.051.96.00.72	39.81	20.24	50.84
20	5054.04.337.94.00.73	251.17	135.2	53.83
21	5054.04.337.95.00.73	271	155	57.2
22	6215.01.190.98.00.55	13.41	10.91	81.36
कुल		**946.87**	**549.26**	
कुल योग		**2198.34**	**1286.17**	

परिशिष्ट 3.12
(पैराग्राफ 3.5(ई) में संदर्भित)
निधियों का आधिक्य/अनावश्यक पुनर्विनियोग, जहां अंतिम बचत ₹ एक करोड़ से अधिक थी

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	लेखा शीर्ष	मूल बजट	पूरक	पुनर्विनियोग	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	कुल प्रावधान में से बचत
2021-22							
1	2235.02.001.98 - सामाजिक सुरक्षा और कल्याण समाज कल्याण निदेशालय	16.47	0.00	0.87	17.34	15.94	1.39
2	2235.02.101.95- विकलांगों का कल्याण: मानसिक रूप से मंद बच्चों के लिए स्कूल/घर	23.15	0.00	0.83	23.98	22.85	1.13
3	2235.02.101.93- शिक्षक प्रशिक्षण इकाई और लेडी नॉयस स्कूल फॉर डेफ एंड डंब	6.26	0.01	0.34	6.61	5.35	1.25
4	2235.03.101.98- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आईजीएनओएपीएस) (एनएसएपी) (सीएसएस) (उपशीर्ष)	44.00	0.00	0.50	44.50	32.82	11.67
5	2235.02.102.54 - किशोर न्याय (बच्चों का मामला और संरक्षण) अधिनियम, 2000 का कार्यान्वयन	12.25	0.00	0.75	13.00	11.90	1.10
6	2235.02.102.31- बाल अधिकार आयोग	6.20	0.02	0.68	6.90	5.02	1.87
7	2235.02.102.17.90 -आंगनवाड़ी सेवा योजना-आधार नामांकन किट की खरीद	0.00	0.01	2.55	2.56	0.00	2.56
8	2235.02.102.16.92- आंगनवाड़ी सेवा योजना- आधार नामांकन किट की खरीद	0.00	0.01	1.70	1.71	0.00	1.71
9	2235.02.103.13.97- पीएमएमवीवाई-फ्लेक्सी फंड	0.00	0.01	1.19	1.20	0.00	1.20
10	2235.02.789.92.97- सक्षम आंगनवाड़ी और किशोरियों (एसएजी) के लिए पोषण 2.0 (सीएसएस) योजना-पोषण घटक	0.00	0.01	0.99	1.00	0.00	1.00

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	लेखा शीर्ष	मूल बजट	पूरक	पुनर्विनियोग	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	कुल प्रावधान में से बचत
11	2225.01.277.52- एससी छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (सीएसएस)	10.00	0.01	0.74	10.75	0.09	10.65
12	2225.01.277.50- कलिंग्स इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (केआईएसएस) के सहयोग से गांव ईशापुर दिल्ली में अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यकों एवं अनाथों के कमजोर वर्ग के लिए आवासीय विद्यालय की स्थापना	3.00	0.01	1.41	4.42	1.27	3.14
13	2225.03.800.94- सफाई कर्मचारियों के लिए दिल्ली कमीशन को सहायता अनुदान	2.62	0.02	0.37	3.01	1.71	1.30
14	2225.80.789.97- कलिंग्स इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (केआईएसएस) (एससीएसपी) के सहयोग से गांव ईशापुर दिल्ली में अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/न्यूनतम एवं अनाथ वर्ग के लिए आवासीय विद्यालय की स्थापना	2.00	0.01	0.93	2.94	0.85	2.09
	कुल	**125.95**	**0.12**	**13.85**	**139.92**	**97.80**	**42.06**
2022-23							
15	22350200186- महिला एवं बाल विकास निदेशालय	14.65	0.00	0.45	15.10	11.54	3.56
16	2235021021796- पोषण मिशन	15.38	0.01	2.31	17.70	6.94	10.76
17	2235021021696- पोषण मिशन	3.84	0.03	7.93	11.80	3.84	7.96
18	2235021031397- पीएमएमवीवाई फ्लेक्सी फंड	2.10	0.00	1.40	3.50	0.00	3.50
19	22250127762- अनुसूचित जाति के बालकों हेतु छात्रावास	1.90	0.00	0.10	2.00	0.55	1.45
20	20410080079 -रिकॉर्ड का कम्प्यूटरीकरण	17.25	0.00	5.38	22.63	13.39	9.24
	कुल	**55.12**	**0.04**	**17.57**	**72.73**	**36.26**	**36.47**
	पूंजीगत दत्तमत्त						

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	लेखा शीर्ष	मूल बजट	पूरक	पुनर्विनियोग	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	कुल प्रावधान में से बचत
21	42350280093- मौजूदा भवन में अतिरिक्त सुविधाओं का प्रावधान (डब्ल्यूसीडी)	3.00	0.00	0.20	3.20	0.27	2.93
	कुल	**3.00**	**0.00**	**0.20**	**3.20**	**0.27**	**2.93**
2023-24							
22	22350200198- समाज कल्याण निदेशालय	20.26	0.05	3.23	23.54	18.63	4.90
23	22350210195- मानसिक रूप से मंद बच्चों के लिए स्कूल/घर	26.45	0.00	1.06	27.51	20.47	7.04
24	22350210191- राजकीय दृष्टिहीन बालक विद्यालय, किंग्सवे कैंप	8.01	0.00	0.76	8.77	5.10	3.66
25	22350210183- विकलांगता निवारण/ विकलांगों की शिक्षा, प्रशिक्षण एवं रोजगार/ जन जागरूकता का प्रचार-प्रसार	6.05	0.00	0.29	6.34	5.12	1.21
26	22350210157- विकलांग व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता	390.00	0.01	9.99	400	386.32	13.67
27	22350210498- पुरुष और महिला भिखारियों के लिए घर	8.37	0.00	1.27	9.64	7.32	2.31
28	22350310198- इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना (आईजीएनओएपीएस) (सीएसएस)	44.50	0.00	0.70	45.20	13.21	31.98
29	2235021021798- आंगनवाड़ी सेवा योजना- आंगनवाड़ी सेवाएं (सामान्य)	89.50	0.01	1.49	91.00	53.49	37.50
30	2235021031398- समर्थ प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई)	1.50	0.01	25.49	27.00	1.03	25.96
31	2235021031393- सामर्थ्य महिला सशाक्तिकरण केंद्र	1.43	0.00	1.37	2.81	0.96	1.84
32	2235021031390 - सबल बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओं (बीबीबीपी)	1.00	0.00	2.50	3.50	0.80	2.70
33	22350280085-विलेज कॉटेज होम	2.96	0.01	0.73	3.70	2.54	1.16
34	20410080079 -रिकॉर्ड का कम्प्यूटरीकरण	19.90	0.00	4.15	24.05	12.22	11.82

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	**लेखा शीर्ष**	**मूल बजट**	**पूरक**	**पुनर्विनियोग**	**कुल प्रावधान**	**वास्तविक व्यय**	**कुल प्रावधान में से बचत**
35	30550019096- क्लस्टर बसों के घाटे को पूरा करने के लिए मुआवजा	1,250.00	156.09	11.90	1,418.00	1,249.99	168.00
36	30550019089- एमआरटीएस को अन्य अनुदान	1.00	0.01	198.99	200.00	0.00	200.00
	कुल	**1,870.93**	**156.10**	**263.92**	**2,291.06**	**1,777.20**	**513.75**

स्रोत: विनियोग खाते

परिशिष्ट 3.13
(पैराग्राफ 3.5 (एफ) में संदर्भित)
ऐसी योजनाएं जिनमें प्रावधान (₹ एक करोड़ या अधिक) किया गया परंतु कोई व्यय नहीं हुआ

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	शीर्ष/योजना का नाम	स्वीकृत परिव्यय (मूल बजट)	संशोधित परिव्यय	वास्तविक व्यय
राजस्व दत्तमत				
2021-22				
1	2235.02.104.59 - भिखारियों, विकलांग व्यक्तियों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का कौशल विकास और पुनर्वास	1.00	1.00	शून्य
2	2235.02.102.36 - प्रोत्साहन आंगनवाड़ी उन्नयन योजना	15.00	4.76	शून्य
3	2235.02.102.22 - माता-पिता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं_और आंगनवाड़ी समितियों का प्रशिक्षण (प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा)	2.00	1.00	शून्य
4	2235.02.102.17.90 - आंगनवाड़ी सेवा योजना-आधार नामांकन किट की खरीद	0.01	2.56	शून्य
5	2235.02.102.16.92 - आंगनवाड़ी सेवा योजना-आधार नामांकन किट की खरीद	0.01	1.71	शून्य
6	2235.02.103.17 - महिला सहायता प्रकोष्ट (महिला सहायता डेस्क)	2.05	1.00	शून्य
7	2235.02.789.92.97 - किशोरियों के लिए योजना (एसएजी) - पोषण घटक	0.01	1.00	शून्य
8	2225.01.190.97 - **एससी/एसटी के लिए डीएससीएफडीसी को वित्तीय सहायता**	3.00	1.00	शून्य
9	2041.00.800.96 - सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ और गैर सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान	1.00	1.00	शून्य
10	3452.80.104.59 - पर्यटन और विरासत फेलोशिप के लिए डीटीटीडीसी को सहायता अनुदान	2.00	1.00	शून्य
पूँजीगत दत्तमत				
11	4235.02.104.98 - वृद्धाश्रम	4.00	1.00	शून्य
12	4235.02.102.98 - प्रत्येक आंगनवाड़ी केन्द्र में सी.सी.टी.वी.	5.00	2.28	शून्य
13	4235.02.103.98 - कामकाजी महिला छात्रावास का निर्माण	3.00	1.00	शून्य
14	4235.02.800.93 - मौजूदा भवन में अतिरिक्त सुविधाओं का प्रावधान (डब्ल्यूसीडी)	2.50	2.50	शून्य
15	6225.80.800.94 - मुख्यमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स ऋण योजना के तहत डीएसएफडीसी को ऋण	20.00	5.00	शून्य
16	5055.00.050.86 - बस कतार आश्रयों का निर्माण	30.00	2.00	शून्य
17	5452.01.102.92 - दिल्ली सदन के निर्माण हेतु भूमि की खरीद	20.00	1.00	शून्य

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	शीर्ष/योजना का नाम	स्वीकृत परिव्यय (मूल बजट)	संशोधित परिव्यय	वास्तविक व्यय
2022-23				
राजस्व दत्तमत				
18	2235.02.104.60 - इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना	2.35	2.35	शून्य
19	2235.03.102.98 - राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (एनएसएपी) (सीएसएस)	4.67	4.67	शून्य
20	2235.02.103.18 - महिलाओं की गरिमा के लिए व्यवहार में परिवर्तन	12.00	1.00	शून्य
21	2235.02.103.13.97 - पीएमएमवीवाई फ्लेक्सी फंड	2.10	3.50	शून्य
22	2235.02.103.13.90 - संबल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी)	0.02	1.00	शून्य
23	2236.02.101.71 - पूरक पोषण के अंतर्गत अतिरिक्त आहार प्रोग्राम	10.00	1.00	शून्य
24	2225.01.190.97 - एससी/एसटी के लिए डीएससीएफडीसी को वित्तीय सहायता	2.53	1.75	शून्य
25	2225.03.277.75 - अल्पसंख्यकों/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस के लिए जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा योजना	90.00	4.86	शून्य
26	22350220078 - प्रतिष्ठित हस्तियों की जन्म और पुण्यतिथि की योजना	2.00	1.90	शून्य
27	3055.00.001.87 - फीडर बस सेवा/इलेक्ट्रिक वाहन	1.00	1.00	शून्य
28	3055.00.190.89 - एमआरटीएस को अन्य अनुदान	0.01	1.00	शून्य
29	3452.80.001.84 - मंत्रिपरिषद के लिए जन सहभागिता	6.00	6.00	शून्य
पूँजीगत दत्तमत				
30	4235.02.101.82 - विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995 के कार्यान्वयन के लिए योजना (पूंजीगत व्यय)	5.00	5.00	शून्य
	2023-24			
राजस्व दत्तमत				
31	2235.02.001.92 - आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा, स्वच्छता संवर्धन (प्रभारित व्यय)	2.50	2.50	शून्य
32	2235.02.102.22 - माता-पिता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी समितियों का प्रशिक्षण (प्रारंभिक बचपन शिक्षा)	2.00	2.00	शून्य
33	2235.02.102.17.90 - आधार नामांकन किट की खरीद के लिए आंगनवाड़ी सेवा योजना	2.56	2.56	शून्य
34	2235.02.102.14.97 - गैर संस्थागत देखभाल प्रायोजन/पालक देखभाल/बाद की देखभाल	0.02	2.04	शून्य
35	2235.02.102.13.87 - गैर-संस्थागत देखभाल प्रायोजन पालन-पोषण देखभाल के बाद की देखभाल	0.02	1.30	शून्य

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	शीर्ष/योजना का नाम	स्वीकृत परिव्यय (मूल बजट)	संशोधित परिव्यय	वास्तविक व्यय
36	2235.02.103.22 - इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (सीएसएस)	13.50	13.75	शून्य
37	2235.02.103.13.97 - पीएमवीएमवीवाई - फ्लेक्सी फंड	1.82	1.82	शून्य
38	2235.02.103.12.97 - पीएमएमवीवाई- फ्लेक्सी फंड	1.13	1.13	शून्य
39	2235.02.107.93 - सहायता के रूप में स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान (डीडब्ल्यूसीडी)	2.10	1.25	शून्य
40	2236.02.101.71 - पूरक पोषण कार्यक्रम के अंतर्गत अतिरिक्त आहार	10.00	4.94	शून्य
41	2225.01.190.97 - एससी/एसटी के लिए डीएससीएफडीसी को वित्तीय सहायता	2.01	10.00	शून्य
42	2225.01.789.74 - प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय (सीएसएस)	1.50	1.50	शून्य
43	2225.03.277.75 - अल्पसंख्यकों/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस के लिए जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना	30.00	3.81	शून्य
44	2225.03.277.74 - ओबीसी छात्र को प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति (राज्य का हिस्सा)	1.60	1.60	शून्य
45	2225.03.277.72 - ओबीसी छात्र को प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति (सीएसएस)	2.40	2.40	शून्य
46	2225.80.789.97 - गांव ईशापुर में अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/न्यूनतम वर्ग के कमजोर वर्ग एवं अनाथ बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय की स्थापना दिल्ली में किस सोसायटी (एससीएसपी) के सहयोग से	2.40	2.40	शून्य
47	2235.02.200.78 - प्रख्यात व्यक्तियों की जयंती एवं पुण्यतिथि हेतु योजना	2.00	2.00	शून्य
48	2041.00.800.72 - सब्सिडी (ऑटो रिक्शा में जीपीएस ट्रैकिंग शुल्क और सिम कार्ड की लागत)	12.00	12.00	शून्य
49	3055.00.001.84 - क्लस्टर बसों में नेशन कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी)	0.01	2.64	शून्य
50	3055.00.190.89 - एमआरटीएस को अन्य अनुदान	1.01	200.00	शून्य
51	3075.60.800.78 - डीएमआरटीएस के लिए बाह्य सहायता (जेआईसीए ऋण) पर विदेशी मुद्रा अंतर को साझा करने के लिए डीएमआरसी को अनुदान	0.01	100.00	शून्य
52	3452.01.190.69 - दिल्ली शापिंग फेस्टिवल के लिए डीटीटीडीसी को सहायता अनुदान	100.00	2.60	शून्य
53	3452.01.190.66 - दिल्ली फिल्म्स फंड के लिए डीटीटीडीसी को सहायता अनुदान	5.00	1.00	शून्य

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	शीर्ष/योजना का नाम	स्वीकृत परिव्यय (मूल बजट)	संशोधित परिव्यय	वास्तविक व्यय
54	3452.80.001.84 - मंत्रिपरिषद के लिए जन सहभागिता	6.00	1.00	शून्य
55	3452.80.104.61 - भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ समारोह के लिए डीटीटीडीसी को सहायता अनुदान	0.01	6.72	शून्य

परिशिष्ट 3.14
(पैराग्राफ 3.5(जी) में संदर्भित)
अनुदान संख्या 08-समाज कल्याण के अंतर्गत व्यय की अधिकता

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	लेखा शीर्ष	कुल प्रावधान	कुल व्यय	कुल व्यय			
				अंतिम तिमाही के दौरान कुल व्यय	पिछले तिमाही के दौरान व्यय का %	मार्च में कुल व्यय	मार्च के लिए व्यय का %
2021-22							
1	2225.01.277.43.00.34	30	30	22.28	74.28	22.28	74.29
2	2225.01.277.71.00.50	63	47.34	29.73	62.80	29.42	62.16
3	2225.01.789.76.00.34	13	13	13	100.00	13	100.00
4	2235.02.103.22.00.50	13.5	13.5	13.50	100.00	13.50	100.00
5	2235.02.103.33.00.50	83.36	79.63	64.40	80.87	40.28	50.59
6	3055.00.190.90.00.31	103.31	103.31	103.31	100.00	78.31	75.80
7	3055.00.190.99.00.33	50	38.46	38.46	100.00	38.46	100.00
8	5055.00.050.85.00.53	450	447.29	392.54	87.76	382.87	85.60
9	5055.00.190.80.00.54	800	800	450	56.25	450	56.25
10	7055.00.190.92.00.55	200	200	100	50.00	100	50.00
11	7055.00.190.94.00.55	150	150	100	66.67	100	66.67
2022-23							
12	2225.01.277.71.00.50	53.88	52.39	37.37	71.34	35.06	66.92
13	3055.00.190.99.00.33	50.00	50.00	50.00	100.00	50.00	100.00
14	3452.80.104.71.00.31	17.50	16.69	12.31	73.79	12.31	73.79
2023-24							
15	2235.02.102.17.97.49	90.00	90.00	47.04	52.28	47.04	52.28
16	3055.00.190.94.00.33	260.00	260.00	133.80	51.46	133.80	51.46
17	3055.00.190.99.00.33	50.00	50.00	50.00	100.00	50.00	100.00
18	5055.00.190.80.00.54	383.31	383.31	218.31	56.95	218.31	56.95
19	7055.001.90.96.00.55	244.50	244.50	244.50	100.00	244.50	100.00

परिशिष्ट 3.15
(पैराग्राफ 3.6.1 में संदर्भित)
लेखापरीक्षा के लिए वाउचर प्रस्तुत न करना

(राशि ₹ में)

क्रम सं.	डीडीओ_कोड	वाउचर सं.	वाउचर तारीख	कार्यात्मक शीर्ष	वस्तु शीर्ष	कुल राशि
1	डीडीओ :(058001) डीडीओ, निदेशालय परिवहन	5895	17-07-2023	2041001010000	13	2899663.00
2	डीडीओ :(058001) डीडीओ, निदेशालय परिवहन	12133	09-11-2023	2041001010000	13	102946.00
3	डीडीओ :(058001) डीडीओ, निदेशालय परिवहन	12823	22-11-2023	2041001010000	13	621863.00
4	डीडीओ :(062001) डीडीओ, कार्यालय श्रम आयुक्त	7317	09-08-2023	2230010000000	13	459980.00
5	डीडीओ :(062001) डीडीओ, कार्यालय श्रम आयुक्त	18538	15-03-2024	2230010000000	13	1463006.00
6	डीडीओ :(055037) डीडीओ, कॉलेज जाने वाले दृष्टिहीन बालकों के लिए छात्रावास	19852	31-03-2024	2235021019100	21	239802.00
7	डीडीओ :(055039) डीडीओ, राजकीय दृष्टिहीन बालक विद्यालय	4236	19-06-2023	2235021019100	21	31588.00
8	डीडीओ :(055054) डीडीओ,गरीबों का घर	15853	24-01-2024	2235021049800	13	1056101.00
9	डीडीओ :(055063) डीडीओ,भिखारियों का घर-I	7236	07-08-2023	2235021049800	13	223560.00
10	डीडीओ :(055065) डीडीओ, ए और डी भिखारियों के लिए घर	15193	19-01-2024	2235021049800	21	981957.00
11	डीडीओ :(055079) डीडीओ, दृष्टिहीन बालकों के लिए सरकारी स्कूल का सुदृढ़ीकरण	6874	31-07-2023	2235021019100	21	159750.00
12	डीडीओ :(056001) डीडीओ, कुष्ठ रोगियों के पुनर्वास केंद्र	2608	19-05-2023	2235021048800	13	1381943.00
13	डीडीओ :(055060) डीडीओ, बालकों हेतु बाल गृह-II	5323	03-07-2023	2235021029800	13	160466.00
14	डीडीओ :(098022) डीडीओ, बालकों के लिए निरीक्षण गृह-II	13307	06-12-2023	2235021029800	6	18437.00
15	डीडीओ :(098025) डीडीओ, सुरक्षा स्थान,1	11327	26-10-2023	2235021029800	21	69816.00

क्रम सं.	डीडीओ_कोड	वाउचर सं.	वाउचर तारीख	कार्यात्मक शीर्ष	वस्तु शीर्ष	कुल राशि
16	डीडीओ : (058001) डीडीओ, निदेशालय परिवहन	2081	11-05-2023	3055001909700	36	3500000000.00
17	डीडीओ :(058001) डीडीओ, निदेशालय परिवहन	2082	11-05-2023	3055001909700	31	2125000000.00
18	डीडीओ :(058001) डीडीओ, निदेशालय परिवहन	5333	03-07-2023	3055001909700	31	2125000000.00
19	डीडीओ :(058001) डीडीओ, निदेशालय परिवहन	5334	03-07-2023	3055001909700	36	3500000000.00
20	डीडीओ :(058001) डीडीओ, निदेशालय परिवहन	6324	24-07-2023	3055001909400	33	384813310.00
21	डीडीओ :(058001) डीडीओ, निदेशालय परिवहन	6941	02-08-2023	3055001909300	33	509710150.00
22	डीडीओ :(058001) डीडीओ, निदेशालय परिवहन	7935	23-08-2023	2041008006500	31	162408575.00
23	डीडीओ :(058001) डीडीओ, निदेशालय परिवहन	9211	19-09-2023	5055001908000	54	1650000000.00

परिशिष्ट 3.16
(पैराग्राफ 3.6.2 में संदर्भित)
सेवा शुल्क पर जीएसटी का दोहरा भुगतान करने से ₹ 2.29 लाख का अधिक भुगतान हुआ

(राशि ₹ में)

क्रम सं.	विवरण	महीना	बिल सं.	वाउचर सं.	सेवा शुल्क को छोड़कर कुल राशि	सेवा शुल्क	सेवा शुल्क सहित कुल राशि	जीएसटी जिसका भुगतान किया जाना था ('5' का @ 18%)	वास्तव में भुगतान किया गया जीएसटी	अतिरिक्त जीएसटी का भुगतान ('9'-'8')
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	सुरक्षा गार्ड, मेसर्स आरडी एक्सीलेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	अगस्त 23	सीबी-342	6434	4051508	34437	4085945	729271	735470	6199
		अक्तूबर 23	सीबी-412	8199	5145432	43736	5189168	926178	934050	7873
		नवंबर 23	सीबी-467	9488	4975054	42288	5017342	895510	903122	7612
		दिसंबर 23	सीबी-548	10685	5104708	43390	5148098	918847	926658	7810
		जनवरी 24	सीबी-607	12313	5127148	43580	5170728	922887	930731	7845
2	गृह/संस्थानों में वार्ड आया, मेसर्स आर्मर सिक्योरिटी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड	नवंबर 23	सीबी-535	10704	4547821	175091	4722912	818608	850124	31517
		दिसंबर 23	सीबी-609	12315	4933076	189923	5122999	887954	922140	34186
		जनवरी 24	सीबी-619	12484	5170915	199080	5369995	930765	966599	35834
		फ़रवरी 24	सीबी-659	13104	4882164	187963	5070127	878790	912623	33834
3	स्वच्छता कर्मचारी, मेसर्स सुलभ स्वच्छता मिशन फाउंडेशन	नवंबर 23	सीबी-454	9138	4085892	157306	4243198	735461	763776	28315
		दिसंबर 23	सीबी-518	10354	4085892	157306	4243198	735461	763776	28315
	कुल									**2,29,340**

परिशिष्ट 3.17
(पैराग्राफ 3.6.2 में संदर्भित)
सेवा शुल्क पर जीएसटी का दोहरा भुगतान करने से ₹ 1.28 लाख का अधिक भुगतान हुआ

(राशि ₹ में)

क्रम सं.	विवरण	बिल का महीना	बिल सं./ दिनांक	वाउचर सं.	बिल की सकल राशि (सेवा शुल्क और जीएसटी सहित)	बिल की राशि बिना जीएसटी @18% (सेवा शुल्क सहित)	जीएसटी सहित सेवा शुल्क (मेसर्स ईगल आई के लिए @ 0.5% तथा मेसर्स शिवानी एंटरप्राइज के लिए @ 0.85%)	अतिरिक्त जीएसटी का भुगतान (सेवा शुल्क पर 18% की दर से जीएसटी)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)/1.18	(8)=[(7)/1.005)]* 0.005 (मेसर्स ईगल आई के लिए) =[(7)/1.0085)]*0.0085 (मेसर्स शिवानी एंटरप्राइज के लिए	(9)=(8)*0.18
1	मेसर्स ईगल आई सिक्योरिटी एंड हाउसकीपिंग सर्विसेज	अप्रैल 23	सीबी - 223/ 08.06.23	4776	4019343	3406223	16946	3050
		जुलाई 23	सीबी - 648/ 18.10.23	14373	4092848	3468515	17256	3106
		अगस्त 23 सितम्बर 23	सीबी - 679/ 02.11.23	15154	8197244	6946817	34561	6221
		नवंबर 23 दिसंबर 23	सीबी - 916/ 17.01.24	20187	8000841	6780374	33733	6072
		जनवरी 24	सीबी - 1012/ 21.02.24	22417	4268106	3617039	17995	3239
2	सुरक्षा सेवाओं के लिए मेसर्स शिवानी एंटरप्राइजेज	25.4.23 से 30.4.23 1.5.23 से 31.5.23	सीबी - 313/ 11.07.24	7169	10720758	9085388	76575	13783
		जून 23	सीबी - 432/ 11.8.23	9836	8689414	7363910	62066	11172

(राशि ₹ में)

क्रम सं.	विवरण	बिल का महीना	बिल सं./ दिनांक	वाउचर सं.	बिल की सकल राशि (सेवा शुल्क और जीएसटी सहित)	बिल की राशि बिना जीएसटी @18% (सेवा शुल्क सहित)	जीएसटी सहित सेवा शुल्क (मेसर्स ईगल आई के लिए @ 0.5% तथा मेसर्स शिवानी एंटरप्राइज के लिए @ 0.85%)	अतिरिक्त जीएसटी का भुगतान (सेवा शुल्क पर 18% की दर से जीएसटी)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)/1.18	(8)=[(7)/1.005)]* 0.005 (मेसर्स ईगल आई के लिए) =[(7)/1.0085)]*0.0085 (मेसर्स शिवानी एंटरप्राइज के लिए	(9)=(8)*0.18
		जुलाई 23	सीबी - 518/ 14.9.23	12140	9122153	7730638	65157	11728
		अगस्त 23	सीबी - 583/ 04.10.23	13302	9090140	7703508	64928	11687
		सितम्बर 23	सीबी - 660/ 23.10.23	14769	8863225	7511208	63307	11395
		अक्तूबर 23	सीबी - 749/ 21.11.23	16644	9093203	7706104	64950	11691
		नवंबर 23	सीबी - 847/ 19.12.23	18417	8964927	7597396	64034	11526
		दिसंबर 23	सीबी - 918/ 18.01.24	20186	9483047	8036481	67734	12192
		फ़रवरी 24	सीबी - 1101/ 15.03.24	24147	8678212	7354417	61986	11157
		कुल						1,28,019

परिशिष्ट 4.1
(पैरा 4.2 में संदर्भित)
डी.सी. बिल जमा करने में देरी (दिल्ली अभिलेखागार)

क्रम सं.	अग्रिम बिल सं. और दिनांक	निकासी की राशि ₹ में	डी.सी बिल सं. और दिनांक के अनुसार निपटारा किया गया	निपटान में देरी
1	एसीबी-56 दिनांक 23.06.2022	8,401	डीसीबी-189 दिनांक 16.01.2023	177
2	एसीबी-67 दिनांक 08.07.2022	25,000	डीसीबी-209 दिनांक 17.02.2023	194

परिशिष्ट 4.2
(पैरा 4.2 में संदर्भित)
डी.सी. बिल प्रस्तुत करने में देरी (मंडल आयुक्त, राजस्व विभाग)

क्रम सं.	अग्रिम बिल सं. और दिनांक	निकासी की राशि ₹ में	डी.सी. बिल सं. और दिनांक के अनुसार निपटारा किया गया	निपटान में देरी (दिनों की सं.)
1.	एसीबी-385, दिनांक 20.07.2022	91,53,403	डीसीबी-1301, दिनांक 29.03.2024	588
2.	एसीबी-534, दिनांक 26.09.2022	3,33,960	डीसीबी-1290, दिनांक 30.03.2024	521
3.	एसीबी-789, दिनांक 08.12.2022	29,40,000	डीसीबी-1061, दिनांक 26.02.2024	415
4.	एसीबी-1204, दिनांक 24.03,2023	38,760	डीसीबी-474, दिनांक 17.08.2023	116
5.	एसीबी-72, दिनांक 20.04.2023	1,10,000	डीसीबी-313, दिनांक 29.03.2024	314
6.	एसीबी-403, दिनांक 07.08.2023	41,611	डीसीबी-1308, दिनांक 30.03.2024	206

परिशिष्ट 4.3
(पैरा 4.2 में संदर्भित)
डी.सी. बिल जमा करने में देरी (सचिव-सह-आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग)

क्रम सं.	अग्रिम बिल सं. और दिनांक	निकासी की राशि ₹ में	डी.सी. बिल सं. और दिनांक के अनुसार निपटारा किया गया	निपटान में देरी
1	एसीबी-672, दिनांक 26.03.2020	155937	डीसीबी-131, दिनांक 24.05.2023	1124
2	एसीबी- 350 दिनांक 18.09.2020	913008	डीसीबी- 132, दिनांक 24.05.2023	948
3	एसीबी- 528 दिनांक 08.12.2021	31800000	डीसीबी- 148, दिनांक 02.06.2023	511
4	एसीबी-602 दिनांक 18.01.2022	68240	डीसीबी-308, दिनांक 11.09.2024	937
5	एसीबी- 623 दिनांक 28.01.2022	34120	डीसीबी-318, दिनांक 13.09.2024	929
6	एसीबी- 646 दिनांक 09.02.2022	593600	डीसीबी -149, दिनांक 02.06.2023	438

परिशिष्ट 4.4

(पैरा 4.2 में संदर्भित)

डी.सी. बिल जमा करने में देरी (गोबिंद बल्लभ अस्पताल)

क्रम सं.	अग्रिम बिल सं. और दिनांक	निकासी की राशि ₹ में	डी.सी. बिल सं. और दिनांक के अनुसार निपटारा किया गया	निपटान में देरी (एसीबी की तिथि-डीसीबी की तिथि-30 दिन)
01	एसीबी सं. 3944 दिनांक 25.01.2022	6908114	डीसीबी नं. 928 दिनांक 16.07.2024	873
02	एसीबी सं. 2413 दिनांक 10.09.2022	54620560	डीसीबी नं. 1759 दिनांक 10.09.2024	700
03	एसीबी सं. 3575 दिनांक 21.12.2022	20000	डीसीबी नं. 1100 दिनांक 28.06.2023	159
04	एसीबी नं.4292 दिनांक 06.02.2023	23673372	डीसीबी नं.1335 दिनांक 06.08.2024	517
05	एसीबी सं. 5535 दिनांक 29.03.2023	2712327	डीसीबी नं. 1355 दिनांक 07.08.2024	467
06	एसीबी नं. 1099 दिनांक 28.06.2023	40000	डीसीबी नं. 4002 दिनांक 06 02.2024	193
07	एसीबी सं. 3719 दिनांक 05.01.2024	3500	डीसीबी नं.39 दिनांक 03.04.2024	59
08	एसीबी सं. 3720 दिनांक 05.01.2024	13400	डीसीबी नं.38 दिनांक 07.04.2024	63
09	एसीबी सं. 4003 दिनांक 02.02.2024	40000	डीसीबी नं. 1476 दिनांक 14.08.2024	164

परिशिष्ट 4.5

(पैरा 4.5 में संदर्भित)

30 सितंबर 2024 तक बकाया खातों का ब्योरा

क्रम सं.	निकाय या प्राधिकरण का नाम	लंबित खाते कब से	30.09.2024 तक बकाया खातों की सं.
1	दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी)	2021-22	3
2	दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डीयूएसआईबी)	2014-15	1[1]
3	दिल्ली कल्याण समिति (डीकेएस)	2022-23	2
4	दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएसएलएसए)	2020-21	4
5	डॉ. बी.आर. अंबेडकर विश्वविद्यालय (एयूडी)	2023-24	1
6	गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय (जीजीएसआईपीयू)	2023-24	1
7	दिल्ली भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (डीबीओसीडब्ल्यूडब्ल्यूबी)	2022-23	2
8	दिल्ली कौशल उद्यमिता विश्वविद्यालय (डीएसईयू)	2022-23	2
9	डीटीसी ईपीएफ ट्रस्ट	2022-23	1
10	डीटीसी पेंशन ट्रस्ट	2022-23	1
11	इंद्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटीडी)	2023-24	1
12	दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (डीटीयू)	2021-22	3
13	इंदिरा गांधी दिल्ली महिला प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (आईजीडीटीयूडब्लू)	2018-19	5[2]
14	नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (एनएसयूटी)	2022-23	2
15	दिल्ली फार्मास्युटिकल साइंसेज एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी (डीपीएसआरयू)	2021-22	3
	कुल		**32**

[1] डीयूएसआईबी के लिए केवल 2014-15 तक ही वार्षिक लेखा उपलब्ध है। इसलिए, केवल एक वर्ष के खातों को बकाया के रूप में लिया गया है।

[2] आईजीडीटीयूडब्ल्यू के लिए 2022-23 तक ही वार्षिक लेखा उपलब्ध है। इसलिए, पांच वर्षों के खातों को बकाया के रूप में लिया गया है।

परिशिष्ट 4.6
(पैराग्राफ 4.6 (ii) में संदर्भित)
ऋण एवं अग्रिम का बकाया

(₹ लाख में)

क्र.सं.	ऋणदाता का नाम	31 मार्च 2024 तक बकाया राशि			वह प्रारंभिक अवधि जिससे बकाया संबंधित है	लम्बित
		मूलधन	ब्याज	कुल		
1.	दिल्ली नगर निगम	3,75,226.83	4,32,108.01	8,07,334.84	1950-51	73 वर्ष
2.	दिल्ली जल बोर्ड	37,36,658.94	3,98,816.77	77,25,575.71	1998-99	25 वर्ष
3.	दिल्ली शहरी आश्रय निवेश बोर्ड	1,15,520.76	77,037.20	1,92,557.96	2011-12	12 वर्ष
4.	दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम लिमिटेड	315.05	0.00	315.05	1977-78	46 वर्ष
5.	दिल्ली एससी वित्तीय विकास निगम दिल्ली	6,875.52	4,233.63	11,109.15	1987-88	36 वर्ष
6.	दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (डीएससीएससीएल)	436.34	1,497.70	1,934.04	1998-99	25 वर्ष
7.	दिल्ली वित्तीय निगम	3,300.00	2,864.28	6,164.28	2015-16	08 वर्ष
8.	सहकारी संस्थाएं	61.33	241.83	303.16	1962-63	61 वर्ष
9.	दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड	0.00	3,727.49	3,727.49	2018-19	05 वर्ष
10.	दिल्ली पावर कंपनी लिमिटेड	3,32,639.00	4,47,459.55	7,80,098.55	2014-15	09 वर्ष
11.	प्रगति पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	0.00	4,355.92	4,355.92	2014-15	09 वर्ष
12.	इंद्रप्रस्थ पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड (आईपीजीसीएल)	0.00	38,269.75	38,269.75	2012-13	11 वर्ष
13.	दिल्ली विकास प्राधिकरण	225.00	1,179.90	1404.90	1979-80	44 वर्ष
14.	दिल्ली परिवहन निगम	11,67,614.46	69,08,946.62	80,76,561.08	1996-97	27 वर्ष
15.	दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम	0.00	637.74	637.74	1973-74	50 वर्ष
16.	दिल्ली खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड	141.73	695.77	837.50	2005-06	18 वर्ष
17.	इंडस्ट्रीज	8.39	344.99	353.38	1981-82	42 वर्ष
18.	इंद्रप्रस्थ सूचना एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी)	48000.00	0.00	48000.00	2008-09	15 वर्ष
	कुल योग	**57,87,023.35**	**1,19,12,517.15**	**1,76,99,540.50**		

परिशिष्ट 4.7

(पैरा 4.6 (iii) में संदर्भित)

वित्त लेखाओं के विभिन्न विवरणों में निवेश पर संचयी आंकड़ों में बेमेल

क्र. सं.	विवरण क्रमांक 11 में विभिन्न लघु शीर्षों के अंतर्गत दर्शाया गया निवेश	राशि (₹ हजारों में)
1	4216.80.201-आवास बोर्डों में निवेश	3,00,200
2	4217.01.190-सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों में निवेश	70,000
3	4217.02.190-सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों में निवेश	35,07,500
4	4225.01.190-सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों में निवेश	2,34,887
5	4425.107-क्रेडिट कोऑपरेटिव्स में निवेश	4,852
6	4425.108-अन्य सहकारी समितियों में निवेश	1,557
7	4425.200-अन्य निवेश	4,531
8	4801.05.190-सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों में निवेश	7,10,67,800
9	4853.60.190-सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों में निवेश	31,800
10	4885.01.190-सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों में निवेश	1,73,500
11	5055.00.190-सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों में निवेश	14,16,26,142
12	5452.80.190-सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों में निवेश	2,43,181
2022-2023 के अंत में निवेश की संचयी राशि विवरण सं. 11 में दर्शाई गई है		**21,72,65,950**
विवरण सं.12 और विवरण 12 के अनुलग्नक में दर्शाई गई राशि		**21,43,73,591**
विवरण सं.12 में दर्शाए गए आंकड़े और विवरण सं. 11 में दर्शाए गए कुल निवेश के संचयी आंकड़े के बीच अंतर		**28,92,359**

पारिभाषिक शब्दावली

पारिभाषिक शब्दावली

1. ***एक वर्ष के 'लेखे' या वास्तविक 'आंकड़े' -*** *1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च* को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष के लिए प्राप्तियों और संवितरणों की राशि होती है, जैसा कि लेखा प्राधिकरण की पुस्तकों में अंतिम रूप से दर्ज किया गया है, (जैसा कि नि.म.ले.प. द्वारा लेखापरीक्षित है)। अनंतिम लेखा का तात्पर्य असंपरीक्षित लेखा से है।

2. ***किसी योजना, प्रस्ताव या कार्य का 'प्रशासनिक अनुमोदन' -*** व्यय करने के उद्देश्य से सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसकी औपचारिक स्वीकृति है। बजट में निधियों के प्रावधान के साथ, यह उस विशेष वर्ष के दौरान, जिसमें प्रशासनिक अनुमोदन जारी किया जाता है, प्रचालन हेतु वित्तीय मंज़ूरी के रूप में कार्य करता है।

3. ***'वार्षिक वित्तीय विवरण' -*** इसे बजट के रूप में भी देखा जाता है, जिसका अर्थ है प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए संसद/राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत केंद्र/राज्य सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण।

4. ‘***विनियोग’*** इसका **तात्पर्य** विनियोग की विभिन्न मूल इकाई अथवा उसके किसी भाग के अंतर्गत व्यय के लिए संसद/राज्य विधानमंडल द्वारा प्राधिकृत राशि को किसी संवितरण अधिकारी के समक्ष निपटान हेतु रखी गई राशि से है।

5. ***'प्रभारित व्यय'*** - इसका **तात्पर्य** ऐसे व्यय से है जिसे संविधान के प्रावधानों के तहत विधानमंडल के मत के लिए प्रस्तुत नहीं किया जाना है।

6. ***भारत/राज्य की समेकित निधि*** - संघ/राज्य सरकार के सभी राजस्व, उसके द्वारा लिए गए ऋण तथा भारत/राज्य की समेकित निधि से ऋणों के पुनः भुगतान से प्राप्त समस्त राशि से है। इस निधि से कोई भी धनराशि कानून के अनुसार और संविधान में निहित उद्देश्यों और तरीके के अलावा किसी और तरीके से विनियोजित नहीं की जा सकती।

7. ***'आकस्मिक निधि'*** - **यह** अग्रदाय प्रकृति की होती है। आकस्मिक निधि का उद्देश्य कार्यपालिका/सरकार को किसी वर्ष के दौरान होने वाले अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए संसद/राज्य विधानमंडल द्वारा प्राधिकृत किए जाने तक अग्रिम राशि प्रदान करना है। आकस्मिक निधि से आहरित राशि की प्रतिपूर्ति संसद/राज्य विधानमंडल द्वारा अनुपूरक मांगों के द्वारा अनुमोदित करने के बाद की जाती है।

8. **'*नियंत्रण अधिकारी (बजट)*'** - इसका तात्पर्य एक अधिकारी से है जिसे विभाग द्वारा किए गए व्यय और/अथवा राजस्व संग्रह को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस पद में विभागाध्यक्ष के प्रमुख और प्रशासक भी शामिल हैं।

9. ***'आहरण एवं संवितरण अधिकारी' (डीडीओ)*** - इसका तात्पर्य कार्यालय प्रमुख और राज्य सरकार के वित्त विभाग द्वारा नामित किसी ऐसे अधिकारी से है जो राज्य सरकार की ओर से बिल का आहरण और भुगतान करता हो। इस पद में विभागाध्यक्ष भी शामिल होंगे, जहां वे स्वयं ऐसे कार्य का निर्वहन करते हैं।

10. ***'अतिरिक्त अनुदान' -*** अतिरिक्त अनुदान का तात्पर्य मूल/अनुपूरक अनुदान के माध्यम से अनुमत प्रावधान से अधिक व्यय की राशि से है, जिसे संविधान के अनुच्छेद 115/205 के तहत संसद/राज्य विधानमंडल से अतिरिक्त अनुदान प्राप्त करके नियमित करने की आवश्यकता होती है।

11. ***'नई सेवा' -*** जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 115(1)(क)/205(1)(क) में उल्लेख किया गया है, नई सेवा का अर्थ है एक नए नीतिगत निर्णय के अंतर्गत होना वाला व्यय, जिसे पहले संसद/राज्य विधानमंडल के ध्यान में नहीं लाया गया हो, जिसमें कोई नई गतिविधि या निवेश का कोई नया रूप शामिल है।

12. ***'सेवा का नया साधन'*** - का अर्थ है किसी मौजूदा गतिविधि के महत्वपूर्ण विस्तार से उत्पन्न होने वाला अपेक्षाकृत अधिक व्यय।

13. **'लोक लेखा'** - का अभिप्राय संविधान के अनुच्छेद 266(2) में संदर्भित 'लोक लेखा' से है। जमा, आरक्षित निधि, प्रेषण इत्यादि जैसे प्राप्तियां और संवितरण जो समेकित निधि का हिस्सा नहीं हैं, को 'लोक लेखा' में शामिल किया जाता है। 'लोक लेखा' से संवितरण संसद/राज्य विधानमंडल के मत के अधीन नहीं होता है, क्योंकि वे भारत/राज्य की समेकित निधि से जारी किए गए धन नहीं हैं।

14. ***'पुनर्विनियोग'*** का अर्थ है किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसी अनुदान या प्रभारित विनियोग के अंतर्गत किसी अन्य इकाई के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए विनियोग की एक इकाई से बचत का अंतरण करना।

15. ***'संशोधित अनुमान' -*** एक वित्त वर्ष के लिए संभावित प्राप्तियों या व्यय का अनुमान है, जिसे पहले से ही जारी आदेशों के अंतर्गत वर्ष में पहले से

ही दर्ज किए गए लेन-देन और शेष के लिए अनुमान के संदर्भ में उस वर्ष के दौरान तैयार किया जाता है।

16. ***'अनुदान की अनुपूरक मांगें'*** - का अर्थ है उस वर्ष के वार्षिक वित्तीय विवरण में प्राधिकृत व्यय के अतिरिक्त किसी वित्त वर्ष के संबंध में और आवश्यक व्यय की अनुमानित राशि का उल्लेख करना जिसे विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुति किया जाता है। अनुपूरक की मांग सांकेतिक, तकनीकी या वास्तविक/नकद हो सकती है।

    क) **पूरक नकद** मूल बजट प्रावधानों से अधिक होता है और इसके परिणामस्वरूप मांग/अनुदान के लिए आबंटन में वृद्धि होती है। इसे अंतिम उपाय के रूप में और उचित परिश्रम के बाद प्राप्त किया जाना चाहिए। वर्तमान में, राज्य द्वारा इस पद्धति का पालन किया जाता है।

    ख) प्रत्येक मांग में चार खंड होते हैं, अर्थात् राजस्व दत्तमत, राजस्व प्रभारित, पूंजीगत दत्तमत और पूंजीगत प्रभारित। **तकनीकी अनुपूरक**, राज्य विधानमंडल का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, किसी एक अनुभाग की बचत को किसी अन्य अनुभाग के लिए उपयोग करने की अनुमति देता है।

    ग) **टोकन अनुपूरक** अनुदान के उसी भाग में बचत का उपयोग करने की अनुमति देता है।

17. ***'मुख्य शीर्ष'*** - का अर्थ राज्य की प्राप्तियों और संवितरणों को रिकॉर्ड करने और वर्गीकृत करने के उद्देश्य से एक मुख्य लेखा शीर्ष है। एक मुख्य शीर्ष, विशेष रूप से समेकित निधि के अंतर्गत आने वाला, आम तौर पर कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, आदि जैसे सरकार के 'कार्य' के अनुरूप होता है।

18. ***"उप-मुख्य शीर्ष"*** का अर्थ मुख्य शीर्ष और उसके तहत आने वाले लघु शीर्षों के बीच शुरू किया गया मध्यवर्ती लेखा शीर्ष से है, जब लघु शीर्ष असंख्य होते हैं तो ऐसे मध्यवर्ती शीर्ष के अंतर्गत आसानी से एक साथ समूहीकृत किए जा सकते हैं।

19. ***'लघु शीर्ष'*** - का अर्थ है मुख्य शीर्ष या उप-मुख्य शीर्ष का अधीनस्थ शीर्ष। मुख्य शीर्ष के अधीनस्थ एक लघु शीर्ष, मुख्य शीर्ष द्वारा वर्णित कार्य के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शुरू किए गए "कार्यक्रम" को चिह्नित करता है।

20. ***"उप-शीर्ष"*** - का अर्थ है कि लघु शीर्ष के अधीनस्थ लेखा की एक इकाई जो सामान्यतः लघु शीर्ष या कार्यक्रम के अंतर्गत योजना या संगठन को दर्शाती है।

21. ***'प्रमुख कार्य*** ' का अर्थ है कि वह मूल कार्य, जिसकी अनुमानित लागत विभागीय प्रभारों को छोड़कर, सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित राशि से अधिक हो।

22. ***'लघु कार्य'*** का अर्थ है कि वह मूल कार्य, जिसकी अनुमानित लागत विभागीय प्रभारों को छोड़कर, सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित राशि से अधिक हो।

23. ***"संशोधित अनुदान या विनियोग"*** - का अर्थ है कि विनियोग के किसी उप-शीर्ष को आबंटित राशि, जैसा कि यह पुर्नविनियोग या सक्षम प्राधिकारी द्वारा अतिरिक्त या अनुपूरक अनुदान की मंज़ूरी के बाद हो।

24. ***"अनुपूरक या अतिरिक्त अनुदान या विनियोग"*** - का अर्थ एक वित्त वर्ष के दौरान, विनियोग अधिनियम में शामिल प्रावधान है, जो उस वर्ष हेतु विनियोग अधिनियम में पूर्व में शामिल राशि से अधिक व्यय को पूरा करने के लिए अभिप्रेत हो।

25. ***"नए व्यय की अनुसूची"*** - का अर्थ है आगामी वर्ष के बजट में शामिल करने के लिए प्रस्तावित नए व्यय की मदों का विवरण।

26. ***"टोकन मांग"*** - का अर्थ है एक मामूली या सांकेतिक राशि के लिए विधानमंडल में की गई मांग, उदाहरण के लिए, जब नई सेवा पर संपूर्ण व्यय स्वीकृत बजट अनुदान की बचत से पूरा करने का प्रस्ताव किया जाता है।

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

https://cag.gov.in/ag/new-delhi/hi